खण्ड-417, अंक-3
सोमवार, 16 श्रावण, शक संवत् 1917
(7 अगस्त, 1995 ई0)

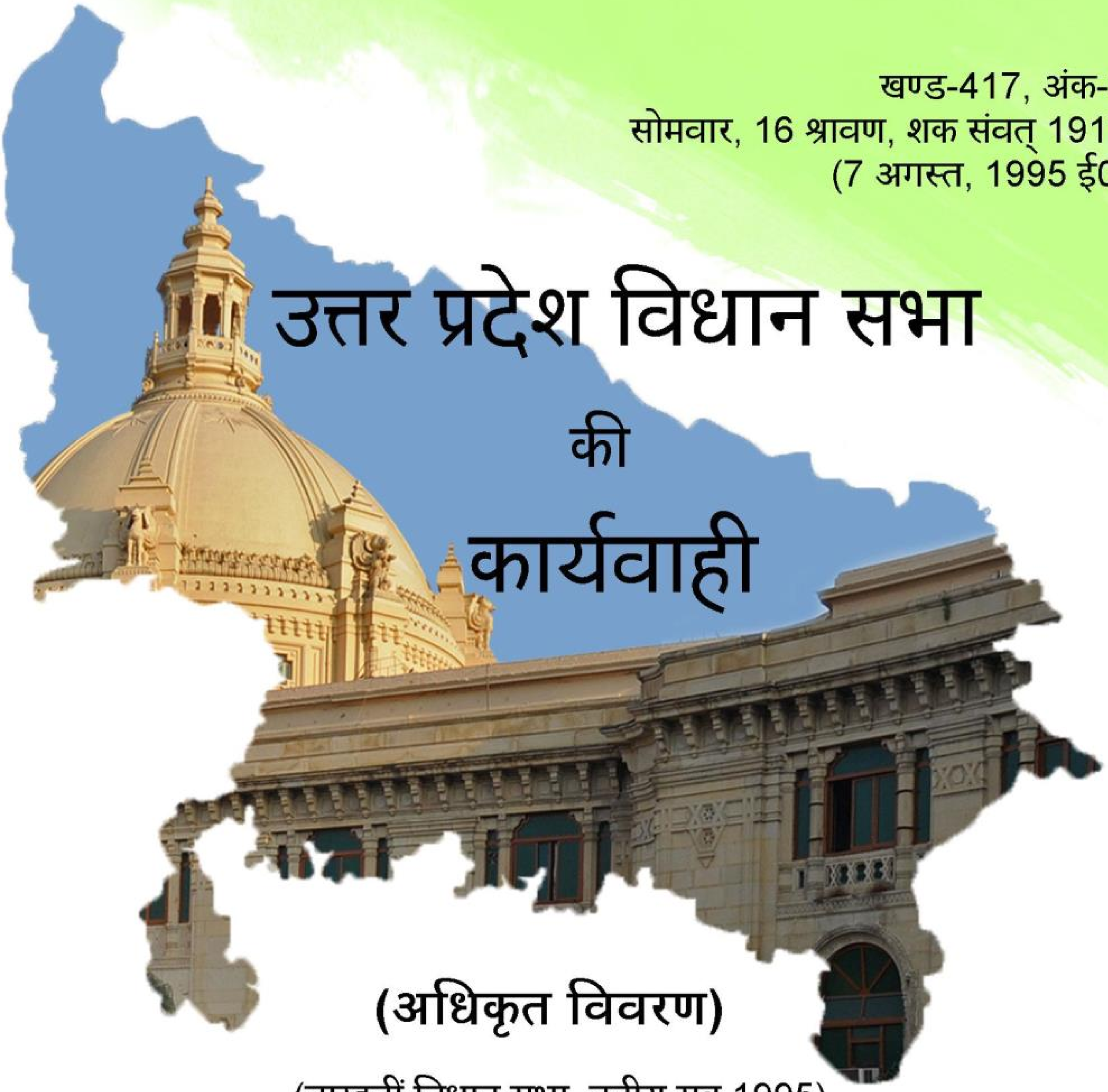

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1995)

खण्ड 417 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ग
कोरम के अभाव के संबंध में श्री अध्यक्ष द्वारा शासन को निर्देश ...	1
प्रश्नोत्तर	1–84
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	85
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देवरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	85
बांदा स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का भवन जर्जर हालत में होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85–86
बांदा जिले के कर्वी नगरपालिका स्थित राजकीय बालिका इण्टर कालेज को नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरित करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, फरेन्दा, महराजगंज द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86–87
आगरा महानगर में आवास विकास कालोनी के सभी सेक्टरों में भरे गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
गोरखपुर नगर निगम में धर्मशाला बाजार स्थित रेलवे पुल के नीचे के भाग को चारखाने में करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	87
निदेशालय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उ० प्र० लखनऊ द्वारा करोड़ों रुपये के घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	87–88
जापान में हिरोशिमा तथा नागासाकी नगरों पर 50 वर्ष पूर्व अणुबम गिराये जाने विषयक संवेदना प्रस्ताव को नियम 110 के अन्तर्गत लिए जाने की मांग ...	88–89
हरदोई जनपद में ग्राम्य विकास अभिकरण की बैठक में जिलाधिकारी द्वारा संसदीय कार्य-मंत्री की घोषणा मानने से इन्कार किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	90–95
जनपद आगरा की तहसील किरावली में पेयजल संकट विषयक नियम 51 की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने के बावजूद उसका कार्यान्वयन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	96–97
गन्ना किसानों के बकाये से संबंधित धनराशि संसदीय कार्य मंत्री की घोषणा के बावजूद भी चीनी निगम को प्राप्त न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	97–101
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	101–109

विषय	पृष्ठ संख्या
वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग (स्वीकृत)	109–147
वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग (स्वीकृत) ...	147–177
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) द्वितीय विधेयक, 1995 का स्थगन ...	177
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	177–178
जनपद बांदा में कर्बी जल संस्थान द्वारा बढ़ाये गये टैक्स विषयक श्री भैरो प्रसाद मिश्र द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य	178–180
लखनऊ महानगर के हजरतगंज वार्ड में 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक वक्तव्य का स्थगन	180
पूर्व विधायक श्री राम अधार राय के पुत्र श्री सतीश कुमार राय की बस से ठोकर लगने एवं अस्पताल में लावारिस रूप में हुई मृत्यु विषयक श्री ऊदल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पशुधन राज्य मंत्री का वक्तव्य	180–182
आगरा महानगर की मलिन बस्तियों में निःशुल्क सुलभ शौचालयों की व्यवस्था कराये जाने विषयक डा० राम बाबू हरित द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य	182–183
जनपद सीतापुर के महमूदाबाद नगर में नेहरू बाल उद्यान पार्क में नेहरू जी की प्रतिमा को क्षति पहुंचाये जाने तथा अवैध कब्जेदारी किये जाने विषयक श्री नरेश अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पशुधन राज्य मंत्री का वक्तव्य	183–184
नत्थियां	185–194

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(बारहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 7 अगस्त, 1995

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखलाख, श्री	मेरठ
अखिलेश, श्री	महराजगंज
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनिल कुमार, श्री	सीतापुर
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
अमर सिंह, श्री	अलीगढ़
अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अ० रईस, श्री	सुल्तानपुर
अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
अरिमर्दन सिंह, श्री	हमीरपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री	उन्नाव
अशोक बाजपेई, श्री	हरदोई
इन्द्रपाल सिंह, श्री	इटावा
इश्तियाक अहमद, श्री	बाराबंकी
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
उमाशंकर यादव, श्री	जौनपुर
उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी
ऊषा यादव, श्रीमती	एटा
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर
करन सिंह, श्री	मुरादाबाद
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली गढ़वाल
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
गजाधर सिंह, श्री	रायबरेली
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
चन्द्र विजय सिंह उर्फ बेबी राजा, श्री	मुरादाबाद
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
जगदीश मुनि, श्री	हरिद्वार
जगराम सिंह, श्री	कानपुर नगर
जदुरानी, श्रीमती	हरदोई
जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा
जवाहर यादव उर्फ पंडित जी, श्री	इलाहाबाद
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
जुगेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना, श्रीमती	वाराणसी
ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
तेजपाल सिंह, श्री	बिजनौर
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दरोगा प्रसाद सरोज, श्री	आजमगढ़
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ चौधरी, श्री	बलिया
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

धुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	खीरी
नन्द लाल, श्री	सुल्तानपुर
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात
नसीम भाई, श्री	मऊ
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
परशुराम यादव, श्री	फैजाबाद
पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
पुत्तू सिंह यादव, श्री	शाहजहांपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	देवरिया
प्रताप सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
प्रभा रावत, श्रीमती	गोरखपुर
बनवारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बनवारी सिंह, श्री	बदायूं
बरकत अली खां, श्री	सुल्तानपुर
बरफिया लाल जुवांठा, श्री	उत्तरकाशी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू खां, श्री	हरदोई
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बाबू राम वर्मा, श्री	बस्ती
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवती प्रसाद सागर, श्री	कानपुर देहात
मंजूर अहमद, श्री	बरेली
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन भइया, श्री	मेरठ
मनोरमा, श्रीमती	कानपुर देहात
मसूद अहमद, डा०	फैजाबाद
महबूब अली, श्री	मुरादाबाद
महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महिपाल सिंह यादव, श्री	बरेली
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
मित्रसेन यादव, श्री	फैजाबाद
मीर अफजल अली उर्फ अच्छे मियां, श्री	बदायूं
मुक्ति नाथ, श्री	देवरिया
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद अरशद खान, श्री	जौनपुर
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहसिन, डा०	गोरखपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
रंगनाथ मिश्र, श्री	वाराणसी
रघुवीर सिंह, श्री	एटा
रतन पाल पंवार, श्री	मुजफ्फरनगर
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रमेश चन्द्र चंचल, श्री	फिरोजाबाद
रवीन्द्र शुक्ल, श्री	झांसी
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज बहादुर, श्री	गाजीपुर
राजेन्द्र प्रसाद, श्री	लखनऊ
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश यादव, श्री	बदायूं
राधेश्याम, श्री	बाराबंकी
रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर
राम अचल राजभर, श्री	फैजाबाद
राम अधार यादव, श्री	महराजगंज

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम कुमार वर्मा, श्री	खीरी
राम तेज, श्री	बहराइच
राम दर्शन यादव, श्री	आजमगढ़
राम दास पाल, श्री	कानपुर देहात
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरेश यादव, श्री	रायबरेली
राम प्रसाद टम्टा, श्री	अल्मोड़ा
राम प्रसाद, श्री	बस्ती
राम मूर्ति सिंह, श्री	शाहजहांपुर
राम लखन यादव, श्री	प्रतापगढ़
राम वीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
राम स्वरूप शर्मा, स्वामी	मथुरा
रामेश्वर दयाल, श्री	मैनपुरी
रिजवान जहीर खां उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लाल बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय उर्फ विन्नू, श्री	गोण्डा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
वीर अभिमन्यू सिंह, श्री	फतेहपुर
वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री	पीलीभीत
वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शराफत यार खां, श्री	बरेली
शाकिर, श्री	देवरिया
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव प्रताप यादव, डा०	गोण्डा
शिव सागर लाल डा०	उन्नाव
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टिहरी गढ़वाल
श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्रीराम, श्री	मिर्जापुर
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
संग्राम सिंह यादव, श्री	बलिया
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश कुमार, श्री	बिजनौर
सतीश भाटिया, श्री	लखनऊ
संत बक्श रावत, श्री	लखनऊ
समर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद
सर्वराज सिंह, कुंवर	बरेली
सावित्री देवी, श्रीमती	जौनपुर
सियाराम सागर, डा०	बरेली
सुखदेवी, श्रीमती	इटावा
सुधीर कुमार बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
सुन्दर पाल सिंह, श्री	सीतापुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेश पासी, श्री	प्रतापगढ़
स्वयंवर चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
स्वामी नाथ, श्री	देवरिया
हरक सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरेन्द्र सिंह, ज्ञानी, श्री	रामपुर
हाजी मोहम्मद हयात, श्री	मुरादाबाद
हीरा मनि पटेल, श्री	इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 7 अगस्त, 1995

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री बी० आर० वर्मा० की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही 07 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई ।)

कोरम के अभाव के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष द्वारा शासन को निर्देश

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, शासक दल का कोरम बनाने का दायित्व है भविष्य में इसका ध्यान रखें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, वैसे आपने स्वयं सरकार का ध्यान आकर्षित किया । सरकार कोरम बनाने में असफल रही है, इसलिये सरकार को निर्देशित करें ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, आपका आदेश शिरोधार्य है और सरकार को इस पर खेद है कि हम कोरम नहीं बना पाये ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विगत वर्ष में प्रदेश में भारी एवं मध्यम उद्योग लगाने के इच्छुकों द्वारा लगाये गये उद्योगों एवं निवेशित पूंजी के विवरण की जानकारी

**1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह जनवरी, 1994 से दिसम्बर, 1994 के बीच प्रदेश में भारी तथा मध्यम उद्योग लगाने के लिये कितने इच्छा पत्र प्राप्त हुए । उनमें कितने करोड़ रुपये का पूंजी निवेश सम्भावित था ? अब तक इनमें से कितने उद्योग लगाना प्रारम्भ हो गये हैं तथा जो प्रारम्भ हो गये हैं उनमें कितने करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

प्रदेश में माह जनवरी, 1994 से दिसम्बर, 1994 के बीच भारी तथा मध्यम उद्योग लगाने के लिये कुल 433 इच्छा पत्र प्राप्त हुए ।

उनमें कुल रु० 1,46,476.08 करोड़ का पूंजी निवेश सम्भावित था ।

अब तक इनमें से 7 उद्योग लग चुके हैं और 77 उद्योग लगना प्रारम्भ हो गये हैं । इनमें से 890.28 करोड़ का पूंजी निवेश हो चुका है ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा उक्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–1 पर श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का नाम पुकारे जाने पर, वह सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

नयी औद्योगिक नीति के तहत उद्योग लगाने वालों को किसी प्रकार का अनुदान न दिये जाने की शिकायत

**2–श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा' तथा श्री नरेश अग्रवाल–

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई औद्योगिक नीति के तहत सभी तरह के उद्योगों पर किसी भी तरह का अनुदान न देने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री नन्द लाल सिंह पटेल)–

जी नहीं । खादी एवं ग्रामोद्योग योजना के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना तथा पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष परिवहन उपादान योजना पूर्ववत् जारी है । उपादान की अन्य योजनाएं दिनांक 31-3-95 के बाद समाप्त हो गयी हैं ।

यह अनुभव किया गया कि उद्यमियों को उपादान के रूप में आर्थिक सहायता देने के स्थान पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास कर उनको उपलब्ध कराना औद्योगिक विकास के लिये अधिक लाभ कर होगा और उद्यमी विकसित अवस्थापना सुविधाओं से आकर्षित होकर उद्योग लगाने के लिये आगे आयेंगे ।

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के दिये हुए उत्तर के संबंध में आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि यह जो खादी ग्रामोद्योग एवं पर्वतीय क्षेत्र में विशेष उपादान योजना पूर्ववत जारी है, इन दोनों परियोजनाओं में कितनी सब्सिडी दी जाती है । दूसरे मैं यह भी जानना चाहूंगा कि यह जो अन्य उपादान हैं, जिनमें सब्सिडी दिये जाते हैं वह 31-3-95 के बाद समाप्त हो गयी हैं, यह बन्द कर देने से सरकार को कितनी धनराशि की बचत होगी । तीसरे एक चीज मैं यह जानना चाहूंगा कि यह जो उस धन अवस्थापना में व्यय किये जाने की बात कही गयी है तो यह तय है कि अगर उद्यमियों को कुछ सुविधाओं का आकर्षण नहीं होगा तो वह उद्योग लगाने से कतरायेंगे । सरकार ने कहा है कि जो इन्फरास्ट्रेक्चर है, उसकी सुविधाओं में वृद्धि करेगी, तो क्या इसके अतिरिक्त कुछ सुविधा देने के नाम पर उद्योगपतियों को आकर्षित करने के नाम पर जो ऋण मिलता है, उस पर कोई ब्याज माफ करने की घोषणा सरकार करेगी ?

श्री नन्द लाल पटेल–

माननीय सदस्य का यह प्रश्न पहले भी आ चुका था और विगत 3-4 दिन पहले आधे घंटे की चर्चा भी हुई थी कि उपादान योजना हितकर है या अहितकर और जो अवस्थापना सुविधायें दी जा रही हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई थी, जो आपने यह पूछा कि उद्योगपति आकर्षित क्यों नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में चर्चा हुई थी । आपने जो यह पूछा है कि 31-3-95 से उपादान योजना थी उसको समाप्त कर दी गयी है लेकिन खादी ग्रामोद्योग के लिये पर्वतीय क्षेत्रों में यह योजना चल रही है, उसमें केवल ब्याज का परसन्टेज लगता है, इसमें कम लगता है और शेष योजनाओं में ज्यादा लगता है । परिवहन उपादान योजना के अन्तर्गत चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में 50 प्रतिशत की छूट की सुविधा है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की यह जिज्ञासा है कि जिन दो योजनाओं पर आप सब्सिडी देते रहे हैं, इस सब्सिडी को देने में कितना धन लगता है ? 31-3-95 पर जिन योजनाओं पर आपने सब्सिडी समाप्त कर दी है, उससे कितने धन की बचत हो रही है ?

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

मान्यवर, मेरी एक और जिज्ञासा है । उद्यमियों को आकर्षित करने के लिये प्रारम्भिक कुछ वर्षों–एक-दो-तीन वर्षों के लिये उद्यमी को ब्याज मुक्त ऋण देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

उद्योगों की अवस्थापना के लिये माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया है । माननीय सदस्य के तीन प्रश्न हो गये हैं । यदि माननीय मंत्री जी के पास सूचना हो तो वह दे दें ।

श्री नन्द लाल पटेल–

मान्यवर, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि जो उपादान योजना चल रही थी, उसमें कमी करके अवस्थापना सुविधा दी जा रही है । उसमें 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । इस अवस्थापना धनराशि से वहां पर विकास के कार्य किये जाते हैं । खादी ग्रामोद्योग योजना जो पहले से ही थी, वह 1-4-1992 से बराबर चल रही है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का पहला प्रश्न यह है कि खादी ग्रामोद्योग योजना व विशेष परिवहन योजना में विगत वर्षों में कितनी सब्सिडी दी गयी है ? दूसरा, 31-3-95 से आपने जो शेष योजनायें समाप्त कर दी हैं, उनसे कितने धन की बचत हुई है ? तीसरा, एक सुझावात्मक प्रश्न है कि उद्यमी को ब्याज मुक्त ऋण देने पर सरकार विचार करेगी ? माननीय सदस्य का तीसरा बिन्दु है बिना ब्याज के ऋण देने का विचार करेंगे ?

श्री नन्द लाल पटेल–

मान्यवर, 31-3-95 से ऋण मुक्त ब्याज देने की योजना समाप्त कर दी गयी है । दूसरा स्थापना योजना के तहत जो इधर समाप्त किया है इससे 33 करोड़ रुपया वार्षिक बचत हुई है । जो बार-बार ब्याज के संबंध में छूट की बात कही जा रही है इसके लिये पहले भी उत्तर भी दिया जा चुका है । अब केवल अवस्थापना सुविधा पर पूरा ध्यान दिया जाता है उसमें बिजली पानी सड़क आदि तमाम सुविधायें दी जा रही हैं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

क्या सब्सिडी के अन्तर्गत ब्याज मुक्त ऋण भी आता है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह बताया कि इंफ्रास्टक्चर डेवलप करने के लिये सुविधायें दी जाती है । अब आपको बाद में एक अवसर और मिलेगा उसमें पूछ लीजियेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मंत्री जी ने बड़ी खूबसूरती से अपने उत्तर में कहा कि जो उपादान योजना बन्द करने से बचत हुई है यह तो केन्द्रीय योजना थी जिससे यह बचत हुई है । माननीय चौधरी साहब का सवाल था कि खादी योजना के अन्तर्गत जो उपादान योजना है इसमें कितना दे रहे हैं उसका उत्तर नहीं आया । मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से पहले जनपदों को चिन्हित किया गया था ए० बी० सी० तीन श्रेणियों में जनपदों को वर्गीकृत कर राहत दी जाती थी क्या उसी तरह से उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों को तीन श्रेणियों में बांटकर जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उद्यमी आये उनको राहत देने पर विचार करेंगे तथा पायनियर और प्रेस्टीज स्कीम जो पहले तहसील स्तर पर लगती थी क्या उसी तरह पुनः यह स्कीम लगाने पर विचार करेगी ?

श्री नन्द लाल पटेल–

मान्यवर, माननीय पाल जी को जानकारी है कि तहसील स्तर पर, और जिला स्तर पर जो सुविधायें हैं वह हर जगह दी जा रही है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कहीं भी चले जाऐ यह जो उद्योगों की स्थापना की बात है कहीं भी इण्डिस्ट्रयल स्टेट विकसित नहीं हो रहे हैं एक नौएडा को छोड़कर । माननीय राम लखन वर्मा जी बैठे हुए हैं आपके फैजाबाद में ही देख लें, प्लाट खाली पड़े हैं । कोई इस प्रकार की सुविधा न मिलने से उद्योगपति उद्योग स्थापित नहीं कर रहे हैं । माननीय वर्मा जी खुद जानते हैं कि उनके क्षेत्र की क्या स्थिति है ?

वन, लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

बरसात के कारण रुका हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी की जिज्ञासा है कि जैसे पहले ए, बी सी, तीन श्रेणियों में जनपद बाटे गये थे जहां पर उद्योग कम विकसित हैं ऐसे जनपदों में ज्यादा सुविधा देने की बात थी तो क्या इस पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न यह है कि सरकार की उद्योग नीति क्या है उसको भी स्पष्ट करें ?

श्री नन्द लाल पटेल–

मैं माननीय जगदम्बिका पाल–से कहना चाहता हूं कि नई उद्योग नीति के संबंध में एक दिन बहस भी हुई है पूरे विस्तार से चर्चा हुई थी शायद माननीय सदस्य उस वक्त यहां पर उपस्थित भी थे । दो बार इससे पहले क्वैश्चन भी आये । नई उद्योग नीति के अन्तर्गत ब्याज मुक्त ऋण योजना बन्द कर दी गयी है । नई उद्योग नीति में हम अवस्थापना सुविधायें दे रहे हैं । इसमें अगड़े-पिछड़े की बात नहीं है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि उपादान योजना किस उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी और क्या वह उद्देश्य 31-3-95 को पूरा हो गया जो यह योजना बन्द कर दी गई ?

श्री नन्द लाल पटेल–

यह सुविधायें इसलिये दी जा रही थीं कि प्रदेश के बेरोजगारों और नवयुवक बेरोजगारों को उद्योग में काम मिल सके, लेकिन इसमें प्रायः यह देखा गया कि जो लोग ऋण लेते हैं, वे उसका दुरुपयोग करते थे और पलायनवादी हो जाते थे और इस तरह सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं होता था । उदाहरण के लिये जगदीशपुर में भी देखा गया कि लोगों ने उद्योग के नाम पर एक-एक करोड़ रुपया तक ऋण लिया लेकिन उन्होंने वहां कोई काम शुरू नहीं किया और रुपया ले भागने का काम किया क्योंकि उनको ट्रेनिंग आदि प्राप्त नहीं थी ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

मान्यवर, मैं पुनः अपने पुराने प्रश्न को ही दोहराना चाहूंगा जिसका वह स्पष्ट उत्तर देने की कृपा करें । प्रदेश में औद्योगीकरण तभी संभव है जब उद्योगपति आकर्षित हों, इसके लिये मैंने कहा था कि जो एक योजना इन्फ्रास्ट्रक्चर लगाने की उपादान योजना लागू थी, वह तो सही एवं अच्छी बात है । लेकिन यह एक अलग से सुविधा दी जाये कि उनको उद्योग लगाने के प्रारम्भिक वर्षों में एक से चार वर्ष

तक जो ऋण दिया जाएगा वह ब्याज मुक्त होगा । क्या इस प्रकार की योजना लागू करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री नन्दलाल पटेल–

जी नहीं ।

[सोमवार, दिनांक 7 अगस्त, 1995 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बेसिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा में संस्कृत भाषा की पढ़ाई को अनिवार्य किये जाने की मांग

*1–श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्ववर्ती भा० ज० पा० शासनकाल में कक्षा–2 से कक्षा 12 तक संस्कृत भाषा की पढ़ाई को अनिवार्य करने संबंधी कोई प्रस्ताव संबंधित शिक्षा निदेशालयों द्वारा तैयार किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार संस्कृत भाषा के अध्ययन के महत्व को देखते हुए उक्त योजना बनाकर उसे लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालयों द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था है । उच्च प्राथमिक स्तर पर तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत की पढ़ाई की व्यवस्था है । माध्यमिक स्तर पर हिन्दी के साथ संस्कृत पढ़ाने की व्यवस्था है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

मंत्री जी के उत्तर से मेरे प्रश्न का महत्व कम नहीं होता, मैं यह जानना चाहूंगा मान्यवर, आप भी अवगत हैं आज जो उन्नत टेक्नोलाजी आ रही है, उसमें जो कम्प्यूटर साइंस है, आज की स्थिति में उसमें सबसे उपयुक्त भाषा जो है वह संस्कृत भाषा भी है । संस्कृत देव भाषा है, इसके मद्देनजर क्या सरकार संस्कृत को उन्नति की ओर ले जाने तथा उसके प्रचार-प्रसार के लिये संस्कृत भाषा को कक्षा 1 से 12 तक अनिवार्य करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

इसका तो उत्तर आ चुका है कि प्रश्न नहीं उठता । इसका उत्तर आ चुका है । आपने यह पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में कक्षा 2 से कक्षा 12 तक संस्कृत भाषा की पढ़ाई को अनिवार्य करने संबंधी कोई प्रस्ताव संबंधित शिक्षा निदेशालयों द्वारा तैयार किया गया था / उत्तर आया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया था । आगे आपका प्रश्न था कि क्या सरकार संस्कृत भाषा के अध्ययन के महत्व को देखते हुए उक्त योजना बनाकर उसे लागू करेगी ? उत्तर आया है कि प्रश्न नहीं उठता ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, संस्कृत भाषा के बारे में आज तो योरोप के देश और अमरीका भी यह मानने लगा है ।

श्री अध्यक्ष–

डंग साहब आप अनुपूरक सवाल करें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, उसी के आधार पर करूंगा । मान्यवर, आज सारा विश्व मान रहा है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । निदेशालय द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ या नहीं, यह अलग बात है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज पूरे विश्व में माना जा रहा है कि संस्कृत भाषा में अगाध ज्ञान है और यह हमारे यहां पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ है तो क्या नये सिरे से उस पर प्रस्ताव बनाने की योजना सरकार करेगी कि संस्कृत भाषा को पढ़ाई के साथ अनिवार्य किया जाय ?

श्री अध्यक्ष–

लिखित उत्तर मंत्री जी का आ चुका है कि प्रश्न नहीं उठता ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं नये सिरे से बनाने की बात कर रहा हूं । संस्कृत के अनिवार्य महत्व को देखते हुए क्या संस्कृत भाषा को अनिवार्य करेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जितनी चिन्ता माननीय डंग जी को है उतनी ही चिन्ता हमको भी संस्कृत भाषा की है । संस्कृत को हमारी हिन्दी भाषा की जननी भी कहा गया है । आज संस्कृत भाषा के विकास के लिये देश और प्रदेश में संस्कृत विद्यालय चलाये जा रहे हैं । 94 में जो योजना लागू की थी उसके अनुसार हिन्दी के साथ संस्कृत का प्रश्न भी इसकी महत्ता को देखते हुए जोड़ा गया है । अब यह छात्रों के विवेक पर है कि वह संस्कृत भाषा लें या अन्य कोई विषय । संविधान के अनुच्छेद 351 में हिन्दी के विकास की बात है वहीं संस्कृत को भी महत्व दिया गया है । शब्दों का भण्डार बनाते समय संस्कृत के शब्दों को वरीयता दी जायेगी ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि संस्कृत भाषा के लिये उन्हें भी चिन्ता है, इसके लिये मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी को मालूम होगा कि प्रदेश में संस्कृत एकेडमी है संस्कृत विद्यालयों को चलाने के लिये । इन विद्यालयों में शिक्षकों को दूसरे समकक्ष शिक्षकों के समान वेतन नहीं मिलता है जिससे उनके अन्दर कुन्ठा है । इस तरह से कुन्ठित अध्यापक कैसे संस्कृत पढ़ा सकते हैं ? इन शिक्षकों को भी दूसरे समकक्ष शिक्षकों के समान वेतनमान दिया जाय ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, प्रश्न संबंधित से नहीं है । मा० गौर जी की चिन्ता ठीक है । अभी इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं । इसको हम दिखवा लेंगे । कहीं-कहीं पर छात्र कम हैं और अध्यापक ज्यादा हैं ।

गन्ना क्रय केन्द्रों के माध्यम से गन्ना मिलों को आपूर्ति किये जाने वाले गन्ने को शुल्क/अधिभार मुक्त किये जाने की मांग

*2–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना क्रय केन्द्रों के माध्यम से गन्ना मिलों को आपूर्ति किये जाने वाले गन्ने को शुल्क/अधिभार मुक्त करने पर सरकार कोई विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्याम लाल यादव)–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

वाह्य क्रय केन्द्रों पर मिल गेट की अपेक्षा रु० 2/- प्रति कुन्तल कम गन्ना मूल्य किसानों को प्राप्त हो रहा है। यह कटौती चीनी मिल द्वारा क्रय केन्द्रों से गेट पर गन्ना लाये जाने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु शासन द्वारा परामर्शित दरों पर की जाती है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है धान और गेहूं का क्रय केन्द्रों से जो मूल्य किसान को दिया जाता है वह सभी स्थानों पर एक ही दिया जाता है। गन्ना किसानों के बारे में उत्तर देना "जी नहीं" यह सही नहीं है गन्ना क्रय केन्द्र है जब वह खरीद लेता है तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। जिस तरह से मान्यवर, किसानों के ऊपर अनावश्यक भार लादा गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से धान गेहूं का क्रय केन्द्रों पर निश्चित मूल्य है जो उसमें गिराना चाहते हैं गिराते हैं कोई अधिभार की कटौती नहीं है ऐसा अधिभार लगाना अन्यायपूर्ण है पर्याप्त रूप से असहज है तो क्या इस अधिभार को समाप्त करने पर पुनः विचार करेंगे ?

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, शुगर केन कन्ट्रोल बोर्ड आर्डर, 1966 पर सरकार द्वारा 32 पैसे प्रति कुन्तल, यह गन्ना ढुलाई है इसकी कटौती की जाती है। जैसा कि माननीय डंग जी कह रहे हैं चावल गेहूं की गन्ने जैसी स्थिति नहीं है गन्ने की ढुलाई के लिये हर प्रदेश में कटौती होती है इसलिये उत्तर प्रदेश में भी यही है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मान्यवर, कथनी और करनी में अन्तर किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

अनुपूरक सवाल पूछें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस तरह का जवाब दिया है मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि दो रुपये प्रति कुन्तल कम गन्ना मूल्य किसानों की चीनी मिलों द्वारा कटौती की जा रही है। वाहन के संबंध में कहा तो स्पष्ट तौर से जानना चाहूंगा क्या किसानों के हित में जो कटौती चीनी मिलों द्वारा की जा रही है इस धनराशि को प्रदेश सरकार अनुदान के रूप में या समायोजन के रूप में करने पर विचार करेगी ? दूसरी बात इस तरह की कटौतियों पर विगत सरकार में अधिभार कम किया गया है या माफ किया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

दूसरे का उत्तर सम्भव नहीं है। मंत्री जी यह जानना चाहते हैं क्या सरकार जो कटौती कर रही है उसको अनुदान के रूप में हर गन्ना किसान को देना चाहती है ?

श्री श्याम लाल यादव–

जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो गन्ना किसान मिल पर गन्ना ले जाते हैं सेन्टर पर ले जाते हैं तो गन्ना क्रय केन्द्र पर जाए या मिल पर जाए। दोनों किसान एक काम करते हैं तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस तरह का विभेद क्यों करते हैं जबकि दोनों किसान एक तरह

के हैं ? संविधान में जो कानून है वह सबको बराबरी के हक का है । कानून की दृष्टि से सबको बराबरी का हक है तो क्या आप इसको संविधान के 14-15-16 का उल्लंघन नहीं मानते हैं अगर मानते हैं तो क्या अधिभार को समाप्त करेंगे ? ऐसे नियम कानून को समाप्त करेंगे और बराबरी के दर्जे पर लाने का प्रयास करेंगे ?

श्री श्याम लाल यादव-

मान्यवर, चूंकि अगल-बगल के पड़ोसी सारे राज्यों में इस तरह की कटौती हो रही है । जैसा कि आप लोग कह रहे हैं मिल कांटे पर जो किसान गन्ना पहुंचाते हैं या दूसरे लोग जो कांटे तक गन्ना पहुंचाते हैं उनसे भी यह अधिभार काटा जाता है ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, कुछ चीनी मिल ऐसी हैं जहां सेन्टर की ढुलाई नहीं काटते हैं ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

पाल साहब ने जो बात कही है । जहां तक मेरी जानकारी में है । इस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार सत्ता में है । इसके पहले जो सरकार सत्ता में थी उस समय सरकार के संसदीय कार्य मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा जी थे । उन्होंने इसी सीट से इस बात का जवाब दिया कि भविष्य में इस प्रकार की कोई कटौती नहीं की जायेगी । अगर सरकार ने उस समय वचन दिया था और आज सरकार द्वारा यह कहा जाना कि यह प्रश्न विचारणीय नहीं है तब तो यह प्रश्न विशेषाधिकार का बनता है आप इस पर विचार करके देखें ।

श्री श्याम लाल यादव-

विगत वर्षों में जैसे कि 1989-90 में, 1990-91 में इस कटौती की दर दो रुपया रही है । 1991-92 से 1992-93, 93-94 में यह बढ़ाकर 3 रुपया कर दी गयी । 1994-95 में यह कटौती पुनः दो रुपया कर दी गयी । इस प्रकार एक रुपया कम कर दी गयी, फिलहाल इस समय दो रुपया निर्धारित है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

इस पर काफी अनुपूरक सवाल हो चुके हैं । अब अन्तिम प्रश्न श्री डंग जी करेंगे ।

डा० सरजीत सिंह डंग-

मेरी स्पष्ट जानकारी में है कई चीनी मिलें हैं जो ढुलाई का पैसा नहीं काटती हैं । जैसे मुरादाबाद में धहरौरा चीनी मिल में चांदपुर से गन्ना आता है फिर भी कटौती नहीं की जाती है । इससे स्पष्ट होता है कि मिल मालिकों को दो रुपया अतिरिक्त मुनाफे के रूप में मिलता है । इससे किसान का नुकसान होता है इससे पूर्व के संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसी सदन में यह आश्वासन दिया था कि अब अधिभार भविष्य में नहीं काटा जायेगा । इन बातों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह सहानुभूतिपूर्वक पूंजीपतियों का संरक्षण न करते हुए किसानों के हित के लिये दो रुपये का अधिभार समाप्त करने की घोषणा करेंगे ?

श्री श्याम लाल यादव-

फिलहाल इस सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है । पूर्व सरकार ने यह आश्वासन दिया था । इस समय तो अधिभार समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता है । जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है वह इस प्रश्न से संबंधित भी नहीं है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए ।

(डा० सरजीत सिंह डंग, श्री शिव प्रताप शुक्ल तथा श्री प्रमोद तिवारी द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, अगर आश्वासन पूरा हो गया होता तो हमारे इस प्रश्न को पूछने का मतलब ही क्या था ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, गन्ना किसानों का अहित और आपकी पीठ का अपमान करने के लिये इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यो सहित सदन त्याग कर चले गये)

*3–श्री राम आसरे वर्मा–

[5वें सोमवार के लिये स्थगित]

(तारांकित प्रश्न संख्या–4 व 5 पुकारे जाने पर प्रश्नकर्ता सदन में उपस्थित नहीं थे)

आंख का अस्पताल ट्रस्ट, सीतापुर की नियमावली एवं पदाधिकारियों के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण एवं ट्रस्ट की मान्यता की जानकारी

*4–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आंख का अस्पताल ट्रस्ट, सीतापुर की नियमावली के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन नियमानुसार यथासमय हो चुका है ? क्या ट्रस्ट के पदाधिकारियों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण हुआ है ? यदि नहीं, तो ट्रस्ट की मान्यता जारी रखने का क्या कारण है ?

सुश्री मायावती–

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत संस्था के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाता है न कि नियमावली के रजिस्ट्रेशन का ।

प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उक्त एक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन के प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण किया जाता है न कि पदाधिकारियों के रजिस्ट्रेशन का ।

प्रश्नगत ट्रस्ट सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत समिति है जिसके पंजीयन प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण दिनांक 9-10-1995 तक वैध है ।

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि० रसड़ा, जनपद बलिया के किसानों से विद्यालय एवं अस्पताल के सहायतार्थ गन्ना मूल्य से की गई कटौती का वर्षवार विवरण

*5–श्री राम करन आर्य (अनुपस्थित)–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि दि सहकारी चीनी मिल संघ लि०, रसड़ा, जनपद बलिया के किसानों से वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में क्रय किये गये गन्ने से कितने प्रतिशत धन की कटौती उक्त मिल के कर्मचारियों/अधिकारियों के बच्चों को पढ़ने हेतु विद्यालय खोलने के लिये काट ली गयी है ? किसके आदेश से यह कार्य किया गया है ? काटे गये सम्पूर्ण धन का ब्योरा क्या है ? क्या

यह सही है कि जी० एम० रसड़ा द्वारा अपने मनमाने तौर से क्रय किये गये गन्ने से किसानों से कुछ प्रतिशत धन की वसूली कर ली गयी है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

सुश्री मायावती–

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, रसड़ा (बलिया) के किसानों से वर्ष 1993-94 में गन्ना मूल्य से कोई कटौती नहीं की गयी है । वर्ष 1994-95 में 15 पैसे प्रति क्विंटल की दर से कटौती गन्ना किसान विद्यालय एवं अस्पताल के सहायतार्थ की गयी है ।

वर्ष 1994-95 में मिल समिति के सामान्य निकाय द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव पर उप निबन्धक सहकारी चीनी मिल समितियों के अनुमोदनोपरान्त उक्त कटौती की गयी ।

सम्पूर्ण धन का ब्योरा निम्न प्रकार है :––

गन्ना मूल्य से कटौती	1,97,894.00
नागरिकों से चन्दा	13,080.00
मिल के ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं से चन्दा	8,003.00
मिल के कर्मचारियों/अधिकारियों से एक दिन का स्वेच्छा से वेतन	64,530.95
ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से स्वेच्छा से दान स्वरूप	37,810.00
कुल योग =	3,21,317.95

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के महानगरों में वाहनों द्वारा ध्वनि एवं वायु के प्रदूषण के फलस्वरूप घातक बीमारियों की रोकथाम की मांग

*6–श्री सत्य प्रकाश विकल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के महानगरों में वाहनों की बेतहाशा बढ़ती संख्या से ध्वनि तथा वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है जिसके कारण जन-स्वास्थ्य पर पड़ रहे गहरे प्रतिकूल प्रभाव से घातक बीमारियां बढ़ रही हैं ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिये क्या प्रभावी उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर आया जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता । मेरा प्रश्न था कि क्या पर्यावरण मंत्री को यह जानकारी है कि प्रदेश के महानगरों में वाहनों की बेतहाशा बढ़ती संख्या से ध्वनि तथा वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है जिसके कारण जन-स्वास्थ्य पर पड़ रहे गहरे प्रतिकूल प्रभाव से घातक बीमारियां बढ़ रही हैं ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिये क्या प्रभावी उपाय किये जा रहे हैं ? मान्यवर, मैं सरकारी आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूं, जो आंकड़े राज्य प्रदूषण नियंत्रण

बोर्ड द्वारा जांच करने के बाद जारी किये गये हैं, उसके अनुसार, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर और वाराणसी आदि महानगरों में वायु प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़ों के अनुसार अगरा में वायु प्रदूषण एक वर्ष में ढाई गुना बढ़ा है, एस० पी० एम० जो कंकणीय पदार्थ है, वह 370 से बढ़कर 468 पहुंच गया है, सल्फर डाइआक्साइड की मात्रा 18 से बढ़कर 36.41 हो गई, नाइट्रोजन आक्साइड गैस की मात्रा 8 से बढ़कर 31.46 हो गई है ! यह सरकारी आंकड़े हैं और माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है, जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। जब वायु प्रदूषण इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वायु प्रदूषण के कारण बढ़ते हुए मानव स्वास्थ्य के प्रति खतरे को देखते हुए क्या प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, माननीय विकल जी ने जो प्रश्न किया है, उसके संबंध में बताना चाहूंगा। जहां तक प्रदूषण के कारण जन स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभाव की बात है, इसके लिये अलग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई अभी तक आंकड़े नहीं बनाये गये हैं, न कोई सर्वे कराया गया है। बीमारियों के कारण होने वाली मृत्यु के संबंध में वायु प्रदूषण से कितनी मृत्यु हुई है या उससे संबंधित बीमारियों से हुई, इस संबंध में भी अलग से कोई आंकड़े नहीं हैं, इसलिये यह नहीं बताया जा सकता कि वायु प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ रहा है ? स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कोई अलग से सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, प्रश्न यह था कि क्या मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि प्रदेश के महानगरों में वाहनों की बेतहाशा बढ़ती संख्या से ध्वनि तथा वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है जिसके कारण जनस्वास्थ्य पर पड़ रहे गहरे प्रतिकूल प्रभाव से घातक बीमारियां बढ़ रही हैं। यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिये क्या प्रभावी उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? आपने इसका उत्तर दिया है "जी नहीं"। जब कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है तो आप कैसे यह कह सकते हैं कि घातक बीमारियां नहीं बढ़ रही हैं या घट रही हैं ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

जब सर्वेक्षण नहीं किया गया है तो यह पता कैसे चल सकता है कि बीमारियां घटी हैं या बढ़ रही हैं ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे संरक्षण दिया। मैंने जो सवाल पूछा है उसका उत्तर आया है "जी नहीं"। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में वाहनों की संख्या कितनी बढ़ी है और प्रदूषण नियंत्रण के लिये क्या उपाय सरकार ने किया है ? वाहनों से निकले धुएं के कारण घातक बीमारियां बढ़ रही हैं और हजारों लोग बीमार हो रहे हैं।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, यह सही है कि इस बीच वाहनों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। विभाग ने पिछले 5 वर्षों में प्रदूषण रोकने के लिये काफी कार्यवाही की है। इसी वर्ष 1994-95 में 56527 वाहनों की चेकिंग की गयी जिसमें से 11121 वाहनों का चालान किया गया और 12621 वाहनों को श्रीमन् नोटिस जारी किये गये। मान्यवर, सरकार इस तरफ पहले से सचेत है।

श्री ऊदल–

प्रदूषण रोकने के लिये संयंत्र लगाये गये हैं। इस योजना पर सरकार विचार कर रही है या नहीं ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, वायु प्रदूषण के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं और इसके बारे में कोई सर्वेक्षण हुआ या नहीं तो वायु प्रदूषण के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं इस संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है, लेकिन वायु का सर्वेक्षण हुआ है। कानपुर में सर्वेक्षण हुआ है। वायु में संघनित कण, एस० पी० एम० का जो मानक है, सल्फर डाई आक्साइड व नाइट्रोजन आक्साइड का जो निर्धारित मानक है, उससे कम है। इसी तरह से देहरादून, गाजियाबाद, वाराणसी, नोएडा और इस प्रकार के बड़े-बड़े महानगरों में वायु परीक्षण हुआ है और जो निष्कर्ष आये उनके मामले में सरकार सतर्क हैं। यह कहना कि सरकार इस मामले में उदासीनता बरत रही है श्रीमन् ऐसा नहीं है।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि महानगरों में बढ़ती हुई जनसंख्या से ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण से जो बीमारियां फैल रही हैं उनकी रोकथाम के लिये सरकार के पास क्या कोई योजना है यदि हां, तो वह बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, माननीय सुन्दर लाल जी ने बीमारियों की रोकथाम के बारे में योजना पूछी है। बीमारियों की रोकथाम के लिये योजना स्वास्थ्य विभाग बनाता है। स्वास्थ्य विभाग का बजट आने वाला है दीक्षित जी को विस्तार से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बतायेंगे।जहां तक वायु प्रदूषण की बात है, हमारे वन मंत्री जी ने एक योजना पूरे उत्तर प्रदेश में चलायी है वह योजना वृक्षारोपण की है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि वृक्षारोपण से वायु प्रदूषण कम होगा। सारे विभाग इस मामले में सतर्क हैं। हमारा ख्याल है कि दीक्षित जी की जिज्ञासा अब शांत हो गयी होगी।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, प्रदूषण रोकने के लिये कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आज विज्ञान ने काफी प्रगति कर ली है। वाहनों से वायु प्रदूषण जो होता है उसको रोका जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि वायु प्रदूषण रोकने के लिये शासन द्वारा कोई संयंत्र मंगाये गये हैं।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, वाहनों से निकले धुयें के कारण प्रदूषण बेतहाशा बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण की चपेट में आकर लोग बीमार हो रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि इतने वाहनों की चेकिंग की गयी। परिवहन विभाग के जो यंत्र हैं वह नाकाफी और निष्प्रभावी हैं। 5 महानगरों में वाहनों की संख्या कितनी बढ़ गयी है यह मैंने प्रश्न किया था ? महानगरों में वायु प्रदूषण के कारण कई बीमारियां बढ़ रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय मंत्री जी उस यंत्र का नाम बता दें, उसका नाम क्या है क्या वह पंजा परिवहन विभाग का है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, आज परिवहन विभाग का बजट है उसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जायेगी कि उसका नाम क्या है और वह परिवहन विभाग का है या नहीं । जहां तक प्रदूषण का मामला है, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न प्रकार से वायु प्रदूषण नियंत्रित किया जाता है । सरकार पूरी तरह से सतर्क है कि किसी प्रकार प्रदूषण के कारण बीमारी न बढ़े ।

लोक निर्माण व राजकीय निर्माण निगम द्वारा विशिष्ट निर्माण कार्यों हेतु निजी वास्तुविदों की सेवाओं का लिया जाना

*7–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में अनुभवी वास्तुविद है ? यदि हां, तो लोक निर्माण तथा राजकीय निर्माण निगम द्वारा निजी वास्तुविदों से सेवाये लिये जाने का क्या कारण है ?

नगर विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राम किशोर बिन्द)–

वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में सामान्य प्रकार के निर्माण कार्य हेतु अनुभवी वास्तुविद कार्यरत हैं।

लोक निर्माण तथा राजकीय निर्माण निगम द्वारा विशेष परिस्थितियों में विशिष्ट प्रकार के निर्माण कार्यों हेतु निजी वास्तुविदों की सेवायें ली जाती हैं ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के कितने निर्माण कार्यों को निजी वास्तुविदों को दिया गया है और क्या यह सही है कि श्री अशोक वर्मा, आर्कीटेक्ट एण्ड डिजाइनर, अवध बाजार, अवध क्लार्क में 800 करोड़ के निर्माण का कार्य दिया गया और उसकी एवज में दो प्रतिशत प्रतिकर भी देना तय हुआ है । मैं जानना चाहूंगा कि यह सुपरवीजन कार्य देने से पहले वित्त विभाग की स्वीकृति ले ली गयी थी ?

श्री राम किशोर बिन्द–

विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर मे० आर्कीटेक्ट एण्ड डिजाइन सेन्टर, 19 बी, अवध बाजार, लखनऊ में जो स्थित है उनको कुल 22 कार्यों के लिये ठेका दिया गया था, इनकी सेवायें ली गयी थीं लेकिन आज की स्थिति में तीन को छोड़कर सारी सेवायें निरस्त कर दी गयी हैं । यह सब सारी सूचनाएं मेरे पास हैं और किसी भी समय माननीय सदस्य मेरे चेम्बर में आकर देख सकते हैं ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पूर्व लोक निर्माण मंत्री के पुत्र इसमें भागीदार हैं ? यह वही वास्तुविद हैं या और कोई हैं ? क्या कोई टेण्डर इसके लिये इनवाइट किया गया था, क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी ?

श्री राम किशोर बिन्द–

मान्यवर, यह जो वास्तुविद हैं इनके साथ पूर्व मंत्री का क्या सम्बन्ध है उसके बारे में जानकारी नहीं है लेकिन शासनादेश द्वारा जो भी कार्य इनको दिये गये थे वह निरस्त कर दिये गये हैं ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी तथ्यों से परे जवाब दे रहे हैं शासनादेश जिसका उल्लेख कर रहे हैं। (व्यवधान)

मान्यवर, जो आवासीय और अनावासीय भवन बन रहे थे उसके अलावा इटावा में इंजीनियरिंग कालेज बन रहा है 300 करोड़ का जिसका बजट है उसका सुपरवीजन उनके पास है मंत्री आवास जो बन रहा है उसका सुपरवीजन उनके पास है और जेलों का सुपरवीजन उनके पास है। मान्यवर, 18 करोड़ रु० का एक निजी वास्तुविद को लाभ पहुंचाने के लिये जिसके बारे में पूर्व निर्माण मंत्री के पुत्र को सारे नियमों को ताक पर रखकर ठेका दिया गया है।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अगर आप लोग चर्चा चाहते हैं तो इसको लिखकर दे दीजियेगा मैं विचार कर लूंगा (व्यवधान)

अधिकांश माननीय सदस्यों की जिज्ञासा है तो इस पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा पर विचार हो जायेगा।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी प्राप्त करें, और हमको भी दें कि किन परिस्थितियों में श्रीभुई जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त निर्माण निगम में हैं, से काम न कराकर किन परिस्थितियों में बाहर के व्यक्ति को सारे नियमों को ताक पर रखकर आर्कीटेक्ट का काम दे दिया गया। यह कौन सी परिस्थितियां थीं ?

श्री नरेश अग्रवाल–

यह एक परम्परा रही है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

तीन-तीन लोग कैसे खड़े हो गये मैंने सरजीत सिंह डंग जी को बुलाया है फिर कई लोग कैसे खड़े हो गये ? दीक्षित जी आप बैठ जायं बाद में पूछ लीजियेगा।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, यह उनके पुत्र के ऊपर आरोप लगाया गया है।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, अगर किसी के परिवार के ऊपर आरोप लगाया जायेगा तो उस सदस्य को भी सूचित किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

मान्यवर, करोड़ों रुपये के गोलमाल का मामला है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। बिना अनुमति के कुछ नहीं लिखा जायेगा।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, जब निर्माण निगम में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त आर्कीटेक्ट हैं भुईजी जैसे तो किन परिस्थितियों में वहां के प्रबन्ध निदेशक, वहां के अन्य अधिकारी और तत्कालीन सरकार के कुछ सहयोगियों ने किन परिस्थितियों में बाहर के आर्कीटेक्ट को इस योजना पर जिनकी न तो प्रशासनिक स्वीकृति थी और न वित्तीय स्वीकृति थी उस पर सारे शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए किन परिस्थितियों में काम दिया गया ?

श्री राम किशोर बिन्द–

मान्यवर, मे० आर्च एण्ड डिजाइन 19 बी, बाजार होटल क्लार्क अवध, लखनऊ को कुल कार्य जितने दिये गये थे उनकी संख्या 22 थी। मान्यवर, 22 में से 3 सेवाओं में इस समय कार्य प्रगति पर है, लिया जा रहा है, अवशेष कार्य को निरस्त कर दिया गया है। इसमें मैं उल्लेख कर देना चाहता हूं टाइप–6 आवास गोमतीनगर लखनऊ यह 1993 में स्वीकृत है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। यह भ्रष्टाचार का मामला है। इसमें जैसा कि बताया जा रहा है, राजकीय निर्माण निगम के प्रबन्धक निदेशक शामिल है, पूर्व सरकार के लोग शामिल हैं, लोक निर्माण विभाग के लोग शामिल हैं। किन परिस्थितियों में यह दिया गया, क्या इसकी जांच कराई जायेगी ? मान्यवर, निगम में आर्कीटैक्ट का पूरा विभाग है वहां अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोग है, उनको छोड़कर, प्रबन्ध निदेशक ने मिलकर करोड़ों रुपया प्रदेश की जनता का लूटा है, क्या इस मामले की जांच करायेंगे ? मान्यवर, केवल विवरण देकर संतुष्ट कर देने से काम नहीं चलेगा, ऐसे लोग दण्डित हों।

श्री अध्यक्ष–

यह आरोप प्रत्यारोप नहीं है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, सरकार जांच करा दें बात सामने आ जायेगी। इसमें पूर्व मंत्री जी के सुपुत्र शामिल बताये जाते हैं, प्रबन्ध निदेशक के सुपुत्र हिस्सेदार बताये जाते हैं। यह अखबारों में निकल चुका है इसके डाकूमेन्ट दिये जा चुके हैं तो फिर जांच कराने में क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष–

आपके कहने से वे जांच करायेंगे क्या ? आप मंत्री जी को सुनेंगे नहीं, आप मंत्री जी को अपनी बात कहने का अवसर दें।

श्री राम किशोर बिन्द–

मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे, इसकी जांच करवा लेंगे।

(श्री नरेश अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नरेश जी अब तो पूरे प्रकरण की जांच के लिये मंत्री जी ने कहा है। आप बैठें। अगला प्रश्न लेता हूं।

(तारांकित प्रश्न सं०–9 व माननीय सदस्य श्री तीरथ राज को पुकारे जाने पर)

एक सदस्य–

मा० तीरथ राज जी मान्यवर, बैठे हुए हैं।

श्री तीरथ राज–

मान्यवर, मैं उत्तर से संतुष्ट हूं।

*8-श्री कृष्ण कुमार नवमान–

[दि० 28-7-95 कोअल्प सू० ता० प्र० सं०–2 द्वारा उत्तरित]

जनपद सोनभद्र का मुख्यालय, प्रदूषण बोर्ड की अभिमत के आधार पर पिपरी से राबर्ट्सगंज स्थानान्तरित किये जाने की मांग

*9–श्री तीरथ राज–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदूषण बोर्ड की राय के अनुसार जनपद सोनभद्र में पिपरी एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण इतना अधिक है कि वह क्षेत्र मानव जीवन के लिये उपयुक्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार सोनभद्र का मुख्यालय पिपरी के स्थान पर राबर्ट्सगंज में स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी में, मोहम्मदी नगरपालिका के चारों तरफ प्रति एकड़ रजिस्ट्री बैनामा दर यू० पी० स्टाम्प नियमावली, 1942 के प्राविधानानुसार निर्धारित

*10–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मोहम्मदी, जिला खीरी में नगर पालिका मोहम्मदी के चारों ओर 5 कि० मी० की सीमा तक ढाई लाख रुपया प्रति एकड़ रजिस्ट्री बैनामा की दर कर दी गयी है ? क्या यह वृद्धि नियमानुसार व मानक के अनुसार है ? यदि नहीं, तो फिर किन कारणों से बैनामा रजिस्ट्री दर इतनी अधिक बढ़ाई गई है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जी हां। प्रश्नगत दर कृषि भूमि के संबंध में है।

जी हां क्योंकि यू० पी० स्टाम्प नियमावली, 1942 के नियम 340–क के प्राविधान के अनुसार प्रश्नगत मूल्य दर निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, प्रश्न का जो वी पार्ट है उसको आप देखें। प्रश्न मैंने यह पूछा था कि क्या यह वृद्धि नियमानुसार व मानक के आधार पर है ? और, उत्तर यह आया कि जी हां, क्योंकि यू० पी० स्टाम्प नियमावली, 1942 के नियम 340–क के प्राविधान के अनुसार प्रश्नगत मूल्य दर निर्धारित किया गया है। मान्यवर, इसमें नियम तो दे दिया लेकिन मैंने यह पूछा था कि बढ़ने का मानक क्या है किस मानक के साथ इसमें वृद्धि की गयी और दूसरा कि औसत बैनामा कितने रुपये प्रति एकड़ का हुआ है ? यह

मेरे क्षेत्र मोहम्मदी का मामला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मोहम्मदी से पांच कि०मी० की सीमा तक कितना रुपया प्रति एकड़ बैनामा हुआ ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य के पहले प्रश्न का सवाल है मैं यह कहना चाहता हूं कि बिक्री की कीमत समय-समय पर जिलाधिकारियों द्वारा तय की जाती है और जिलाधिकारियों को इस प्रकार के रेट निर्धारण करने का अधिकार इंडियन स्टाम्प एक्ट, 1989 के अधीन बनी नियमावली में है, और जिसका उल्लेख मैंने उत्तर में किया है, उसके अनुसार समय-समय पर निर्धारित करते हैं, ताकि क्रेताओं और बिक्रेताओं को ख़ास असुविधा न हो। मान्यवर, यह जिलाधिकारियों के विवेक पर निर्भर होता है और नियमावली में उन्हें यह पूरा-पूरा अधिकार दिया गया है कि वह बाजार मूल्य देखें और तद्नुसार उसका निर्धारण करें और उसी के अनुसार स्टाम्प शुल्क की देयता निर्धारित की जाती हैं। दूसरा, जो दरों का निर्धारण होता है, उसी दर के आधार पर स्टाम्प उस क्षेत्र में लगाये जाते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि मानक क्या हैं ? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया कि यह तो जिलाधिकारी के विवेक पर निर्भर होता है और इसके लिये नियमावली में प्राविधान है। मान्यवर, नियमावली बनी हुई है उस नियमावली के अनुसार दो साल में एक बार दरें बढ़ायी जाती हैं। शहरी क्षेत्र में यह हाउस टैक्स और देहाती क्षेत्र में यह लगान के ऊपर होता है और उसका जो बाजार मूल्य प्रचलित है जो उस क्षेत्र में बैनामा रजिस्ट्री होती है, चाहे प्रति एकड़ हो चाहे प्रति बीघा हो, उसी आधार पर स्टाम्प रजिस्ट्री शुल्क निर्धारित किया जाता है ? इसलिये उसमें जिलाधिकारी का विवेक नहीं होता है। मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो मानक निर्धारित है, वहां पर प्रचलित बाजार मूल्य एक लाख से ज्यादा नहीं है, लेकिन ढाई लाख कर दिया गया है। इसलिये जो शुल्क निर्धारित किया गया वह बहुत ज्यादा है। उसको वापस लेंगे और यदि वापस लेना संभव न हो तो उस पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, यह पीलीभीत और बहराइच मुख्य मार्ग पर गोला नामक कस्बा है और उसी के बहुत नजदीक के क्षेत्र का यह मामला है। मान्यवर, यह विकसित क्षेत्र है और यहां की आबादी 40 हजार की है। मान्यवर, मोहम्मदी में भारी संख्या में उद्योग जैसे क्रेशर आदि हैं, दो इन्टर कालेज हैं, राइस मिलें हैं इसलिये विकसित क्षेत्र होने के कारण जो जिलाधिकारियों को अधिकार नियमावली में दिये हुए हैं उसका प्रयोग करते हुए और बाजार मूल्य को देखते हुए यह दरें निर्धारित की गयी हैं और यह दरें ठीक हैं। जिलाधिकारी ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए विकसित क्षेत्र की जो दरें होती हैं, उसी के अनुसार दरें निर्धारित की हैं।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिलाधिकारी ने यह दरें बढ़ाने की घोषणा कब की और जिस दिन से उन्होंने इसकी घोषणा की उस वर्ष वहां की राजस्व की आमदनी रजिस्ट्री में क्या रही और पहले क्या थी ? दूसरा मान्यवर, यह मेरे पड़ोस के क्षेत्र का मामला है। आप मेरी बात को सत्य मानें। वहां के जिलाधिकारी ने मनमाने ढंग से रेट लगाये हैं। इसमें जिलाधिकारी का कोई विवेक नहीं होता है, रजिस्ट्री की जो दरें होती हैं उसको मानक मानकर दरें बढ़ायी जाती हैं।

तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब दर बढ़ाया, उस समय रजिस्ट्री का आखिरी मूल्य क्या था ? माननीय खन्ना जी ने जो सुझाव दिया उस पर बल देते हुये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या शासन पुनर्विचार करते हुये, जनता के हित में बढ़े दर को वापस लेने की कृपा करेगी, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है । वैसे मा० नरेश अग्रवाल जी का यह कहना ठीक है कि वह पड़ोस के हैं, लेकिन वह बहुत विकसित क्षेत्र है और विकसित क्षेत्र की जमीन की दरें अचानक बढ़ जाया करती हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मंत्री जी यह बता दें कि विकसित क्षेत्र का मानक क्या है ? मोहम्मदी, मान्यवर, बहुत गरीब क्षेत्र है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, जिस क्षेत्र में उद्योग लगे हुये हैं, राइस मिल लगे हुये हैं, उस क्षेत्र को विकसित नहीं मानेंगे तो क्या पिछड़ा हुआ मानेंगे ? जिलाधिकारी ने जो दरें निर्धारित की हैं, वह दरें ठीक हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, पुरवा और मोहम्मदी क्षेत्र में क्या अन्तर है, मंत्री जी यही बता दें ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

पुरवा क्षेत्र उन्नाव जनपद का ऐसा क्षेत्र है जहां से कोई सड़क आर-पार नहीं जाती । अगर वहां के बारे में जानना चाहते हैं तो कभी अग्रवाल जी वहां चलें, जानकारी हो जायेगी ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जैसा कि संसदीय कार्यमंत्री जी ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय ने दरें अपने विवेक से बढ़ा दी । मेरे पास निश्चित रूप से यह सूचना है कि जो वहां भूमि का मूल्य है, उसके अनुपात से रजिस्ट्री शुल्क में कई गुना बढ़ोत्तरी कर दी गयी है, उसके कारण लोगों ने रजिस्ट्री कराना बन्द कर दिया जिससे राजस्व की चोरी हो रही है, लोक रजिस्ट्री के बजाय वसीयत कर रहे हैं, अधिकार पत्र दे रहे हैं । ऐसा वहीं नहीं उत्तर प्रदेश के अनेकों जनपदों में हो रहा है, जिस उद्देश्य से वृद्धि की गयी उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, राजस्व की चोरी हो रही है और जो ईमानदारी बरतना चाहते हैं उनके ऊपर अधिभार ज्यादा पड़ रहा है । रजिस्ट्री का मूल्य कहीं-कहीं वास्तविक मूल्य से ज्यादा है । फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद में सारे बैनामें बन्द हो गये हैं । सुरेश कुमार खन्ना जी ने जो पूछा है, वहां भी यही स्थिति है । उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में जहां अविवेकपूर्ण आधार पर रजिस्ट्री शुल्क बढ़ा दिये गये हैं, उसकी जांच कराने की कृपा करेंगे क्योंकि वहां राजस्व की चोरी हो रही है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, दो बिन्दु उठाये गये हैं । पहला बगैर रजिस्ट्री कराये हुये लोग सम्पत्ति का क्रय-विक्रय कर रहे हैं, यह द्विवेदी जी ने कहा कि मेरी निश्चित जानकारी है । मैं आपके माध्यम से उनसे प्रार्थना करूंगा कि जहां-जहां द्विवेदी जी को चोरी की जानकारी हो, उससे सरकार को अवगत करा दें तो सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी । दूसरे श्रीमन्, द्विवेदी जी का यह कहना है कि कहीं-कहीं अविवेकपूर्ण तरीके से जिलाधिकारियों ने दरें ज्यादा निर्धारित कर दी हैं । तो वहां के लोगों को तर्क देते हुये प्रार्थना करना चाहिए था क्योंकि यह कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं है जिस पर वह पुनर्विचार नहीं करते, अगर वह नहीं करते तो उनसे बड़े अधिकारी हैं, उसके बाद शासन है ।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

मान्यवर, अगर श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का समाधान नहीं हुआ है तो जो बिन्दु उन्होंने बताये हैं और जो बिन्दु शेष रह गये हैं, उनके बारे में वह विस्तार से बता दें, हम भी विस्तार से देख लेंगे कि जिलाधिकारी ने क्या गल्ती की है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जिलाधिकारी मनमाने ढंग से रजिस्ट्रेशन का शुल्क बढ़ाते चले जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से न्यायसंगत नहीं है । शासन को निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिये ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इस प्रकार के समस्त प्रकरण जो विशेष रूप से माननीय सदस्यों के द्वारा आये हों या अन्य श्रोतों से आये हों, जिसमें नियमों का उल्लंघन जिलाधिकारियों ने किया हो, विवेक का ठीक ढंग से प्रयोग न किया हो या फिर उप नियमों के तहत संगत कार्यवाही न की हो, उन सभी पर हम जांच करायेंगे ।

डा० उधवराम एवं डा० मु० तैयब प्रवक्ता, राजकीय डिग्री कालेज की सेवाओं के विनियमितीकरण हेतु डा० पूर्णमासी देहाती स० वि० स० द्वारा मा० शिक्षा मंत्री को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

*11–श्री रमापति उर्फ रमाकान्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० पूर्ण मासी देहाती विधायक का पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 1994, 16 नवम्बर, 1994 एवं सै० महबूब अली महामंत्री ब० स० पा० उ० प्र० का पत्र दिनांक 25 नवम्बर, 1994 मा० मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है जिसमें डा० उधव राम एवं डा० मु० तैयब, प्रवक्ता राजकीय डिग्री कालेज की सेवाओं को नियमित किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इन लोगों की सेवायें विनियमित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां । श्री पूर्णमासी देहाती विधायक का पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 1994 प्राप्त हुआ है ।

संबंधित प्रवक्ता निर्धारित शैक्षिक अर्हता नहीं रखते हैं ।

महाविद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता को बनाये रखने के उद्देश्य से इन प्रवक्ताओं का विनियमितीकरण किया जाना उचित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रमापति उर्फ रमाकान्त–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभ्यर्थी के पास पी० एच० डी० डिग्री होने के कारण क्या इसे निर्धारित अर्हता में छूट दी जायेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, ये मानक पहले ही निर्धारित किये गये हैं । उसके बाद जो भी डिग्री हो, उसको कहीं जोड़ा नहीं गया है । इण्टर मीडिएट और बी० ए० में 50 प्रतिशत अंक अलग-अलग होने चाहिये या फिर दोनों परीक्षाओं में औसत 55 प्रतिशत अंक होने चाहिये । पोस्ट ग्रेजुएट में 55 प्रतिशत अंक होने चाहिये । इसके बाद पी० एच० डी० या अन्य किसी डिग्री को इसमें जोड़ने का कोई प्राविधान नहीं है ।

(प्रश्न संख्या–12 पर श्री अनिल कुमार वर्मा का नाम पुकारे जाने पर, वह सदन में उपस्थित नहीं थे)

लखनऊ विश्वविद्यालय से वर्ष 1986 में उत्तीर्ण स्नातकों (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) को एल० एल० बी० में प्रवेश देने अथवा ब्रिज कोर्स पुनः चालू किये जाने की मांग

*12–श्री अनिल कुमार वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय से वर्ष 1986 में उत्तीर्ण स्नातक पाठ्यक्रम (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) जिन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, को लखनऊ विश्वविद्यालय में एल० एल० बी० प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने हेतु सरकार अनुमति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के उत्तीर्ण स्नातक छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुये एल० एल० बी० प्रवेश प्रथम वर्ष के लिये नियमों में संशोधन करने की अनुमति देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ब्रिज कोर्स करने के लिये अलग से पुनः ब्रिज कोर्स चालू करवायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

यदि उन्होंने ब्रिज कोर्स किया है तो एल० एल० बी० प्रथम वर्ष कक्षा में प्रवेशार्थ अर्ह होंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विश्वविद्यालय ने वर्ष 1988-89 में ब्रिज कोर्स परीक्षाओं का संचालन किया एवं छात्रों की मांग पर 1992 में पुनः ब्रिज कोर्स परीक्षा संचालित की । समुचित संख्या में छात्रों के उपलब्ध होने पर विश्वविद्यालय पुनः ब्रिज कोर्स चलाने पर विचार कर सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ने की अविलम्ब पेराई तथा गन्ना क्रय केन्द्रों पर धांधली एवं घटतौली रोकने विषयक शासन द्वारा कृत कार्यवाही

*13-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों के गन्ने की अविलम्ब पेराई (खपत) हेतु चीनी मिलों द्वारा कौन से प्रभावी कदम उठाये गये हैं ? गन्ना क्रय केन्द्रों पर धांधली एवं घटतौली रोकने एवं सम्पूर्ण गन्ने की पेराई हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम लाल यादव–

प्रदेश की समस्त चीनी मिलें अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में पूर्ति हेतु उपलब्ध समस्त गन्ने की पेराई करके पेराई सत्र, 1994-95 में अन्तिम रूप से बन्द हो चुका है ।

गन्ना क्रय केन्द्रों पर धांधली एवं घटतौली रोकने के उद्देश्य से संबंधित शासकीय एवं अशासकीय पदाधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र में चीनी मिलों द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों पर तौल व वेब्रिज (कांटों) पर निगाह रखने तथा उनकी जांच करने के अधिकार प्रदत्त हैं ।

चूंकि प्रदेश में उत्पादित लगभग एक तिहाई गन्ना ही चीनी मिलों को आपूर्ति होता है तथा शेष गन्ने की खपत गुड़ खांडसारी बीज आदि में होता है । अतः उत्पादित सम्पूर्ण गन्ने की पेराई मिलों द्वारा फिलहाल संभव नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1994-95 में गन्ने की पिराई का लक्ष्य क्या था ? जब चीनी मिलें बन्द हुई थी, उस समय कुल कितने प्रतिशत गन्ने की पिराई हुई ? धांधली और घटतौली को रोकने के लिए कितने क्रय केन्द्रों पर छापे मारे गये और उनकी संख्या कितनी है ? पूरे प्रदेश में कितने छापे मारे गये और उसमें कितने अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाये गये और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई । तीसरा गन्ने का जो उत्पादन होता है उसका मात्र 33 प्रतिशत की ही पिराई होती है । गन्ने की पिराई के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, किसानों के हित में सरकार ने क्या कार्ययोजना बनाई है ? इन प्रश्नों का उत्तर माननीय मंत्री जी देने की कृपा करें ।

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, पिछले वर्ष 1994-95 में जो गन्ना पिराई हुई है उसमें घटतौली के संबंध में 4300 निरीक्षण हुये हैं जिसमें 203 मामले कम और अशुद्ध तौल के सामने आये हैं (व्यवधान) सवालों का जवाब नहींआने देते हैं कम से कम जवाब तो देने दें । (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

(प्रश्न प्रहर समाप्त)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी प्रश्न प्रहर समाप्त हुआ ।

नोट :–नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या–13 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

विश्वविद्यालयों में सुधार हेतु राज्य विश्वविद्यालय सुधार समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों को लागू करने पर शासन की सहमति

*14–श्री रमेश कान्त लवानियां–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विश्वविद्यालय सुधार समिति ने विश्वविद्यालयों में सुधार लाने के लिये कोई सिफारिश की है ? यदि हां, तो वह सिफारिशें क्या हैं और क्या शासन उन सिफारिशों को लागू करने पर विचार कर रहा है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

समिति की प्रमुख सिफारिशों का विवरण संलग्न है ।

जी हां ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृ० 185 पर)

प्रदेश के प्राइमरी तथा सीनियर बेसिक विद्यालयों में रिक्त अध्यापकों के पद एवं उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी

*15–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी तथा सीनियर बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं ? क्या उन पर नियुक्ति करने की कोई योजना है ? क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने उर्दू अध्यापक नियुक्त किये गये और प्रदेश में कुल कितने विद्यालयों में उर्दू पढ़ाई जाती है ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जी हां ।

स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत 40:1 छात्र/अध्यापक अनुपात में पद रिक्त होने पर प्रतिवर्ष नियमित रूप से नियुक्ति की जाती है ।

वर्ष 1994-95 में 4481 पदों पर सहायक अध्यापक (उर्दू भाषा) की नियुक्तियां की गयी ।

प्रदेश में 10838 विद्यालयों में उर्दू पढ़ाई जाती है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अतारांकित प्रश्न

लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता श्री एम० एल० मित्तल के विरुद्ध सर्तकता अधिनियमों के तहत जांच कराने की मांग

1–श्री अजय कुमार पांड्या–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के 5वें सोमवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०–66 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सतर्कता विभाग द्वारा मुख्य अभियन्ता एम० एल० मित्तल के विरुद्ध सतर्कता अधिनियमों के तहत अब तक अभिसूचना संकलन न कराने का क्या कारण है ? सतर्कता विभाग द्वारा मुख्य अभियन्ता एम० एल० मित्तल के विरुद्ध कब तक अभिसूचना संकलन करा ली जायेगी ?

सुश्री मायावती–

सतर्कता विभाग की अधिसूचना संख्या–1602/उन्तालिस (2)–217/64–दिनांक 29-8-77 के नियम–4(2) (दो) में निहित व्यवस्थाओं के आधार पर प्रश्नगत मामले में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अभिसूचना संकलित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के क्रमशः प्रत्येक ग्राम सभा व न्याय पंचायत में एक प्राथमिक तथा एक उच्च प्राथमिक विद्यालय, तीन वर्षों में शासन द्वारा स्थापना का लक्ष्य

2–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों की आबादी तीन से लेकर आठ हजार तक है क्या उनमें एक-एक प्राइमरी स्कूल खोलने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

प्रत्येक गांव सभा में एक प्राथमिक तथा प्रत्येक न्याय पंचायत में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की वर्ष 1994-95 से तीन वर्षों में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है ।

जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता से संबंधित वर्तमान शासनादेशों को संशोधित कर मान्यता समितियों के गठन की मांग

3–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाईस्कूलों की मान्यता से संबंधित दिनांक 2-7-90 तथा दिनांक 11-5-92 के शासनादेशों के पूर्व ''अ'' श्रेणी की मान्यता सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक तथा ''ब'' श्रेणी की मान्यता जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता वाली समिति देती थी ? क्या अब ''अ'' श्रेणी की मान्यता सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् ''ब'' श्रेणी की मान्यता सहायक बेसिक शिक्षा

निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति देती है ? यदि हां, तो क्या सरकार दिनांक 2-7-90 तथा दिनांक 11-5-92 के शासनादेशों के पूर्व की तरह मान्यता समितियां गठित करने के लिये उपरोक्त शासनादेश में संशोधन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।

प्राथमिक विद्यालयों में जूनियर हाई स्कूलों की भांति 'ब' श्रेणी मान्यता नियम लागू करने तथा अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता का नवीनीकरण से मुक्त किये जाने की मांग

4–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों की अस्थायी मान्यता तीन वर्ष के लिये ही दी जाती है तथा उसके बाद प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राथमिक विद्यालयों में भी जूनियर हाईस्कूलों की तरह "ब" श्रेणी मान्यता का नियम लागू करेगी तथा पहले से अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता के नवीनीकरण से मुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

इस प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

5–श्री अजय कुमार पोइया–

[4थे बुधवार में अता० प्र० सं०–173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

वर्ष 1994-95 में फैजाबाद रोड से कुर्सी रोड तक का निर्माण व्यय तथा कि० मी० 1–3 की दशा का शासकीय विवरण

6–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मार्ग से कुर्सी मार्ग (रिंगमार्ग) के निर्माण पर वर्ष 1994-95 में विशेष मरम्मत एवं अन्य मदों पर कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी ? क्या आवंटित धनराशि से आगगन के प्राविधानों के अन्तर्गत मानक के अनुरूप निर्माण सामग्री का

उपयोग किया गया है ? यदि हां, तो वर्तमान समय में मार्ग की दशा किमी०/चैनेजवार क्या है ? क्या इसकी जांच मुख्य प्राविधिक परीक्षक से करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1994-95 में मदवार धन का आवंटन

1–विशेष मरम्मत	27.96 लाख रु०
2–आयोजनागत मूल कार्य	23.00 लाख रु०
3–ए० आर०	5.16 लाख रु०

जी हां ।

किमी०–1 से 3 तक की मरम्मत कराकर सुगम यातायात योग्य एवं किमी० 4 से 7 में कार्य प्रगति पर है ।

जांच का आधार होने पर जांच कराई जा सकती है ।

प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र के आधार पर, अधिशासी अभियन्ता (लो० नि० वि०) प्रान्तीय खंड, लखनऊ का स्थानान्तरण

7–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ को हटाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-3-95 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अभी तक स्थानान्तरण न करने का क्या कारण हैं ?

सुश्री मायावती–

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ को हटाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-3-95 प्राप्त हुआ नहीं पाया जाता ।

शासनादेश संख्या–2258ईजी/23-लो० नि०–5-95, दिनांक 12-7-95 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ के स्थान पर नये अधिकारी की तैनाती कर दी गयी है ।

मुख्य अभियन्ता (लो० नि० वि०) मध्य क्षेत्र के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच की मांग

8–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता, म० क्षेत्र के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 11-3-95 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच किस स्तर के अधिकारी से करायी गयी तथा पत्र में लगाये गये आरोप क्या-क्या थे और कौन-कौन आरोप सत्य पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्राप्त हुआ नहीं पाया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

लखनऊ सीतापुर मार्ग पर चकरपुर से कोरवा तहंगूपुर गोहन्त मार्ग के लिये आवंटित राशि का अन्य निर्माणाधीन मार्ग पर व्यय किया जाना

9–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ सीतापुर मार्ग पर चकरपुर से कोरवा तहंगूपुर गोहन्त मार्ग का आगणन मिट्टी से लेपन स्तर तक शासनादेश दिनांक 28-3-95 के अन्तर्गत 30 लाख का स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो मुख्य अभियन्ता (म० क्षे०) ने कितना कार्य दिनांक 31-3-95 तक कराया ? क्या 3.70 लाख का भुगतान दिनांक 31 मार्च, 1995 को किया गया ? यदि हां, तो क्या 4 कि०मी० मार्ग का कार्य दिनांक 28-3-95 से 31-3-95 के मध्य कराया गया ? क्या सरकार 3.70 लाख के भुगतान की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

अल्प अवधि के कारण मात्र 0.64 लाख की सामग्री का प्रबन्ध हो सका ।

31-3-95 को आवंटन मिलने के कारण अवशेष धन अन्य स्वीकृत निर्माणाधीन मार्ग पर व्यय किया गया ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

श्री बाबू लाल कुरील (स० वि० स०) के शिकायती-पत्र पर, शासन द्वारा ग्राम बुढवा गैनहीजंगल पो० मदनपुर मेडियारी, जनपद पड़रौना में जांच एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी

10–श्री बच्ची सिंह रावत–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पडरौना के अन्तर्गत ग्राम बुढवा गैनही जंगल पो० मदनपुर मेडियारी, थाना खड्डा में अवैध शराब के धन्धे में लिप्त लोगों की जांच कराने विषयक श्री बाबू लाल कुरील, विधायक उन्नाव का कोई पत्र आबकारी आयुक्त, इलाहाबाद को दिनांक 4 मई, 1995 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में इंगित तथ्यों पर अब तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । संदर्भित पत्र दिनांक 4 मई, 1995 में अंकित तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम बुढ्वा गैनही जंगल, पो० मदनपुर मेडियार, थाना खड्डा में दविश दी गई और अवैध शराब के धन्धे में लिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

राजकीय महाविद्यालय सयाल्दे, जनपद अल्मोड़ा में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

11–श्री बच्ची सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय महाविद्यालय सयाल्दे, जिला अल्मोड़ा में प्रवक्ताओं के स्वीकृत कुल आठ पदों में पांच प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं ? क्या यह सही है कि नियमों के प्रतिकूल इस महाविद्यालय में नियुक्त राजनीति शास्त्र के प्रवक्ता को माह सितम्बर, 1993 से सहजनवां गोरखपुर में सम्बद्ध किया गया है ? क्या सरकार रिक्त पदों पर प्रवक्ताओं की नियुक्ति छात्र हित में करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । प्रवक्ताओं के कुल सात सृजित पदों में से चार पद रिक्त हैं । जी नहीं । नवस्थापित राजकीय महाविद्यालय सहजनवां, गोरखपुर में तात्कालिक प्रभाव से शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने के लिये एक प्रवक्ता राजनीति शास्त्र को सम्बद्ध किया गया ।

लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र के कर्मचारियों तथा अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मध्य पर्वतीय भत्ते की दर में एकरूपता की मांग

12–श्री बच्ची सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ते के रूप में 140 रु० की धनराशि प्रदान की जाती है तथा अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मात्र 50 रु० मासिक पर्वतीय भत्ता दिया जाता है ? क्या सरकार इस विसंगति को दूर करेगी ? क्या इन कर्मचारियों को वर्ष 1990 से एरियर के रूप में 90 रु० प्रतिमाह की धनराशि की दर से एरियर का भुगतान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ते उनके वेतनमानों के अनुरूप अनुमन्य दरों से देय है जबकि अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पुराने वेतनमान के अनुसार अनुमन्य दरों से देय है, जिसका पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निर्णय के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद गोण्डा के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विगत कई वर्षों से सम्बद्ध कर्मचारियों का, उनके मूल स्थान पर वापस किया जाना

13–श्री विनय कुमार पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विगत कई वर्षों से सम्बद्ध कार्यरत लिपिक जयन्ती प्रसाद पाण्डेय तथा उमा शंकर श्रीवास्तव जो कि

क्रमशः नगर क्षेत्र बलरामपुर और नगर पालिका कर्नेलगंज के स्थायी कर्मचारी है, को उनके स्थायी स्थान पर वापस न करने एवं अवैध रूप से कई वर्षों तक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय जनपद गोण्डा से सम्बद्ध रखने के क्या कारण हैं ? उनको मूल स्थान पर कब तक वापस कर दिया जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां, सम्बद्ध किया गया था किन्तु अब उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस कर दिया गया है ।

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहारनपुर को उच्चीकृत करके, इण्टरमीडिएट तक बढ़ाये जाने की मांग

14–श्री लाज कृष्ण गांधी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहारनपुर का उच्चीकरण करके इण्टरमीडिएट कालेज बनाये जाने के संबंध में दिनांक 19-12-91 के पत्र द्वारा प्रेषित आवश्यक प्रपत्र शासन के पास उपलब्ध हो गये हैं ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में शासन स्तर पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त के संबंध में अब क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ? क्या उक्त के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही करके उक्त विद्यालय को वर्ष 94-95 के शिक्षा सत्र के पूर्व उच्चीकरण करके इण्टरमीडिएट कालेज बनाया जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रश्नगत प्रस्ताव शासन स्तर पर प्राप्त नहीं हुआ था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोई नहीं ।

आय-व्ययक में अपेक्षित धनराशि के अभाव में संभव नहीं ।

अमीरुद्दौला लाइब्रेरी लखनऊ की पुस्तकालयाध्यक्ष के विरुद्ध मंडलायुक्त लखनऊ द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का परीक्षण

15–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 में अमीरुद्दौला लाइब्रेरी, लखनऊ की पुस्तकालयाध्यक्ष सुश्री नुसरत नाहीद द्वारा 5 लाख 61 हजार 738 रुपये मूल्य की पुस्तकें गायब किये जाने के मामले की जांच मंडलायुक्त लखनऊ से करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो इसका पूरा विवरण क्या है और गबन की राशि की वसूली के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि वर्ष 1994 में पुस्तक चयन हेतु गठित आठ सदस्यीय समिति में आरोपी को भी सदस्य बनाया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है तथा इसके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रकरण वर्ष 91-92 का न होकर वर्ष 1992-93 का है । इस संबंध में जांच मण्डलायुक्त, लखनऊ द्वारा करायी गयी थी, जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिस पर परीक्षण किया जा रहा है ।

वर्ष 1994-95 में पुस्तक चयन हेतु गठित 8 सदस्यीय समिति में सुश्री नुसरत नाहीद को भी सदस्य बनाया गया था । चूंकि अभी प्राप्त जांच रिपोर्ट विचाराधीन है, अतः सुश्री नुसरत नाहीद को पुस्तकें गायब होने के संबंध में पूर्णतः उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है ।

श्रीमती सरोज कुमारी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त सहायक अध्यापिका गवर्नमेन्ट गर्ल्स इण्टर कालेज, बछरावां रायबरेली के समस्त बकाया देयों के भुगतान की मांग

16–श्री धनराज यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सरोज कुमारी श्रीवास्तव, सहायक अध्यापिका, गवर्नमेन्ट गर्ल्स इण्टर कालेज, बछरावां, रायबरेली, जो दिनांक 30 जून, 1994 को सेवानिवृत्त हो चुकी है, को ग्रेच्युटी, पेंशन, भविष्य निर्वाह निधि, अवकाश नकदीकरण, पेंशन राशिकरण तथा एल० टी० ग्रेड के बकाये का भुगतान किन परिस्थितियों में अभी तक नहीं हुआ है ? क्या सरकार उक्त अवशेषों का भुगतान कराने तथा इस विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

श्रीमती सरोज कुमारी श्रीवास्तव का पेंशन भुगतान हो रहा है । ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण स्वीकृत कर बिल कोषागार, रायबरेली में पारित करने हेतु भेजा जा चुका है । सामान्य भविष्य निधि के जमा धनराशि के 90 प्रतिशत भुगतान की कार्यवाही निदेशालय स्तर से की जा रही है । राशिकरण की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है । एल० टी० ग्रेड के एरियर के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद सीतापुर में योजना संवर्ग के अधीन 6 सहायता प्राप्त विद्यालय व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों/कर्मचारियों के बकाये वेतन एवं अन्य देयों के भुगतान की मांग

17–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सीतापुर में योजना संवर्ग के अधीन सहायता प्राप्त माध्यमिक तथा उ० मा० विद्यालय कौन-कौन हैं तथा इनके अध्यापकों/कर्मचारियों को वेतन कब से नहीं दिया गया है ? क्या यह सही है कि इन्हें देय बोनस तथा एक जनवरी, 1986 से मार्च, 1991 तक के पुनरीक्षित वेतनमान की धनराशि का भुगतान भी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त तीनों मदों का कितना-कितना धन बकाया है ? उसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर–

जनपद सीतापुर में योजना संवर्ग के अधीन निम्नलिखित 6 सहायता प्राप्त विद्यालय तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं :–

1–रघुराज सिंह हायर सेकेन्ड्री स्कूल लोनियन पुरवा ।

2–पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेमपुर ।

3–सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बम्हेरा ।

4–आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कम्हरिया ।

5–राम प्यारी मुन्नी देवी सहगत कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नीमसार ।

6–मुस्लिम फुरकानिया हायर सेकेन्ड्री स्कूल, बिसवां, सीतापुर ।

उक्त विद्यालयों के कर्मचारियों/अध्यापकों को जून, 1995 से वेतन नहीं दिया गया है ।

जी हां ।

बकाये वेतन का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जायेगा । बोनस तथा पुनरीक्षित वेतन के भुगतान के संबंध में विद्यालयों के प्रबन्धकों से गलत ढंग से धन आवंटित कराने के लिये स्पष्टीकरण तथा संशोधित प्रपत्र मांगे गये थे जो अप्राप्त हैं जिसके उपलब्ध होने पर जांचोपरान्त भुगतान कर दिया जायेगा ।

श्री चन्द्र सिंह ग्वाल, जिला विद्यालय निरीक्षक फर्रुखाबाद के विरुद्ध प्राप्त जांच आख्या में आरोपों का असत्य पाया जाना

18–श्री चन्द्र भूषण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993 में श्री चन्द्र सिंह ग्वाल, जिला विद्यालय निरीक्षक फर्रुखाबाद के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच शासन द्वारा कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है ? उसमें क्या आरोप सिद्ध पाये गये और उस आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

कतिपय शिकायतों पर जांच आख्या प्राप्त हुई है । जांच अधिकारी मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक कानपुर से प्राप्त जांच आख्या के अनुसार शिकायतें मनगढ़न्त एवं आधारहीन पायी गयी ।

प्राप्त जांच आख्या के आधार पर श्री ग्वाल के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रुखाबाद के एस० एस० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवानीपुर को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इण्टरमीडिएट की प्रदत्त मान्यता की जांच/कार्यवाही किये जाने की मांग

19–श्री चन्द्र भूषण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के एस० एस० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवानीपुर को इण्टरमीडिएट की मान्यता जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद द्वारा हाई स्कूल के फर्जी परीक्षा फल एवं भवन के आधार पर संस्तुति की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय के हाई स्कूल परीक्षाफल एवं भवन की पुनः जांच कराई जायेगी और परीक्षाफल एवं भवन फर्जी पाये जाने पर दोषी अधिकारी श्री चन्द्र सिंह ग्वाल, जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

माध्यमिक शिक्षा परिषद् से प्राप्त आख्यानुसार परीक्षाफल फर्जी पाया गया । भवन के संबंध में स्थलीय जांच के आदेश दिये गये हैं ।

परीक्षाफल के संबंध में आख्या प्राप्त हो गई है । भवन के संबंध में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, कानपुर से जांच करायी जा रही है । जांचोपरान्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ वाराणसी में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जातियों का निर्धारित कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

20–श्री जगरनाथ चौधरी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों क्रमशः सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा काशी विद्यापीठ वाराणसी में तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने-कितने कर्मचारी वर्तमान समय में कार्यरत हैं ? इन दोनों श्रेणियों में उक्त दोनों विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति व पिछड़े वर्ग का प्रतिशत वर्तमान में क्या है ? क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का निर्धारित कोटा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर शीघ्र पूरा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत कर्मचारियों की संख्या निम्नवत् है :–

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय

तृतीय श्रेणी	188
चतुर्थ श्रेणी	245

काशी विद्यापीठ

तृतीय श्रेणी	201
चतुर्थ श्रेणी	152

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय

अनुसूचित जाति/जनजाति	पिछड़ावर्ग
तृतीय श्रेणी 1.6 प्रतिशत	13.04 प्रतिशत
चतुर्थ श्रेणी 2.14 प्रतिशत	55.07 प्रतिशत

काशी विद्यापीठ

अनुसूचित जाति/जनजाति	पिछड़ा वर्ग
तृतीय श्रेणी 7.4 प्रतिशत	12.9 प्रतिशत
चतुर्थ श्रेणी 8.4 प्रतिशत	44 प्रतिशत

जी हां ।

रिक्तियां उपलब्ध होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद की भांति शासन द्वारा इंजीनियरिंग इन्सटीट्यूट आफ टेक्नालाजी, लखनऊ के कर्मचारियों को भी पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृत

21-श्री वासुदेव सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के कर्मचारियों हेतु प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 5051/92-अठारह-1-339 (सी)/0 छटी० सी०, दिनांक 23 मार्च, 1993 की भांति इंजीनियरिंग इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, सीतापुर रोड, लखनऊ के कर्मचारियों के लिये भी शासनादेश जारी करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति शासनादेश संख्या–5051/92–अठारह–1–339 (सी)/0छठी० सी० दिनांक 23 मार्च, 1993 के बजाय शासनादेश संख्या–5055/92–अठारह–1–339 (सी)/88 टी० सी०, दिनांक 23 मार्च, 1993 द्वारा निर्गत की गई है । उसी भांति इंजीनियरिंग इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, सीतापुर रोड, लखनऊ के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण की स्वीकृति शासनादेश संख्या–2722/95–सोलह–प्रा० शि०–1-339 (पी)/88 टी० सी०, दिनांक 2 अगस्त, 1995 द्वारा निर्गत की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के गीतापल्ली कृष्णापल्ली मार्ग के 3 कि० मी० कार्य हेतु धनराशि निर्माण खण्ड (बाढ़) को आवंटित

22–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के गीतापल्ली कृष्णापल्ली मार्ग जो मुख्य अभियन्ता म० क्षेत्र, लो० नि० वि० ने पत्रांक 113कैम्प/6 सी जेड ई/95, दि० 16-1-95 द्वारा प्रा० खण्ड, लखनऊ का कार्य विभाजन में दिया था ? यदि हां, तो शासनादेश सं० 974ई/23 लो० नि०–11 दिनांक 28-3-95 से 3 कि० मी० मार्ग रु० 10.00 लाख आवंटन स्वीकृत होने पर पत्रांक 1430 सीजेडकाम/715 सीजेड/94-95, दिनांक 31-3-95 को निर्माण खण्ड (बाढ़) लखनऊ को स्थानांतरित करने के आदेश दिये गये ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार दोषी मुख्य अभि० के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । संदर्भित पत्र केवल आगणन बनाने के संबंध में था ।

जी नहीं । निर्माण खण्ड (बाढ़) का कार्यक्षेत्र होने के कारण यह कार्य मूलरूप से इन्हें ही आवंटित किया गया ।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

श्री डी० के० सिंह, अधि० अभि० प्रा० खण्ड, लो० नि० वि० बाराबंकी द्वारा इन्दिरानगर लखनऊ में क्रय की गयी चल-अचल सम्पत्ति के विवरण की मांग

23–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री डी० के० सिंह, अधि० अभि० प्रा० खण्ड, लो० नि० वि०, बाराबंकी ने शक्तिनगर (इन्दिरानगर) लखनऊ में लगभग 40.00 लाख रु० की लागत की भव्य महल बनवाया था और चार भूखण्ड जिनकी लागत रु० 10.00 लाख की है, को अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों के नामों से क्रय किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्पत्ति के क्रय हेतु शासन से अनुमति ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार श्री सिंह के परिवार के सदस्यों के नाम कोई भूखण्ड क्रय नहीं किया गया है परन्तु उनके स्वयं के नाम तीन भूखण्ड क्रय किये गये हैं ।

श्री डी० के० सिंह की सम्पत्ति का विवरण संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन को अनुमति दिये जाने का कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 186 पर)

जनपद लखनऊ के मटियारी गांव से फतहापुरवा तकरोही गांव के बाजार तक मार्ग निर्माण में स्वीकृति राशि से अधिक व्यय पर दोषियों को दण्डित किये जाने की मांग

24–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के मटियारी गांव सड़क से फतहापुरवा तकरोही गांव के बाजार तक मार्ग का मिट्टी से लेपन स्तर तक का निर्माण कार्य (2 कि० मी०) रु० 3.00 लाख का आवंटन मार्च, 95 में प्राप्त हुआ था ? क्या इस मार्ग के निर्माण में आवंटन के विरुद्ध 15.60 लाख खर्चा किया गया ? यदि हां, तो इस अतिरिक्त व्यय के लिये कौन-कौन अभियन्ता दोषी है और क्या मुख्य अभियन्ता मध्य क्षेत्र ने इन कार्यों की समीक्षा आवंटन/भुगतान से पूर्व किया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लामार्टीनियर स्कूल के कैम्पस से सड़कों पर सम्पन्न निर्माण कार्य की जांच एवं दोषियों को दण्डित किये जाने की मांग

25–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता मध्य क्षेत्र के मौखिक आदेशानुसार लामार्टीनियर स्कूल के कैम्पस से सड़कों पर एस० डी० सी० एवं पैच मरम्मत आदि का कार्य वर्ष 1994-95 में कराया गया था ? क्या उक्त कार्य की अनुमानित लागत लगभग 5.00 लाख से अधिक थी ? क्या इसका आगणन बनाकर शासन से वित्तीय/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह कार्य प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ द्वारा अनुबन्ध गठित न करके वर्क आर्डर से कराया गया ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ कुर्सी मार्ग पर स्थित 8 कि० मी० क्षेत्र में एच० एम० पी० लगाने में की गई अनियमितताओं की जांच की मांग

26–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ कुर्सी मार्ग पर स्थित एच० एम० पी० की जमीन किराये पर मैटेरियल कनेक्शन के लिये ली गयी है ? यदि हां, तो क्या इनकी दरें मुख्य अभियन्ता, म० क्षेत्र ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर लगभग 50 प्रतिशत अधिक स्वीकृत की ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन से इसकी स्वीकृति प्राप्त की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अखबार में प्रकाशित 8 कि० मी० के अन्दर एच० एम० पी० लगाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन को इससे निरन्तर 2.00 लाख रुपये की प्रतिमाह हानि हो रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा मुख्य अभि० के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी ।

उपरोक्तानुसार ।

समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना दिनांक 18-11-94 में 8 कि० मी० का कोई प्रतिबन्ध नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) द्वारा वर्ष 1994-95 में प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ के विभिन्न मार्गों पर मरम्मत हेतु आवंटित धन के प्रयोग/कार्य की मुख्य प्राविधिक परीक्षक से जांच कराये जाने की मांग

27–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि मुख्य अभि० (म० क्षेत्र) ने वर्ष 1994-95 में प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ के विभिन्न मार्गों पर विशेष मरम्मत के अन्तर्गत धन आवंटित किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि किन-किन मार्गों पर कितनी-कितनी धनराशि किन-किन कार्यों के लिये आवंटित की गयी है ? क्या इन मार्गों पर आवंटित धनराशि का उचित उपयोग किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उक्त मार्गों की वर्तमान दशा क्या है ? क्या इसकी जांच मुख्य प्राविधिक परीक्षक से करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ? क्या वर्ष 95-96 में इन मार्गों पर धन खर्च करने की आवश्यकता होगी ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

<u>सूची संलग्न है ।</u>

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संतोषजनक बताई जाती है ।

जांच का आधार होने पर जांच कराई जा सकती है ।

मार्ग की दशा पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 187–188 पर)

शासन द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षा सत्र के नियमन हेतु शैक्षिक पंचाग लागू किये जाने का प्रयास

28–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का शैक्षिक सत्र पिछड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार सत्र नियमन हेतु क्या प्रयास कर रही है तथा सत्र कब तक नियमित हो सकेगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां, केवल स्नातकोत्तर का सत्र पिछड़ा है ।

वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक स्नातकोत्तर परीक्षाओं के निश्चित समय पर न हो पाने, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के कार्यक्रमों में अचानक परिवर्तन हो जाने, छात्र आन्दोलन आदि के कारण ।

सत्र नियमन हेतु शैक्षिक पंचांग लागू करने पर बल दिया जा रहा है ।

राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी में रिक्त निदेशक पद पर शिक्षा विभाग के किसी प्रथम श्रेणी के अधिकारी की नियुक्ति की मांग

29–श्री जगरनाथ चौधरी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी में गत तीन वर्षों से निदेशक के रिक्त पद पर कार्यवाहक निदेशक तैनात किये जा रहे हैं ? क्या शासन उक्त पद पर नियमतः शिक्षा विभाग के किसी प्रथम श्रेणी अधिकारी को चालू वर्ष में उक्त स्थान पर तैनात करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो राज्य भाषा हिन्दी की उपेक्षा का क्या औचित्य है ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

प्रथम श्रेणी के उपयुक्त अधिकारी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत पद पर तैनाती हेतु विचार हो रहा है ।

30–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[चौथे बुधवार में अता० प्र० सं०–161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा के दीवानी और फौजदारी अदालतों में लम्बित/अनिर्णीत वादों के शीघ्र निस्तारण की मांग

31–श्री बदन सिंह–

क्या न्याय मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के दीवानी और फौजदारी की अदालतों में बेतहाशा अनिर्णीत वाद लम्बित है ? यदि हां, तो इन वादों में शीघ्र निर्णय दिलाने की कोई व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद आगरा की दीवानी अदालतों में 27.922 तथा फौजदारी अदालतों में 66.825 कुल 94.747 वाद विचाराधीन है ।

गत वर्ष एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना की जा चुकी है तथा आर्थिक अपराधों के निस्तारण हेतु एक न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्व० श्री शत्रुघन प्रसाद वर्मा, सहायक अध्यापक किसान इण्टर कालेज सरैया जनपद सीतापुर के आश्रितों को पेंशन आदि देयों और सेवा लाभ दिये जाने की मांग

32–श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० श्री शत्रुघन प्रसाद वर्मा, सहायक अध्यापक किसान इण्टर कालेज, सरैया, राजा साहब, जनपद–सीतापुर जिनकी मृत्यु सेवाकाल में दिनांक 4-3-1975 को हो गई थी, के आश्रितों को भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान पारिवारिक पेंशन तथा मृतक आश्रित को नौकरी का लाभ दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

संबंधित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रश्नगत लाभ अनुमन्य नहीं है ।

स्व० श्री स्वामी दयाल सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय शमसाबाद, जनपद सीतापुर के आश्रितों को पेंशन आदि देयों तथा सेवा लाभ दिये जाने की मांग

33–श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० श्री स्वामी दयाल, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, शमसाबाद, क्षेत्र पहला, जनपद सीतापुर जिनकी मृत्यु सेवाकाल में दिनांक 28-6-1973 को हो गई थी, के आश्रितों को भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान पारिवारिक पेंशन तथा मृतक आश्रित को नौकरी का लाभ दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री ए० के० वर्मा सहा० अभि०, प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि० बाराबंकी द्वारा निर्माण कार्य में की गयी अनियमितता के संबंध में चार्जशीट देने तथा रिकवरी किये जाने की मांग

34–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ए० के० वर्मा सहा० अभि०, प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि० बाराबंकी को वर्ष 1986-87 में 30.00 लाख रु० की सड़क निर्माण सामग्री के गठन के आरोप में निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो क्या इनके विरुद्ध चार्जशीट निर्गत की गयी एवं जांच पूर्ण की गयी ? यदि हां, तो कितनी धनराशि की क्षति शासन को हुई ? क्या इसकी रिकवरी श्री वर्मा स० अभि० से की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक की जायेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या इन्हें रा० मा०/प्रान्तीय खण्ड में तैनात किया गया है ? यदि हां, तो इन्हें कब तक अकार्यकारी खण्ड में तैनात किया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

जांचोपरान्त प्रकरण में कुल 20,000 रुपये की शासकीय क्षति प्रकाश में आयी ।

कुल शासकीय क्षति का 50 प्रतिशत श्री वर्मा से वसूल किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

वर्तमान में संबंधित सहायक अभियन्ता की तैनाती प्रान्तीय खण्ड बाराबंकी में है ।

प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जनपद गाजियाबाद के बेसिक व जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों को नियमित वेतन भुगतान व्यवस्था की मांग

35–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा संचालित गाजियाबाद जनपद के बेसिक प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों के वेतन का कब से भुगतान नहीं हुआ है ? नियमित भुगतान न होने का क्या कारण है ?

श्री सुखदेव राजभर–

सामान्यतः नियमित वेतन का भुगतान किया जा रहा है । माह मई का वेतन का भुगतान कतिपय क्षेत्रों में विलम्ब से हुआ था जिसके लिए संबंधित अधिकारी को भविष्य के लिए सचेत कर दिया गया है ।

36–श्री नन्दलाल पटेल–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

37–श्री घनश्याम शुक्ल–

[दि० 31-7-95 को अता० प्र० सं०–125 द्वारा उत्तरित]

38–श्री घनश्याम शुक्ल–

[दि० 31-7-95 को अता० प्र० सं०–114 द्वारा उत्तरित]

39–श्री मुरलीधर–

[दि० 27-7-95 को अता० प्र० सं०–155 द्वारा उत्तरित]

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो० नि० वि० फैजाबाद में निर्माण कार्य हेतु सामाग्री क्रय की अनियमितता से संबंधित प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

40–श्री परशुराम यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद के शहरी क्षेत्र फैजाबाद के निकट पड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग (वी० एस० आर०) के किलोमीटर 4-5--6-7 में निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 1995-96 में क्रय किये गये विभिन्न सामानों में व्यापक हेराफेरी किये जाने की शिकायत प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 8-5-95 को अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग 28 लो० नि० वि०, फैजाबाद को की गयी है ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता द्वारा की गयी शिकायतों के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग फैजाबाद के पत्रांक 79 कैम्प/शिकायत/95 दि० 22-5-95 द्वारा प्रश्नकर्ता को उनके शिकायती-पत्र का उत्तर भेजा जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सी० टी० संवर्ग के समाप्त होने के बाद कार्यरत अध्यापकों को एल० टी० संवर्ग में समायोजित करने की मांग

41–श्री राजेन्द्र सिंह (देहरादून)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी० टी० संवर्ग के समाप्त हो जाने के बाद इसमें कार्यरत अध्यापक जो एल० टी० संवर्ग में समायोजित कर दिये गये हैं, का वेतन किस मद से आहरित किया जा रहा है ?

श्री सुखदेव राजभर–

राजकीय विद्यालयों में सी० टी० वेतनक्रम के ऐसे अध्यापक जिनकी 10 वर्ष की सेवा पूरी होने तथा प्रशिक्षित स्नातक होने के कारण संविलियन एल० टी० वेतनक्रम में हो चुका है, का वेतन निम्नलिखित मद से आहरित होता है :–

"2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा आयोजनेत्तर–109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय–03 बालक के सुसंगत इकाइयां"

गढ़मुक्तेश्वर जनपद गाजियाबाद को पर्यटक केन्द्र बनाने की योजना की जानकारी

42–श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही–

क्या सरकार गढ़मुक्तेश्वर जनपद गाजियाबाद को पर्यटक केन्द्र बनाने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो योजना कब तक पूरी हो जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

43–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्रीमती जानकी देवी विधवा स्व० नारायण सिंह सहायक अध्यापक उ० प्र० बि० देवी धूरा जनपद पिथौरागढ़ को पारिवारिक पेंशन दिये जाने की मांग

44–श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती जानकी देवी विधवा स्व० नारायण सिंह सहायक अध्यापक उ० प्र० बि० देबी धूरा जनपद पिथौरागढ़ की पारिवारिक पेंशन भुगतान कराने विषयक प्रार्थना-पत्र 20-10-83 के बाद निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें पारिवारिक पेंशन का भुगतान हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उन्हें पारिवारिक पेंशन का भुगतान कब तक करायेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं।

जी नहीं ।

लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत किसी भी दशा में सेवा निवृत्त अध्यापक को अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के 5 वर्ष बाद पारिवारिक पेंशन देने का प्राविधान नहीं है । अतः इन्हें पारिवारिक पेंशन देय नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

राजकीय इण्टर कालेज लोहाघाट जनपद पिथौरागढ़ में कार्यरत स्व० टीकाराम शर्मा प्रवक्ता के अवशेषों के भुगतान का मामला

45–श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० टीकाराम शर्मा प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कालेज लोहाघाट जनपद पिथौरागढ़ की मृत्यु सेवाकाल में वर्ष 1988 में हो गयी थी ? यदि हां, तो उनके सामूहिक बीमे की धनराशि रुपये 27,160.05 उनकी पत्नी को अभी तक न दिये जाने का कारण क्या है ? क्या इस संबंध में प्रधानाचार्य रा० ई० का० लोहाघाट के द्वारा 31-8-93 को एवं इससे पूर्व सहायक शिक्षा निदेशक अर्थ बीमा शिक्षा निदेशालय, पेंशन 2, इलाहाबाद को पत्र भेजे गये थे ? यदि हां, तो उनके पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

स्व० टीकाराम शर्मा की मृत्यु सेवाकाल में दिनांक 14-5-1987 को हुई थी ।

निदेशालय द्वारा प्रश्नगत धनराशि का चेक राजकीय इण्टर कालेज, लोहाघाट, पिथौरागढ़ को पंजीकृत पत्र दिनांक 1-9-1988 द्वारा भेजा गया था । किन्तु प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, लोहाघाट, पिथौरागढ़ ने अपने पत्र दिनांक 13-9-93 एवं 14-2-94 द्वारा निदेशालय को सूचित किया कि श्री शर्मा का चेक प्राप्त नहीं हुआ है ।

शाखा/प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, ए० जी०, यू० पी०, एक्सटेंशन काउन्टर, इलाहाबाद से निदेशालय द्वारा पूर्व निर्गत चेक का नान पेमेन्ट प्रमाण पत्र मांगा गया था, जो प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वर्ष 1994-95 से चल रहे घाटे को पूर्ण करने के उपाय एवं दोषियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी

46–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अप्रैल, 1995 तक कुल कितना घाटा है तथा इस घाटे के कारण क्या है ? इस घाटे को दूर करने पर सरकार क्या विचार कर रही है ? क्या सरकार घाटे के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1994-95 तक विश्वविद्यालय का कुल संकलित घाटा रु० 7.88.20.141 है । इस घाटे के मुख्य कारण विश्वविद्यालय द्वारा की गयी अनानुमोदित नियुक्तियां तथा अनानुमोदित मदों पर किया गया व्यय है ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में व्याप्त घाटे की समस्या प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी व्याप्त है । अतः इस समस्या के निदान के संबंध में शासन द्वारा बराबर समवेत रूप से विचार किया गया है और तद्नुसार यथासम्भव कार्यवाही की गयी है ।

सरचार्ज की कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं ।

जनपद सिद्धार्थ नगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा की क्रमशः धनगढ़वा से चेतिमा मार्ग और सहिजवार से कटरियाबाबू मार्ग को बनाये जाने की मांग

47–श्री स्वयंवर चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री जी को जानकारी है कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा 171 से दो सड़कों का क्रमशः धनगढ़वा से चेतिमा मार्ग और सहिजवार से कटरियाबाबू मार्ग का स्टीमेट स्टेट सेक्टर से निर्माण कराने हेतु जिलाधिकारी की संस्तुति से नियोजन विभाग में आया है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण करने की स्वीकृति मिल जायेगी और निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

कथित मार्गों के आगणन लोक निर्माण विभाग में प्राप्त हुए हैं ।

प्रश्नगत मार्ग जिला योजना श्रेणी के हैं जिनकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

48–श्री भागवत पाल–

। मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त ।

विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–1 का सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद् लखनऊ को दिया गया पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

49–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष सचिव, सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–1 का पत्र संख्या 4167/बीस-ई-1-92-551 (7)/90, दिनांक 14 अगस्त, 1992 सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद्, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

विशेष सचिव, सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–1 के उपरोक्त पत्र दिनांक 14-8-1992 का समुचित परीक्षण विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद के स्तर से किया गया और विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद के सचिव ने अपने पत्र संख्या–सी० एस० टी०/2443/एका०/(13)/90-91 दिनांक अगस्त, 20, 1993 के माध्यम से उत्तर विशेष सचिव, सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–1 को भेज दिया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

50–श्री घनश्याम शुक्ल–

[दि० 31-7-95 को अता० प्र० सं०–111 द्वारा उत्तरित]

वित्तीय वर्ष 1994-95 में परीक्षा शुल्क के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को प्राप्त धन एवं उसके व्यय का विवरण

51–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत सत्र में परीक्षा शुल्क के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कितना धन प्राप्त हुआ था ? इसका व्यय किन मदों में किया गया है तथा व्यय का विवरण क्या है ?

सुश्री मायावती–

वित्तीय वर्ष 1994-95 में परीक्षा शुल्क के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कुल रु० 67,05,435 की धनराशि प्राप्त हुई । जिन मदों पर व्यय किया गया तथा जो धनराशि व्यय की गई उसका विवरण निम्नांकित है :–

<u>मुद्रण व्यय</u>	
1–विविध मुद्रण रु०	4,18,641/–
2–उत्तर पुस्तिकायें रु०	6,63,651/–
3–गोपनीय मुद्रण रु०	15,48,333/–
<u>परीक्षा संचालन</u>	
रु०	59,42,093/–
कुल व्यय रु०	85,72,718/–

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तीन ट्यूटोरियल कालेज के० पी० यू० सी० हालैण्ड हाल तथा एम० एम० यू० सी० को विश्वविद्यालय में समाहित करने का मामला

52–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तीन ट्यूटोरियल कालेज के० पी० यू० सी० हालैण्ड हाल तथा एम० एम० यू० सी० को दिनांक 20 मार्च, 1992 की राजाज्ञा द्वारा विश्वविद्यालय में समाहित कर दिया गया है ? क्या उक्त राजाज्ञा के अनुपालन में कालेज से

संबंधित कर्मचारियों को वेतन एवं अन्य सुविधायें विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही है ? यदि हां, तो इन्हीं कालेजों से संबंधित छात्रावासों में कार्यरत कर्मचारियों को शासन द्वारा अनुमन्य वेतनमान एवं सुविधायें अभी तक न दिये जाने के क्या कारण है ? क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने दिसम्बर, 1993 में भेजे पत्रांक 2133 द्वारा शासन का ध्यान छात्रावासों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्या के समाधान हेतु आकर्षित किया था ? यदि हां, तो इस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

53–श्री रमापति शास्त्री–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर में प्रवक्ताओं/कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड, समयमान वेतनमान एवं वार्षिक वेतन वृद्धि आदि दिये जाने की मांग

54–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर में प्रवक्ताओं/कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड, समयमान वेतनमान एवं वार्षिक वेतन वृद्धि आदि समय से नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद से गोमती बैराज (रिंग मार्ग) के निर्माण में हुई अनियमितता की जांच एवं कार्यपूर्ण कराये जाने की मांग

55–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मार्ग से गोमती बैराज (रिंग मार्ग) के निर्माण पर वर्ष 94-95 में एस० आर०, ओ० आर० ए० आर० एवं अन्य मदों पर कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? क्या आवंटित धनराशि आगणन के प्राविधानों के अन्तर्गत मानक के अनुरूप निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है ? यदि हां, तो वर्तमान में मार्ग की दशा किमी०/चैनेजवार क्या है ? क्या इसकी जांच मुख्य प्रा० वि० परीक्षक से करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन मदों पर आवंटित धनराशि (94-95) से लगभग दूसरी नई रिंग मार्ग इतनी ही लम्बाई की

बन सकती थी ? यदि हां, तो इस अपव्यय के लिये दोषी मु० अ० म० क्षेत्र के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत निर्माण (चौड़ीकरण) कार्य पर केवल राज्य योजना के अन्तर्गत रु० 25.50 लाख का आवंटन दिया गया ।

जी हां ।

वर्तमान लेपित सतह कि० मी० 1 से 4 तक की दशा संतोषजनक है ।

आवश्यकता नहीं । उपरोक्तानुसार ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद हमीरपुर में कबरई कुनेहटा मार्ग के निर्माण में हो रहे विलम्ब की शिकायत

56–श्री अरिमर्दन सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1995 के पहले सोमवार हेतु निर्धारित श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अता० प्रश्न संख्या 143 के उत्तर के क्रम में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में कबरईकुनेहटा मार्ग का निर्माण जब वर्ष 1972 में प्रारम्भ किया गया था तब इस मार्ग के किलोमीटर 15 में चन्द्रावल नदी पर पुल/रपटे एवं पहुंच मार्गों के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्माण हेतु अलग-अलग धनराशि स्वीकृति की गयी थी ? क्या सरकार बतायेगी कि निर्माण कार्य वर्ष 1972 में प्रारम्भ किये जाने के उपरान्त भी अभी तक पुल/रपटें एवं पहुंच मार्ग हेतु संसाधन की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी जबकि एक प्रोजेक्ट के अवशेष कार्य हेतु अगले वित्तीय वर्ष में संसाधन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है किन्तु इस प्रकरण में इतने वर्ष के उपरान्त भी अभी तक पुल/रपटें तथा पहुंच मार्ग पूर्ण न किये जाने के संबंध में कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

पुल का निर्माण तब प्रस्तावित नहीं था, अतः प्रश्न नहीं उठता ।

कबरई कुनहेटा मार्ग तथा इस मार्ग पर चन्द्रावल नदी पर सेतु के निर्माण की स्वीकृति अलग-अलग शासनादेशों द्वारा प्रदान की गयी थी ।

चन्द्रावल नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के संबंध में निर्गत स्वीकृति निरस्त की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

57–श्री राजीव कुमार–

[5वे बुधवार में अता० प्र० सं० 67 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

58–श्री राजीव कुमार–

[4थे बुधवार में अता० प्र० सं० 121 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अस्थाई राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नं०–2 लो० नि० वि० लखनऊ द्वारा लाखों रुपयों के फर्जी भुगतान की शिकायत

59–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अस्थाई राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नं०–2 लो० नि० वि० लखनऊ में अगस्त, 1994 से 31 मार्च, 1995 तक लाखों रुपयों का फर्जी वर्क आर्डर/सप्लाई आर्डर बना कर भुगतान कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त अवधि में किन-किन फर्मों के नाम कितनी-कितनी धनराशि के कब-कब, कितने-कितने वर्क आर्डर/सप्लाई आर्डर बनाये गये क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अस्थाई राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नं० 2 लो० नि० वि० लखनऊ की सरकारी जीप द्वारा किये गये डीजल आदि के उपयोग की जानकारी

60–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि अस्थायी राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नं०–2. लो० नि० वि० लखनऊ में सरकारी जीप नं० यू० पी०–32/3207 पर वर्ष 1994-95, 95-96 में कितनी धनराशि डीजल एवं कितनी धनराशि मरम्मत पर खर्च की गयी ?

सुश्री मायावती–

अस्थायी राष्ट्रीय मार्ग खण्ड सं०–2 लोक निर्माण विभाग लखनऊ की जीप सं० यू० पी० 32/3207 पर डीजल एवं मरम्मत मद में वर्ष 1994-95 में क्रमशः रु० 38,387.29 तथा रु० 38,235.66 एवं वर्ष 1995-96 (31 मई, 1995 तक) क्रमशः रु० 5,166.49 तथा रुपया 14,101.00 की धनराशि व्यय की गई है ।

सचिव लोक निर्माण विभाग को प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र एवं जांच आख्या की जानकारी

61–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 10-3-95 सचिव लोक निर्माण विभाग एवं उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या शिकायती-पत्र की जांच करायी गई है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

श्री डी० के नन्दी अधि० अभि० द्वारा वर्ष 94-95 में लखनऊ में शहरी मार्गों के निर्माण हेतु किये गये अनुबन्ध की जानकारी

62–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री डी० के० नन्दी अधि० अभि० द्वारा वर्ष 94-95 में लखनऊ के शहरी मार्गों के कार्यों के अनुबन्ध गठित किये गये ? यदि हां, तो किन-किन शहरी मार्गों के अनुबन्ध कितनी-कितनी धनराशि के कब-कब गठित किये गये ? क्या इन कार्यों के अनुबन्धों की निविदा सूचना नियमानुसार विभिन्न खण्डों, समाचार पत्रों, सूचना पट आदि पर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

सूची संलग्न है । †

सूचना पट पर प्रदर्शित की गई थी ।

जांच का आधार होने पर जांच करायी जा सकती है ।

लखनऊ वाराणसी मार्ग के आंशिक भाग में की गई वित्तीय अनियमितता का आरोप एवं जांच की मांग

63–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ वाराणसी मार्ग के किमी० 5 से 8 तक में की गई वित्तीय अनियमितता विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-5-95 तथा 23-5-95 प्रमुख सचिव, लो० नि० वि० एवं वित्त को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्न में उल्लिखित प्रमुख सचिव लो० नि० वि० को सम्बोधित पत्र दिनांक 21-5-95 प्राप्त हुआ है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

---

† छापी नहीं गयी ।

64–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-5-95 एवं 23-5-95 जो लखनऊ वाराणसी मार्ग के किमी० 5 से 8 तक में रु० 50.00 लाख की लागत का कार्य शासनादेश सं०–1415ई/23 सा० नि०–11 दि० 24-3-90 के विरुद्ध कराये जाने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

सुश्री मायावती–

प्रश्न में उल्लिखित प्रमुख सचिव लो० नि० वि० को सम्बोधित पत्र दिनांक 21-5-95 प्राप्त हुआ है ।

प्रश्न में उल्लिखित तथ्यों की जांच करा ली गयी है ।

गन्ना विकास निरीक्षक (क्रय) सचिव श्री श्याम सिंह के विरुद्ध गन्ना विकास समिति बलरामपुर गोंण्डा द्वारा की गयी गंभीर अनियमितता

65–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास निरीक्षक (क्रय) सचिव श्री श्याम सिंह के विरुद्ध गन्ना विकास समिति, बलरामपुर गोण्डा में गंभीर अनियमितता पाये जाने पर गन्ना आयुक्त, उ० प्र० ने अपने आदेश दिनांक 11-7-90 को भविष्य में कभी भी सचिव का पद न देने का दण्ड दिया था ? यदि हां, तो क्या उन्हें पुनः गन्ना विकास समिति, गोण्डा में सचिव बना दिया गया है ? क्या सरकार गन्ना आयुक्त के आदेश का पालन करायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला योजना में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विजयनगर गाजियाबाद में प्रयोगशाला बनाये जाने की मांग

66–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या शिक्षा मंत्री बतानेकी कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 की जिला योजना में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विजयनगर, गाजियाबाद में प्रयोगशाला बनाने हेतु धन का प्रस्ताव किया गया था ? यदि हां, तो कितने धन का प्रस्ताव था ? क्या उक्त धन की स्वीकृतियां जारी हो गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इसके दायित्व का निर्धारण करेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में कार्यरत आडिटरों को उनके पैतृक विभाग में वापस करने की मांग

67–श्री चेतराम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स उ० प्र० लखनऊ में कार्यरत आडिटरों (मुख्य लेखा परीक्षक कार्यालय के) को उनके पैतृक विभाग में वापस करने

के संबंध में शासन स्तर (वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग) से निर्देश दिए जाने के बावजूद अभी तक उन्हें वापस न किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में कार्यरत मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आडीटरों को शासन द्वारा दिये गये वर्तमान निर्देशानुसार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने की दशा में दो आडीटरों को उनके पैतृक विभाग को वापस कर दिया गया है । दो वरिष्ठ आडीटरों का कार्यहित में उनके पैतृक विभाग को वापस नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उ० प्र० इलाहाबाद में कैमरामैन, सहायक कैमरामैन, विद्युत पर्यवेक्षक के वेतनमानों की विसंगति का मामला

68–श्री चेतराम–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ० प्र० राज्य कर्मचारियों के लिये गठित समता समिति 1989 द्वारा की गई संस्तुतियों में शिक्षा प्रसार विभाग, उ० प्र० इलाहाबाद में कैमरामैन, सहायक कैमरामैन, विद्युत पर्यवेक्षक के वेतनमांगों की विसंगति का मामला वेतन विसंगति समिति द्वारा अब तक निस्तारित न किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार तत्काल निर्णय लेकर उक्त विभाग के पदधारकों को सूचना विभाग के समकक्ष वेतनमान दिलाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रश्नगत पदधारकों के वेतनमानों की विसंगति दूर करने का प्रकरण वित्त (वेतन-आयोग) को नहीं भेजा गया है ।

परीक्षणाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित कुर्सी मार्ग के कुछ क्षेत्र में बने अवैध अतिक्रमणों को हटाने की मांग

69–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि मुख्य अभियन्ता मध्य क्षेत्र ने पत्रांक 991 सीजेडकाम/टी० सी० दिनांक 24-2-92 द्वारा अतिक्रमण हटाने/वाद दायर/वाद दायर करने के निर्देश अधिशासी अभियन्ताओं को दिये थे ? यदि हां, तो लखनऊ स्थित कुर्सी मार्ग के कि० मी० 6 से 6–800 तक के मध्य बने अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही किन-किन तिथियों में की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त मार्ग की चौड़ाई 45 मीटर है ? यदि हां, तो उ० प्र० रोड साइड भूमि नियंत्रण

नियंत्रण अधिनियम 1945, 1965 एवं 1975 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

लखनऊ कुर्सी मार्ग के कि० मी० 6 से 6–800 तक के मध्य बने अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही 20-2-95 से 22-2-95 तक की गयी ।

जी नहीं, मार्ग की चौड़ाई 15 मीटर से 20 मीटर तक है ।

प्रश्नगत मार्ग अभी संयुक्त प्रान्त सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रक अधिनियम, 1945 के अन्तर्गत नियंत्रित क्षेत्र घोषित नहीं हुआ है। लोक निर्माण विभाग के प्रश्नगत भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है । अतः हटाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुकरैल नाला सेतु फैजाबाद मार्ग से गोमती बैराज के पुल पर पथकर का मामला

70–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कुकरैल नाला सेतु फैजाबाद मार्ग से गोमती बैराज के पुल पर पथकर वसूली की गयी है ? यदि हां, तो क्या पुल का आगणन बनाया गया तथा शासन ने कितनी धनराशि की स्वीकृति दी थी ? कुल कितनी लागत में बना था तथा माहवार पथकर वसूली करके अब तक कितनी राजस्व की वसूली की गयी ? माहवार वसूली में कमी व अधिकता का क्या औचित्य था ? क्या आकस्मिक चेकिंग के दिन राजस्व में बढ़ोत्तरी हुई ? यदि हां, तो किन-किन तिथियों में कितनी-कितनी धनराशि की बढ़ोत्तरी हुई तथा सामान्य दिनों में कम राजस्व की वसूली से शासन को कितनी हानि हुई ? क्या सरकार लापरवाह अधिकारियों को दण्डित कर राजस्व हानि की वसूली करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

रिंग रोड के निर्माण के लिए शासन द्वारा रु० 25.00 लाख की स्वीकृति दी गयी थी, उ० प्र० राज्य सेतु निगम द्वारा रु० 20.50 लाख पर प्राविधिक स्वीकृति दी गयी । पुल पर वास्तविक रूप से 20.93 लाख का व्यय हुआ ।

पुल की लागत, ब्याज एवं कर्मचारियों पर हुये व्यवस्थापन व्यय आदि को सम्मिलित करते हुये कुल रु० 60.03 लाख की वसूली की गयी है ।

पथकर वसूली में कमी/अधिकता यातायात पर निर्भर करती है ।

आकस्मिक चेकिंग व सामान्य दिनों के राजस्व में साधारण अन्तर है । यह अन्तर वाहनों के आवागमन के ऊपर निर्भर करता है । की गयी आकस्मिक चेकिंग का विवरण ।

परिशिष्ट 'क' के रूप में संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 189 पर)

जनपद इलाहाबाद चायल क्षेत्र में राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोलने की मांग

71–श्री शिवदानी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद के चायल क्षेत्र मेंएक भी राजकीय बालिका इण्टर कालेज नहीं है । क्या शिक्षा के अभाव में ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार, उक्त क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में क्रमशः सराय अकिल व चायल-मूरतगंज में एक-एक राजकीय बालिका विद्यालय की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

यद्यपि चायल क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय बालिका इण्टर कालेज नहीं है परन्तु चायल क्षेत्र के ही नगरीय क्षेत्र में राजकीय बालिका इंटर कालेज, इलाहाबाद संचालित है।

जी नहीं, ग्रामीण क्षेत्र की बालिकायें बालकों के इस विद्यालय में ही शिक्षा ग्रहण कर रही हैं ।

जी नहीं, सीधे राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोलने की कोई योजना संचालित न होने के कारण ।

जनपद इलाहाबाद के चायल क्षेत्र अधूरे सम्पर्क मार्गों को पूरा कराने की मांग

72–श्री शिवदानी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के चायल क्षेत्र के अन्तर्गत 5 अधूरे सम्पर्क मार्गों को पूरा कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव पी० डब्लू० डी० के पत्रांक 1129 (वी० आई० पी०) दिनांक 24-2-94 को पत्र भेजा था ? क्या आज तक किसी भी मार्ग पर धन का आवंटन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में अर्द्धनिर्मित मार्गों पर धन आवंटन क्यों नहीं किया गया ?

सुश्री मायावती–

जी हां, चार मार्गों के निर्माण हेतु ।

यह जिला योजना के कार्य हैं इनकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा दी जाती है । तीन मार्गों पर जिला योजना/डी०आ०डी०ए० से केवल 5-7 कि०मी० लेपित स्तर तक निर्माण करने

हेतु 22.34 लाख अनुदान प्राप्त हुआ जिसमें 2 कि०मी० का लेपन पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगति पर है।

हरिद्वार शहर के मध्य नहर के ऊपर पुल बनाये जाने की योजना तुरन्त लागू करने की मांग

73–आचार्य जगदीश मुनि–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार शहर के बीचोबीच नहर के ऊपर एक पुल बनाने के लिए एस० एम० जे० एन० कालेज के सामने अर्द्धकुम्भ मेला, 1992 में योजना बनी थी ? यदि हां, तो उसका क्रियान्वयन न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी उक्त योजना को पूरा करायेंगे ? क्या उक्त योजना मेला हाईपावर कमेटी के द्वारा भी स्वीकृत की जा चुकी है ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

धनाभाव के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जी हां।

बुन्देलखण्ड इंजीनियरिंग कालेज के निर्माण में अधिग्रहीत की गयी किसानों की भूमि के बदले म प्रत्येक परिवार को रोजगार दिये जाने की मांग

74–श्री रतनलाल अहिरवार–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में बुन्देलखण्ड इंजीनियरिंग कालेज में किन-किन किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गयी हैं ? क्या उनके परिवार के सदस्यों को कोई रोजगार दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

बुन्देलखण्ड इंजीनियरिंग कालेज के लिए 72 किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गई थी जिसकी सूची संलग्न है।

उक्त किसानों के परिवारों से एक सदस्य श्री चरण सिंह पुत्र श्री रघुनन्दन सिंह को उनकी योग्यता एवं पात्रता के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के पद पर दिनांक 23-10-91 को नियुक्त कर लिया गया था।

चार अभ्यर्थियों ने क्रय सहायक, मैकेनिक ग्रेड 'ए' एवं क्लर्क कम टाइपिस्ट पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हताएं न धारित करने के कारण रोजगार नहीं दिया जा सका।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 190–191 पर)

इटावा जनपद राजकीय निर्माण निगम की इकाईयों को प्रदत्त धन के अनुरूप कार्य न होने की शिकायत

75–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जनपद में राजकीय निर्माण निगम की 6 इकाइयां स्थापित हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि हर यूनिट को पांच-पांच करोड़ रुपये दिये गये हैं, जिसका उपयोग दिनांक 31 मार्च, 1995 तक होना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश के अन्य नगर निगमों

एवं पिछड़े जिलों के विकास के लिए धन दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं ।

76–श्री राम आसरे वर्मा–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

77–श्री घनश्याम शुक्ल–

[दि० 31-7-95 को अता० प्र० सं०-113 द्वारा उत्तरित ।

सहारनपुर नगर में चल रही अंग्रेजी/देशी शराब की दुकानें निर्धारित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप न चलने की शिकायत

78–श्री लाज कृष्ण गांधी–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1995-96 के लिए सहारनपुर नगर के किन मोहल्लों/बाजारों के निमित्त अंग्रेजी अथवा देशी शराब की दुकानों की नीलामी की गयी थी ? क्या प्रत्येक मोहल्ले/बाजार की शराब की दुकान नीलामी किये जाने से पूर्व शासन क अनुमति प्राप्त की गई थी ? यदि हां, तो उक्त शासनादेश की संख्या व दिनांक क्या है ? क्या नगर में नीलाम की गई शराब की दुकानें शर्तें एवं निर्देशों के अनुरूप संबंधित मोहल्लों/बाजारों में ही चलाई जा रही हैं ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 95-96 में सहारनपुर नगर के निम्नलिखित मोहल्लों/बाजारों में चयनित स्थलों पर देशी शराब की 17 तथा विदेशी मदिरा की 17 दुकानों हेतु नीलामी की गई ।

देशी शराब दुकान–	विदेशी मदिरा दुकान
1–अम्बाला रोड–2	1–अम्बाला रोड–1
2–अम्बाला रोड–2	2–अम्बाला रोड–2
3–रेलवे रोड	3–रेलवे रोड
4–खलासी लाइन	4–पुराना बजाजा
5–दिल्ली रोड	5–देहरादून चौक
6–शुगरमिल बाजार	6–अम्बाला रोड–3
7–कोर्ट रोड	7–खलासी लाइन
8–सूरज विहार	8–दिल्ली रोड
9–लुहानी सराय	9–कोर्ट रोड

10–भटियारी सराय	10–चौक घंटाकर
11–पुरई का पुरवा	11–प्रताप मार्केट
12–पुलखमरान	12–चकराता रोड
13–बेहटा अड्डा	13–मण्डी समिति
14–हिम्मतनगर	14–शहीदगंज
15–शान्ती नगर	15–हिम्मतनगर
16–पुरानी सब्जीमंडी	16–बेहट अड्डा
17–देहरादून चौक	17–नुमाइश कैम्प

सहारनपुर नगर में उपरोक्त विवरण में उल्लिखित देशी शराब की समस्त 17 दुकानें तथा विदेशी मदिरा की क्रमांक–1 से लेकर क्रमांक–15 तक की उल्लिखित दुकानें पहले से ही स्वीकृत/कार्यरत थीं। पूर्व से स्वीकृत एवं कार्यरत शराब की दुकानों की वार्षिक नीलामी के लिए प्रतिवर्ष शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं होता, परन्तु यदि नई दुकानों के सृजन का औचित्य पाया जाता है तो शासन का पूर्वानुमोदन आवश्यक होता है। दुकानों के स्थल निर्धारण के लिए जिलाधिकारी सक्षम एवं अधिकृत है। जनपद सहारनपुर के लिए शासनादेश संख्या–319 ई–2/तेरह–95–1/94 दिनांक 22-2-1995 द्वारा देशी शराब की पांच तथा विदेशी मदिरा की तीन नई दुकानें सृजित की गई हैं। जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 22-2-1995 द्वारा सृजित की गई तीन विदेशी मदिरा की दुकानों में से दो दुकानें सहारनपुर नगर के बेहट अड्डा एवं नुमाइश कैम्प में स्थल निर्धारित करकर वर्ष 1995-96 हेतु पुराने दुकानों के साथ नीलामी कराई गई है। सहारनपुर नगर में वर्ष 1995-96 में नीलामी की गई शराब की उपरोक्त समस्त दुकानें निर्धारित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप सम्बन्धित मोहल्लों/बाजारों में चयनित स्थलों पर ही चल रही हैं।

79–श्री घनश्याम शुक्ल–

[दिनांक 31-7-95 को अता० प्र० सं०-114 द्वारा उत्तरित]

सांसदों की भांति विधायकों को भी कम्प्यूटर ट्रेनिंग दिये जाने की सरकार की योजना

80–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सांसदों की भांति विधायकों को भी कम्प्यूटर की शिक्षा (ट्रेनिंग) दिलायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मा० विधायकों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिलाये जाने का कोई प्रकरण सम्प्रति विचाराधीन नहीं है। "प्रश्न नहीं उठता।"

जनपद बस्ती में बालिका प्राइमरी पाठशाला के निर्मित नवीन भवन में शिक्षण कार्य किये जाने की मांग

81-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पचवस वि० खण्ड विक्रमजोत जनपद बस्ती में बालिका प्राइमरी पाठशाला का भवन दो वर्ष से अधिक समय से पूर्व बन कर तैयार है परन्तु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उस भवन को नहीं ले रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक इस भवन को लेकर उसमें पाठशाला का स्थानान्तरण होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

जी हां ।

जी नहीं ।

उक्त भवन ग्राम प्रधान तथा प्रधानाध्यापिका द्वारा बनवाया गया है तथा निर्माणोपरान्त विद्यालय संचालित है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरिद्वार में ज्वालापुर से लक्सर मार्ग पर आवागमन की कठिनाई को दूर करने की मांग

82-आचार्य जगदीश मुनि-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत ज्वालापुर से लक्सर मार्ग जो कि पुरकाजी होते हुए दिल्ली मार्ग को जोड़ता है, पर अत्यधिक आवागमन होने के कारण काफी दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को डबल मार्ग बनवाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

ज्वालापुर-लक्सर मार्ग एक लेन चौड़ा होने के कारण यातायात के आवागमन में कठिनाई होता है ।

उक्त मार्ग को दो लेन चौड़ा करने की स्वीकृति संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपर्युक्तानुसार ।

पूर्णानन्द जनता इण्टर कालेज मुनिका रेति, टिहरी गढ़वाल की इण्टर कक्षा में विज्ञान एवं गणित की मान्यता की मांग

83-श्री मातबर सिंह कण्डारी-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्णानन्द जनता इण्टर कालेज मुनिका रेति, टिहरी गढ़वाल में विज्ञान एवं गणित की मान्यता इण्टर कक्षा में देने हेतु जनता विगत कई वर्षों से मांग करती आ रही है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि इस विद्यालय को विज्ञान एवं गणित की मान्यता नहीं दी जा रही है ? क्या सरकार उक्त विद्यालय को विज्ञान व गणित की मान्यता दिलायेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

संस्थाधिकारी द्वारा वर्ष 1992 की परीक्षा से इण्टर वैज्ञानिक अनि० वर्ग की मान्यता हेतु आवेदन किया गया था जिसे माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रतिबन्ध की पूर्ति न करने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है । संस्थाधिकारी द्वारा पुनः आवेदन करने पर परिषद् द्वारा नियमानुसार मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी ।

जनता राष्ट्रीय इण्टर कालेज, करहां, जनपद मऊ द्वारा हाई स्कूल परीक्षा 1994 के अनुक्रमांक-0977149 में अंकित त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि को ठीक करने हेतु प्रेषित पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

84–श्री धामू राम भास्कर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता राष्ट्रीय इण्टर कालेज, करहां, जनपद मऊ द्वारा हाईस्कूल परीक्षा, 1994 के अनुक्रमांक-0977149 में अंकित त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि 05-11-1974 के स्थान पर सही जन्मतिथि 05-11-1979 अंकित किए जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-3-95 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सही जन्मतिथि अंकित करके प्रत्यावेदक को सूचित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक सूचित किया जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रश्नकर्ता का संदर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु किसी एक अन्य मा० विधायक का पत्र दिनांक 9-3-95 प्राप्त हुआ है ।

जी नहीं ।

प्रकरण पर कार्यवाही की जा रही है ।

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० में नियुक्त स्थानिक अभियन्ताओं की प्रोन्नति में हुई अनियमितता का मामला

85–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० में नियुक्त स्थानिक अभियन्ताओं की शासन द्वारा स्वीकृत वरिष्ठता सूची में से कनिष्ठ क्रम पर अंकित अभियन्ताओं को अपर परियोजना प्रबन्धक (विद्युत) पर प्रोन्नति कर दिया गया है ? यदि हां, तो वरिष्ठता सूची में वरिष्ठक्रम पर अंकित अभियन्ताओं को अब तक नोशनल प्रोन्नति न दिये जाने का कारण क्या है ?

सुश्री मायावती–

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत सभी संवर्गों के कर्मियों/अधिकारियों की वरिष्ठता सूची निदेशक मण्डल के द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुरूप बनाई गई है । वरिष्ठता सूची को शासन द्वारा स्वीकृत कराने का प्राविधान नहीं है । स्थानिक अभियन्ता (विद्युत) से अपर-परियोजना प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति तत्समय सेवा नियमों के अन्तर्गत की गई थी, जिसके कारण वर्तमान वरिष्ठता सूची में अंकित कनिष्ठ स्थानिक अभियन्ताओं की पदोन्नति अपर परियोजना प्रबन्धक के पद पर की गई ।

सेवा नियमावली में ज्येष्ठता निर्धारण के नियमों का समावेश उपरोक्त पदोन्नतियां करने के उपरान्त किया गया तथा इन नियमों को नियमानुसार पूर्व तिथि से लागू किया जाना सम्भव नहीं है । अतः वरिष्ठता सूची में वरिष्ठ क्रम पर अंकित अभियन्ताओं को पूर्व तिथि से नये नियमों के अनुसार नोशनल प्रोन्नति नहीं दी जा सकती है ।

आबकारी दुकानों पर दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के प्राविधान न लागू होने के कारणों की जानकारी

86–श्री लाज कृष्ण गांधी–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शराब की दुकान खोलने व बन्द करने, साप्ताहिक अवकाश एवं राष्ट्रीय व धार्मिक पर्वों पर अवकाश के निमित्त दुकान व वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के प्राविधान लागू होते हैं ? यदि हां, तो क्या नगर सहारनपुर में उक्त अधिनियम के प्राविधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही कर शराब की दुकानों का निर्धारित समय पर खोला जाना, बन्द किया जाना, साप्ताहिक अवकाश किया जाना तथा राष्ट्रीय धार्मिक पर्वों पर अवकाश किया जाना सुनिश्चित किया गया है ? यदि हां, तो वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 में उक्त अधिनियम के तहत कितने शराब विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ? क्या अब शराब विक्रेताओं द्वारा उक्त अधिनियम के प्राविधानों का अक्षरशः पालन करना आरम्भ कर दिया गया है ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

आबकारी दुकानों पर दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के प्राविधान लागू नहीं होते, वरन् उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 एवं तद्धीन अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत आबकारी दुकानों के खुलने व बन्द होने का समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक निर्धारित है तथा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), गांधी जयन्ती (2 अक्टूबर) एवं गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के अलावा अम्बेदकर जयन्ती (14 अप्रैल) को आबकारी दुकानें पूर्णतया बन्द रखी जाती है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड झंझारी, विकास खण्ड पंडरी कृपाल विकास खण्ड तरबगंज एवं विकास खण्ड बजीरगंज में प्राइमरी पाठशालाएं खोलने की मांग

87–श्री तुलसी दास राय चन्दानी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड झंझारी, विकास खण्ड पंडरी कृपाल, विकास खण्ड तरबगंज एवं विकास खण्ड बजीरगंज में कितने राजस्व ग्राम में प्राइमरी पाठशालायें नहीं है ? क्या इन ग्रामों में प्राइमरी पाठशालायें खोलने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सुखदेव राजभर–

राजस्व ग्राम स्तर पर प्राइमरी विद्यालय खोलने का मानक नहीं है ।

वर्ष 1994-95 से तीन वर्ष में प्रत्येक ग्राम सभा में एक प्राथमिक पाठशाला खोलने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके अनुक्रम में वर्ष 1995-96 में जनपद गोण्डा में 68 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनपद में किस स्थान पर विद्यालय खोला जाए इसका निर्णय संबंधित जनपद की जिला शिक्षा समिति द्वारा लिया जाता है।

बांसी-धानी जिला बस्ती मार्ग निर्माण में अध्याप्ति किसानों की जमीन का मुआवजा देने की मांग

88-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांसी धानी मार्ग का निर्माण कब से शुरू हुआ है ? इसके लिये किस-किस गांव के किसानों की भूमि ली गई है ? क्या इसका मुआवजा किसानों को दिया गया ? किन गांवों के किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है और क्यों ?

सुश्री मायावती-

बांसी धानी मार्ग का निर्माण 12/76 में शुरू किया गया था। इस मार्ग के निर्माण के लिये रिसहनियां, डडिया, विशुनपुर नाहट, सेमरा मुस्तहकम् तथा बड़हरा गांवों के किसानों की भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की गयी।

जी हां।

सभी किसानों को जिनकी भूमि अध्याप्ति की गई, मुआवजा दे दिया गया है। कोई मुआवजा देना शेष नहीं है।

पर्वतीय क्षेत्र के हाईस्कूल/इण्टर कालेजों में गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी के अध्यापकों का अभाव

89-डा० रमेश पेखरियाल "निशंक"-

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में कितने हाईस्कूल/इण्टर कालेज ऐसे हैं जहां तीन-तीन वर्षों से गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी के अध्यापक नहीं हैं ? इन विद्यालयों में कब तक अध्यापकों की व्यवस्था ठीक कर दी जायेगी ?

श्री सुखदेव राजभर-

सूचना एकत्र की जा रही है।

स्वामी सेवानन्द सरस्वती पूर्व माध्यमिक विद्यालय सलेमपुर पहरा जनपद शाहजहांपुर को हाईस्कूल मान्यता दिये जाने की मांग

90-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनांक 3-1-95 को स्वामी सेवानन्द सरस्वती पूर्व माध्यमिक विद्यालय सलेमपुर पहरा जनपद-शाहजहांपुर को हाईस्कूल की मान्यता प्रदान

करने के संबंध में मुख्य मंत्री जी को दिया था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री ने सचिव, माध्यमिक शिक्षा को आदेशित किया था कि धारा 9 (4) के अन्तर्गत उल्लिखित माध्यमिक विद्यालय को मान्यता दी जाय ? यदि हां, तो सचिव माध्यमिक शिक्षा ने उपरोक्त विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार उपरोक्त विद्यालय की मान्यता शीघ्र दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

प्रश्नकर्ता का संदर्भित विद्यालय को मान्यता दिये जाने के संबंध में मा० मुख्य मंत्री जी को संबोधित एक पत्र दिनांक 28-12-94 शासन को प्राप्त हुआ ।

जी हां ।

संदर्भित विद्यालय का प्रकरण मान्यता समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च, 95 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था । लेकिन विद्यालय द्वारा सज्जा, शिक्षण सामग्री भवन, सुरक्षित कोष आदि के संबंध में मानकों की पूर्ति न किये जाने के कारण परिषद् द्वारा मान्यता अस्वीकृत कर दी गई ।

आवेदित मान्यता हेतु मानकों की पूर्ति किये जाने के उपरान्त मान्यता दिये जाने पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मंगला प्रसाद उपाध्याय अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य इण्टर कालेज नेवढ़िया जिला जौनपुर के अवशेष वेतन के भुगतान का मामला

91–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंगला प्रसाद उपाध्याय अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य इण्टर कालेज नेवढ़ियां जिला जौनपुर के अवशेष वेतन के भुगतान का निस्तारण लोक शिकायत अनुभाग–5 से किया गया ? क्या यह सही है कि मंगला प्रसाद उपाध्याय ने लोक शिकायत अनुभाग–5 में लिखित शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

जी हां ।

कार्यवाही की जा रही है ।

पिंडरा कठिरांव मड़ियाहू राजकीय मार्ग जिला वाराणसी एवं जिला जौनपुर की खराब मार्ग को ठीक कराने की मांग

92–श्री ऊदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि पिंडरा कठिरांव मड़ियाहूं राजकीय मार्ग जिला वाराणसी एवं जिला जौनपुर की हालत बहुत खराब है और बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत कराने का आदेश देगी ?

सुश्री मायावती–

पिंडरा–कठिरांव मड़ियाहूं मार्ग की वर्तमान हालत संतोषजनक है । जनपद जौनपुर के भाग मे दबक है ।

दबक की मरम्मत उपलब्ध संसाधनों से यथा समय कराया जाता है ।

93–श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

। न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

श्री विश्वनाथ सिंह शिविर सहायक कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध शिकायतों के बाद भी स्थानान्तरण रद्द करने का मामला

94–श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विश्वनाथ सिंह शिविर सहायक कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध जनपद के जनप्रतिनिधियों द्वारा गंभीर शिकायतों के आधार पर दो वर्ष के अन्दर उनका तीन बार स्थानान्तरण किया गया ? यदि हां, तो स्थानान्तरण निरस्त करने के क्या कारण थे ? क्या सरकार उसके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं, केवल दो बार स्थानान्तरण किया गया ।

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक गोरखपुर द्वारा दिनांक 14-6-94 को वार्षिक प्रबन्ध में किये गये पहले स्थानान्तरण को जिलाधिकारी की पूर्वानुमति न मिलने तथा तकनीकी कारण से आदेश दिनांक 22-8-94 द्वारा उक्त स्थानान्तरण स्थगित किया गया था ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में बौद्धपथ के निर्माण एवं पायल में ब्रिज डिस्मेल्ड पर लाखों रुपयों के फर्जी भुगतान आदि का मामला

95–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31 मार्च, 1994 से आज तक गोण्डा जनपद के किन-किन मा० विधायकों के प्रान्तीय खण्ड/विभागीय निर्माण इकाई लोक निर्माण विभाग

गोण्डा के अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षक एस०डी०ओ० बलरामपुर सहायक अभियन्ता बलरामपुर के विरुद्ध बौद्ध-पथ के निर्माण के संबंध में तथा पायल डिस्मेल्ड करके लाखों रुपये की लकड़ियों को गायब करने तथा मरम्मत के नाम पर पायल ब्रिजों पर फर्जी भुगतान के संबंध में पत्र प्राप्त हुए हैं और विजिलेन्स से जांच कराने के लिए मा० मंत्री प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग तथा प्रमुख अभियन्ता उ० प्र० से अनुरोध किया गया है ? सरकार द्वारा जांच किस एजेन्सी से करायी जा रही है ? जांच में कौन-कौन लोग दोषी पाये गये ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है ?

सुश्री मायावती–

बौद्ध-पथ के निर्माण के सम्बन्ध में मा० विधायक श्री विनय कुमार पाण्डेय दिनांक 2-5-1994 एवं मा० विधायक श्री रिजवान जहीर खां एवं श्री विनय कुमार पाण्डेय का संयुक्त पत्र दिनांक 26-5-1994 प्राप्त हुये हैं । पायल ब्रिज डिस्मेल्ड करने के संबंध में मा० विधायक श्री रिजवान जहीर खां एवं विनय कुमार पाण्डेय का संयुक्त पत्र दिनांक 26-5-1994 तथा मा० विधायक डा० शिव प्रताप यादव का पत्र दिनांक 5-8-1994 प्राप्त हुये हैं ।

बौद्ध-पथ के निर्माण में की जा रही अनियमितता की शिकायतों की जांच टी०ए०सी० एवं विभागीय अधिकारियों से कराने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं जबकि पायल ब्रिज डिस्मेंल्ड करके की जा रही अनियमितताओं की शिकायतों की जांच विभागीय अधिकारियों से कराने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

जांचोपरान्त जो अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये जाते हैं उनके विरुद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है ।

प्रदेश में स्नातक/परास्नातक कक्षाओं को संचालित करने वाले महाविद्यालयों की जनपदवार सूची की जानकारी

96–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० में वर्ष 1993 में कितने स्नातक कक्षाओं और परास्नातक कक्षाओं को संचालित करने वाले जनपदवार महाविद्यालय थे तथा उनकी संख्या वर्ष 1994 से वर्ष 1995 में जनपदवार कितनी हुई ? बढ़े हुए महाविद्यालय की सूची क्या है ? क्या सरकार उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महाविद्यालय की संख्या बढ़ाकर बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु सुगमता प्रदान करने की कृपा करेगी ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में जनपदवार, ब्लाकवार असेवित क्षेत्रों में लड़कियों के इण्टर कालेजों की सूची एवं नव स्थापित विद्यालयों के लिए सरकारी सहायता की जानकारी

97–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० में जनपदवार व ब्लाकवार कितने-कितने असेवित क्षेत्र मानकर लड़कियों के इण्टर कालेज वर्ष 1994 व 1995 में स्थापित हुए हैं ? उन नव स्थापित विद्यालयों के लिए सरकार की ओर से क्या-क्या योगदान दिया गया है ?

श्री सुखदेव राजभर–

वर्ष 1994 में कोई कन्या विद्यालय इन ब्लाकों में स्थापित नहीं हुए बल्कि वित्तीय वर्ष 1994-95 में 38 जनपदों के 100 असेवित विकास खण्डों में कन्या हाईस्कूल/इण्टर कालेजों की स्थापना हेतु स्वीकृति दी गयी है ।

उक्त नव स्वीकृत विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालयों प्रथम किस्त के रूप में रु० 5.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है जो शिक्षा निदेशक (मा०) के पी०एल०ए० में जमा है ।

श्री डी० के० सिंह अधि० अभि०, प्रान्तीय खण्ड, बाराबंकी द्वारा ड्रमोंपर पेंटिग आदि में फर्जी भुगतान का मामला

98–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि श्री डी० के० सिंह, अधि० अभि०, प्रान्तीय खण्ड, बाराबंकी ने बाण्ड संख्या 29 अ० अ०, दिनांक 3-3-94 द्वारा रु० 62,000 का हेड 5054 स्टाक पर लेटर पेंटिंग के नाम पर फर्जी भुगतान किया था ? यदि नहीं, तो ड्रमों पर पेंटिंग कब करायी गयी ? क्या पेंटिंग किये गये खाली/भरे ड्रम स्टोर में उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो उनकी नीलामी कब-कब की गयी किस-किस अवर अभि० को कब-कब स्टोर से ईशू किये गये ? क्या स्टोर कीपर द्वारा ईशू किये गये गेटपास की पर्ची सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

ड्रमों पर पेंटिंग फरवरी, 1994 में करायी गयी थी ।

जी नहीं ।

विवरण संलग्न है ।

स्टोर कीपर द्वारा गेट पास जारी नहीं किया जाता है । अतः उनके द्वारा निर्गत किये गये गेट पासों को सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृ० 192–194 पर)

उत्तरांचल में पूर्ण मद्य निषेध लागू करने का मामला

99-मातबर सिंह कण्डारी-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में पूर्ण मद्य निषेध लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि उत्तरांचल में शराब की दुकानें प्रतिवर्ष खोली जा रही हैं ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विजयराम भारद्वाज वरिष्ठ लिपिक अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग कोटद्वार जिला टिहरी की सेवाकाल में मृत्यु के कारण तक आश्रितों को सहायता देने की मांग

100-श्री शूरवीर सिंह सजवाण-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि श्री विजयराम भारद्वाज वरिष्ठ लिपिक जो अस्थाई निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कोटद्वार जिला टिहरी गढ़वाल में सेवारत थे, की दिनांक 17-8-1994 को सेवाकाल के दौरान मृत्यु हुई थी ? यदि हां, तो क्या उनकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन जी०पी०एफ० तथा अन्य देय धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उनके अश्रितों को योग्यतानुसार नौकरी भी प्रदान करेगी ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

जी हां । पारिवारिक पेंशन स्वीकृत हो चुकी है । ग्रेच्युटी का भुगतान हो चुका है । जी०पी०एफ० 90 प्रतिशत का भुगतान हो चुका है व शेष 10 प्रतिशत भुगतान हेतु महालेखाकार को प्रकरण स्वीकृत हेतु संदर्भित किया जा चुका है । अवकाश के नकदीकरण का भुगतान हो चुका है व सामूहिक बीमा के भुगतान हेतु निदेशालय को प्रकरण स्वीकृत हेतु भेजा जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मृतक आश्रित सेवा नियमावली के परिधि के अन्तर्गत ही आश्रित को नौकरी दी जाती है ।

शिक्षा विभाग में अधिकारी स्तर के रिक्त पदों की जानकारी व वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति किये जाने की मांग

101-श्री शारदानन्द अंचल-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा विभाग में निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर के कितने-कितने पद रिक्त हैं ? क्या वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

शिक्षा विभाग में निदेशक के 5, अपर निदेशक के 7, संयुक्त निदेशक के 2 तथा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं समकक्ष स्तर के 35 पद रिक्त हैं हालांकि अधिकांश पदों पर अधिकारी तदर्थ रूप से कार्यरत हैं।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

102–श्री जमुना प्रसाद मिश्र–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

103–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

[5वें बुधवार में अता० प्र० सं०–65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

दारूलशफा लखनऊ स्थित ब्लाकों में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण नीति की जानकारी

104–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दारूलशफा, लखनऊ स्थित ए, बी तथा सी ब्लाकों में अनुरक्षण खण्ड–2 (सिविल) तथा अनुरक्षण खण्ड–1 (विद्युत) के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी तीन वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या इनके स्थानान्तरण के संबंध में कोई स्थानान्तरण नीति अपनाई गयी है ? यदि हां, तो स्थानान्तरण नीति क्या है और क्या उसका अनुपालन समय से किया जा रहा है ? तीन वर्ष से अधिक कार्यरत कर्मचारियों को कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति इस प्रकार है :–

सि० अनु० खं०–2	वि० अनु० खं० 1
तृतीय श्रेणी–1	1
चतुर्थ श्रेणी–26	10

जी हां।

तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए स्थानान्तरण नीति अपनाई जाती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए स्थानान्तरण नीति निर्धारित नहीं है।

स्थानान्तरण नीति संलग्न है। †

अनुपालन यथा सम्भव समय से किये जाने का प्रयत्न किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

---

† छापी नहीं गयी।

जूनियर हाई स्कूलों की अ श्रेणी मान्यता हेतु रखी गयी शर्तों की जानकारी

105–श्री ऊदल–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के प्रथम सोमवार दिनांक 7-3-94 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–12 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूलों की "अ" श्रेणी मान्यता के लिए शासनादेश दिनांक 2-7-90 तथा 11-5-92 में प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक वर्ग के लिए 20 x 25 फीट तथा सामान्य विज्ञान और कृषि के लिए 20 x 30 फीट के आकार के पक्के कमरे की शर्त का उल्लेख किया गया है ? क्या खपरैल, टिनशेड, एस्बेस्टस शीट से छाये हुए पक्की दीवार वाले कमरों को पक्का कमरा माना जायेगा ? क्या हाई स्कूल की मान्यता के लिए खपरैल, टिनशेड, एस्बेस्टस शीट से छाये हुए पक्की दीवार वाले कमरे अब भी मान्य हैं ? क्या दिनांक 2-7-90 तथा 11-5-92 के शासनादेशों के पूर्व जूनियर हाई स्कूलों में भी खपरैल, टिनशेड या एस्बेस्टस शीट से छाये हुए कमरे मान्य थे ? क्या शिक्षा मंत्री ने दिनांक 7-3-94 के नियमों को शिथिल करने हेतु विचार करने के लिए सदन में आश्वासन दिया था ? क्या सरकार ने भवन संबंधित नियमों को शिथिल करके और उदार बनाया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

जी हां ।

आवश्यकतानुसार विचार करने का आश्वासन दिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अभी उक्त नियम को शिथिल करने पर विचार नहीं हुआ है शीघ्र पुनर्विचार कर लिया जायेगा ।

मनकापुर तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट स्थापित किये जाने की मांग

106–श्री राम विशुन आजाद–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मनकापुर तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट स्थापित करने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस संबंध में कार्यवाही कब तक हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मा० उच्च न्यायालय ने तहसील मनकापुर में आवासिक/अनावासिक भवनों, हवालात, मालखाना, लाइब्रेरी आदि के अभाव में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय खोले जाने के प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की है।

फौजदारी के मुकदमों की तरह दीवानी (माल) के भी मुकदमें दायर करने हेतु नीति निर्धारण की मांग

107–श्री धनराज यादव–

क्या न्याय मंत्री को जानकारी है कि प्रत्येक वर्ष जून के महीने में दीवानी न्यायालय बन्द रहते हैं किन्तु फौजदारी के आवश्यक विवादों को निपटाने हेतु न्यायालय की व्यवस्था रहती है ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि दीवानी न्यायालय बन्द होने का फायदा उठाते हुए शक्तिशाली लोग दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं ? यदि हां, तो क्या फौजदारी के मुकदमों की तरह उक्त माह में दीवानी (माल) के भी मुकदमें दायर करने हेतु सरकार कोई नीति निर्धारित करेगी ?

सुश्री मायावती–

बंगाल, आगरा और आसाम सिविल कोर्ट एक्ट, 1887 की धारा–15 की उपधारा 3 के अन्तर्गत दीवानी न्यायालय, उक्त उपधारा में दिये गये विधान के कारण न्यायालय के अवकाश के दिनों में भी आवश्यक मामलों में न्यायालय की अनुमति से मुकदमों की सुनवाई कर सकती है। अतः इस विधान के अनुसार माह जून के दौरान भी मुकदमों की सुनवाई हो सकती है।

अवकाश की अवधि में दीवानी (माल) के मुकदमें दायर करने के लिए किसी नीति का निर्धारण आवश्यक नहीं है।

श्री शिवमूरत द्विवेदी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक प्राइमरी पाठशाला पिड़िया ब्लाक नाथनगर तहसील खलीलाबाद बस्ती की बकाया पेंशन एरियर का भुगतान किये जाने की मांग

108–श्री राधेश्याम गुप्ता–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिवमूरत द्विवेदी, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, पिड़िया ब्लाक नाथनगर, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती निवासी ग्राम दुबौली पास बुक संख्या–7392 का पेंशन एरियर वर्ष 1986 से बकाया है ? यदि हां, तो उक्त पेंशन एरियर व बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं।

भुगतान किया जा चुका है।

श्री सरदार पटेल इण्टर कालेज, रूम, खेरहट खुर्द, इलाहाबाद के प्रधानाचार्य द्वारा सरकारी खजाने से अवैध ढ़ंग से धन निकाले जाने की जानकारी

109–श्री राम सेवक सिंह (इलाहाबाद)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सरदार पटेल इण्टर कालेज, रूम, खेहरट खुर्द, इलाहाबाद के प्रधानाचार्य श्री लाल बहादुर सिंह जिन्होंने गलत तरीके अपनाकर ग्रीन कार्ड के माध्यम से विशेष वेतनवृद्धि लेकर रु० 4500 आहरित किया था क्या उक्त धन की वापसी माह जुलाई, 1994 में उनके वेतन से कर ली गयी है ? क्या सरकारी खजाने से अवैध ढंग से धन निकालने के अपराध में उनको दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसके लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जी हां ।

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य का नियुक्ति प्राधिकारी प्रबन्धाधिकरण होता है अतः जिला विद्यालय निरीक्षक इलाहाबाद को निर्देश दिये जा चुके हैं कि वे प्रबन्धाधिकरण को निर्देशित करें कि प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही करें साथ ही स्पष्टीकरण दें कि गलत ग्रीन कार्ड के आधार पर विशेष वेतन वृद्धि का प्रकरण जिला विद्यालय निरीक्षक को स्वीकृति हेतु क्यों भेजा गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सरदार पटेल इण्टर कालेज, रूम, खेरहट खुर्द, इलाहाबाद के सहायक अध्यापकों के वेतन निर्धारण के फलस्वरूप बने एरियर के भुगतान न किये जाने की जानकारी

110–श्री राम सेवक सिंह (इलाहाबाद)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सरदार पटेल इण्टर कालेज, रूम, खेहरट खुर्द, इलाहाबाद के श्री हजारी लाल सिंह स० अ० को वेतन निर्धारण के फलस्वरूप बने एरियर माह फरवरी, 1980 से अप्रैल, 1986 तक रु० 894.80 व श्री सुरेन्द्र नाथ गुप्त स० अ० को माह जनवरी, 1986 से नवम्बर, 1994 तक वेतन निर्धारण के फलस्वरूप बने एरियर का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसके लिए दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

विद्यालय के प्रबन्धतन्त्र द्वारा प्रश्नगत अवधि के अवशेष देयक जिला विद्यालय निरीक्षक इलाहाबाद के कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

प्रश्नगत विद्यालय का प्रबन्धतन्त्र दोषी है, अतः अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पौड़ी गढ़वाल में न्याय विभाग में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी व भा० द० सं० की धारा 363 व 366 के पुलिस द्वारा दाखिल किये गये वादों की जानकारी

111–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या न्याय मंत्री को जानकारी है कि जिला पौड़ी गढ़वाल में न्याय विभाग में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी में कुल कितने कर्मचारी सेवारत हैं तथा कितने न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा जज कार्यरत हैं ? इस जनपद में माह 1 जनवरी, 1992 से 31 दिसम्बर, 1992 तक कुल कितने मामले भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 व 366 के पुलिस द्वारा न्यायालय में दाखिल किये गये ? उनमें से कितनों पर निर्णय हुआ, कितने विचाराधीन हैं और इनको लम्बित रखने का क्या कारण है ?

सुश्री मायावती–

जनपद पौड़ी गढ़वाल जजशिप में तृतीय श्रेणी के 42 तथा चतुर्थ श्रेणी के 48 कुल 90 कर्मचारी सेवारत हैं ।

एक जिला जज, एक सिविल जज, एक सी० जे० एम० एवं 3 मुंसिफ मजिस्ट्रेट कुल 6 न्यायिक अधिकारी कार्यरत हैं ।

1 जनवरी, 1992 से 31 दिसम्बर, 1992 तक धारा 363 व 366 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पुलिस द्वारा कुल 4 मामले न्यायालय में दाखिल किये गये ।

उक्त सभी 4 वादों का निस्तारण हो चुका है और कोई वाद लम्बित नहीं है ।

जनपद देवरिया के माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के रोके गये वेतन के भुगतान की मांग

112–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया अन्तर्गत 20 माध्यमिक विद्यालयों के 118 अध्यापकों का वेतन भुगतान अनियमित तरीके से नियुक्ति के कारण 1992 से रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत नरायनदास, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्धेशासकीय पत्र संख्या 5231/1516-95–1601/793/93, दिनांक 16-2-95 के परिपेक्ष्य में शिक्षा (16) अनुभाग दिनांक 4 अप्रैल, 1995 को यह आदेश जारी किया गया कि मुहम्मद हुसैन उ० मा० विद्यालय, नवलपुर, देवरिया, चडिका उ० मा० विद्यालय नेमा देवरिया और पं० जवाहर लाल कृषक इण्टर कालेज, पहुआबारी देवरिया के अध्यापकों का वेतन भुगतान जारी किया जाय तो शेष 17 विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन किन नियमों के तहत जारी नहीं किया जा रहा है जबकि सभी 20 विद्यालयों का वेतन एक ही नियम के अनुसार रोका गया था ? क्या शासन का यह आदेश भेदभावपूर्ण है ? क्या शासन इस आदेश को निरस्त करने का पुनः आदेश जारी करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सांसदों को दी जाने वाली धनराशि में विधायकों की हिस्सेदारी सुनिश्चित किये जाने की मांग

113–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या मुख्य मंत्री विकास कार्य के लिए सांसदों को दी जाने वाली धनराशि में विधायकों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे ? यदि हां, तो कब और कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

यह पूर्णतया भारत सरकार की योजना है ।

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसकनवा, जनपद गोण्डा में रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

114–श्री राम विशुन आजाद–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसकनवा जनपद गोण्डा में स्वीकृत पदों के अनुसार शिक्षिकायें उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो छात्राओं के भविष्य को देखते हुए स्वीकृत रिक्त पदों को कब तक भर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

रिक्त पद निकट भविष्य में भरने हेतु प्रयास जारी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसकनवा गोण्डा की छात्राओं के भविष्य को देखते हुए इण्टरमीडिएट की मान्यता दिये जाने की मांग

115–श्री राम विशुन आजाद–

क्या शिक्षा मंत्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मकनवा गोण्डा की छात्राओं के भविष्य को देखते हुए इण्टरमीडिएट तक की मान्यता देने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला योजनान्तर्गत परिव्यय/बजट प्राविधान न होने के कारण ।

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत जनपद गोण्डा के जूनियर हाई स्कूलों को भवन निर्माण हेतु धन आवंटन की मांग

116–श्री राम विशुन आजाद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में जूनियर हाई स्कूलों की संख्या कितनी है और कितने भवनविहीन हैं ? क्या सरकार जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु धन का आवंटन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां। कुल 18 हैं।

5 विद्यालय भवनविहीन हैं।

जर्जर/भवनहीन विद्यालयों के पुनर्निर्माण/निर्माण हेतु धन की व्यवस्था संबंधित जनपद द्वारा जिला योजना में कराये जाने पर शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। जनपद द्वारा जिला योजना में धन की व्यवस्था कराये जाने पर उसकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में जिलायोजना व स्टेट सेक्टर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों के निर्माण कराये जाने की मांग

117–श्री राम विशुन आज़ाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 1993-94, 1994-95 में जिलायोजना एवं स्टेट सेक्टर योजना के अन्तर्गत कितने मार्गों को स्वीकृत किया गया ? अभी तक उन पर निर्माण कार्य न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1993-94 में जनपद गोण्डा की जिला योजना के अन्तर्गत नयी स्वीकृतियां जारी नहीं की गयी थीं। वर्ष 1994-94 में जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में एक मार्ग एवं एक काजवे के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में राज्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

वर्ष 1994-95 में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत दोनों कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं।

जिलाधिकारी जनपद बांदा के विद्यालय भवन की मरम्मत/निर्माण हेतु प्राप्त पत्र के आधार पर धन स्वीकृत किये जाने की मांग

118–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 491148, दिनांक 18-11-95 के साथ संलग्न पत्र समस्त ग्रामवासी निवासी सहित श्री चन्द्रपाल वर्मा, प्रा० अ० प्रा० वि०, पैगम्बरपुर, ब्लाक महुआ, जनपद बांदा जिलाधिकारी, जनपद बांदा को उक्त विद्यालय के भवन की मरम्मत/निर्माण कराने हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत पत्र के आधार पर धन स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां।

जी नहीं।

संबंधित समिति के निर्णय के अभाव में।

जिलाधिकारी बांदा को ग्रामवासी पैगम्बरपुर ब्लाक महुआ को जूनियर हाईस्कूल की स्थापना कराने हेतु प्राप्त पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

119–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 491144, दिनांक 18-11-95 ई० के साथ समस्त ग्रामवासी निवासी ग्राम पैगम्बरपुर, ब्लाक–महुआ, जनपद बांदा का प्रार्थना-पत्र जूनियर हाई स्कूल की स्थापना कराने हेतु जिलाधिकारी बांदा, जनपद बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जनपद बांदा विश्व बैंक सहायतित उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना से आच्छादित जनपद है । सर्वेक्षण के आधार पर इस परियोजना के अन्तर्गत जो जूनियर हाई स्कूल खोले जाने हैं, उनमें ग्राम पैगम्बरपुर ब्लाक महुआ शामिल नहीं है ।

जिलाधिकारी जनपद बांदा को कल्याण गिरी प्रधान ग्राम बल्लान तहसील अतर्रा के प्राप्त पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

120–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 055697, दिनांक 17-2-95 ई० के साथ कल्याणगिरी प्रधान ग्राम बल्लान तहसील अतर्रा, जनपद बांदा का संलग्न प्रार्थना-पत्र स्कूल खोलने हेतु जिलाधिकारी, जनपद बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

संदर्भगत पत्र में ग्राम बल्लान तहसील अतर्रा में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग की गई है । चूंकि उक्त ग्राम में पूर्व से ही प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोण्डा जनपद के विकास खण्ड, कटरा बाजार के ग्राम पंचायतों में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की जानकारी

121–श्री बावन सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के विकास खण्ड, कटरा बाजार मऊ, झंझरी, रूमईडीह और पड़री कृपाल के कुल कितने ग्राम पंचायतों में प्राइमरी पाठशाला नहीं हैं ? क्या उक्त ग्राम पंचायतों में प्राइमरी पाठशाला खोलने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

विकास खण्ड कटरा बाजार में 18, हलधर मऊ में 4, झंझरी में 9, रूपडीह में 9 तथा पण्डरी कृपाल में 4, कुल 44 ग्राम पंचायतों में प्राइमरी पाठशाला नहीं है शासन द्वारा वर्ष 1994-95 में तीन वर्षों में प्रत्येक ग्राम सभा में एक प्राइमरी पाठशाला खोलने का लक्ष्य रखा है।

विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी जिला फतेहपुर में राजकीय कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने की जानकारी

122–श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी जि० फतेहपुर में कोई राजकीय कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल खोला जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो स्कूल कब तक चालू हो जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बिन्दकी मुख्यालय पर पूर्व से ही राजकीय कन्या इण्टर कालेज संचालित है। इसके अलावा वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस निमित्त कोई बजट का प्राविधान नहीं है।

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैसरगंज बहराइच की शिक्षिकाओं की सेवा पंजी में देय उपार्जित अवकाश के अंकन आदेश की जानकारी

123–श्री राम तेज यादव–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैसरगंज बहराइच की शिक्षिकाओं को वर्ष 1992-93 की ग्रीष्मावकाश में सामान्य निर्वाचन में ड्यूटी हेतु रोका गया था ? यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप उन्हें देय उपार्जित अवकाश का अंकन उनकी सेवा पंजी में किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन इन शिक्षिकाओं की सेवा पंजी में देय उपार्जित अवकाश के अंकन का आदेश निर्गत करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्व० श्री शेष नारायण सिंह प्रधानाचार्य, किसान इण्टर कालेज बस्ती के अवशेषों पेन्शन आदि के भुगतान का मामला

124–श्री राम तेज यादव–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती गुलायची देवी ने अपने पति स्व० श्री शेष नारायण सिंह, प्रधानाचार्य, किसान इण्टर कालेज, बस्ती के ग्रुप बीमा, पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी आदि के भुगतान हेतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संख्या निल आफ 1992 योजित की थी ? क्या मा० न्यायालय ने उस सम्बन्ध में आदेश दि० 14-5-92 को पारित किया था ? यदि हां, तो वह आदेश क्या था ? क्या मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में याची को समस्त देयों का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

के० पी० जायसवाल इण्टर कालेज, इलाहाबाद में कार्यरत सहायक अध्यापक स्व० श्री कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव के अवशेषों पेन्शन आदि के भुगतान का मामला

125–श्री नवल किशोर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के०पी० जायसवाल इण्टर कालेज, इलाहाबाद में कार्यरत सहायक अध्यापक श्री कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव जिनकी मृत्यु दिनांक 22 जुलाई, 1993 को हो गई थी, उनके आश्रित पुत्र की लिपिक पद पर नियुक्ति तथा मृतक अध्यापक के सी०टी० ग्रेड में निर्धारित किये गये अवशेष देयों का भुगतान शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में विधान सभा सदस्य डा० सरजीत सिंह डंग का संस्तुति पत्र दिनांक 28 जुलाई, 1994 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मृतक अध्यापक श्री कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव के सभी अवशेष देयों के भुगतान की कुल कितनी धनराशि दी जानी है और कब तक भुगतान करा दी जायेगी ? मृतक अध्यापक के पुत्र (आश्रित) को लिपिक पद पर कब तक नियुक्त कर लिया जायेगा ? नियुक्ति करने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो० नि० लखनऊ के ट्रेक्टर दुरुपयोग का मामला

126–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो० नि० वि० लखनऊ में ट्रेक्टर यू०एस०एस० 4988 काफी दिनों से खराब पड़ा है ? क्या माह अक्टूबर, 1995 से किराये का ट्रेक्टर चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकारी ट्रेक्टर की मरम्मत न कराने के क्या कारण हैं ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत ट्रेक्टर 12/94 से 24-7-95 तक खराब रहा

प्रश्न नहीं उठता ।

ट्रेक्टर की मरम्मत हो चुकी है तथा 25-7-95 से चालू हालत में है ।

मेरठ महानगर में देहली रेल मार्ग परतापुर क्रासिंग पर केन्द्रीय रेल मंत्रालय के उपरिगामी सेतु के निर्माण का मामला

127–श्री अमित अग्रवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ महानगर में देहली रेल मार्ग परतापुर क्रासिंग पर केन्द्रीय रेल मंत्रालय ने उपरगामी सेतु (फ्लई ओवर) बनाने की सहमति तथा आधी लागत देने की घोषणा कर दी है ? यदि हां, तो प्रदेश सरकार अपना अंश लगाकर उपरगामी सेतु कब तक बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने मेरठ महानगर में मेरठ–दिल्ली रेल मार्ग के परतापुर क्रासिंग पर रेलवे सुरक्षा निधि के अन्तर्गत सहभागिता के आधार पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने एवं प्रस्तावित पुल की कुल लागत में से अपने अंशदान के भुगतान की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी है।

यह प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

128–श्री राजकुमार शिवहरे–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

लोक निर्माण विभाग सिद्धार्थनगर में अस्थाई निर्माण खण्ड इकाई नम्बर–1 द्वारा कतिपय मार्गों में फर्जी भुगतान की शिकायत

129–श्री धनराज यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग सिद्धार्थनगर में अस्थाई निर्माण खण्ड इकाई नम्बर–1 में एल०डी० रोड से रसूलपुर चिल्हिया पल्टादेवी मार्ग में जगुभर नाले पर पाइल ब्रिज नौगढ़-बढ़नी मार्ग से सेमरियांव मार्ग, बौद्ध परिपथ से थाना–रोड खागुरिया तथा जिला मुख्यालय के अशोक मार्ग, नौगढ़–महापाली मार्ग, आदि पर सम्बन्धित अभियन्ताओं द्वारा भारी मात्रा में फर्जी भुगतान स्वयं के हित में कर लेने की शिकायत मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण-विभाग गोरखपुर से प्रश्नकर्ता ने किया है ? क्या यह भी सत्य है कि स्थानीय जनता की शिकायत पर मुख्य अभियन्ता ने अधीक्षण अभियन्ता के साथ दिनांक 27-5-95 को निपुरा-रसूलपुर मार्ग का निरीक्षण किया गया और की गई शिकायत को सत्य पाया गया ? यदि हां, तो अभी तक इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

प्रथम दृष्टया जांच के आधार पर सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता को निर्माण कार्य से हटाकर कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है।

जनपद सिद्धार्थनगर के पकड़ी–उदयपुर मार्ग के मरम्मत में व्यय की गयी धनराशि की जांच की मांग

130–श्री धनराज यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के पकड़ी–उदयपुर मार्ग के मरम्मत हेतु वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में कितनी धनराशि का आवंटन हुआ है ? कितनी धनराशि व्यय की गई ? क्या यह सही है कि मरम्मत होने के बावजूद प्रश्नगत मार्ग खराब होने के कारण यातायात में बड़ी कठिनाई है ? यदि हां, तो मरम्मत हेतु हुये व्यय की जांच किसी उच्चाधिकारी से कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सामान्य मरम्मत के मदों में पूरे जनपद के लिए धन आवंटित होता है । वर्ष 1993-94 में रु० 4.50 लाख तथा 94-95 में रु० 4.50 लाख आवंटित हुआ ।

वर्ष 1993-94 में रु० 277034.00 व्यय हुआ । वर्ष 1994-95 में कोई व्यय नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोई अनियमितता की गयी है अथवा नहीं, इसकी जांच कराए जाने का निर्णय लिया गया है ।

जनपद सिद्धार्थनगर के जिला न्यायालय के भवन निर्माण हेतु आवंटित धन

131–श्री धनराज यादव–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जनपद सिद्धार्थनगर के जिला न्यायालय के भवन निर्माण हेतु धन का आवंटन किया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक भवन निर्माण के लिये धन आवंटित कर दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

नवसृजित जनपद सिद्धार्थनगर के जिला न्यायालय के भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा रुपया 4.50 लाख स्वीकृत किया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला रायबरेली के शिवगढ़ विकास खण्ड के गूढ़ा चन्दापुर की बन्ने वाली सड़क पर कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी में हो रही कटौती की शिकायत

132–श्री राजा राम त्यागी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के शिवगढ़ विकास खण्ड के गूढ़ा चन्दापुर बन्ने वाली सड़क पर कार्य करने वाले श्रमिकों को रु० 33 प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी नहीं दी गयी और उनका शोषण किया गया है ? क्या यह भी सच है कि स्थानीय जे०ई०/ए०ई० द्वारा मास्टर रोल प्रतिदिन नहीं भरा जाता ? क्या जांचोपरान्त ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

यह कार्य मस्टर रोल पर नहीं, बल्कि ठेकेदारी प्रथा से कराया गया है । इस कारण प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता और न ही शोषण किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली के बछरावां क्षेत्र की सड़कें जो वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में स्वीकृत हुई है, को बनाये जाने की मांग

133–श्री राजा राम त्यागी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां की जिलायोजनान्तर्गत वर्ष 1993-94 व 1994-95 में स्वीकृत कितनी सड़कें पूरी हो चुकी है और कितनी अपूर्ण हैं ? अपूर्ण योजनाओं के विलम्ब का कारण क्या है और इन्हें कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद महराजगंज के देहाती एवं शहरी क्षेत्रों की भूमि के मूल्यांकन अधिकारी का दुरुपयोग करने की शिकायत

134–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के देहातों एवं शहरी क्षेत्रों की भूमि का मूल्यांकन करने का अधिकार वर्ष 1974 से जिलाधिकारियों को दिया गया है ? क्या उन अधिकारों का उपयोग करके जिलाधिकारी महोदय बिना प्रचार-प्रसार व प्रकाशन कराये आपत्ति लिये ही हर दो साल बाद भूमि का मूल्यांकन मनमानी अपनी भूमि का बैनामा निश्चित मूल्यांकन दर का रजिस्ट्री फीस देकर भूमि बेचता है तो क्रेता द्वारा मूल्यांकन भूमि की फीस के अलावा बैनामा में लगने वाले स्टैम्प जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर ही स्टैम्प न लगवाकर तीन गुना धनराशि का स्टैम्प क्रेता द्वारा खरीदकर बैनामा लख लेने पर ही भूमि की रजिस्ट्री की जाती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । वस्तुतः यू०पी० स्टाम्प नियमावली, 1942 के नियम 340–क के अधीन जिला कलेक्टर को प्रत्येक दो वर्ष में अपने जिले की भूमि के औसत मूल्य की इंगित करने हेतु मूल्य सूची जारी करने का अधिकार है । उक्त नियम दिनांक 1-7-1976 से प्रभावी है ।

जिलाधिकारी उक्त नियम के प्राविधान के अनुसार भूमि का द्विवार्षिक मूल्य सूची जारी करते हैं । इस नियम में द्विवार्षिक मूल्य सूची जारी करने के पूर्व प्रच्चर-प्रसार व प्रकाशन कराये जाने तथा आपत्ति आमंत्रित करने का प्राविधान नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुरादाबाद जनपद के निर्माणाधीन बीनस शुगर मिल हेतु क्रय की गयी जमीन में की गयी अनियमितता

135–श्री मित्रसेन यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जनपद में निर्माणाधीन बीनस शुगर मिल ने तहसील–चन्दौसी में कुल कितनी भूमि खरीदी है ? क्या खरीदी गयी भूमि में कुछ ऐसी भी है जो अनुसूचित जाति के लोगों से खरीदी गयी है ? क्या भूमि क्रय-विक्रय में उ०प्र० जमींदारी उन्मूलन 1950 का उल्लंघन हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी कौन है ? सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

सुश्री मायावती–

बीनस शुगर लिमिटेड ने उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154(2) के अन्तर्गत राजस्व अनुभाग–1 के आदेश संख्या यू०ओ०–270/राजस्व–1/1991, दिनांक 18 दिसम्बर, 1991 में कुल 300.36 एकड़ भूमि क्रय करने की अनुज्ञा प्राप्त होने के पश्चात् लगभग 221.00 एकड़ भूमि खरीदी है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान सरकार द्वारा उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अपनाये गये मापदण्ड की जानकारी

136–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार में कितने उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है ? इन नियुक्तियों में क्या मापदण्ड अपनाये गये ? क्या सरकार वर्ष 1995 में भी उर्दू शिक्षकों की और नियुक्तियां करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

वर्ष 94-95 में 4481 नियुक्तियां की गयीं ।

उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 5 से अधिक उर्दू पढ़ने वाले छात्रों पर एक अध्यापक तथा 40 से अधिक ऐसे छात्रों पर एक अतिरिक्त सहायक अध्यापक (उर्दू भाषा) की नियुक्ति का मापदण्ड निर्धारित किया गया है । इस मानक के आधार पर वर्ष 1994-95 के लक्ष्य के सापेक्ष रिक्त आरक्षित पदों पर तथा वर्ष 1995-96 के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लगभग 5,000 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही करने के निर्देश वर्तमान सरकार द्वारा दिये गये हैं ।

राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान कानपुर के लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों की सेवा नियमावली के संशोधन का प्रस्ताव

137–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान कानपुर के लिपिकीय वर्गीय कर्मचारियों की सेवा नियमावली से संबंधित अधिसूचना सं०–981/94, सोलह-1–74/94, दिनांक 30-3-94 में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव प्रधानाचार्य के पत्र सं०–2757/स्थापना, दिनांक 26 नवम्बर,

1994 द्वारा शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

138–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

[दि० 31-7-95 को अता० प्र० सं०–177 द्वारा उत्तरित]

जनपद टिहरी गढ़वाल में राजकीय आदर्श विद्यालय एवं क्रमोत्तर विद्यालयों की संख्या की जानकारी

139–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कितने राजकीय आदर्श विद्यालय एवं कितने क्रमोत्तर विद्यालय हैं ? क्या यह सही है कि इन विद्यालयों को भवन अनुदान नहीं दिया जाता है ? क्या ऐसे विद्यालय बिना भवन के चल रहे हैं ? क्या सरकार रा० अ० वि० एवं क्रमोन्नर विद्यालयों को परिषदीय जू० हा० स्कूल में परिवर्तित करने का विचार कर रही है ?

श्री सुखदेव राजभर–

62 राजकीय आदर्श विद्यालय तथा 33 क्रमोत्तर विद्यालय संचालित हैं ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

बी० डी० इण्टर कालेज, खेड़ा मुगल (सहारनपुर) के सेवा निवृत्त अध्यापकों को वेतन दिये जाने के कारणों की जानकारी

140–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी० डी० इण्टर कालेज, खेड़ा मुगल (सहारनपुर) में ऐसे कितने अध्यापक एवं कर्मचारी हैं जिनकी सेवा समाप्ति के उपरान्त भी वेतन का भुगतान हो रहा है ? इन अध्यापकों एवं कर्मचारियों को सेवा समाप्ति के उपरान्त वेतन के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान अब तक हो चुका है ? इस भुगतान राशि को लौटाने का सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1988 में प्रवक्ता एवं एल० टी० वेतनक्रम के विभागीय चयन समिति में प्रोन्नत प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं में हो रही अनियमितता का मामला

141–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988 में प्रवक्ता एवं एल० टी० वेतनक्रम से पदोन्नत प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं का विभागीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन कर दिया गया

है ? क्या सरकार की नीति के अनुसार तीन वर्ष बाद वर्ष 1991 में इनका विभागीय चयन समिति द्वारा चयन हो जाना चाहिए था ? यदि हां, तो चयन न किये जाने के पीछे कौन दोषी है ? क्या यह भी सही है कि इसी वेतनक्रम के वर्ष 1988 के बाद एम० डी० आई० जो डी० आई० के पद पर वर्ष 1991 में प्रोन्नत हुए थे, का विभागीय चयन, चयन-समिति द्वारा हो गया है ? यदि हां, तो क्या उपर्युक्त प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं को वर्ष 1991 में चयन समिति द्वारा चयन मानकर उसका लाभ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां, उपलब्ध रिक्तियों के प्रति वर्ष 1988 में प्रवक्ता एवं एल० टी० वेतनक्रम से पदोन्नत प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं में से अधिकांश का विभागीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। शेष का भविष्य में उपलब्ध होने वाली रिक्तियों के प्रति विभागीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन किया जा सकेगा।

ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

जी नहीं।

शिक्षण संवर्ग में वर्ष 1991 में प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं के लिए मौलिक पदों की रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं।

श्री बजरंग विद्यापीठ इण्टर कालेज, देवलपुर के श्री माता प्रसाद सिंह, सेवा सहिनवां, सुल्तानपुर की पेंशन के भुगतान की मांग

142–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि श्री माता प्रसाद सिंह, सेवा निवृत्त सहायक अध्यापक, श्री बजरंग विद्यापीठ इण्टर कालेज, देवलपुर, सहिनवां, सुल्तानपुर की पूर्ण सेवाओं को पेंशन लाभ हेतु जोड़ने के संबंध में शासनादेश संख्या–रा० का० 632/15-16-93–1600(139)/92, दिनांक 2 सितम्बर, 1994 निर्गत किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश के अनुपालन में उन्हें दिनांक 1-7-87 से 30-6-94 तक के पेंशन एरियर का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? उक्त बकाये का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? इसमें विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां।

जी हां।

वित्त विभाग के आदेश दिनांक 15-7-94 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 1-11-94 से पेंशन आदि का भुगतान कोषाधिकारी, सुल्तानपुर के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है, अतएव दिनांक 1-7-87 से 30-6-94 तक अवशेष पेंशन के भुगतान हेतु उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल द्वारा दिनांक 8-5-95 को कोषाधिकारी सुल्तानपुर को लिखा जा चुका है।

प्रश्नगत पेंशन अवशेष के भुगतान का दायित्व कोषाधिकारी, सुल्तानपुर को है।

श्री प्रेम शंकर शुक्ला, सेवा निवृत्त अध्यापक सी० टी० संवर्ग, शाहजहांपुर के वेतन तथा पेंशन भुगतान के संबंध में जानकारी

143–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको प्रश्नकर्ता का दिनांक 2-2-95 का पत्र जो कि प्रेमशंकर शुक्ला, सेवा निवृत्त अध्यापक सी० टी० सम्वर्ग, शाहजहांपुर के वेतन तथा पेंशन भुगतान किये जाने के संबंध में हैं, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० प्राविधिक शिक्षा विभाग में अभियांत्रिक व्याख्याताओं का विनियमितीकरण

144–डा० पृथ्वी पाल सिंह विकसित–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०–136 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश दिनांक 2-6-76 द्वारा नियुक्त ऐसे उक्त 6 व्याख्याताओं को नियमावली, 1979 के तहत विनियमित करने का आधार सीधी भर्ती है तो उक्त पद की अभ्यर्थना हेतु उनके आवेदनपत्र पटल पर रखना चाहेंगे ? क्या सरकार बतायेगी कि हौसला सिंह बनाम उ० प्र० शासन व अन्य में अधिकरण का निर्णय दिनांक 15-10-88 मात्र हौसला सिंह के पक्ष में है अथवा उन सभी 6 नियमित व्याख्याताओं के पक्ष में है ? यदि अधिकरण के परिपेक्ष्य शब्द का प्रयोग कर श्री हौसला सिंह के साथ अन्य 5 को भी नियमित किया गया है, तो शेष 11 को क्यों छोड़ा गया है उन्हें तद्नुरूप क्यों नहीं किया गया है ?

सुश्री मायावती–

शासनादेश दिनांक 2-6-76 द्वारा नियुक्त 6 व्याख्याताओं को विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के अन्तर्गत विनियमित करने का आधार सीधी भर्ती था । उक्त 6 व्याख्याताओं ने सीधी भर्ती हेतु कोई आवेदन पत्र नहीं प्रस्तुत किया बल्कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में अनुदेशक के पद पर कार्यरत थे । इन्हें व्याख्याता पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त करने का प्रस्ताव निदेशालय से प्राप्त हुआ था । अतः अभ्यर्थना हेतु उनके आवेदन पत्र पटल पर रखना संभव नहीं है ।

श्री हौसला सिंह बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 15-10-88 को कोई निर्णय नहीं दिया गया है ।

राजकीय दीक्षा विद्यालय, सीतापुर की प्रधानाचार्या को बी० टी० सी० के वेतनक्रम में कार्यरत शिक्षिकाओं के पुनरीक्षित वेतनमान के संबंध में जानकारी

145–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, षष्टम मण्डल, लखनऊ ने रा० क० दी० वि०, सीतापुर की प्रधानाचार्या को सम्बोधित अपने पत्रांक नि० (2) 6474–75/91/92 दिनांक 30-1-92 द्वारा निर्देश दिये हैं कि इस विद्यालय के बी० टी० सी० वेतनक्रम में कार्यरत उन शिक्षिकाओं, जिनको पुनरीक्षित वेतनमान 1200-2040 दिया जा रहा है, का भुगतान तात्कालिक प्रभाव से रोक दें ? यदि हां, तो क्या संबंधित प्रधानाचार्य ने उक्त आदेश के अनुपालनार्थ उपरोक्त

शिक्षिकाओं का वेतन भुगतान रोक दिया है ? यदि हां, तो संबंधित शिक्षिकाओं को स्पष्टीकरण का अवसर दिये बिना वेतन की इस कटौती के क्या कारण हैं ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत शिक्षिकाओं को रु० 1200–2040 का वेतनमान अनुमन्य नहीं था ।

कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित हाईस्कूल, इण्टर कालेजों में अध्यापकों की भारी कमी

146–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित हाईस्कूल, इण्टर कालेजों में अध्यापकों की भारी कमी है ; यदि हां, तो क्या इन सभी विद्यालयों में शीघ्रताशीघ्र अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

प्रवक्ता के रिक्त पदों के प्रति अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित सूची प्राप्त होने पर नियुक्ति की जायेगी । एल० टी० वेतनमान के रिक्त पदों के प्रति नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर के शासकीय/अर्द्धशासकीय इण्टरमीडिएट शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति के अध्यापकों का कोटा पूर्ण करने की मांग

147–डा० माम चन्द्र लाम्बा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में शासकीय एवं अर्द्धशासकीय इण्टरमीडियेट शिक्षण संस्थाओं में अनु० जाति की अध्यापिका/अध्यापकों का 21 प्रतिशत आरक्षित कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो सरकार इसे कब तक पूर्ण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिये निर्धारित आरक्षण कोटा संबंधी शासनादेशों में विद्यालयवार आरक्षण लागू किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है । राजकीय कालेजों में विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों के लिये उनके पूरे संवर्ग में स्वीकृत पदों पर अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी प्राविधान लागू किया जाता है ।

जनपद सहारनपुर में कोई अर्द्धशासकीय (नगर पालिका/जिला पंचायत द्वारा संचालित) विद्यालय नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के साक्षात्कार में चयनित सहायक अध्यापकों को कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल के रिक्त पदों पर लिये जाने की मांग

148–डा० सुरेश प्रताप सिंह चौहान–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि कुमाऊं एवं गढ़वाल मण्डल में रिक्त शिक्षकों के पद उ० प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा दिनांक 19-8-94 को साक्षात्कार हुआ था ? क्या उन सभी (चयनित) सहायक अध्यापकों की नियुक्ति कर दी गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त रिक्त सहायक अध्यापक जीव विज्ञान (पुरुष वर्ग) में श्री राजेश कुमार शर्मा कन्ट्रोल नं० 10230374 का चयन हुआ

था ? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति अद तक न किये जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनको नियुक्ति पत्र जारी करायेगी ? यदि हां, तो कब ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है ।

जी हां ।

चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्रों की जांच एवं स्पष्ट रिक्तियों की सूचना प्राप्ति में समय लगा ।

किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है ।

निजी वास्तुविद श्री अशोक वर्मा (ए० डी० ए०) का क्लार्क अवध के निर्माण कार्य में लिये गये सहयोग के बदले में प्रदत्त शुल्क की जानकारी

149–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 4 दिसम्बर, 1994 से अब तक लखनऊ के एक निजी वास्तुविद श्री अशोक वर्मा (ए० डी० ए०) क्लार्क अवध की सेवायें निर्माण कार्यों में ली गयी हैं ? यदि हां, तो कितने मामलों में तथा सेवा के बदले प्रदत्त शुल्क के निर्धारण का आधार क्या है ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री हरीराम यादव, सहायक अध्यापक का शिक्षा मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही की जानकारी

150–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 24-03-1994 श्री हरीराम यादव, स० अ० के संलग्न प्रार्थना-पत्र के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत प्रकरण पर जांच कराकर कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

संदर्भित पत्र बहुत खोजबीन करने पर भी अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है ? पत्र ढूंढने का प्रयास जारी है ।

शाहजहांपुर जनपद के ब्लाक खुदागंज के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापन कार्य न हो पाने की जानकारी तथा दोषी अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

151–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के ब्लाक खुदागंज के अन्तर्गत आने वाले ग्राम सैदपुर, ग्राम दतेली, ग्राम नगरा मतहा व मवेआ आदि ग्रामों की प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापन (पढ़ाई) का कार्य क्यों नहीं हो रहा है ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कर दोषी अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

उक्त विद्यालयों में अध्यापन कार्य हो रहा है । प्रत्येक विद्यालय में दो-दो अध्यापक भेजे गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कनौरिया शुगर मिल, कप्तानगंज, जनपद पडरौना में मिल मजदूरों की हड़ताल के बिन्दुओं की जानकारी

152–श्री अम्बिका सिंह (देवरिया)–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कनौरिया शुगर मिल कप्तानगंज, जनपद पडरौना में मिल मजदूरों की हड़ताल के कारण प्रशासन के हस्तक्षेप से मिल मजदूरों एवं प्रबन्ध तंत्र तथा प्रशासन के बीच त्रिपक्षीय समझौता 4-3-94 को हुआ था ? क्या समझौते के बिन्दुओं का प्रबन्ध तंत्र द्वारा पालन किया गया है ? कुल कितने बिन्दुओं पर समझौता हुआ था उसमें कितने बिन्दुओं का पालन हुआ तथा शेष का पालन कब तक हो जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

23 बिन्दुओं पर समझौता हुआ था जिसमें एक बिन्दु का पालन विस्तारीकरण के उपरान्त होना है तथा दो बिन्दुओं से संबंधित मामले मा० उच्च न्यायालय के समक्ष हैं तथा एक बिन्दु आंशिक रूप से एवं 19 बिन्दुओं का पूर्णतः पालन हो चुका है ।

राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, सीतापुर में कार्यरत बी० टी० सी० वेतनक्रम की शिक्षिकाओं में कटौती किये जाने की जानकारी

153–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय शिक्षक संघ, उ० प्र० द्वारा मा० उच्च न्यायालय में दायर याचिका 7784/89 पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12 व 27 सितम्बर, 91 को दिये गये निर्णय की सूचना प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उस आदेश में अनुपालनात्मक क्या निर्देश दिये गये ? क्या यह सही है कि रा० कन्या दीक्षा विद्यालय, सीतापुर में उक्त आदेश होते हुए भी वेतनमान 1350–2070 वेतनमान 10 वर्ष पर 1450–2190 देने के बजाय वहां की कार्यरत बी० टी० सी० वेतनक्रम की शिक्षिकाओं को वर्तमान में दिये 1200–2040 में भी कटौती की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12-9-91 में यह निर्देश दिये गये हैं कि राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को परिषदीय जूनियर हाईस्कूल व सहायता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों के समान ही दिनांक 1 जनवरी, 1979 से वेतन का भुगतान तीन माह में कर दिया जाए । दिनांक 27-9-91 के निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि परिषदीय जूनियर हाईस्कूल, सहायता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाईस्कूल तथा अन्य राजकीय स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को समान वेतनमान लागू होगा ।

तीन शिक्षिकाओं की नियुक्ति हाईस्कूल प्रशिक्षित वेतनमान में होने के कारण इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित का पुनरीक्षित वेतनमान 1200–2040 देय एवं अनुमन्य नहीं है ।

राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, सीतापुर में कार्यरत शिक्षिकाओं को पुनरीक्षित वेतनमान न दिये जाने की जानकारी तथा अवशेष के भुगतान की मांग

154–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा अनु० (2) द्वारा निर्गत द्वितीय उ० प्र० वेतन आयोग (79–80) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के अनुसार निदेशक शिक्षा उ० प्र० तथा उसके अधीनस्थ कार्यालय/शिक्षा संस्था में विभिन्न पदों पर नये वेतनमानों की स्वीकृति विषयक आदेश संख्या 3542–15-2-92-34 (158/89) दि० 9-7-92 के अनुपालन के अनुसार राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय सीतापुर में कितनी शिक्षिकायें हैं जिन्हें यह पुनरीक्षित वेतन नहीं प्राप्त हो रहा है ? पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त न होने का क्या कारण है ? संशोधित वेतनमान कब से लागू हो जायेगा तथा संशोधित वेतन के अनुसार अवशेष का भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर–

दो शिक्षिकायें थीं ।

विद्यालय में समकक्षीय पद न होने के कारण ।

संशोधित वेतनमान के अनुसार दोनों शिक्षिकाओं को भुगतान किया जा चुका है ।

जनपद जालौन के डी० पी० डिग्री कालेज के छात्रवृत्ति लिपिक द्वारा की गयी हेरा फेरी की जानकारी

155–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के डी० पी० डिग्री कालेज के छात्रवृत्ति लिपिक श्री रामधीन द्वारा विगत 10 वर्षों से प्रति वर्ष अभिलेखों में फर्जी हस्ताक्षर एवं प्रविष्टि अंकित करते हुए अपने ही साथियों के माध्यम से छात्रवृत्ति धनराशि स्वयं आहरित की जाती रही है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या इसकी विस्तृत जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा कराकर सरकारी धन के दुरुपयोग/हेराफेरी करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जांच की कार्यवाही शिक्षा निदेशक (उ० शि०) द्वारा करायी जा रही है । जांचोपरान्त दोषी कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ?

राजकीय इण्टर कालेज, कानपुर के प्रवक्ताओं को अवकाश ग्रहण के उपरान्त पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान किये जाने की मांग

156–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, कानपुर में 30 जून, 1988 को किन-किन प्रवक्ताओं ने अवकाश ग्रहण किया ? क्या उनमें से कोई ऐसे भी प्रवक्ता हैं जिनको अभी तक वर्ष 86 से लागू पुनरीक्षित पेंशन मिलना प्रारम्भ नहीं हुआ है ? पुनरीक्षित पेंशन न मिलने का क्या कारण है ? उसका भुगतान कब से प्रारम्भ हो जायेगा तथा अवशेष कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर–

राजकीय इण्टर कालेज, कानपुर में दिनांक 30-6-1988 को निम्न दो प्रवक्ता सेवानिवृत्त हुए :––

1–श्री गंगारत्न शुक्ल

2–श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल

उपरोक्त दोनों प्रवक्ताओं को पुनरीक्षित पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है तथा सम्बन्धित कोषागार को पेंशन सम्बन्धी कागजात भेज दिये गये हैं।

विकास खण्ड निचलौल, महराजगंज के ग्राम सभा सोहगी व अन्य प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण के अधूरे कार्य को पूरा कराने व गुणवत्ता की जांच कराये जाने की मांग

157–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड निचलौल, महराजगंज के ग्राम सभा सोहगी बरवां बैठोलिया तथा कुडडलवल एवं विकास खण्ड सिसवां के बीजापार कर्मही आदि प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु वर्ष 1991-92, 92-93 तथा 94 में धन अवमुक्त किये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि आवंटित धनराशि से आज तक प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य घटिया सामग्रियों से बनवाकर अधूरा छोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन विद्यालयों के अधूरे कार्य को तत्काल पूरा कराने एवं गुणवत्ता की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां।

जी नहीं।

प्राथमिक विद्यालय उनवल, कर्मही का भवन पूर्ण हो गया है। बैठोलिया के भवन का निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है। प्राथमिक विद्यालय बीजापार के प्रधानाध्यापक को निलम्बित किया जा चुका है तथा निर्माण कार्य कुर्सी स्तर तक पूर्ण हो गया है। शेष के लिये प्रयास जारी है। प्राथमिक विद्यालय सोहगी बरवां का निर्माण कार्य मा० न्यायालय में वाद लम्बित होने के कारण अवरुद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को समायोजित किये जाने की मांग

158–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभी भी समायोजित नहीं हो पाये हैं ? उनकी नियुक्तियां किये जाने के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सुखदेव राजभर–

अनुमानतः 39290 बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु शेष हैं।

नवीन विद्यालयों के खुलने, अध्यापकों के सेवानिवृत्त, मृत्यु अथवा पदोन्नति के फलस्वरूप फलित रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति के निर्देश दे दिये गये हैं।

159–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[दि० 17-7-95 को अता० प्र० सं०–139 द्वारा उत्तरित]

नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 7 अगस्त, 1995 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गईं।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देवरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

महोदय, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देवरिया से ही विकास के अधिकाधिक कार्य जन-प्रतिनिधियों के प्रस्ताव एवं शासन के निर्देश पर संचालित किये जाते हैं। जवाहर रोजगार योजना, दस लाख कूप योजना, पूर्वांचल विकास निधि, एन० आर० ई० पी० योजना सहित अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन इसी विभाग द्वारा होता है। लेकिन कार्यालय में आपसी सामंजस्य न होने के कारण समस्त कार्यदायी विभाग, जैसे–सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, जिला परिषद्, भूमि संरक्षण, विकास खण्ड, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी/कर्मचारी महीनों-महीनों कार्यालय का चक्कर लगाते हैं।

प्राक्कलनों की स्वीकृति, स्वीकृत कार्यों का भुगतान भारी भ्रष्टाचार के चलते नहीं किया जाता है। जैसे कि सारे रिकार्डों को सीज कर देख जा सकता है। परिणामस्वरूप क्षेत्रों में विकास कार्य ठप्प हो गये हैं। जनता जन-प्रतिनिधियों को कोस रही है। धन एवं कार्यों के आवंटन का कोई आधार नहीं है। एन० आर० ई० पी० बैठक बुलाने में मनमानी की जाती है। रुपये का लेखा जोखा नहीं है। जन-प्रतिनिधियों के सुझावों एवं निर्देशों की घोर अवहेलना की जाती है।

अतएव लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब समाधान की मांग करता हूं।

बांदा स्थित राजकीय प्रशिक्षण संस्थान का भवन जर्जर हालत में होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजकुमार शिवहरे–

मान्यवर, बांदा जनपद में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बांदा की हालत जर्जर होने से बांदा में प्रशिक्षणार्थियों को भारी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। पूरी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन की हालत खस्ता हाल में है और प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को बरसात के दिनों प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग बरसात में चूती है और उसके पपड़े भी गिरते हैं जिससे प्रयोगात्मक कार्य तो कराना सम्भव ही नहीं है।

प्रशिक्षार्थियों को नियमित प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है यदि जिन व्यवसायों में दिया भी जा रहा है वह मात्र खाना पूर्ति है जिसमें केवल प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति दर्शा कर उनकी छुट्टी कर दी जा रही है, प्रयोगात्मक कार्यों के लिये एक भी सामान नहीं उपलब्ध कराया जाता है, प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में गेम्स का सामान नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, और प्रशिक्षार्थियों को कच्चा माल भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है उन्हें अपने पास से कच्चे सामान का प्रयोग कर प्रयोगात्मक कार्य करने पड़ते हैं।

जितने भी व्यवसाय चलाये जा रहे हैं उनमें किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण के दौरान उस व्यवसाय से सम्बन्धित प्रयोग नहीं कराये जाते हैं और न ही उनकी दक्षता परीक्षण लिया जाता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आज के युग में बढ़ती हुई कम्प्यूटर की लोकप्रियता को लेकर बांदा जनपद के प्रशिक्षार्थी अन्य जनपदों में प्रवेश ले रहे हैं, यहां पर कम्प्यूटर प्रोग्रामिक एवं प्लास्टिक प्रोसेसिंग की ट्रेड खोला जाना बहुत ही आवश्यक है । प्रशिक्षार्थियों को हास्टल सुविधा नहीं है उन्हें किराये के मकान में रहना पड़ता है और दूरस्त ग्रामों/कस्बों से आना पड़ता है जिसमें आर्थिक हानि होती है । जो भी हास्टल उपलब्ध हैं उनमें प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

बांदा जिले के कर्वी नगरपालिका स्थित राजकीय बालिका इण्टर कालेज को नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरित करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

महोदय, बांदा जिले के अन्तर्गत चित्रकूट धाम कर्वी नगर पालिका में एक मात्र राजकीय बालिका इण्टर कालेज है जो कि पुरानी बाजार स्थित किराये के एक जर्जर भवन में चल रहा है । उक्त भवन पर कई लड़कियां दब कर मर चुकी हैं इस समय कालेज के बालिकाओं की संख्या लगभग 1600 है । उस जर्जर भवन में उनके बैठने तक की जगह नहीं है । विद्यालय का नवीन भवन शासन के सहयोग से बनकर तैयार है लेकिन भवन का स्थानान्तरण नहीं हुआ है । विद्यालय के प्रिंसिपल आवास अन्य आवासों में बहुत सी कमियां रह गयी हैं । विद्यालय के अन्दर रोड़ों का निर्माण होना शेष है । पूर्व में लोक निर्माण विभाग ने इस विद्यालय को जुलाई माह तक स्थानान्तरित करने का वादा किया था लेकिन अगस्त माह शुरू हो जाने पर भी उक्त विद्यालय का स्थानान्तरण नहीं हुआ है न ही शेष कार्य पूरे हुए हैं । विद्यालय में प्रधानाचार्य एवं प्रवक्ताओं का प्रवेश नहीं लिया जा रहा है जिससे सैकड़ों बालिकायें इस वर्ष शिक्षा से वंचित हो रही हैं । पुराने जर्जर भवन में उनकी सुरक्षा को भी खतरा है ।

अस्तु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त विद्यालय के नव निर्मित भवन का शेष कार्य शीघ्र पूरा कराते हुए भवन को शीघ्र स्थानान्तरित कराने एवं प्रधानाचार्य एवं प्रवक्ता के रिक्त पद को अविलम्ब पूर्ति करने हेतु शासन के शिक्षा एवं लोक निर्माण विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें ।

अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, फरेन्दा, महराजगंज द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिवेन्द्र सिंह–

महोदय, श्री मेवालाल अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई लोक निर्माण विभाग, फरेन्दा, जनपद महराजगंज द्वारा विभाग में फरेन्दा महराजगंज रोड कि०मी० 4 से 7 तक भुगतान मु० 1,88,160/- एवं फरेन्दा महराजगंज रोड कि०मी० 8 से 11 तक मु० 1,900,80/- एवं फरेन्द्रा महराजगंज कि०मी० 9 से 10 तक भुगतान मु० 1,50,136/- कुटाई हेतु एवं गागी हेमछा पर कि०मी० 1 से 3 तक भुगतान मु० 1,80,250/- एवं मुजरी टिकररिया मार्ग कि०मी० 10 से 8 तक भुगतान मु० 79,315 एवं खड़खड़िया पीपे के पुल हेतु साखू की लकड़ी का एम० वी० कर औकट की लकड़ी का सप्लाई लेकर मु० 2,50,000/- का फर्जी भुगतान किया जा चुका है एवं 2,00,000/- का भुगतान होने वाला ही है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि श्री मेवालाल, अधि० अभि० अस्थाई लोक निर्माण विभाग, फरेन्दा, जनपद महराजगंज की जांच कराने का कष्ट करें जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग को रोका जा सके ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आगरा महानगर में आवास विकास कालोनी के सभी सेक्टरों में भरे गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० राम बाबू हरित–

महोदय, आगरा महानगर में आवास विकास कालोनी के सभी सेक्टरों में पानी की कोई निकासी न होने से जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है। सेक्टर में बरसात का पानी जो सीवर के गन्दे पानी से मिल जाता है, पुनः रसोईघरों में वापिस भरने लगता है। दिनांक 2-8-95 को सेक्टर 4 में मजदूर छोटे लाल का पुत्र बबलू (5 वर्ष) घर के निकट पानी भरे नाले में डूब कर मर गया। घर वाले बच्चों को लेकर काफी परेशान होकर इधर-उधर भटक रहे थे कि जब बच्चे की लाश फूलकर ऊपर आ गयी तो पता चला कि आ० वि० की लापरवाही से वह अपने पुत्र को खो चुके हैं। बाद में क्षेत्रीय जनता द्वारा शव को लेकर बोदला चौराहा पर जाम लगा दिया जिससे पुलिस प्रशासन व जनता में टकराव की स्थिति बन गयी। विदित है कि आवास विकास के अधिकारियों को क्षेत्रीय जनता मेरे (डा० रामबाबू हरित) द्वारा कई बार नाले की सफाई, पानी निकासी की व्यवस्था, सीवर लाइन डालने की व्यवस्था, सड़क, विद्युत व्यवस्था की सूचना बार-बार दी जाती रही है परन्तु भ्रष्ट नैतिकता के निम्न स्तर पर गिरे आवास विकास अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है।

आपसे अनुरोध है कि बब्लू के परिवारजनों को आर्थिक सहायता देने के साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों को दण्डित कराने की व्यवस्था कराकर समस्या को हल कराने की व्यवस्था करायें।

गोरखपुर नगर निगम में धर्मशाला बाजार स्थित रेलवे पुल के नीचे के भाग को चारखाने में करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, गोरखपुर नगर निगम में धर्मशाला बाजार पर रेलवे का पुल है। जो सकरा होने के कारण प्रायः इस पार से उस पार जाने वाले लोगों के लिये परेशानी का कारण बन जाता है। भीड़ इतनी हो जाती है कि रास्ता जाम हो जाता है इसके अतिरिक्त उक्त पुल के नीचे जो सड़क मार्ग है यह बरसात में तो प्रायः पानी से भर जाता है। जब बरसात नहीं होती है उन दिनों में भी पुल के नीचे पानी भरने के कारण आवागमन रुक जाता है। नगर के दोनों तरफ आने-जाने वाले लोग परेशान हो जाते हैं।

इस ओर अनेकों बार स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया परन्तु अभी तक किसी भी प्रकार का हल नहीं निकला। रेलवे विभाग से वार्ता करने पर जनता की मांग के अनुरूप पुल के नीचे चारखाने करने को तैयार है परन्तु नगर निगम के रुचि न लेने के कारण जनता की बहुप्रतीक्षित मांग पुल के नीचे के भाग को चारखाने में कर दिया जाये जिससे आवागमन में सुविधा हो सके, का कार्यान्वयन नहीं हो सका जिसके कारण शहर के दोनों तरफ बसने वाले लोग परेशान हैं।

ऐसी स्थिति में इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन में प्रस्तुत करता हूं जिससे सरकार गोरखपुर नगर में रहने वाले लोगों के अनुरूप निर्णय लेने की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।

निदेशालय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उ० प्र० लखनऊ द्वारा करोड़ों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

महोदय, निदेशालय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उ० प्र० लखनऊ में वर्ष 1994 में 70 करोड़ का घोटाला जग जाहिर है। दवाइयां एवं अन्य चीजें महंगी खरीद की गयी हैं। ओवर बजटिंग का कार्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शीर्षस्थ अधिकारियों ने किया किन्तु चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलम्बन किया जा रहा है। कर्मचारियों एवं चिकित्साधिकारियों को 1994 से अब तक वेतन भुगतान नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है। तीन माह से वेतन कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। भवन पतियों को 3 वर्ष से किराया नहीं दिया जा रहा है। चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई है।

मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि कर्मचारियों/चिकित्साधिकारियों को वेतन भुगतान समय पर दिया जाये। भवन पतियों को मकान का किराया तत्काल दिया जाए। घोटाले की निष्पक्ष जांच की जाए। घोटाले में लिप्त अधिकारियों से जांच वापिस ली जाए।

श्री अध्यक्ष–

शेष सूचनायें अस्वीकृत हुईं।

जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी नगरों पर 50 वर्ष पूर्व अणुबम गिराये जाने विषयक संवेदना प्रस्ताव को नियम 110 के अन्तर्गत लिये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 300 की सूचनाएं ले रहा हूं। इसमें पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल, श्री भैरो प्रसाद मिश्र की है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं नियम 110 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आपने नियम–300 के अन्तर्गत जो सूचना दी है, उस पर कहें।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जिसने-जिसने सूचना दी होगी, वह होगी, एक-एक करके जिसकी आयेगी वह बोलें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं 110 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। आपको न पसन्द आये तो अस्वीकार कर दीजिये।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

उस पर सब दलों की सहमति होनी चाहिए।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, हिरोशिमा में पचास वर्ष पूर्व अगस्त में अणुबम विस्फोट हुआ था। हजारों लोगों की जान गई थी....

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

अगर पहले दे देते तो कार्य-मंत्रणा पर उस पर विचार कर लिया जाता । प्रस्ताव की मूल भावना पर कोई असहमति नहीं है । मान्यवर, मैं प्रस्ताव के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं । परम्परा यह रही है कि इस प्रकार के प्रस्ताव आते रहे हैं तो सभी दलों के माननीय नेता बैठ लेते थे और तय कर लेते थे । राय बनाकर विस्तार से टिप्पणी भी पहले से बांट देते थे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं यही विनम्रतापूर्वक आपके माध्यम से निवेदन.....

श्री अध्यक्ष–

मेरा अनुरोध है कि जैसा कि आपने, किरनपाल जी और ऊदल जी ने नोटिस दिया है । इस प्रस्ताव पर मैं समझता हूं कि इस सदन की गरिमा बढ़ती । बी० जे० पी० के नेता श्री कल्याण सिंह जी भी रहते और नेता सदन भी रहती तो शायद इस पर जो चाहते हैं उठाना अच्छा रहता ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरा यह आग्रह नहीं है कि इसी समय लें आप तिथि निश्चित कर दें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

इसको कल रख लें आज यह कार्य-मंत्रणा में आ जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

तिवारी जी आपका प्रश्न है जिस चीज को आप कहना चाहते हैं उसमें संसदीय कार्य मंत्री जी की बात सुन रहा हूं इससे उनको इनकार नहीं है । उसकी गरिमा को और ज्यादा गरिमामयी बनाने का उनका सुझाव है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

6 तारीख की बात है 9 को हाउस नहीं है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

9 तारीख को तो आपके ही सुझाव से छुट्टी की गयी है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

पूरी दुनिया हिरोशिमा में जो बम गिरा उस पर संवेदना व्यक्त कर रही है । इसको आज या कल ले लें । आज ही किसी समय ले लें तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आप लोगों से एक अपील की इस विषय पर पुनः कार्य-मंत्रणा में विचार कर लेंगे ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मेरा एक स्पष्टीकरण है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रस्ताव कैसे लाया जाए अभी यह तय हुआ नहीं इसमें स्पष्टीकरण की बात कहां से आ गयी ?

हरदोई जनपद में ग्राम्य विकास अभिकरण की बैठक में जिलाधिकारी द्वारा मा० संसदीय कार्य मंत्री की घोषणा मानने से इनकार किये जाने विषय औचित्य का प्रश्न

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, 2 तारीख को इस सदन में औचित्य के प्रश्न के माध्यम से इस बात की मांग की गयी थी कि जिस प्रकार सांसद को एक करोड़ रुपया विकास के लिये मिलता है उसी तरह से विधायकों को विशेष निधि से दिया जाए। सभी सदस्यों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर सहमति प्रकट की। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि सदस्य विधान परिषद और सांसद चाहे डी० आर० डी० ए० की बैठक हो चाहे डिस्ट्रिक्ट प्लान की बैठक हो उसमें अपने विचार रख सकते हैं। अन्तिम राय विधान सभा सदस्यों की मानी जानी चाहिए। 5 तारीख को डी० आर० डी० ए० की बैठक में सदस्य, एम० एल० सी०, एम० पी० मौजूद थे अखबारों में भी छप गया था लेकिन जिलाधिकारी से जब विधान सभा की घोषणा के बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि जब तक मुख्य मंत्री जी घोषणा नहीं करेंगे तब तक नहीं मानेंगे और मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कोई मंत्रिमण्डल का सदस्य गलत घोषणा करे उसके दबाव को न मानें।

श्री जगदम्बिका पाल–

इतना महत्वपूर्ण औचित्य का प्रश्न है और मुख्य मंत्री जी सदन में मौजूद नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपका विषय अग्रवाल साहब उठा रहे हैं।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री गलत घोषणायें करने के आदी हो गये हैं। पांच तारीख को डी० आर० डी० ए० की बैठक में जिलाधिकारी ने संसदीय कार्य मंत्री जी की घोषणा को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह संसदीय कार्य मंत्री जी की घोषणा है इसको हम मानने के लिये बाध्य नहीं हैं। जब तक इस तरह की घोषणा मुख्य मंत्री जी नहीं करेंगी। मान्यवर, अनुच्छेद 164 (2) में यह प्रावधान है कि सम्पूर्ण मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसी दायित्व का निर्वहन करते हुए घोषणा की लेकिन जिलाधिकारी ने उस घोषणा को नहीं माना। उस बैठक की कार्यवाही हम आपके और संसदीय कार्य मंत्री जी के पास भेज रहे हैं।

श्रीमन्, उन्होंने एम० पी० का कोटा अलग किया, एम० एल० सी० का कोटा अलग किया। इस संबंध में हम सभी विधायकों ने एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पास किया कि हम यह प्रस्ताव कर रहे हैं कि जो सदन में घोषणा हुई उसको जिलाधिकारी नहीं मान रहे हैं। मान्यवर, घोषणा को माना नहीं जा रहा है। यह गम्भीरता की बात है। मेरा संसदीय कार्य मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है कि वह इसको गम्भीरता से लें। मैं चाहता हूं कि इस पर सारे सदस्य बोलें। अगर संसदीय कार्य मंत्री जी की घोषणा को नहीं माना जा रहा है तो मुख्य मंत्री जी स्वयं सदन में आकर घोषणा करें। वह सदन से बड़ी नहीं हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि माननीया मुख्य मंत्री जी इस सदन को गम्भीरता से नहीं ले रही हैं। वह विधान सभा में बराबर नहीं आ रही हैं। वह इसलिये इस सदन को गम्भीरता से नहीं ले रही हैं क्योंकि वह इस सदन की सदस्य तो कभी रही नहीं है। बैठक में विधान परिषद् के सदस्य ने धमकी दी कि इस तरह हुआ तो विधान परिषद् चल नहीं पायेगी।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

आप कृपया विषय पर ही बोलें।

श्री नरेश अग्रवाल–

आप इस तरह का शासनादेश निकालें जिससे कि भविष्य में माननीय विधायकों को इस तरह से बेइज्जत न होना पड़े। मेरे इस प्रश्न को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी गम्भीरता से लेकर इसका जवाब दें।

श्री किरनपाल सिंह–

यह जो विषय आदरणीय सदन में उठाया गया है इसके बारे में पीड़ा पूरे माननीय सदस्यों को है। जब से एक-एक करोड़ रुपया माननीय सांसदों को क्षेत्र के विकास के लिये मिलने लगे हैं। प्रदेश से जो विकास के लिये पैसा जाता है वह वैसे ही बहुत कम होता है। उसमें भी सांसद लोक सभा, सदस्य, राज्य सभा और विधान परिषद् सदस्य जिम्मेदार है। उनको जबकि केन्द्र से एक-एक करोड़ रुपया मिल जाता है।

संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था उससे हमें उम्मीद थी कि वह आश्वासन पूरा होगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिलाधिकारी यह कह रहे हैं कि यह शायद कोई घोषणा विधान सभा में हुई है यह हमारे लिये कोई आदेश नहीं है। इसको हम नहीं मानते हैं। यह बहुत गम्भीर विषय है। मैं यह भी स्पष्टीकरण चाहता हूं कि दो तारीख से पहले जो जनपदों में डी० आर० डी० ए० की बैठक हो चुकी है उनके बारे में मंत्री जी स्पष्टीकरण दें क्योंकि जिन जिलों में दो तारीख से पहले बैठक हो चुकी है वह कहते हैं कि यह दो तारीख के बाद की घोषणा है। दूसरे आपकी घोषणा को कोई मान ही नहीं रहा है। इससे हम सदस्यों को उम्मीद थी। हम विधान सभा के सदस्य जो सीधे चुनकर आते हैं।

जनता रोज हमसे सवाल करती है। खड़ञ्जों, नालियों, पुलियों आदि के बारे में हमसे मांग करती है। हम सीधे जिम्मेदार होते हैं। विधान परिषद् के सदस्य भी जिम्मेदार हैं लेकिन उनको हम लोग वोट देते हैं वह हमारे प्रति जिम्मेदार हैं। राज्य सभा के सदस्यों को भी हम वोट देते हैं वह भी हमारे प्रति जिम्मेदार हैं। लोक सभा के सदस्यों को तो एक-एक करोड़ रुपया मिल ही जाता है। जो आपने यह कहा कि विधायकों को भी 50-50 लाख या एक-एक करोड़ देने की हम सोच रहे हैं वह तो बाद की बात है। लेकिन कम से कम आपने जो आश्वासन दिया है कि विधान सभा के सदस्यों को चाहे, अनुश्रवण समिति की बैठक हो चाहे डी० आर० डी० ए० की बैठक कोई भी जिला स्तर पर पैसा जायेगा, वह विधान सभा सदस्यों के निर्देश पर, उनके बताये कामों पर खर्च होगा, उस घोषणा को आप पूरा करवायें, मैं आपसे यही आग्रह इस प्रश्न के द्वारा करना चाहता हूं।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस औचित्य के प्रश्न पर मैं बल देता हूं। आज हम लोग भारी मन से आपका संरक्षण चाहते हैं कि आप विधायिका की रक्षा करें, विधायिका की अस्मिता की, विधायिका की प्रतिष्ठा की रक्षा करें। हम लोग इस सम्मानित सदन में, जन प्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आते हैं और अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होते हैं, कदाचित उसी विवशता को देखकर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस आदरणीय सदन में घोषणा की थी क्योंकि आज जो लोकसभा सदस्य हैं, उनकी केन्द्रीय सरकार ने विकास की योजनाओं की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप, उनकी प्राथमिकताओं को निर्धारित करते हुए एक-एक करोड़ निर्धारित किया, उस पीड़ा से, वेदना से आप भी सहमत हुए।

मान्यवर, आज सांसदगण अपने क्षेत्र में यदि वहां का जनमानस कोई आवश्यकता के तहत मांग करता है तो वह उसके परिव्यय की स्वीकृति की बात कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि हमेशा बाध्य है, क्षेत्र से जुड़े रहने के लिये, सम्पर्क रखने के लिये, लोगों से, जनमानस से उसकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील होने के लिये, उस दिशा में अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दलीय नेताओं वाली बात कही और कहा था कि हम दलीय नेताओं के साथ बैठकर, माननीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्यमंत्री जी के साथ विचार करेंगे और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा करेगी कि विधान सभा सदस्यों को भी क्षेत्र के विकास की प्राथमिकताओं के लिये कुछ वित्तीय स्वीकृति के अधिकार हों, इसका आश्वासन दिया गया था । लेकिन वर्तमान समय में जिला प्लान और डी० आर० डी० ए० में जो प्रस्ताव लिये जाते हैं, उसके संबंध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम विधान सभा सदस्यों की राय अंतिम रूप से मानी जायेगी । मान्यवर, आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस पूरी विधायिका के आदर योग्य व्यक्ति हैं और उन्होंने जो उत्तर दिया, वह इस सदन की गरिमा के अनुरूप दिया, प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला दिया । आज अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही है तो यह संसदीय कार्य मंत्री की बात नहीं मानी जा रही है, बल्कि पूरी विधायिका की बात नहीं मान रहे हैं । मान्यवर, मैं समझता हूं कि आज माननीय मंत्री जी सुनिश्चित करें और आप कृपा पूर्वक व्यवस्था देने की कृपा करें कि आज प्रदेश के जिलाधिकारियों को, रेडियोग्राम से या जिस किसी भी माध्यम से, निर्देशित करें कि जो भी बैठकें होंगी, उन बैठकों में जो भी विकास संबंधी योजनायें होंगी, उनमें विधान सभा सदस्यों की राय अंतिम रूप से मानी जायेगी ।

लोकसभा सदस्यों के पास तो स्वयं पैसा है, स्वयं धन स्वीकृति दे सकते हैं, लेकिन यदि हम लोगों की बात नहीं मानी जायेगी तो हम जिला प्लान व डी० आर० डी० ए० की बैठकों में अपनी कोई बात नहीं कह सकते और तब हम क्षेत्र के विकास के प्रति जवाबदेह नहीं रह सकते हैं । मान्यवर, आज पूरे सदन की, पूरी विधायिका की गरिमा और अस्मिता का प्रश्न है, ऐसे औचित्य के प्रश्न पर बल देते हुए मैं चाहता हूं कि आप इसे ग्राह्य करें ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आप सदन की कार्यवाही निकलवाकर देख लें । उस दिन भी मैंने यह आशंका व्यक्त की थी और कहा था कि यह बयान गैरजिम्मेदाराना और लोकतंत्र विरोधी है, उसके दुष्परिणाम प्रदेश की जनता को भुगतने पड़ेगे, उनके नौसिखियेपन का फायदा उठाते हुए ....

श्री अध्यक्ष–

यह विषय तो अलग है, आप विषयवस्तु पर सीमित रहें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं यही कह रहा हूं । मान्यवर, मैंने यह निवेदन किया था और उस दिन कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह बयान दिया है कि अगर मंत्री और विधायक ऐसी बात कहें जो नियमानुसार न हो तो अधिकारी न मानें । आज यही हो रहा है । मंत्रियों के कथन को और विधायकों के कथन को अधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन की भावनाओं को देखते हुए जो कहा था कि वह भी मुझे याद है ।

मान्यवर, आपने जो कहा था कि वह यह था कि कृपया सदन की भावनाओं को देखते हुए आप उत्तर दें । उस पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि आज के बाद सदस्य विधान सभा की राय इस संबंध में बैठकों में सर्वोपरि होगी और वह अंतिम होगी । लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है । इसका दुष्परिणाम यह सामने आया है कि हरदोई के माननीय विधायक जब बैठक में गये तो जिलाधिकारी ने कहा कि हम मंत्रियों की बात नहीं मानेंगे, मुख्य मंत्री जी से बात करेंगे । प्रश्न यह नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है कि मंत्री जी की बात नहीं मानी, अगर मंत्री जी की बात नहीं मानते हैं तो जो मंत्री यहां सदन में उत्तर देते हैं उसका क्या होगा ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रह जाता है ।

मान्यवर, आप सदन की कार्यवाही मंगाकर देख लें माननीया मुख्य मंत्री जी 1/20 समय के लिये भी सदन में उपस्थित नहीं हुयी हैं । मैं इससे भी आगे बढ़कर कहना चाहता हूं कि 1/100 के कार्यकाल में भी वह सदन में उपस्थित नहीं हुयी हैं । जब अधिकारीगण मंत्री जी के बयानों को गम्भीरता से नहीं लेंगे तो फिर मान्यवर, इस सदन की कार्यवाही का क्या औचित्य रह जाता है और आपकी पीठ से दिये गये निर्देशों का क्या औचित्य रह जाता है ? यह गम्भीर प्रश्न है । संसदीय कार्य मंत्री का अपमान ही नहीं हुआ है । यह सम्पूर्ण सदन का और सम्पूर्ण लोकतंत्र का अपमान है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो बैठक हरदोई में हुयी है वह हर हालत में समाप्त की जाय । बुलन्दशहर, झांसी इत्यादि जगहों पर जो बैठकें हुयीं हैं वहां इसकी परिणति हुयी है । मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो बैठकें हुयीं हैं वह निरस्त की जायं और भविष्य में जब बैठकें हो तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसको गम्भीरता से लिया जाय । मैं तो सुझाव दूंगा कि आप जो निर्देश भेजें उसमें मुख्य मंत्री जी का एक चित्र और हस्ताक्षर करवा कर भेंजे नहीं तो कोई मानेगा नहीं ।

* श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, मैंने जो औचित्य का प्रश्न दिया है उस पर मैं बल देता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पिछले गुरुवार को इसी सदन में बहुत ही स्पष्ट घोषणा की थी कि जिला योजनाओं का पैसा विधायकों की राय से खर्च किया जायगा और जैसा मेरे साथियों ने बताया, मैंने जो सूचना दी है उसके अनुसार जो हरदोई में बैठक हुयी इस बैठक में जिलाधिकारी ने माननीय सदस्यों के सामने कहा कि ऐसी कोई सूचना शासन से प्राप्त नहीं हुयी है इसलिये मानीनय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो घोषणा की है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है । मैं अनुरोध करूंगा कि इस चीज को स्पष्ट किया जाय कि उन्होंने जिलाधिकारी को सूचना भेजी है या नहीं । यह घोषणा स्पष्ट रूप से जानी चाहिये और जो अधिकारी इसका पालन नहीं करते हैं उनको कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये ।

सांसदों को जो एक करोड़ रुपया मिलता है वह विधायकों की राय से खर्च नहीं करते हैं और उसको अपने विवेक से खर्च करते हैं । जिला योजना के बारे में संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो घोषणा की है कि पैसा विधायकों की राय से खर्च किया जायगा लेकिन उस घोषणा की पालन नहीं किया जा रहा है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह घोषणा भी की थी कि कोई बैठक जनप्रतिनिधियों को सूचना दिये बगैर नहीं होगी, लेकिन इस घोषणा का भी पालन नहीं हो रहा है । अभी पिछले दिनों डी० आर० डी० ए० की बैठक बुलाई गई थी और जनप्रतिनिधियों को सूचना नहीं दी गयी थी । हम लोगों ने कहा तो जिलाधिकारी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को बुलाने की क्या आवश्यकता है जो यह शासन है उसकी घोषणायें होती हैं उनका पालन करने के लिये निर्देश दिये जायें नहीं तो यह परिपाटी बन जायेगी । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने घोषणा की थी और दारुलशफा में पानी की व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा था कि कार्यवाही की जायेगी लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है उस दिन भी पानी नहीं आ रहा था और आज भी नहीं आ रहा है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय तिवारी जी ने, माननीय किरन पाल जी ने, श्री नरेश अग्रवाल जी ने और माननीय मिश्रा जी ने जो विषय उठाया है, यह सही है कि जो बैठकें जनप्रतिनिधियों की जिला योजना की बुलाई जाती है उनमें माननीय संसद सदस्य और माननीय विधान परिषद् के सदस्य के परामर्श लिये जाते हैं लेकिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जब कोई ऐसी स्थिति आती है तो अंतिम रूप से केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अर्थ न राय इस सदन के सदस्यों की ही मानी जायेगी। माननीय प्रमोद तिवारी जी और पाल जी ये दोनों इस आदरणीय सदन के पुराने सदस्य हैं और मंत्री भी रहे हैं उन्हें जानकारी है कि मंत्री जी की घोषणा के बारे में बाद में राजाज्ञा जारी होती है और उसकी एक प्रक्रिया है। इस बारे में दोनों साथी जानते हैं।

माननीय मंत्री की घोषणा के बारे में राजाज्ञा जारी करते समय कई विभागों से परामर्श लेना आवश्यक है और आवश्यक बैठकें भी करनी होती हैं। इस समय सदन चल रहा है और तत्काल इस तरह की बैठक करके कोई शासनादेश जल्दी में निकाल देना उचित नहीं होगा। जो घोषणा की गई थी उसकी माननीय सदस्यों ने तारीख भी बता दी है, तो सरकार शासनादेश जारी करवा देगी और कुछ ऐसी बातें जो केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अधीन जरूरी है उन्हें समाहित करते हुए शीघ्र आदेश जारी होंगे, मगर यह बात जो बताई है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह रखा है कि मंत्रियों की बातें न मानें, यह सही नहीं है। यह प्रमोद तिवारी जी की प्रेममयी शैली है और आक्रामक शैली भी है। श्रीमन् यह कोई ऐसा विषय नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐसे निर्देश दिये हों कि माननीय मंत्रियों की बातें न मानी जायें। उनकी तो मान्यवर मंशा है कि इस आदरणीय सदन में खुलकर विचार व्यक्त किये जायें और जो अग्रिम पंक्ति में नेता बैठे हैं, ऊदल जी बैठे हैं, पाल जी बैठे हैं, उन्हें पता होगा और मैं इन्हें स्मरण कराना चाहता हूं कि पहले ऐसे अवसर कम आये होंगे। लगातार इस बार कोई न कोई ऐसा दिन अवश्य आता है, सरकार कोई न कोई स्पष्ट आश्वासन अवश्य देती है। घोषणायें भी हम तभी करते हैं जब हमारे साथी पढ़कर आते हैं और स्नेह के साथ सरकार के ऊपर आक्रमण करते हैं और उसका हम स्वागत भी करते हैं। कहीं ऐसी बात नहीं है कि जो हम यहां पर कह रहे हैं उस पर क्रियान्वयन की कोई ऐसी बात नहीं हैं, शासनादेश जारी करवा दिया जायेगा।

इस अवधि में जो बैठकें हुई हैं उनके बारे में प्रश्न उठाये गये हैं हमारे संसदीय कार्य विभाग के अलग से आदेश जारी हो गये हैं पहले आदेश था कि दो दिन की छुट्टी जब होती थी तो बैठक हो जाया करती थी परन्तु अब यह हो गया है कि यदि 3 दिन की छुट्टी हो तब कोई अपरिहार्य दशा में बैठक बुलाई जा सकती है जिसमें माननीय विधायकों को हिस्सा लेना हो। तो जो ऐसी बैठकें हैं ऐसी बैठकों की कार्यवाही को निरस्त करने के बारे में सरकार निर्णय लेगी मगर सम्यक विचार करेगी। श्री किरनपाल जी ने कहा कि हमारे आदेश नहीं माने जाते, पहले उन्होंने कहा कि आदेश नहीं माने जाते फिर उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ने कहा कि 2 तारीख के पहले की जो बैठक है उनको नहीं मानेंगे बाद में मानेंगे तो उनकी बात से यह पता लगा कि मानने को तैयार हैं।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, जो इस वर्ष का पैसा बाकी है विकास के लिये उसके लिये जो मीटिंग हो रही है या जो हो चुकी है उन सबको सम्मिलित कर लें और उसके बारे में शासनादेश करें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जो कुछ यहां कहा गया है उस आश्वासन को पूरा करने के लिये सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है उसका परीक्षण भी हो रहा है। जैसा मैंने निवेदन किया कई विभाग एक साथ बैठेंगे और बैठकर निर्णय लेंगे यह स्पष्ट आश्वासन है।

श्री किरन पाल सिंह–

इसी वित्तीय वर्ष का आप कर दें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, हमारे अधिकारीगण सतर्क हैं। जितने भी विचार आये हैं यह किसी भी प्रकार से नियम 300 में नहीं आता है जो आश्वासन है उसको सरकार पूरा करेगी।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, 4 तारीख तक हाउस चला और 5 तारीख को मीटिंग बुलाई ।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

इस प्रकार की जो बैठकें हैं उसकी कार्यवाही निरस्त हो गई, मैंने कह दिया ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, आपके अधिकारी रोज अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं उनको पता होगा । (व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

अखबार में जो घोषणायें छपती हैं उन घोषणाओं के आधार पर अधिकारी शासनादेश जारी नहीं कर सकते । यह बात तो आप जानते हैं और यह बात पहले आपने ही कभी मुझे बतायी थी ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

जिलाधिकारियों ने क्यों बैठक बुलाने का दुस्साहस किया ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

उन्होंने इसलिये बुलाई होगी कि अगर कोई योजना नहीं बनायेंगे तो आप शिकायत करेंगे कि जिलाधिकारी कोई प्लान नहीं बनाते ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जब तक शासनादेश और राजाज्ञा नहीं जारी होती, मैं इनकी सदस्यता और कानूनी बाध्यता से सहमत हूं । मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि राजाज्ञा जब आप जारी करेंगे, आपने इस सदन में कहा कि जो बैठक होगी उसमें अंतिम रूप से विधायकों की बात मानी जायेगी तो इस वित्तीय वर्ष में 2 के पूर्व भी जो बैठकें हो चुकी हैं उनका भी समावेश कर लेंगे राजाज्ञा में, यही मैं जानना चाहता हूं ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जब यह कार्यवाही अधिकारीगण पढ़ेंगे तो जो शासनादेश जारी करने जा रहे हैं, उसमें आप लोगों के भी बयान आ रहे हैं, उसका भी संज्ञान लेंगे । ऐसा नहीं है कि अधिकारीगण केवल हमारी बात का ही संज्ञान लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद, यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत आती है, इसे इसलिये मैं अग्राह्य करता हूं । अगली सूचना श्री बदन सिंह जी की लेता हूं ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें मैंने बदन सिंह जी को बुला लिया है ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, दिनांक (व्यवधान) 14-7-95 को

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, जब मैंने एक बार यहां सवाल उठाया था तो यह कहा गया था और यह जवाब दिया गया था कि 82 का जो शासनादेश जारी हुआ था उसमें यह बात आई थी कि स्थलों के चयन में विधायकों को प्राथमिकता देंगे लेकिन वह कहां हो रहा है ? इसी तरह से आज की गारन्टी क्या है ?

जनपद आगरा की तहसील किरावली में पेयजल संकट विषयक नियम 51 की सूचना पर शासन का ध्यानाकृष्ट किये जाने के बावजूद उसका कार्यान्वयन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री बदन सिंह–

दिनांक 14-7-95 को नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचना दी थी कि जनपद आगरा की तहसील किरावली में जितनी ग्राम समूह पेयजल योजनायें लगी हुई हैं, उसमें किसी भी ग्राम को पानी नहीं मिल रहा है, लाइनें टूटी पड़ी हैं, टंकियां खराब पड़ी हैं। उस सूचना पर आपने कृपापूर्वक शासन का ध्यान आकर्षित किया था। शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए भी लगभग एक माह बीत गया है और जनपद आगरा की तहसील किरावली की सम्पूर्ण जनता घोर पेयजल संकट का सामना कर रही है। वहां पर एक-एक योजना में 8-8, 10-10 ग्राम सम्मिलित हैं। वहां के लोग प्यासे हैं और अव्यवस्था ज्यों की त्यों बनी हुई है। न पाइप लाइन को ठीक किया गया है और न टंकियों को ठीक किया गया है। मान्यवर, माननीय सदन जिस वक्त चलता था पूरा प्रशासन सावधान रहता था कि कहीं विधान सभा में किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई सवाल न उठ जाय। लेकिन आज यह दशा हो गयी है कि चाहे विधान सभा चल रही हो और माननीय सदस्यों की सूचनाओं पर ध्यान आकर्षण का शासन को आदेश दिया जाय, तब भी आज इन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। प्रदेश की जनता को विभिन्न असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

मान्यवर, हमारे वहां का पानी खारा है पेयजल योजनायें अस्त-व्यस्त हैं इनका किस प्रकार से समाधान हो इस पर कृपापूर्वक आपकी व्यवस्था चाहते हुए आपकी घोषणा चाहता हूं। इसमें शासन को कड़े निर्देश दें। जल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये जायें। वे भ्रष्टता में डूबे रहने के कारण अपने सम्पूर्ण कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। वह भ्रष्टता से अलग होकर जनता की पेयजल आपूर्ति की सेवा में लग जायं।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, माननीय बदन सिंह जी ने इस विषय को नियम 51 के अन्तर्गत आपको सूचित करके ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की थी और मान्यवर, माननीय बदन सिंह जी ने सदन को यह भी बताया कि आपने इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया था। मान्यवर, जब सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तो वह उस पर जांच कराती है और उसके बाद अवगत कराती है।

मान्यवर, इसको फिर नियम–300 के अन्तर्गत उठाया जाना उचित नहीं प्रतीत होता है और न तो इसकी नियमावली में कोई व्यवस्था है, न कोई परम्परा है और न ही कोई दृष्टांत है कि आपने जिस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया हो उसे नियम–300 के माध्यम से फिर से सुना जाय। आपने इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और सरकार इस पर कार्यवाही कर रही है और हमारे पास उसकी कोई सूचना नहीं है। यह नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको निरस्त करें। यह परिपाटी कदाचित उचित नहीं होगी कि जिस विषय पर सरकार का ध्यान इसी सत्र में आकृष्ट हो उसको नियम–300 के अन्तर्गत उठाकर क्या कार्यवाही हुई इसकी जानकारी की जाये। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसे निरस्त किया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय सदस्य को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी सुना और सुनने के बाद इस निर्णय पर पहुंचा कि यह सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है अतः मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

गन्ना किसानों के बकाये से सम्बन्धित धनराशि संसदीय कार्य मंत्री की घोषणा के बावजूद भी चीनी निगम को प्राप्त न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री पाल जी की है, को मैं ले रहा हूं।

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

मान्यवर, एक सूचना मैंने भी दी थी कृपा करके उसको सुन लें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपने मेरा ाम पुकारा है। मैं खड़ा हूं।

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

मान्यवर, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इसी के तहत मैंने सूचना दी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौधरी जी आप बैठ जाय। आपने जो सूचना दी है उसको मैंने पढ़ा है। जो बातें आपने उठायी हैं उससे किसी नियमावली के नियम या अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं हो रहा है और न ही किसी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

मान्यवर, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है इसीलिये मैंने यह सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष–

यह परिधि के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये मैं इस पर आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह लिखा नहीं जायगा और न ही प्रकाशित किया जायगा। अब आप बैठ जाय।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न इस सम्मानित सदन के समक्ष रखा वह सदन को अवमानित करने वाला है। इस सदन में संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित थे और मुख्य मंत्री भी उपस्थित थीं। मान्यवर, जो प्रश्न उठाया गया था कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम का जो प्रदेश के गन्ना किसानों का 60 करोड़ रुपये का बकाया है उसके संदर्भ में आपने उत्तर भाषण में यह कहा था कि हमने 20 करोड़ रुपया स्वीकार किया

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। यदि जिलाधिकारी या अन्य अधिकारी किसी भी घोषणा को मानने के लिए बाध्य नहीं है, यह उससे भिन्न है। मान लिया उस औचित्य के प्रश्न में अभी तक राजाज्ञा नहीं जारी हुई है लेकिन इसमें तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने श्रीमुख से कहा था कि शासन ने 20 करोड़ रुपया स्वीकार कर दिया लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उक्त धनराशि स्वीकृत करने के बाद आज तक न उत्तर प्रदेश चीनी निगम को प्राप्त हुआ, न प्रदेश की जो सोसाइटियां चीनी मिलों से जुड़ी हैं, उन केन सोसाइटियों को प्राप्त हुआ, जिसके कारण राज्य चीनी निगम पर बकाया किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान पूरे प्रदेश में नहीं हो रहा है और जिसके कारण उन्होंने कहीं खाद के लिए, बीज के लिए, कीट नाशक दवाओं, सिंचाई या विद्युत का बिल पर बकाया है तो तहसील के लाकअप में बन्द हो रहे हैं, यदि गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाता तो वह कम से कम कुछ राशि जमा कर लेते।

मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से सम्पर्क किया और कहा कि उनकी जो गन्ने की पर्चियां हैं उसका जो पैसा उनको मिलता, कम से कम उसको समायोजित कर लें, ताकि उनकी गिरफ्तारी न हो और लोग अपने घरों से वंचित न हों। कम से कम सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि वह उनके किसी संस्थाओं या बकायों के ऋणों के सापेक्ष उनको समायोजित किया जाये। यदि अब तक भुगतान हो गया होता तो आज किसानों का जिस तरह से शोषण हो रहा है, उनको लाकअपों में बन्द किया जा रहा है तो यह स्थिति न होती।

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी स्पष्ट रूप से 20 करोड़ रुपया देने की बात सदन में कही थी लेकिन आज तक वह पैसा नहीं प्राप्त हुआ है। तो मान्यवर, प्रावधान में सदन के समक्ष घोषणा की थी इसलिए यह औचित्य का प्रश्न बनता है। मैं इस बात पर बल देता हूं।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी के क्षेत्र में न गन्ना मिल है, न गन्ना पैदा होता है इसलिए इनको गन्ना किसानों का दर्द नहीं महसूस हो रहा है। चीनी मिलों की बिक्री या गन्ना मूल्य के बकाये के बारे में सभी सदस्यों की आम राय थी। आज प्रदेश में गन्ना किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। हम लोगों ने मांग की थी कि ऐसी नीति निर्धारित कर दी जाये, ऐसा कानून बना दिया जाय कि अगर किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान सरकारी मिलों, फेडरेशन की मिलें 15 दिन के बाद करें तो वे ब्याज दें, वैसा ऐसा प्राविधान भी है तो स्वतः समय पर भुगतान हो जायगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब आप इधर बैठते थे तो आपने भी गन्ने वाली बात पर हामी भरी थी लेकिन आज आपको अधिकार प्राप्त हुआ है।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

सदन में घोषणा होने के उपरान्त दूसरे दिन अखबारों में छप जाता है कि जनता समझने लगती है कि सरकार ने हमें यह राहत दे दी है। सरकार ने सदन में घोषणा कर दी कि चीनी निगम के ऊपर 60 करोड़ रुपये बकाया है जिसमें से हमने 20 करोड़ रुपये अवमुक्त कर दिया है और जो किसानों के पास पहुंच गया है। आज निगम की मिलों और प्राइवेट मिलों के बाहर किसानों की लाइन लगी हुई है और वहां पर किसानों को दुत्कार के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भले ही आपके यहां कोई चीनी मिल न हो, परन्तु आपके जो साथी हैं और या फिर आपके जो सहयोगी

साथी हैं, उनके वहां गन्ना किसान व चीनी मिल दोनों हैं। उनसे आप इस संबंध में पूछिये। आप यह मत समझिये कि आपको गन्ना किसान माफ करने जा रहा है।

आज सदन के अन्दर जो घोषणायें हो रही हैं, उन्हें गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आप हमारे संरक्षक हैं, इसलिए हमें संरक्षण दीजिये। माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस सदन को गम्भीरता से नहीं ले रही हैं। वह भी समझ रही हैं कि ज्यादा दिन सरकार चलने वाली नहीं है। परन्तु माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपको और हमें विधान सभा का चुनाव लड़कर आना है। इसलिए आप सदन के अन्दर दी गयी घोषणाओं को गम्भीरता से लें। यदि जी० ओ० जारी नहीं हुआ तो इसके लिए दोषी कौन है, उसे आप दण्डित कीजिये। अभी गन्ना सचिव बैठे हुए थे परन्तु अभी-अभी उठकर चले गये हैं। यदि सदन के अन्दर की गयी घोषणा को नहीं माना गया तो यह सदन की अवमानना होगी। इसलिए आप इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करें।

(श्री राम विशुन आजाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

जिन लोगों के हस्ताक्षर सूचना में हैं, मैं उन्हीं को बोलने की इजाजत दूंगा। मैं श्री राम विशुन आजाद को बोलने की इजाजत नहीं देता हूं। यदि श्री प्रमोद तिवारी बोलना चाहते हैं तो मैं उन्हें अवसर दूंगा। क्योंकि उनके हस्ताक्षर सूचना में हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं नहीं बोलूंगा। इसलिए आप मेरे स्थान पर श्री राम विशुन आजाद को बोलने का अवसर प्रदान कर दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, यदि आप नहीं बोलेंगे तो मैं श्री आजाद को अवसर प्रदान करता हूं।

* श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में गन्ना किसानों का शोषण किया जा रहा है। आज गन्ना किसानों का 154 करोड़ रुपये बकाया है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें तो 60 करोड़ रुपये लिखा है।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, यह तो केवल चीनी निगमों के ऊपर बकाया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यहां पर घोषणा कर दी कि हम 20 करोड़ रुपये दे रहे हैं और गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया जायेगा। सरकार के बयान के बावजूद भी गन्ना किसानों को पैसा नहीं मिला जिसके कारण आज वह भुखमरी का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थिति में पहुंच गया है और अपनी पर्चियों को औने-पौने दामों पर बेच रहा है । अगर सरकार का 10 रुपया भी किसान के ऊपर बकाया है तो उसके लिए आर० सी० जारी कर दी जाती है और अधिकारियों द्वारा उसका शोषण किया जाता है ।

यह सरकार केवल सदन के अन्दर किसानों की हमदर्दी की बात करती है परन्तु किसानों को पैसा नहीं देती है । इसलिए मैं चाहूंगा कि 20 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को तत्काल किया जाय । इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार किया जाय ।

(श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, मैं उन्हीं को सुनूंगा । श्री आजाद को इसलिए सुन लिया क्योंकि श्री प्रमोद तिवारी जी ने स्वयं बोलने से मना कर दिया ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, यह सही है कि इसी आदरणीय सदन में 20 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जाने की घोषणा की गयी थी । 20 करोड़ रुपये में से 10 करोड़ रुपये पहुंच गया है । यह 10 करोड़ रुपये किन-किन को भुगतान करना है, हमारे पास इसकी सूची भी उपलब्ध है । 10 करोड़ रुपयों के आदेश जारी हो चुके । 30 करोड़ रुपया और दिये जाने पर गम्भीरता से विचार हो रहा है । तो जिन इकाइयों को यह धनराशि अवमुक्त किये जाने के लिए कहा गया है उनमें मेरठ, बुलन्दशहर, घाटमपुर, छाता, बरेली, हरदोई, माननीय नरेश अग्रवाल जी आपके यहां का भी इसमें नाम है, महोली, नन्दगंज, बाराबंकी, बुढ़वल, मुडेरवा, पिपसईन, लक्ष्मीगंज, रामकोला, छितौनी, भटनी, देवरिया, बेतालपुर, नवाबगंज, मोइद्दीनपुर ।

यहां पर यह कहा गया कि इस आदरणीय सदन में जो घोषणा की गयी थी उसका पालन नहीं हुआ है मैंने कहा 10 करोड़ रुपया अवमुक्त हो चुका है 10 करोड़ होने जा रहा है और 30 करोड़ और आगे दिये जाने पर भी गम्भीरता से विचार हो रहा है.....

श्री प्रमोद तिवारी–

20 करोड़ में से 10 करोड़ दिया है यह गम्भीर मामला है हमारे औचित्य का प्रश्न लाने का उद्देश्य पूरा हो गया है मंत्री जी ने 10 करोड़ स्वीकार किया है तो जानबूझकर सदन को गुमराह किया गया है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैंने कई बार आपके माध्यम से निवेदन किया था, मुझे बहुत पीड़ा होती है । आप जब बोलते हैं तो मैं बीच में नहीं बोलता हूं । तो मैं आज जानना चाहता हूं कि किस संसदीय परिपाटी में, किस किताब में, किस परम्परा में, किस शिष्टाचार में यह लिखा हुआ है जब आपका एक साथी जो संसदीय कार्य मंत्री भी है आपके सामने बोल रहा है उसके बीच में ही बोलने लगें, आप अगर बाद में कहें तो सुविधा होगी ।

मेरी बात बीच में काट दी । तो मेरी जिज्ञासा बढ़ जाती है वह कौन सी किताब और नियम में लिखा हुआ है ताकि मैं भी जान सकूं और तद्नुरूप बोलूं और जान सकूं कि माननीय तिवारी जी अब

बात काटने वाले हैं और मैं फिर प्रतीक्षा करूं और फिर उत्तर देने के लिए खड़ा हूं। औचित्य के प्रश्न पर आप बोल चुके हैं मैंने पहले ही स्वीकार किया और निवेदन किया कि 10 करोड़ रुपया पहुंच चुका है 10 करोड़ रुपया और जा रहा है इसके अलावा 30 करोड़ और दिये जाने के संबंध में सरकार विचार कर रही है। आज की तारीख तक 95.5 प्रतिशत भुगतान हो चुका है जिसमें 2396 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। तो इसके बाद आप बोलेंगे तो मुझे सुविधा होगी। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से आज ही या किसी दिन वह उस पुस्तक या शिष्टाचार की जो भी पुस्तक हो बता दें या जो ज्ञान उनके पास हैं उससे अवगत करा दें।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

उनको अपने चैम्बर में बुला लें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मेरे चैम्बर में कृपापूर्वक वह आते रहते हैं मैं भी उनके घर जाता रहता हूं इसमें किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं अनुरोध पूर्वक कहना चाहता हूं कि यह जो बीच में चिल्लाते हैं इससे कठिनाई होती है। तो अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं व्यवस्था दे रहा हूं यह 300 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं और शेष सूचनायें जो नियम 300 में दी गयी हैं उन्हें अस्वीकार करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से सलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयी हैं। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुनूंगा।

पहली सूचना श्री किरन पाल सिंह और श्री हरेन्द्र सिंह मलिक जी की है।

श्री किरन पाल सिंह–

अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बाढ़ आ गई है। वह इलाका एक पखवारा पहले सूखा से प्रभावित था और अब पहाड़ पर अतिवृष्टि और वहां भारी वर्षा से बाढ़ आ गई है। प्रशासन पूरी तरह से तैयार नहीं है हमें राहत दिलाने के लिये। वह कहते हैं कि इसके लिये हमारे पास पैसा नहीं है। वहां पशुओं के चारे का अभाव है और बीमारियां महामारी के रूप में फैल रही हैं। कुछ जिलाधिकारियों ने कहा हमारे पास बाढ़ से बचाव के लिये पैसा और दूसरे संशाधन नहीं हैं, हमने बाढ़ की तैयारी नहीं की थी। शासन लिख रहा है वहां पैसा आयेगा तो वहां के लोगों को कुछ राहत दी जायेगी। इसलिये मैं दीक्षित जी से अनुरोध करूंगा कि वह वहां पर सरकार की ओर से सहायता पहुंचायें और अधिकारियों को कहें कि वह बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने और उन्हें राहत देने का पूरा प्रयास करें। इसलिये इस पर कार्यवाही रोक कर आप कुछ देर चर्चा करा लें।

* श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, पश्चिम के लोगों की अजब स्थिति है उन पर दोहरी मार पड़ रही है। सूखे से उनकी फसल सूखी पड़ी है और बरसात के पानी से गंगा और यमुना के दोआबा में रहने वाले लोग–मेरठ मुज्जफरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, बिजनौर और मुरादाबाद के जो गंगा के किनारे बसे हैं उन सारे जिलों के गन्नीय क्षेत्रों की फसलें पानी में डूब गई हैं। जिला प्रशासन कोई औचित्य पूर्ण कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। पशुओं में बीमारी फैल रही है और हमारी अर्थ व्यवस्था इससे चौपट हो जायेगी। आज वहां पर किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी मांग करता हूं कि वहां पर रोजगार की व्यवस्था के अवसर सृजित किये जाये और प्रभावित किसानों की क्षतिपूर्ति की व्यवसथा की जाय। इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर आज ही चर्चा करायें।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

माननीय किरन पाल सिंह और मलिक जी ने एक गम्भीर मामला उठाया है। उन्होंने जो सूचना दी है कि जिलाधिकारियों के पास इसके लिये धन उपलब्ध नहीं है, यह सूचना अभी सरकार के पास नहीं है। जिलाधिकारियों की कोई मांग आती है बाढ़ से निपटने के लिये तो दैवी आपदाओंसे निपटने के लिये सरकार के पास पैसा की कोई कमी नहीं है। पशुओं की बीमारी और महामारी फैलने के बारे में जो बिन्दु उन्होंने उठाये हैं, सारी बातों पर सर्वकलन से कार्यवाही होगी। उन्होंने जो भी विचार व्यक्त किये हैं उनके इस भाषण को आधार मानकर सरकार सम्बन्धित प्रभावित क्षेत्रों को सहायता देगी और बीमारी की रोकथाम करेगी और पशुओं की बीमारी के बारे में भी पड़ोस के जिलों से टीम भेजी जाये, ऐसे निर्देश सरकार तत्काल भिजवा देगी।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, घाघरा नदी में भी भयानक कटाव हो रहा है। आजमगढ़, बस्ती, फैजाबाद में ....

श्री अध्यक्ष–

यह इसमें नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल–

आप आज्ञा दे देंगे तो मंत्री जी जवाब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष–

इसके बारे में अभी मंत्री जी के पास सूचना नहीं होगी।

श्री जगदम्बिका पाल–

तो अलग से मैं सूचना दे दूंगा आप इसे ले लीजियेगा।

नोटः– वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप आगे सूचना दे दीजियेगा । इस विषय पर श्री किरन पाल सिंह और श्री हरेन्द्र सिंह मलिक जी को तथा मंत्री जी को सुनने के बाद इसे मैं अग्राह्य करता हूं । अगली सूचना श्री कामेश्वर उपाध्याय जी की है ।

* श्री कामेश्वर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं इस प्रश्न के माध्यम से लोक निर्माण विभाग गोरखपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चहता हूं । इस क्षेत्र में 93-94, 94-95 के लिये बहुत ज्यादा धन का आवंटन किया गया था । इस धन में से अन्य जिलों में बराबर वितरण न करके सिद्धार्थनगर में निर्माण इकाई को 32 लाख रुपये का आवंटन किया गया और अन्य जिलों को बहुत थोड़ा धन दिया गया । सिद्धार्थनगर में चीफ इंजीनियर ने अपने चहेते सहायता अभियंता और अन्य अभियन्ताओं को 32 लाख रुपये का आवंटन करके इस धनराशि का पूर्ण रूप से दुरुपयोग किया है । इसके अलावा 45 लाख रुपये अन्य कार्यों में दिखाकर अपव्यय किया गया है ।

हमारे देवरिया जिले में कोई आवंटन नहीं किया गया जो कुछ आवंटन किया गया वह सूक्ष्म था । इस तरह से गोरखपुर के मुख्य अभियंता द्वारा धांधली की जा रही है । पिछली बार मुख्य अभियंता द्वारा आवंटन कर दिया था लेकिन उनका ट्रांसफर हो जाने से उनके स्थान पर जो दूसरे आये उन्होंने उस आवंटन को रद्द करके अपने निजी स्वार्थ के लिये फिर आवंटन करवा कर धांधली की । 9 वर्षों से वही सहायता अभियन्ता वहां पर काम कर रहे हैं । भितिया रेलवे क्रासिंग पर कार्य के लिये 4 लाख रुपये एडवांस आवंटन कर दिया गया जबकि वहां पर 20 हजार रुपये का भी काम नहीं किया गया । न तो काम हुआ है न ही पैसों की रिकवरी हुई है । जो एलाइमेंट एप्रूव किया था उसे रेलवे वालों ने एप्रूव नहीं किया । इसी तरह से एक जगह 66,872 रुपये का अपव्यय किया गया है अतः वहां पर हो रही धांधलियों के सम्बन्ध में जांच करवाकर कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था आपकी अनुमति से, कि नियमावली में कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाये जाने की कुछ शर्तें हैं । दूसरी बात कि घटना की घटी हो, अविलम्बनीय लोक महत्व की हो । जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है वह एक सामान्य सूचना है । लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई अनियमितताऐं हैं जिनकी तरफ माननीय सदस्य ने शासन को जानकारी दी है । यह कोई नियम 56 के अन्तर्गत ऐसा विषय नहीं है कि काम रोक कर चर्चा कराई जाय, इसमे ऐसा कोई तथ्य नजर नहीं आता है । माननीय सदस्य ने जो शिकायत की है उसकी किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच करा ली जायेगी । हमारी आपसे प्रार्थना है कि सूचना न तो अविलम्बनीय लोक महत्व की है, न ही हाल की घटना है, अतः इसे निरस्त करने की कृपा करें ।

नोटः–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री रामकुमार शुक्ल की है।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक गम्भीर प्रश्न पर नियम–56 के अन्तर्गत अपनी बात कहना चाहता हूं और मान्यवर, के संज्ञान मे तो मैं लखनऊ की बात ला रहा हूं लेकिन प्रदेश भर की हालत ऐसी ही है। पिछली सरकार जो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उनके काले कारनामों में सम्मिलित मेयर आदि रहे होंगे पर इस पर पर्दा मत डालिये। यहीं कैबिनेट के राज्य मंत्री नगर पालिका गये थे ज्ञापन देने और प्रदर्शन करने के लिये। उन पर आक्रमण हुआ था, वह घायल हो गये थे और अस्पताल में महीनों भर्ती रहे।

इस प्रदेश में गुण्डाराज था, माफियाराज था वहां लखनऊ भी इससे अछूता नहीं था। लखनऊ नगर की महायोजना 1992–2001 थी जिसमें था कि सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, फुटपाथ कितना चौड़ा होगा। लखनऊ नगर महायोजना में सड़क की चौड़ाई 45 मीटर स्वीकृत है। लखनऊ में जितने अतिक्रमण हो रहे हैं उसमें जनता पर तो अंकुश लगाया जा सकता है लेकिन मेयर को संरक्षण मिल रहा हो तो अतिक्रमण कैसे रुकेगा ? जहां नगर निगम ने ही अवैध दुकानें अतिक्रमण करके बनाई हो उन्हें कौन हटावेगा ? मान्यवर, यह दुकाने लाखों रुपये लेकर दी गई है तथा नगर निगम के मेयर ने करोड़ों रुपये का घोटाला किया है। लखनऊ में तीन प्रमुख स्थान हैं जहां महापालिका ने अतिक्रमण किया, दुकानें बनवाई, एल०डी०ए० से नोटिस दिया गया कि अवैध निर्माण न कराया जाए लेकिन नोटिस को नगर निगम द्वारा अनसुना कर दिया गया। नखखास में पहली घटना हुई। एल०डी०ए० ने इस महायोजना के अन्तर्गत दुकानें बनाई थी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि महापालिका ने दबाव में आकर कुछ सभासद लोगों के कहने में आकर दुकान बनाने की अनुमति दे दी। रातों-रात दुकानों का निर्माण किया गया, दुकानदारों को धमकाया गया तथा जनता ने विरोध में घेराव किया। मैं नखखास की घटना में आपका संरक्षण चाहता हूं। महानगर 1992–2001 योजना है। गरीबों को फुटपाथ से हटा दिया गया यह कहकर हटा दिया गया कि यातायात में बाधा पड़ती है। कैबिनेट स्तर के मंत्री के पास पटरी दुकानदार गए और कहा कि हम लोगों ने कौन सी गल्ती की थी हमें हटा दिया गया। अब वहां दूकानें बन जाने से कहां यातायात ठीक हो गया ? अब तो पूरा फुटपाथ ही घिर गया है। जंगल राज उत्पन्न हो गया है अब लाइन की लाइन दुकान बन कर खड़ी हो गई है और सभी दुकानें खुल गई हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है मैं इसमें आपका संरक्षण चाहता हूं उन दुकानों को हटाया जाए।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय शुक्ल जी ने लखनऊ नगर महापालिका की महानगर योजना 1992-2001 की सूचना को शासन गम्भीरता से लेता है शुक्ल जी ने अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण की बातें कहीं हैं। माननीय शुक्ल जी ने कहा है और कई श्रोत से हमें पता लगा है समाचार पत्रों में भी निकला है महानगर में अतिक्रमण की समस्या है जो बिन्दु उठाए गए हैं जो विचार व्यक्त किए गए हैं और जो तथ्य उनके पास हों शुक्ला जी जिस अधिकारी से कहें जिलाधिकारी लखनऊ से कहें तो पूरा प्रकरण उनको

संदर्भित कर दिया जाएगा वह एक माह में क्या जांच हुई और क्या कार्यवाही हुई इससे उत्तर प्रदेश शासन को अवगत करा देंगे ।

डा० रामबाबू हरित–

एक सूचना हमने भी दी है ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को अस्वीकार करता हूं ।

* श्री रमेशकान्त लवानियां–

मान्यवर, तीन अगस्त, 1995 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया ताज संरक्षित निर्णय में, जिसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, [illegible], अलीगढ़, राजस्थान का भरतपुर आता है इस क्षेत्र में प्रदूषणकारी उद्योग है उनको हटा दिया जाए या स्थानान्तरित कर दिया जाए । यह आदेश केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार को दिया है । मान्यवर, इस प्रकार एक मेहता हैं जिनकी याचिका विचाराधीन है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनकी याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया पहले आदेश के तहत 212 उद्योग बन्द हो गये जिसमें प्रदूषणकारी यंत्र लगाए गए । अब भी बहुत से उद्योग चलते हैं । अब पुनः प्रार्थना पत्र दिया गया केन्द्र सरकार की ओर से, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया और जांच पडताल व अध्ययन के बाद उसकी रिपोर्ट मांगी । तो अभी हाल में ही 1993 में जुलाई में निली कमेटी व वर्दराजन कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है । इससे आगरा ही नहीं फिरोजाबाद व आस-पास के 4-5 जिलों में उद्योग विहीन होने का गम्भीर खतरा पैदा हो गया है । पहले भी शासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है । पैरोकारी सर्वोच्च न्यायालय में नहीं की । आगरा के आयरन इण्स्ट्रीज को गुजरात के उद्योगपति समाप्त कर देना चाहते हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपया सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में कोई कमेन्ट न करें ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा को ध्यान में रखकर अपनी बात करें ।

श्री रमेशकान्त लवानियां–

अभी तक मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है जिससे सर्वोच्च न्यायालय पर आक्षेप लग रहा हो । मान्यवर, इस निर्णय से आगरा उद्योग शून्य हो जायेगा । इस रिपोर्ट के आधार पर ईंट-भट्ठे, चूड़ी, आयरन व दोपहिया व तिपहिया वाहन बन्द हो जायेंगे । वर्दराजन की रिपोर्ट हैं उसमें उन्होंने कम से कम

नोटः–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

10 कि०मी० क्षेत्र में वाहन बन्द करने की संस्तुति की है। उसके लिए सरकार रिंग रोड बनाये वृक्षारोपण करे।

सर्वोच्च न्यायालय ने चार हफ्ते का समय दिया है, कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह पुनर्विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन दाखिल करे। अच्छे से अच्छा वकील करे। पैरोकारी ठीक से करे। सर्वोच्च न्यायालय से यह कहे कि जो एक्सपर्ट कमेटी बनायी गयी थी उसकी रिपोर्ट के अनुसार आगरा के प्रदूषण नियंत्रण के लिए हम कार्यवाही कर रहे हैं। पुनर्विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन दाखिल करें। जिससे आगरा को उद्योग विहीन होने से बचाया जा सके। वर्दराजन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करे जिससे आगरा को प्रदूषण से मुक्त किया जा सके। इलेक्ट्रानिक उद्योगों की स्थापना करे। गुजरात के उद्योगपति यह चाहते हैं कि उनका एकाधिकार हो जाय। इसलिए आगरा की आयरन इण्डस्ट्री को उजाड़ना चाहते हैं। श्रीमन्, आगरा का आयरन मशहूर है। प्रदेश सरकार का कर्तव्य है कि इस पर ध्यान दें जहां पर उद्योगों के लिए मदद की जरूरत है वहां पर प्रदूषण नियंत्रण लगाने के लिए कर्ज की जरूरत हो वहां कर्ज दे। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इस संबंध में अपनी घोषित नीति को प्रकट करें। मैंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर कोई कमेंट नहीं किया।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय सदस्य ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं की। मैंने यह नहीं कहा था कि आप कोई निर्णय के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं मैंने तो सतर्कता बरतने के लिए कहा था और मैं जानता हूं कि वह सतर्क हैं। लेकिन मैं उनका साथी हूं, मित्र हूं, इसलिए केवल याद कराया था। हमारे मन में ऐसा कोई भाव नहीं था, वह अध्ययनशील हैं, अध्ययन करते हैं और काफी सतर्कता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस निर्णय का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, वह 3 अगस्त, 1995 का, उसकी कोई सूचना अथवा अधिकृत आदेश की प्रति पर्यावरण विभाग को प्राप्त नहीं है, इसलिए उस पर सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य दिया जाना समीचीन नहीं होगा।

जहां तक उद्योगों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की बात उठायी गयी है, इस संबंध में न तो भारत सरकार के कोई निर्देश प्राप्त हुए हैं और न माननीय न्यायालय का ही कोई आदेश है, अतः इस संबंध में भी सरकार की तरफ से कोई बयान दिया जाना समीचीन नहीं होगा। लेकिन माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, वह गम्भीर है और सरकार के संज्ञान में आ गया है। जब कभी कोई निर्णय आयेगा या भारत सरकार का आदेश आयेगा, उस समय विचार करते समय माननीय सदस्य के सुझावों को, विचारों को भी सरकार संज्ञान में लेगी। यह विषय नियम 56 में नहीं आता, अतः इसे निरस्त करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

श्री रमेशकान्त लवानियां तथा श्री संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

श्री रमेशकान्त लवानियां–

मान्यवर, यह सरकार न्यायालय में प्रभावी पैरोकारी करेगी, कम से कम इतना आश्वासन तो मिल जाय।

* श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, मैंने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव पेश किया है, वह बड़े महत्व का है और लाखों लोगों के जनजीवन से जुड़ा और हाल की घटनाओं से संबंधित है। अभी भी वहां पर उग्र आन्दोलन चल रहे हैं, अतः मैं अपनी ग्राह्यता पर बल देते हुए अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इसे स्वीकार करेंगे और इस विषय पर पर्याप्त चर्चा करायेंगे।

मान्यवर, बांदा जिला प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, इसके पहले सोनभद्र आता था, लेकिन अब बांदा जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। यदि आप इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जायें तो 238 कि०मी० रोड है, इतने में दूसरी जगह 4 जिले आते हैं। मान्यवर, कर्वी को जिला बनाने के लिए बहुत दिनों से मांग चल रही है। ब्रिटिशकाल के समय से ही कर्वी और महोबा की विशेष स्थिति रही है। पूर्व मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में भी राजकीय कारणों से कर्वी की उपेक्षा करते हुए महोबा को जिला घोषित कर दिया गया और कर्वी को जिला बनाने की घोषणा नहीं हो सकी। हम सब लोग बहुत दिनों से इसको जिला बनाने की मांग करते आ रहे हैं। आज से पहले भी इस संबंध में बहुत से आन्दोलन हो चुके हैं, काफी दिनों बन्दी भी रही, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार भी किया था, कई दिन चक्का जाम रहा, रेल रोको आन्दोलन, तरह-तरह के आन्दोलन हुए।

मान्यवर, कर्वी को जिला बनाने के आन्दोलन में तत्कालीन राजस्व मंत्री श्री बैजनाथ कुरील वहां गये थे और उन्होंने घोषणा की थी कि इसे जिले का दर्जा देता हूं तथा जिले की कुछ सुविधायें भी उन्होंने प्रदान की थीं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जैसे ही किसी जिले की प्रदेश में घोषणा होगी, कर्वी को सबसे पहले जिला बनाया जायेगा, लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक कर्वी को जिला बनाने की घोषणा नहीं हुई। आज इस कारण वहां तमाम धरना-प्रदर्शन हो रहे हैं, 3 तारीख से क्रमिक अनशन शुरू है, वकील अदालतों का बहिष्कार कर रहे हैं, सभायें हो रही हैं, छात्र अपने कालेजों का बहिष्कार कर रहे हैं और नागरिकों ने आमरण-अनशन तथा आत्मदाह की घोषणा भी की है, अनिश्चितकाल के लिए बन्दी की भी घोषणा की गयी है, मैं अनुरोध करूंगा कि वहां आज विकास बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, जनता की प्रबल मांग है कि कर्वी को जिला घोषित किया जाय। मैं कर्वी को जिला घोषित किये जाने की अपनी मांग पर बल देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी इस महत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर नियम–56 के अन्तर्गत काम रोककर चर्चा करायें और सरकार कर्वी को जिला घोषित करने की घोषणा करे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय मिश्र जी ने अपने जनपद के एक सथान कर्वी को जिला बनाये जाने के बारे में नियम 56 के अन्तर्गत सूचना दी है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को धैर्यपूर्वक सुनें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, कर्वी को जिला बनाये जाने के बारे में समय-समय पर आन्दोलन, धरना व प्रदर्शन हुए हैं । आपने बताया कि आन्दोलन हो चुके हैं तो निश्चित रूप से हुए होंगे । किसी स्थान को जिला बनाये जाने के बारे में आन्दोलन हुआ यह कोई तर्क का विषय नहीं है । मान्यवर, जिला बनाया जाना एक विधिक प्रक्रिया है । इस पर सरकार विचार करती है और अधिकारी विचार करते हैं ।

कर्वी को इस समय जिल बनाये जाने की घोषणा करना मुनासिब नहीं होगा और न ही मान्यवर,यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । नियम 56 में आप उन मामलों को ग्राह्यता के लिए सुनते हैं जिन मामलों की तात्कालिक आवश्यकता होती है । मान्यवर, जिला बनाया जाना तात्कालिक मामला नहीं होता है । मेरी प्रार्थना है कि नियम 56 में इसे अग्राह्य करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं । श्री तिलकराज बेहड़ की सूचना पूर्व सरकार के कार्यकाल के समय सरकारी भूमि एवं मकानों पर कब्जा करने तथा प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के लगे बोर्डों का दुरुपयोग करने से संबंधित है । इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(श्री भैरो प्रसाद मिश्र व श्री मन्नू लाल कुरील आदि माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय की सूचना पर जनपद इलाहाबाद में डा० अनिल गुप्ता व उनके परिवार की सामूहिक हत्या व बलात्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है । डा० रामबाबू हरित, श्री बदन सिंह आदि की सूचना जो आगरा महानगर में प्रतिदिन हो रही हत्याओं के संबंध में है, इस पर भी शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है । श्री सुन्दर लाल दीक्षित की सूचना बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र में नहरों से पानी न मिलने से किसानों की भूमि में बुवाई न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस सूचना पर भी शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(श्री सत्य प्रकाश विकल के प्रयास से फ्लोर पर आये हुए सदस्यगण अपने-अपने आसन पर चले गये ।)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आई० एस० आई० से संबंधित जो सूचना दी गयी है, उस पर सुन लें । (शोर)

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

मान्यवर, आपका निर्णय हो चुका है निर्णय के बाद सुनना उचित नहीं होगा ।

श्री प्रमोद तिवारी--

मान्यवर, इस सूचना में 3 विधायकों का जिक्र है, भारतीय जनता पार्टी के हैं । इसको सुन लें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

मान्यवर, आपने सूचनाओं को सुना और शासन का ध्यान आकर्षित किया । माननीय सदस्य वरिष्ठ नेता हैं । आपका निर्णय नहीं मानेंगे तो सदन में ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी और तमाम माननीय सदस्य इसी प्रकार की मांग करेंगे । अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो और किसी समय इस पर कार्यवाही हो जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

शेष समस्त सूचनाओं को अस्वीकृत करता हूं ।

(मद संख्या-8 पुकारे जाने पर)

(श्री जगदम्बिका पाल व उनके दल के श्री कौशल हमीद, श्री राम विशुन आजाद, श्री प्रीतम सिंह, श्री जगवीर सिंह अन्य कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया ।) [xxx]

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

जो कुछ यहां से कहा जा रहा है, वह कार्यवाही का अंग न माना जाये ?

श्री अध्यक्ष--

बिना अनुमति के जो कुछ बोला जायगा वह लिखा नहीं जायेगा आप स्थान पर चलें, पाल जी बहुत महत्वपूर्ण विभाग का बजट है ।

श्री जगदम्बिका पाल--

अगर प्रदेश और देश की सुरक्षा का खतरा पैदा हो जायेगा ।

(व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान--अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या 86-सूचना विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नन्द लाल पटेल)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,97,90,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(व्यवधान)

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(श्री जगदम्बिका पाल एवं उनके दल के सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप मद संख्या 8(2) भी प्रस्तुत कर दें ।

श्री नन्द लाल पटेल–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 86-सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,58,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपके माध्यम से आज दो बजट प्रस्तुत करने का मौका मिला है जो आम जनता से लेकर पूरे प्रदेश में रहने वालों से संबंधित है और सभी लोगों से जुड़ा हुआ है । ऐसे बजट का प्रस्ताव रखते हुए मुझे गौरवान्वित होने का मौका मिला है । मैं यह बताना चाहता हूं कि खाद्य एवं रसद विभाग के बारे में सभी लोगों को जानकारी है, इसमें विशेष रूप से गेहूं, चावल, चीनी और तेल का वितरण होता है ।

(इस समय 2 बजकर 05 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' पीठासीन हुए ।)

सभी लोग जानते हैं कि पहले गेहूं और चावल दोनों चीजों की आपूर्ति में दिक्कत होती थी ।

जब दोनों चीजों की पैदावार कम थी लेकिन जब गेहूं और चावल की पैदावार बढ़ी है और उसके कारण हमारी भंडारण क्षमता बढ़ी है । जिस कारण बाजार में जो गेहूं मिलता है वह हमें सस्ते मूल्य पर पड़ता है जबकि राशन की दुकानों पर मिलने वाला गेहूं महंगा मिलता है इसलिए गेहूं और चावल सामान्य लोग इन दुकानों से नहीं खरीदते हैं और यह हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे देश के किसानों ने इतनी पैदावार बढ़ा दी है कि पूरे प्रदेश में गेहूं और चावल की कोई कमी नहीं रह गई है किसानों ने पूरे प्रदेश को स्वावलम्बी बनाने का प्रयास किया है । आज गेहूं और चावल जिससे सभी लोग जुड़े हुए हैं हमारे प्रदेश में इसकी कोई कमी नहीं रह गई है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो प्रतिबन्ध लगा था, जो लाइसेंस था, गेहूं पर उस पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया है और चावल पर जो प्रतिबन्ध लगा था उसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है । लिखा पढ़ी हो चुकी है और केन्द्र सरकार से उसका प्रयास जारी है कि चावल पर से प्रतिबन्ध हटा लिया जाय । आज जब इस सदन में मैं बजट प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मैं यह बताना चाहता हूं कि पहली बार यह नियम बनाया गया है । पहले जो कोटेदार होता था, दुकानदार होता था वह सक्षम लोग ही हुआ करते थे । तमाम सदस्य सदन के माध्यम से भी इस बात को कहा करते थे कि सक्षम और मजबूत लोग ही कोटा पाते हैं लेकिन अब एक नियम बना दिया गया है कि 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति को, दो प्रतिशत अनुसूचित जनजाति को, और 27 प्रतिशत पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा दी जायेगी इसके साथ ही साथ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं और भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनके लिए भी इसमें सुविधा दी जायेगी । मान्यवर, मुझे आज इसलिए और अधिक खुशी हो रही है कि जो दलितों को, गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर

उठाने की बात होती है उनके मान-सम्मान की बात होती है तो सभी लोगों को अहसास होगा कि हमारी पूरी हिस्सेदारी होने के कारण हम सम्मान के साथ जीने के लायक हो सकते हैं। एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारे कुछ जिलों में जहां पर इस तरह की पैदावार नहीं होती है जो मैदानी इलाके हैं या पहाड़ी इलाके हैं पहाड़ी इलाकों में गेहूं और चावल की पैदावार कम होती है वहां डिलीवरी की व्यवस्था करनी पड़ती है और खाद्यान्न आसानी से नहीं पहुंच पाता है इसलिए वहां पर जो गेहूं और चावल दिया जाता है वह सामान्य मूल्य से जो सस्ते दर की दुकान है उसमें 50 रुपये कम करके दिया जाता है।

जो पठारी इलाके हैं झांसी का एरिया है बुन्देलखण्ड, मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद आदि जनपद हैं इसमें इलाहाबाद में तो 147 ब्लाकों में इस योजना को लागू किया गया है 50 रुपये कम दाम पर इस तरह का अनाज वितरित किया जाता है जैसा कि मैं आपको सदन में पहले भी बता चुका हूं कि हमारा जो गन्ना पैदा होता है उससे जो चीनी बनाई जाती है गन्ने पर उत्तर प्रदेश सरकार का अंकुश रहता है और पूरी कम्पनियों पर अंकुश रहता है लेकिन चीनी उत्पादन के बाद पूरा अंकुश केन्द्र सरकार का हो जाता है और केन्द्र सरकार के द्वारा जो चीनी उत्तर प्रदेश को या अन्य प्रदेशों को मिलती है उसके बाद भी कोटाधारक होता है या उपभोक्ता होता है उसको चीनी वितरित की जाती है।

मान्यवर, चीनी वितरण, मिट्टी के तेल के वितरण और डीजल वितरण में काफी शिकायतें हैं। लोगों को मिलता नहीं है और चाहत ज्यादा है। चाहत के मुताबिक चीनी और तेल का वितरण नहीं हो पाया। 1986 में जो चीनी के वितरण का मापदण्ड रखा गया था, उसी मापदण्ड में वितरण हो रहा है। 1991 में जनसंख्या का जो आंकलन लगाया गया था उसकी बाबत यह बात थी कि 60 हजार मीट्रिक टन जब चीनी आयात होगी, जब वहां से मिलेगी, तो मापदण्ड बनाया गया था कि प्रति कार्ड धारक को एक यूनिट पर 4.25 ग्राम चीनी उपलब्ध करायेंगे।

मान्यवर, अभी जो अलग अलग व्यवस्था की गयी है, उसमें गांव में 300 ग्राम और शहरों में एक किलो ग्राम प्रति यूनिट की व्यवस्था है। माननीय सदस्यगण यह प्रश्न पूछते है कि एक ही प्रदेश में दो तरह की व्यवस्था है कि गांव में तीन सौ ग्राम और शहर में एक किलो। तो गांव में मान्यवर, जो लोग रहते हैं, तो इस तरह की वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, तो उनके पास और भी साधन हैं जैसे राब होता है खांडसारी और गुड़ होता है जिसके माध्यम से वह अपनी चाहत की पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन शहरों में चीनी के अलावा कोई साधन नहीं होता है। यह पहले से नीति बनी हुई है उसके द्वारा शहर में एक किलो और गांव में तीन सौ ग्राम दी जाती है। 1991 में जो आकलन किया गया था उसके मुताबिक 60 हजार मीट्रिक टन जब पूरे प्रदेश को मिलेगा, तो मानक निर्धारित किया गया है उसके अनुसार वितरण करा सकते हैं।

1986 से लेकर 1991 तक साढ़े पचपन हजार मीट्रिक टन मिलता था, उसको जब कि बढ़ना चाहिए था, अब उसे घटाकर साढ़े बावन हजार मीट्रिक टन कर दिया गया है। इसलिए जो चाहत है, जो मानक है, उसके आधार पर चीनी का वितरण नहीं कर पाते है। मान्यवर, मिट्टी के तेल की बहुत समस्या है गांव के लोगों के लिए पांच लीटर और शहर के लिए 10 लीटर का मानक बनाया गया है। कहीं-कहीं गैस कनेक्शन होता है, तो वहां पांच लीटर का मानक निर्धारित किया गया है। आवश्यकता है एक लाख 60 हजार किलो लीटर की उसके एवज में तेल भी कम मिलता है। इधर सरकार के प्रयास

से कुछ थोक विक्रेताओं को आयात करने की अनुमति दी गयी थी इसलिए धीरे-धीरे यह समस्या कम होती जा रही है ।

मान्यवर, केन्द्र सरकार में तो तीन दिन का समय बजट प्रस्ताव में रखा जाता है । यहां तो 10-15 मिनट का समय मिलता है उसमें अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूं अगर अनुमति होती तो बजट प्रस्ताव पूरा पढ़कर विस्तार से बताने का काम करता । लेकिन, हम जानते है कि इसके अलावा भी दो अन्य विभागों के बजट-सूचना और परिवहन विभाग के रखने बाकी है । हम जानते है कि रोज सदन में काफी रात हो जाती है । इस प्रस्ताव पर अभी हमारे साथी कुछ सुझाव देंगे कटौती का प्रस्ताव रखेंगे उनके सुझावों से हमें लाभ होगा और जो उत्तर दिया जायेगा उसमें काफी बातें करने का प्रयास किया जायेगा ।

अब मैं सूचना विभाग का जो बजट आया है उसके बारे में आपकी अनुमति से संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूंगा ।

मान्यवर, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जहां एक ओर शासन की नीतियों, जन कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता को उपलब्ध कराता है इसके साथ ही यह शासन प्रशासन के बारे में जनता की प्रक्रियाओं, जनता की समस्याओं तथा जन भावनाओं से शासन को भी अवगत कराता है । इससे शासन को अपनी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की सफलता के आंकलन में सुविधा होती है और है और विकास की गतिविधियों को नया आयाम देने में मदद मिलती है । इस प्रकार सूचना विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग में से एक है । सूचना विभाग अपने प्रचार कार्यों में विभिन्न माध्यमों जैसे समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रकाशित सामाग्री, प्रदर्शनी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उपयोग करता है ।

मान्यवर, ये सभी प्रचार माध्यम अत्यन्त संवेदनशील हैं, जिनसे तालमेल रखते हुए शासन की छवि को निखारने का कार्य सूचना विभाग को करना होता है । इस प्रकार इस विभाग के कार्य एवं दायित्व को देखते हुए इसे बहुत ही संवेदनशील, सजग और लोकप्रिय विभाग कहा जा सकता है । इसके अतिरिक्त सूचना विभाग द्वारा एक वार्षिक भी प्रकाशित की जाती था जिससे अच्छे छात्रों के लिए जो प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठना चाहते थे, को पढ़ने के लिए अच्छी सामग्री मिल जाती थी और उनसे उनको लाभ भी मिलता था को हमने फिर से चालू करने का प्रयास किया है । मान्यवर, वर्तमान सरकार ने ग्रामीण विकास को सर्वोपरि मानते हुए 72 प्रतिशत योजना राशि इसके लिए व्यय करने का निर्णय लिया है । इसके अतिरिक्त जो अन्य साहित्य में काम हो रहा है उसके बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूंगा ।

मान्यवर, बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर जी के साहित्य को, महाराष्ट्र गुजरात और दक्षिण भारत में जो साहित्य लिखा था, उसका हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है । सामाजिक परिवर्तन के सूत्रधार हाल ही में शाहू जी महाराज जैसे समाज सुधारकों के ऊपर भी सूचना विभाग द्वारा प्रदर्शनों का आयोजन किया गया तथा फोल्डरों को प्रकाशित कराया गया है । मानववादी साहित्य के प्रकाशन और प्रचार को और व्यापकता प्रदान की जायेगी । इसके अतिरिक्त प्रचार कार्यों के निष्पादन कराने हेतु सूचना विभाग के मुख्यालय के अतिरिक्त प्रदेश के 63 जिलों में जिला सूचना कार्यालय स्थापित हैं और

उनके अधीन एक-एक जिला सूचना केन्द्र भी स्थापित हैं । शेष तीन जिलों में सूचना कार्यालय/केन्द्र खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है । इसके साथ ही लखनऊ मुख्यालय पर तथा नयी दिल्ली में भी एक-एक सूचना केन्द्र स्थापित हैं ।

मान्यवर, छोटे समाचार-पत्रों को समाचार संकलन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा कुछ जिलों में टेलीप्रिन्टर भी स्थापित किये गये हैं । इसके साथ ही पच्चीस हजार से कम प्रचार संख्या वाले समाचार-पत्रों को अपना टेलीप्रिन्टर लगाने हेतु प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में क्रमशः पन्द्रह हजार व दस हजार रुपये अथवा वार्षिक व्यय का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, दिये जाने की व्यवस्था की गयी है । मान्यवर, ऊर्दू के समाचार-पत्रों को तीसरे वर्ष में भी रु० 5,000/- अथवा वार्षिक व्यय का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है ।

इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देते हुए मैं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के वर्ष 1995-96 के लिए 17 करोड़ 78 लाख 88 हजार रुपये का बजट प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्य लोकहित में इसे स्वीकार करें । जो माननीय सदस्य कटौती के प्रस्ताव पर सुझाव रखेंगे उसका आदर करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा ।

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे सहयोगी साथी माननीय पटेल जी ने सरकारी आंकड़ों को बड़े प्रभावी ढंग से रखने का प्रयास किया । मुझे खुशी है कि कम से कम उन्होंने कुछ आंकड़े जानने की कोशिश की । माननीय पटेल जी व्यक्तिगत रूप से अपने अनुभव को कभी सदन को बतायेंगे और इस बात को मानेंगे कि सरकारी आंकड़े, विभाग की नीति, किताबों और लिखा पढ़ी, दोनों में अन्तर होता है । श्रीमन्, इतना ही अन्तर है, जैसे वकालत पढ़ने वाला छात्र, वकालत पास करने के बाद अदालत में जाता है, जो किताबों में पढ़ता है, वह प्रक्रिया दूसरी होती है, और अदालत में जाता है तो दूसरी प्रक्रिया नजर आती है, बिल्कुल यही आपके खाद्य विभाग की है । स्थिति यह है कि–"हर साख पर उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा ?"

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह जो बात कही है, क्या वह केन्द्र सरकार के ऊपर कही है । .....(व्यवधान)

क्योंकि खाद्यों के बारे में केन्द्रीय सरकार नीति निर्धारित करती है, प्रदेश सरकार नहीं करती है । इसलिये केन्द्रीय सरकार के बारे में ही कहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सरकार के ऊपर लागू नहीं होती ।

श्री जगदम्बिका पाल–

अगर माननीय सदस्य उस श्रेणी में नहीं आते हैं, तो बुरा नहीं लगना चाहिए।

श्री नरेश अग्रवाल–

मैंने साख और उल्लू में सहयोगी दल को शामिल किया था मैं यह मानकर चलता हूं कि जो यहां पर बैठे हैं, वह विद्वान हैं। हो सकता कि सत्ता पक्ष के साथ बैठने के नाते अपना दायित्व नहीं पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि इस सदन में अपना कर्तव्य पूरा करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और इसीलिये आपने बजट का 72 प्रतिशत पैसा गांवों की ओर दिया है।

गांधी जी का मानना था कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, भारत का विकास नहीं हो सकता है। माननीय मंत्री जी आपने श्रीमुख से कहा कि गांवों में रहने वाला व्यक्ति 300 ग्राम चीनी पायेगा और शहर में रहने वाले को एक किलोग्राम चीनी मिलेगी। यह दोहरी नीति किस कारण से बनायी गयी ? माननीय मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परम्पराओं से ऊपर उठिये। खाली सरकारी घोषणाऐं करने से काम नहीं चलता है वास्तविकता को समझना होगा, हमको घोषणा करनी पड़ेगी और गांव और शहर के अन्तर को मिटाना होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अग्रवाल जी यह बता दें कि यह विषमता किस काल से शुरू हुई ?

श्री नरेश अग्रवाल–

खन्ना जी आप तो मंत्री रहे हैं इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, आपको बताने की आवश्यकता नहीं हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, हम गांवों के लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं और शहर के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, यह किसी भी रूप में ठीक नहीं है। आप भी गांवों के रहने वाले हैं इसलिये आपको इस दर्द को समझना चाहिए और इस व्यवस्था को यहां पर समाप्त करने की घोषणा करनी चाहिए। ब्लाक डीलर बनाये गये, अच्छी व्यवस्था है, हम इसको समर्थन करते हैं। जो मिट्टी का तेल और चीनी उठाने की व्यवस्था थी वह उचित नहीं थी। लेकिन कुछ जिलों में बनाया गया, कुछ में नहीं बनाया गया, जिन जिलों में नहीं बनाये गये हैं वहां भी बनाईये नहीं तो मिट्टी के तेल के थोक विक्रेताओं की मोनोपोली नहीं समाप्त कर पायेंगे।

शासन की नीति थी कि गांव-गांव में मिट्टी का तेल पहुंचे वह पूरी नहीं हो सकी। राशन कार्डों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। राशन कार्ड बनाने की दोहरी व्यवस्था है। गांव का राशन कार्ड पंचायत अधिकारी बनाता है तथा शहर का राशन कार्ड डी०एस०ओ० आफिस बनाता है। पंचायत अधिकारी के पास इतना कार्य है कि वह उनको पूरा नहीं कर पा रहा है। आज अखबार में निकला है कि भारत की संसद में इस बात को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में चौसठ लाख, सत्तावन हजार, छः सौ नौ राशन कार्ड फर्जी पाये गये।

हिन्दुस्तान में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गये। इसका मुख्य कारण यह है जो नीचे की व्यवस्था है, उसे हम दुरुस्त नहीं कर पाये। यहां से यह निर्देश चले गये कि नये राशन कार्ड नहीं बनाये जायेंगे। पहले हम पुराने राशन कार्डस् की चैकिंग करेंगे। फर्जी राशन कार्ड्स को बदलवाने की व्यवस्था आप कर नहीं पाये, दूसरा आपने राशन कार्डस् के रंग को भी अलग-अलग कर दिया। गांव का आदमी राशन कार्डस् की व्यवस्था कर नहीं सकता है। इन्हीं सब कारणों से आज फर्जी राशन कार्डस् बन रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वितरण प्रणाली में व्याप्त इस अनियमितता और अव्यवस्था को समाप्त करें।

अब मैं दुहरी व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में एस०डी०एम० देखता है और शहरी क्षेत्र में डी०एस०ओ० देखता है। इसलिए आप इस पर विचार करें और तहसील मुख्यालय पर एक क्षेत्रीय कार्यालय खोल दें। जब तक आपकी यह दुहरी व्यवस्था बनी रहेगी तब तक कालाबाजारियों का वर्चस्व बना रहेगा। मैं कोआपरेटिव सिस्टम को आज पसन्द कर रहा हूं। यह इसलिए कि वहां कम से कम हिसाब तो रहता है और वह ठीक ढंग से काम तो कर रही हैं। परन्तु कुछ कोआपरेटिव संस्थायें ऐसी हैं, जिनके पास धन नहीं हैं। इसलिए आप इस पर विचार करें। यद्यपि मैं यह मानता हूं कि आपके अधिकार क्षेत्र में यह नहीं आता है फिर भी सामूहिक मंत्रिमण्डल के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आप सदन में कुछ घोषणा कर दें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए हम ये कदम उठाने जा रहे हैं। यदि आप ऐसा कुछ कर देंगे तो हम समझेंगे कि आप गांवों का भला चाहते हैं और साथ ही शहरों का भी।

माननीय मंत्री जी ने एक बात और कही कि मिट्टी का कोटा शक्कर का कोटा 1986 से लेकर 1991 तक केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार का बढ़ाया नहीं जबकि आबादी हमारी बढ़ती गई। हम भी मानते हैं कि हमारी आबादी बढ़ती गई परन्तु वहीं पर मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को कब-कब और किस-किस तारीख में कोटा बढ़ाये जाने के बारे में लिखा? यदि पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ लिखा है तो आपने आने के बाद उसे देखा कि नहीं। हम लोग भी सहयोग करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण संसार में ऐसा प्रदेश है जिसकी आबादी 10 राष्ट्रों के बराबर है। इसलिए मिट्टी तेल तथा शकर का कोटा बढ़ना चाहिए। आप केन्द्र सरकार को लिखकर भेजिये। हम आपको आश्वासन देते हैं कि इसमें हम आपका सहयोग करेंगे। यदि आपकी नीयत साफ है तो आप इन दोनों का कोटा बढ़ाइये।

अब मैं मिट्टी के तेल और चीनी के उठान की बात करना चाहता हूं। इण्डियन आयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम मिट्टी के तेल की सप्लाई करते हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि पहली तारीख से लेकर पन्द्रह तारीख तक किसी भी जिले में तेल नहीं जाता है? एक रोस्टर बनाया गया था। जिसमें शासन के अधिकारी और इण्डियन आयल के अधिकारी थे, जिसमें यह तय किया गया था कि आपको चारों सप्ताह में कितना-कितना तेल उठा करके जिलों में भेजना है? 15 तारीख तक कोई उठान नहीं होता है उसके बाद 15 से 30 तारीख तक जल्दी-जल्दी उठान होता है। तो आपके रिकार्ड में यह आ जाता है? 2 बोरा चीनी और चार ड्रम मिट्टी का तेल सारे में बट जाता है। गांव में 12 से 14 रुपया लीटर मिट्टी तेल बिक रहा है। मेरे साथ माननीय मंत्री जी चलिए तो देख सकते हैं यदि खुले बाजार में मिट्टी तेल न मिले तो वहां बहुत बड़ी कठिनाई लोगों के सामने होगी और

किसी को मिट्टी तेल नहीं मिलेगा। गांव में आपका कोटा 2 बोरी चीनी 4 इम मिट्टी तेल का है। तो उसमें कमीशन खाने वाले कितने लोग हैं।

इनसपेक्टर से लेकर एस० डी० एम० तक कमीशन जाता है तो दो बोरे में वह कितना वितरण कर पाएगा ? अगर वह कमीशन नहीं देता तो इनसपेक्टर लाईसेंस सस्पेंड कर देता और कुछ आरोप लगा देता है। तो इस पर कुछ निर्णय करना पड़ेगा। तय करना पड़ेगा कि किस प्रकार लोगों को इसका कोटा मिल सके ? खाद्य विभाग ऐसा विभाग है जिसका हमारे किसानों से सीधा सम्बन्ध है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है सबसे ज्यादा उपज यहां होती है जिसमें 3 चीजें मुख्य हैं। गेहूं, धान और गन्ना जो सबसे ज्यादा यहां पैदा होते हैं। गन्ना का तो अलग विभाग बना हुआ है। गेहूं और धान का उपज के दामों का निर्धारण केन्द्र सरकार करती है उनके सही दाम उपलब्ध कराने की घोषणा वह प्रत्येक वर्ष करती है। हम यहां सेंटर खोलते हैं जहां धान और गेहूं खरीदा जाता है। इसमें आम तौर पर बिचौलिये खरीदफरोख्त करते हैं।

कोई भी किसान सेंटर के माध्यम से अपनी उपज नहीं बेंच पाता है मान्यवर, अधिष्ठाता जी आप आज सुबह ही सेन्टर खोलने पर बात कर रहे थे अधिकतर सेन्टर मण्डी स्थलों में ही खुलते हैं जहां मण्डी परिषद् है उन्हीं के माध्यम से सेंटर में खरीद होती है तो आप इस बात को देखें कि मण्डी परिषद् में जो क्रय केन्द्र हैं उनमें सबसे ज्यादा खरीद हो रही है क्या कारण है ? किसान का धान अब आने वाला है। पिछले साल सरकार ने चावल के निर्यात का निर्णय लिया। निर्यात का विषय केन्द्र का है राज्य सरकार का नहीं है। केन्द्र सरकार ने जो निर्णय लिया उसके तहत उत्तर प्रदेश ने अपना चावल निर्यात करने की घोषणा कर दी। निर्यात करने का जो प्रयास है वह स्पष्ट है कि जब हम विदेश से अनाज मंगाते थे आज हम खाद्यान्नों के मामले में सक्षम हो गये हैं। तो यह केन्द्र सरकार की नीति का परिणाम है कि देश में ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। चौधरी साहब हंस रहे हैं जब गैट समझौता हुआ था तो उसका विरोध किया गया लेकिन आज जो बीज मिल रहा है अच्छे किस्म का बीज लोगों को बंट रहा है यह उसी का परिणाम है। सिर्फ राजनैतिक विद्वेषता से यह कहा जा रहा है कि गैट समझौते के अन्तर्गत हमारा देश बांट दिया जायेगा। आज हमारे किसान गैट का सही अर्थ समझ गये हैं। किसान पहले खेत में एक ही फसल करता था आज तीन फसलें करने लगा है। भारतवर्ष के किसानों का इसमें सबसे बड़ा योगदान है।

आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि किसानों का सीना ऊंचा होना चाहिए। जहां देश में भुखमरी थी, लोग भूखे नंगे थे। बंगाल में भुखमरी से हजारों आदमी मर जाते थे आज वह देश इतना अनाज पैदा कर रहा है कि विदेशों को भी खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में है। धान का उचित मूल्य किसानों को दिलाने के लिये चावल निर्यात की घोषणा की गई थी। मैं 18 जनवरी, 1995 का एक शासनादेश खाद्य विभाग की तरफ से निकाला गया था उसके पैरा-5 के भाग-3 की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि लेवी में खरीदे गये चावल की जिस मात्रा की डिलीवरी भारतीय खाद्य निगम को नहीं की गई है, उसका वास्तविक प्रासंगिक व्यय सहित मिल, को जो भुगतान किया गया है, उसे जमा कराकर उक्त चावल केवल निर्यात हेतु मिल के पक्ष में अवमुक्त कर दिया जायेगा।

शासन ने एक शासनादेश किया कि 60 प्रतिशत चावल लेवी का। ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेवी के चावल को जितना एक्सपोर्ट करेंगे, मिल मालिक से उससे छोड़ दिया जायेगा। अगर मिल मालिक ने एक्सपोर्ट नहीं किया है तो जो दाम हमने दिये हैं उससे वसूली कर लेंगे। मंडी परिषद्, 15 दिसम्बर, 94 को एक कार्यालय ज्ञाप में दिया है कि प्रदेश से निर्यात किये गये चावल को आरोपित 1.5 प्रतिशत मण्डी शुल्क से तथा निर्यात किये गये चावल को उत्पादित करने में प्रयुक्त धान को 1.5 प्रतिशत मण्डी शुल्क से तथा 2 प्रतिशत व्यापार कर से निर्धारित प्रांतबन्धों के अधीन मुक्त रखा जायेगा। और लोगों ने भेज दिया। चावल के निर्यात में घपला उठा। सरकार ने इसमें निर्णय लिया। इस निर्णय में बड़ा गोलमाल

हुआ । लोगों ने यह प्रश्न विधान सभा में उठाया । प्रदेश से चावल का निर्यात हुआ है इसमें घोटाला हुआ है । जो घोटाला हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए । मान्यवर, शासनादेश के आदेशों के बाद मैं जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में कोई एक्पोर्ट करने वाला आया । कितनी मांग की गई और कितनी मांगें पूरी की गई और जो मांग पूरी नहीं हुई है उसका क्या कारण रहा । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हू, मैं चावल उत्पादक भी हूं और मिल-मालिकों का सहयोगी भी हूं मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, व्यापारियों के हित को कहने वाले 80 परसेन्ट [×××] व्यापारियों की बात नहीं समझते हैं । मेरी यह दलाल लोगों को चुनौती है ।

(व्यवधान)

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

यह [×××] शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अग्रवाल साहब आप कटौती के प्रस्ताव पर बोलें ।

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

मैं तीन चार माह से परेशान हूं और एक राशन कार्ड नहीं बनवा पा रहा हूं ।

श्री दल बहादुर कोरी–

यह [×××] शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल

[× × ×]

(व्यवधान)

मान्यवर, डी०पी० सिंह और स्पेशल सेक्रेट्री आर०एन० चतुर्वेदी के खिलाफ मैं स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं । इन आरोपों की आप जांच कराएं । मान्यवर, भारत सरकार ने 31 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार को एक आदेश लिखकर भेजा कि प्रदेश में लेवी का चावल न खरीदा जाए इसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है । इसमें आदेश दिया, तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने आदेश निर्गत कर दिया कि लेवी का चावल न लिया जाए ।

नोट.– [×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

आपके इन दोनों अधिकारियों ने उस आदेश को दो माह तक दबाये रखा। मेरा यह स्पष्ट आरोप है। उन्होंने इस मारे दबाये रखा कि मिल मालिकों को लेवी चावल और एक्सपोर्ट चावल के नाम पर करोड़ों रुपये की आमदनी हो सके। उन्होंने इस तरह से इसमें घोटाला करके काफी रिश्वत ली है। मैं अपने इस आरोप की सत्यता के लिये आप से कहूंगा कि आप इस मामले में लोक आयुक्त की जांच के लिये घोषणा कर दें। उसमें मैं भी अपने बयान दूंगा और उसके सामने भी जाऊंगा। इस बड़े घोटाले में जो भी दोषी है वह चाहे मंत्री हो या बड़े से बड़ा अधिकारी हो कर्मचारी हो उसको सामने आना चाहिए। केवल निर्यात के चावलों में करोड़ों का घोटाला हुआ, इसको स्पष्ट हो जाना चाहिए। वह आज भी विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में मौजूद हैं।

आप इस प्रकरण की जांच कराने की बात कहें मैं बयान देने जाऊंगा और एक-एक कागज के साथ सिद्ध करूंगा कि चावल उत्पादकों के साथ भारी ज्यादती की गयी है, जिससे धान उत्पादक किसानों को सही मूल्य न मिल पाये। एफ० सी० आई० ने एक मीटिंग की थी उसमें इन दोनों अधिकारियों ने दिया कि भारत सरकार से हमें कोई ऐसा आदेश नहीं मिला है। एफ० सी० आई० ने लिखकर भेजा है कि यदि सरकार की ओर से सच्चाई छिपाई जायेगी और शासन के अधिकारी स्वार्थवश इस प्रकार से गलत जानकारी लिखकर देंगे तो हमारा कार्य चल नहीं पायेगा। यह फाइलों पर लिखा हुआ है आप निकाल कर देख लीजिये और सभी दलों की ओर से जब इस प्रकार की शिकायत है और मांग है तो आप इस मामले की लोक आयुक्त से जांच कराये जाने की तत्काल घोषणा कर दें। एफ० सी० आई० बरेली के भी एक तेजपाल सिंह हैं उन्होंने भी करोड़ों रुपये का घोटाला किया है। वहां के घोटाले की शासन ने जांच कराई और उसमें सब बात सच पाई किन्तु कार्मिक विभाग उनका सस्पेंशन रोके हुए है। उसका कारण हम लोग नहीं हैं। वह अधिकारी आज मौजूद है और स्वछन्द घूम रहे हैं। आप उनके विरुद्ध एक्शन लीजिये। जांच रिपोर्ट आ गयी है तो रिपोर्ट मंगवा लीजिये और अभी आपको रिपोर्ट मिल जायेगी। और कम से कम घोषणा करिये। इस तरह का एक शासन का अधिकारी करोड़ों रुपये के गोलमाल में सस्पेन्ड हो तो मैं समझूंगा कि सरकार ने घोटाले रोकने में कुछ रुचि नहीं ली है वरना सरकार की तरह-तरह की लुभावनी घोषणाओं के भ्रम में हमें नहीं पड़ना चाहिए।

यदि आप इस प्रकार के अधिकारियों को दण्डित नहीं करेंगे तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। मैं मंत्री जी के ध्यान में अब रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट को लाना चाहता हूं। यह ऐक्ट इसलिये बना था कि वास्तव में जिनका आवास नहीं मिल रहे हैं उसमें रहने वाले लोगों को मकान मालिक परेशान न करें। लेकिन इस सरकार ने जिसके साथ इसने पिछली सरकार बनायी थी उसने इस ऐक्ट का पूरे प्रदेश में गलत प्रयोग करके तमाम सरकारी आफिसों और प्राइवेट भवनों को हड़पने का काम किया था। रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट का दुरुपयोग अपने निजी स्वार्थ में अपनी पार्टी के लोगों ने किया ..... (व्यवधान) आपके दल ने भी सहारनपुर में लाल कोठी पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था और उस विधवा का सामान निकलवाकर फेंक दिया था। इस मामले में अगर हाईकोर्ट ने आदेश न दिया होता तो वह विधवा आज दर-दर की ठोकरें खाते फिर रही होती।

इस प्रकार सपा और बसपा दोनों ने रेन्ट कन्ट्रोल के मकानों को हड़पने का अभियान चला दिया था। रामपुर के एक विधायक इसलिये टूट गये कि उन्हें इस प्रकार का मकान दे दिया गया। तो विधायकों को तोड़ने में भी इस ऐक्ट का गलत प्रयोग किया गया। इस रेन्ट का अधिकार आप जिला आपूर्ति अधिकारी या ए० डी० एम० की जगह पर न्यायिक कोई अधिकारी बनायें ताकि शासन का उस पर कोई दबाव न हो रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट जिस उद्देश्य से बनाया गया था सही रूप में प्राप्त करें। मंत्री

जी ने लिखा है कि फूड एडवाइजरी कमेटी को पुनर्जीवित कर दिया गया है। तो यह कहां पुनर्जीवित हुई यह हमको नहीं मालूम है और शायद किसी को भी न मालूम हो ? कांग्रेस शासन काल में यह समिति जिला और तहसील स्तर पर बनायी गयी थी उसमें गैर सरकारी लोग भी रखे गये थे। उसको अधिकार था कि जहां पर आवंटन और वितरण गलत हो रहा है, उस पर कार्यवाही करें। आपने एडवाइजरी कमेटी समाप्त कर दी। अधिकारियों की लिखा पढ़ी में यह एडवाइजरी कमेटी काम कर रही है। आपने धारा 3/7 के लिये लिखा है कि हमने इसको वापस लेने की घोषणा की। किताब में लिखा हुआ है। इस किताब में लिखा हुआ है कि धारा 3/7 व्यापारियों के हित में रोक दी गयी। [× × ×] किताब में लिख दिया। इन्होंने लिखा है कि 3/7 के लिये अब यह निर्णय भी लिया गया है कि व्यापारियों के विरुद्ध 3/7 के अन्तर्गत अभियोजन चलाया जा सकेगा। जो बिना लाइसेन्स के ऐसी वस्तुओं का व्यापार करेंगे जिनके लिये लाइसेन्स लेना आवश्यक है।

धारा 3/7 उन लोगों पर लागू होगी जो लाइसेन्स नहीं लेंगे। उनके खिलाफ धारा 3/7 लगायी जायेगी। लेकिन उनके खिलाफ क्या करेंगे ? जो कालाबाजारी करेंगे व अन्य तरीकों से जनता को लूटेंगे उनके खिलाफ क्या आप धारा 3/7 लगायेंगे ? श्रीमन्, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि उसको लागू किये जाने की घोषणा करें। मात्र इतना कह दिया कि जो लाइसेन्स नहीं लेंगे उनके विरुद्ध धारा 3/7 का प्रयोग करेंगे। जिस तरह से मुख्य मंत्री दबाव में काम कर रहे हैं उसी तरह से उनकी सरकार के सारे मंत्री [× × ×] काम कर रहे हैं।

श्री दल बहादुर कोरी–

यह बार-बार [× × ×] शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हम उनकी पोल नहीं खोलना चाहते हैं। यह सदन के सम्मानित सदस्य हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

श्री नरेश अग्रवाल का भाषण हम लोग बड़ी शांति से सुन रहे थे। लेकिन अब यह बार-बार असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह की भाषा का यह प्रयोग करेंगे तो हम उनको बोलने नहीं देंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शांति से बैठ जायें। जो शब्द असंसदीय होगा उसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। मैं आशा करता हूं कि श्री नरेश अग्रवाल सदन की गरिमा बनाये रखेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

मैं आपसे कह रहा हूं, अगर [× × ×] शब्द असंसदीय हुआ तो मैं इसको कार्यवाही से निकाल दूंगा। [× × ×] शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा, माननीय खन्ना जी आप बैठें।

माननीय नरेश अग्रवाल जी, आप 25 मिनट बोल चुके हैं, आप कितना समय और लेंगे ?

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर (घोर व्यवधान)

मैं अपनी भावनायें बता चुका हूं, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप लोग बार-बार एक ही बात को कह रहे हैं और हाउस में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। आप लोग स्थान ग्रहण करें।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, चोर, डकैत, बलात्कारी, संसदीय शब्द हैं लेकिन किसी की भावना को ठेस लगी तो मैं इसे वापस लेता हूं। अब मैं 3 बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी, आवश्यक वस्तु निगम आपके विभाग के अन्तर्गत आता है। माननीय मंत्री जी, इस बात पर आप भी सहमत होंगे कि जो निगम घाटे पर हैं और जिन निगम को व्यापार के लिये लगाया, अगर वह सही काम नहीं कर रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आवश्यक वस्तु निगम को लखनऊ में शराब का ठेका दिया था, एक साल में 5 करोड़ का घाटा हुआ, इस सरकार ने इस निगम को कोई काम नहीं दिया और यह निगम आज केवल कपड़े की कालाबाजारी करके बेचने और गेहूं तथा धान की खरीद के सेन्टर्स चला रहा है। आप ही बतायें, क्या उपयोगिता इस निगम की है, क्या इस निगम ने कभी लाभ अर्जित किया ? अगर नहीं किया है तो क्यों इसे चला रहे हैं ?

इसी प्रकार मान्यवर, एक बांट एवं माप नियंत्रक कार्यालय है। आपने अपनी किताब में लिखा है कि बांट एवं माप नियंत्रक को, कि वह हर वर्ष में बांटों की जांच करेगा और मान्यवर, आप गांव की हाट में जाकर देख लें, ईंटों से गन्ना तोला जाता है, अन्य सामान भी ईंटों से तोला जाता है और शहरों में भी 3-4 साल तक न कोई बांटों की जांच की जाती है और न बेट देखा जाता है और पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी आपके विभाग के अन्तर्गत है। आप एक निश्चित नीति बनाइये कि जो विभाग जिस काम के लिये है, वह विभाग उस कार्य को कर रहा है अथवा नहीं। केवल पेंशन, तनख्वाह देने के लिये विभागों को मत बनाइये। एक चीज अन्त में और निवेदन करूंगा उसके बाद कुछ और सुझाव रखूंगा। कांग्रेस की सरकार ने, माननीय मंत्री जी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को एक लीटर केरोसीन आयल प्रतिमाह देने की व्यवस्था की थी; विद्यालय का प्रधानाचार्य जिस छात्र को संस्तुति कर देता था, उस छात्र को तेल मिल जाता था, आज सरकार ने उसको भी वापस ले लिया है आप लोगों के दिल में कम से कम फिर से आज यह घोषणा करें कि स्कूलों और विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को यह सरकार 1 लीटर प्रति छात्र के हिसाब से मिट्टी का तेल उनकी पढ़ाई के लिये देगी। मैं समझता हूं कि मेरे सुझावों के बाद अभी तमाम माननीय सदस्य इस पर अपने सुझाव रखेंगे। मेरा उनसे अनुरोध है कि अन्त में वह समर्थन जरूर करें लेकिन अपने दिल की वास्तविक बात जरूर रखियेगा और जो विभाग में कमियां हैं उनको चर्चा करते हुए उनको दूर करने के बारे में सुझाव रखें। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो भी सुझाव यहां पर रखे जाते हैं मंत्री जी उनको पढ़ते नहीं हैं विभाग के अधिकारी भी चेष्टा नहीं करते हैं कि मंत्री जी पढ़ायें। हर साल जो सुझाव रखे जाते हैं अगर इन सुझावों को पढ़ने का प्रयास किया जाता और इन पर कार्यवाही की जाय तो मैं समझता हूं कि कमियों और शिकायतों की इतनी लम्बी सूची न हो। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और माननीय सदस्यों को उनके सुझावों के लिये आमंत्रित करता हूं कि वह अपने सुझाव देने की कृपा करें।

* श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर,अभी मंत्री जी ने सूचना विभाग पर अपना बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है और शासन की नीतियों को तथा शासन के कार्यक्रमों, योजनाओं को यह आम जनता को उपलब्ध कराता है । लेकिन मान्यवर, मेरा यह कहना है कि यह सही है कि यह विभाग शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम करता है । इस विभाग के द्वारा सरकार की नीतियां, कार्यक्रम, योजनायें जनता तक पहुंचायी जा सकती हैं और जनता की प्रतिक्रिया शासन को उपलब्ध करायी जा सकती हैं । लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि पिछली सरकार ने सूचना विभाग को अपनी जेब की संस्था बना लिया था । शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के बजाय पार्टी के कार्यक्रमों को विभाग के द्वारा प्रचारित कराया गया । सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि भविष्य में सूचना विभाग किसी पार्टी का दफ्तर न बने और किसी की पार्टी का मुखपत्र न बने और जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग न हो । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वर्ष 1994 में अगस्त, सितम्बर, नवम्बर में जो सरकार की पत्रिका उत्तर प्रदेश संदेश प्रकाशित होती है उसमें समाजवादी पार्टी का झंडा छापा गया । अगर सरकार की पत्रिका में किसी पार्टी का झंडा प्रकाशित किया जाता है तो यह जनता की गाढ़ी कमाई का अपव्यय है और इसी तरीके से जब अक्तूबर, 1994 में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, तो उसमें सूचना विभाग से प्रकाशित पुस्तक और अल्बम का विमोचन कराया गया । इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश संदेश, जो है इसमें जुलाई, 1994 का अंक है, मेरे पास उसमें जो पृष्ठ 10 है, उस पर गांधी दर्शक दीर्घा का पत्र छपा है और उस चित्र में श्री राज्यपाल खड़े हैं, उस समय के तत्कालीन मुख्य मंत्री हैं और पूर्व मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी हैं, उस तस्वीर के नीचे श्री मुलायम सिंह यादव का नाम है । प्रदेश के मुखिया राज्यपाल हैं । आज यह अधिकारी सरकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की बात करते हैं और संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं । सरकारी कर्मचारी और अधिकारी होकर राज्यपाल के नाम का उल्लेख न करें, यह हो सकता है कि तिवारी जी के नाम से छपवाई रही होगी, तो जो ताजी पुस्तिका प्रकाशित हुई है, शपथ ग्रहण समारोह का चित्र है, उसमें कांशीराम जी हैं, पूर्व मुख्य मंत्री राम नरेश यादव जी हैं, पूर्व मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी हैं, इस चित्र में किसी का नाम नहीं लिखा है, मोहसिना किदवई जी बैठी हैं, इसको मैं आपके पास भेज दूंगा ।

अब मान्यवर, मैं कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, मंत्री जी उनको नोट कर लें, तो इस सरकार की छाप निश्चित रूप से जनता पर अच्छी पड़ेगी । सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी, सूचना जैसे महत्वपूर्ण बजट के समय आ गयी हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय प्रदेश में मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी थे, तो उस समय उन्होंने नैनीताल में एक कान्फरेंस बुलाई थी, तो उसमें यह बात आयी थी कि प्रदेश के जो रिपोर्टर्स हैं, उनको बस में घूमने की सुविधा मिलती है, लेकिन किसी भी अखबार के सम्पादन में और प्रकाशन में एडीटोरियल और डेस्क पर कार्य करने वालों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उस महत्वपूर्ण भूमिका में आज तक उस समय

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी ने जो निर्णय लिया कि डैस्क पर कार्यरत जो समाचार पत्र के कर्मचारी हैं उनको भी बस के कूपन की सुविधा दी जायेगी। वह आज तक लागू नहीं हुआ। मान्यवर, सरकार की कन्टीन्यूटी होती है अगर आज इस सदन में मायावती जी घोषणा करें तो भविष्य में जो भी सरकार आयेगी उसकी यह प्रतिबद्धता है कि वह उसको लागू करे।

आज जो राज्योगी दल है इनका, उनकी सरकार में लाल जी टण्डन जी ने आश्वस्त किया था कि समाचार पत्र के पत्रकार साथी या गैर पत्रकार साथी जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में या किसी भी जनपद में हों मान्यवर, जिस तरह से पत्रकार की बढ़ती हुई मांग है हमारे भी जिले में कालोनियां बन रही हैं। लाल जी टण्डन जी ने निर्णय लिया था कि अगर उनके लिये अलग से कालोनियां नहीं बना सकते हैं तो आवास विकास कालोनी या और कोई सरकार की शासकीय संस्थाएं अगर कालोनी बनायेंगी तो इन कालोनियों में एक भवन, मकान या फ्लाट इन्हें आवंटित किया जायेगा जो पत्रकार उसे खरीदना चाहें उन्हें दिया जायेगा लेकिन आज इस दिशा में कार्य नहीं हो रहा है जिससे कि तमाम प्रदेश के जनपदों में मुख्य मंत्री या मंत्रीगण जब जाते हैं और पत्रकार सम्मेलन होता है तो वह कहते हैं कि हमारे पास आवास नहीं है मकान नहीं है कुछ करिये।

आज प्रदेश की राजधानी से जिला मुख्यालय से ही समाचार पत्र नहीं प्रकाशित हो रहे हैं बल्कि तहसील स्तर पर ही पत्रकारों को मान्यता दी जाती है। लेकिन हम जैसे प्रदेश के और जनपद स्तर के पत्रकारों को मान्यता देते हैं। संसदीय कार्य मंत्री तो खुद पत्रकार हैं, तो तहसील स्तर पर जो ग्रामीण स्तर पर पत्रकार हैं मैं चाहता हूं कि कम से कम तहसील स्तर पर भी पत्रकारों को मान्यता देने के लिये आज माननीया मुख्य मंत्री जी घोषणा करें कि उनके लिये जल्दी से जी० ओ० निकालेंगी। इसी तरह से पिछली सरकार में यह तय हुआ था कि कोई पत्रकार चाहे समाचार पत्र के संकलन में हो या और जगह हो अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो दुर्घटना बीमा के हिसाब से उसको लाभ मिलेगा लेकिन उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है।

मान्यवर, जैसे दूसरे विभागों में एक स्टैन्डिंग आर्डर है वैसे ही मैं चाहता हूं कि सूचना विभाग में भी एक समान स्टैन्डिंग आर्डर हो। लेकिन मान्यवर, पिछली सरकार में, जिसको हम कहते हैं कि चौथा स्तम्भ है जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका और एक स्तम्भ पत्रकारिता को मानते हैं जो चौथा स्तम्भ है लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछली सरकार ने जिस तरीके से इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात करने की कोशिश की, जिस तरह से आतंक का माहौल बनाया आतंक करने की कोशिश की कि अगर उस सरकार के तत्कालीन मुख्य मंत्री की छवि को नहीं निखारा गया, उसकी पार्टी की छवि को नहीं बढ़ाया गया उनकी खबरों को नहीं प्रकाशित किया गया तो वह हल्लाबोल जैसा कार्यक्रम करेंगे। यह प्रजातंत्र में बड़े दुर्भाग्य की बात है। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी जब खड़े होते हैं और कहते हैं कि मेरी बात को सुन लें तो इसका मुझे एहसास होता है वह हमारी समालोचना को सुनते हैं तो हम भी उनकी बात को सुनते हैं और अगर सरकार की तरफ से एक हल्ला बोल कार्यक्रम दिया गया और उस हल्ला बोल कार्यक्रम में दैनिक जागरण और अमर उजाला के विज्ञापन बन्द कर दिये गये। अब कोई उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री हो जाय तो क्या प्रदेश का इस तरह से मालिक हो गया कि जिस तरह से चाहे किंग कैन डूनो रांग की थ्योरी पर अखबार के विज्ञापन बन्द कर दिये। अगर कहीं कोई दिक्कतें हैं तो उसके संबंध में तमाम कार्यवाहियां हैं। दो अखबारों के विज्ञापन बन्द कर दिये तो एक प्रकार से अन्य अखबारों को भी यह सूचित कराने का प्रयास किया गया

कि अगर सरकार के अनुरूप कार्य नहीं किया गया तो उनका भी यही हश्र होगा जो इनका हुआ है। तो मान्यवर, इस तरीके से किसी कार्य को नहीं करना चाहिए।

मान्यवर, पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के बावजूद कि पत्रकारों को स्वतंत्रता और सुरक्षा दी जायेगी, पत्रकारों, छायाकारों को उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिये पूर्ण स्वतंत्रता एवं सुरक्षा प्रदान की जायेगी, इसके बावजूद कोई बात नहीं हो रही है।

मान्यवर, हम आलोचना सुन सकते हैं अगर हमारी माननीय मंत्री की आलोचना की जाती है, तो हम रिजेक्ट नहीं करते हैं। जनपदों में हमारे खिलाफ तमाम समाचार पत्रों में इस तरह की खबरें छपती हैं जिससे हमको पीड़ा होती है लेकिन फिर भी हम पत्रकारों से ऐसी कोई बात नहीं करते हैं और अगर वहीं एक दरोगा के खिलाफ लगातार तीन बार छप जाय तो वह पत्रकार के हाथ पैर तुड़वा दे और यहां तक कि मरवा भी दे। इतिहास साक्षी है कि जहां पर भी दरोगाओं और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ लिखा गया तो उन पत्रकारों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हम लोग विधायिका के अंग होकर अपनी आलोचना बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन यह पत्रकार अगर किसी दूसरी संस्था से जुड़े हुए लोगों, कार्यपालिका के लोगों की आलोचना करते हैं तो उन्हें अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है तो जो पत्रकारों की उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं तो उसमें उनको सुरक्षा प्रदान की जाय और मैं समझता हूं कि कम से कम होम डिपार्टमेन्ट में अलग से यदि एक सेल स्थापित कर दिया जाय कि यदि कहीं पत्रकारों के ऊपर कहीं कोई उत्पीड़न की घटनाएं हैं तो कम से कम उस सेल में उस पर कार्यवाही की जाय।

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने एक नया वेतन मंडल लागू किया है इस प्रदेश में या देश में जो हमारे समाचार पत्र हैं जो पत्रकार हैं या गैर पत्रकार हैं, उनके वेतनमान व अन्य सुविधाओं के लिये और वेतनमान में विसंगतियों में सुधार करने के लिये यह बनाया गया है। जो इससे पूर्व वेतन मण्डल गठित हुए थे चाहे बछावत आयोग रहा हो, कालेकर एवार्ड रहा हो या सिन्धे का आयोग रहा हो मैं इस सरकार से यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश में तमाम समाचार पत्र ऐसे हैं जिन्होंने बछावत कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया है तो अगर आपको विज्ञापन बन्द करना है तो जिन्होंने बछावत की रिपोर्ट लागू नहीं किया है तो उनके विज्ञापन बन्द कर दें उसमें कोई आपकी आलोचना नहीं करेगा।

आपको बड़े-बड़े तमाम समाचार पत्र समूह मिल जायेंगे जिन्होंने पालेकर की सिफारिशों को, सिन्धे का जो कमीशन था, उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया है। जो यह चौथा वेतन आयोग बनाया गया है इसमें आप उनका पक्ष उसमें करें, ताकि कम से कम भविष्य में कोई ऐसी कार्य योजना तैयार हो कि जो नया वेतन मण्डल बना है उसके समक्ष पत्रकारों के हितों की बात हो ताकि उनके हितों की सुरक्षा हो सके। स्वर्गीय हेमवती नन्दन बहुगुणा और श्रीपति मिश्र जी ने राजधानी लखनऊ में पत्रकारों को आवासीय सुविधा देने का निर्णय लिया। पिछले दिनों से लगातार जो मामले उठ रहे हैं कि पिछली सरकार ने उनको तमाम सुविधाएं दीं और उनको विज्ञापन दिये जो उनकी नीति के अनुसार चल रहे थे, इन दोनों मुख्य मंत्रियों ने निर्णय लिया था कि उस पर जी० ओ० भी हो चुका है कि सस्ते दर पर मकान या प्लाट उपलब्ध कराये जायेंगे उसको ईमानदारी से बनाये रखें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल साहब आप समय का ध्यान रखें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक तो पत्रकारों के संबंध में लगातार इस बात का शोर शराबा हो रहा है कि पत्रकारों ने पिछली सरकार से सुविधा ली। हम केवल पत्रकारों की ही चर्चा क्यों करें जिस तरह से समाचार-पत्र के मालिक आज सुविधा लेने की बात करते हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। सरकार की नीतियों की, उनके कार्यक्रमों की जनता के हित में हों या न हो उसको बढ़ा चढ़ाकर लिखकर उनको चीनी का लाइसेन्स, उद्योग का लाइसेंस चाहिए। आज इस तरफ हमारी निगाह नहीं जा रही है वे जिस तरह से सरकार को प्रभावित करना चाहते हैं, वे जिस तरह से सरकार पर दबाव बनाकर चीनी का लाइसेंस लेते हैं, उद्योग का लाइसेंस लेते हैं इसकी भी जांच करायी जाये और एक पारदर्शी नीति बनायी जाय और चाहे विज्ञापन छापने की बात हो या और कोई बात हो उसके संबंध में मदद मिल सके।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के पत्रकारों को जो मान्यता मिलती है या फिर उनका जो रिन्यूवल होता है उसके लिये पत्रकार मान्यता समिति होती है उसका कार्यकाल 31 मार्च, 1995 को समाप्त हो गया है तो उसे फिर से गठित किया जाये जिससे पत्रकारों के जो प्रतिनिधि होते हैं, सूचना विभाग के जो प्रतिनिधि होते हैं, इसी तरह से मान्यवर, जो प्रदेश की विज्ञापन मान्यता समिति है उसका भी कार्यकाल समाप्त हो गया है उसका पुनर्गठन किया जाये जिससे पत्रकारों को मान्यता मिलनी शुरू हो जाये। उनका रिन्यूवल शुरू हो जाये। इसी तरह से विज्ञापन के संबंध में कहना चाहूंगा कि आज जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े पत्रकार हैं उनको विज्ञापन नहीं दिया जा रहा है। जो छोटे-छोटे अखबार हैं उनको विज्ञापन नहीं दिया जा रहा है। बड़े अखबारों में जगह नहीं मिल पाती है। बड़े पत्रों में लखनऊ की खबरें विधान सभा की खबरें और प्रेस कान्फ्रेंस जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं छपती हैं लेकिन छोट-छोटे समाचार पत्रों को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। जो 70 प्रतिशत की बात आपने कही आपने जिलों से विज्ञापन के अधिकार भी ले लिये हैं आज सारे विज्ञापन डाइरेक्टर इन्फारमेशन में सेन्ट्रलाइज हो गये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। और भी बहुत से माननीय सदस्यों के इसमें सुझाव आने हैं। आप अपनी बात जल्दी समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बात और उठाना चाहता हूं। अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि वे बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर जी के साहित्य को प्रकाशित कराने जा रहे हैं मैं इसके लिये उनका साधुवाद करना चाहता हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं एक सांस्कृतिक संस्था थी "सहमत" उसने अयोध्या में एक प्रदर्शनी लगायी। उसमें बौद्ध साहित्य में राम को सीता का भाई बताया जिसे अव्यवस्था हो गयी। तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह का विवाद न पैदा हो। जो उनका साहित्य हिन्दी में आप अनुवाद कराने जा रहे हैं उसको आप देख लें उसमें अर्थ का अनर्थ न होने पाये। बाबा साहब के साहित्य में "रीडिल्स इन हिन्दूज्म" में राम की अनेक पत्नियों का जिक्र किया गया है [× × ×] तो ऐसा कोई प्रकाशन प्रकाशित न किया जाये, जिससे किसी वर्ग का अहित हो।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, इसी तरह से पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार द्वारा अम्बेडकर साहित्य प्रकाशित कराया गया उसके आठवें खण्ड में ऐसा है जिससे मुसलमान भाइयों को चोट पहुंच सकती है। पृष्ठ–97 पर "सभी बातों पर विचार करने पर इसमें सन्देह नहीं रह जाता है कि कोई साहसी हिन्दू ही कह सकता है कि मुसलमान देशों के आक्रमण के समय भारतीय मुसलमान निष्ठावान रह राकेंगे।" हमारे देश में अल्पसंख्यक मुसलमान भारतीय हैं उनकी निष्ठा पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। इस तरह के प्रकाशन के सम्बन्ध में समय-समय पर ध्यान रखना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

पाल जी अब आप समाप्त करें, अन्य माननीय सदस्य भी बोलना चाहेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल–

आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश वार्षिकी 1993-94 का जो प्रकाशन हुआ है और जो तस्वीर दिखायी गयी है.....

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और माननीय सदस्यों को इस पर बोलने हेतु आमंत्रित करता हूं।

श्री रामजीत भारद्वाज–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे खाद्य एवं रसद विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी ने जो खाद्य और रसद विभाग का बजट पेश किया है, उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। इसलिये क्योंकि वितरण प्रणाली जो इस देश में आजादी के 50 सालों बाद लागू है, उसमें बहुत सी कमियां हैं, जिसको माननीय मंत्री जी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, माननीय मंत्री जी बहुत अनुभवी है, कर्मठी हैं वह जरूर इसको सुधार लेंगे।

एक बात कहना चाहता हूं, जैसा कि हमारे विद्वान साथी नरेश अग्रवाल जी कह रहे थे कि इस देश में हरित क्रान्ति लाने की पूरा का पूरा श्रेय आपके ऊपर है। मैं कहना चाहता हूं कि जब हम इस देश के हुक्मरान थे, जब इस देश में हमारी शासन सत्ता थी, जब चन्द्रगुप्त मौर्य का इस देश में राज्य था, तो यहां के लोग कितने खुशहाल थे। शायद भाई नरेश अग्रवाल जी भूल गये हैं। आप हरित क्रांति की बात कहते हैं,आज धान की रोपाई हो रही है, हमारी मातायें-बहिनें, हमारी बहू-बेटियां, हमारे मां-बाप अपने पसीने को उस खेत में लगा रहे हैं, लेकिन आपके घरों में बैठे हुए लोग हरी-हरी चूड़ियां पहन कर और लिपिस्टिक लगाकर ठहाके लगा रही हैं। एक उक्ति है "चोर मचाये शोर" आप हरित क्रांति की बात कर रहे हैं। चोर ही शोर मचा रहा है। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मैं तो धन्यवाद देता हूं इस प्रदेश की मुखिया बहिन सुश्री मायावती जी को, जो भ्रष्टाचार के निवारण के लिये मैदाने जंग में आ गयी है, और जो भ्रष्टाचार आपने बढ़ाया है, उसको खत्म कर देंगी, अभी तो सिर्फ दो महीने हुए हैं। तिवारी जी आप शेर की बात करते हैं। तर्क और तथ्य के ऊपर जो बात मान्य है––

"आंधियां मगरूर, दरख्तों को पलट जायेंगी,

रह जायेंगी वह साखें जो खुद ही लचक जायेंगी।

आरामां छूने का अन्जाम समझ जाआगे,

जब पांव के नीचे से धरती खिसक जायेगी । ''

(इस समय 3 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

और जमीन खिसक भी गयी है । अभी आप कह रहे थे कि हर साख पर उल्लू बैठा है तो मान्यवर, 50 साल तक तो उल्लू ही बैठे रहे । अब उल्लुओं की कमी हो गयी है जो एक खुशी की बात है । चावल के अन्दर अभी जो घोटाला हुआ है, किसानों की मेहनत में जो आपने घपला किया है, जो किसान उत्पादन करता है और इस देश की आर्थिक व्यवस्था को विनियमित करता है । उसका सहारा लेकर आप लोग आराम की जिन्दगी बसर कर रहे हो, परन्तु इस देश का दलित और मुस्लिम एकता इस पूरी व्यवस्था को बदल देगा, कोई इसें रोक नहीं सकता । अभी माननीय तिवारी जी कह रहे थे और विधान सभा के अन्दर भविष्यवाणी कर रहे थे, आज दलित महिला को मुखिया बनते देखकर उनके पेट में गड़बड़ी हो रही है ।

612वीं ईस्वी में भी आपने घोषणा की थी कि यह देश गुलाम नहीं होगा । सोमनाथ का मंदिर आपने देखा ही है । सबसे बड़ी बात तो यह है कि 50 साल तक इस देश में गरीबी समाप्त करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया मैं कहना चाहता हूं कि दाई कभी माई नहीं हो सकती माई हमेशा माई ही रहेगी । जब तक समाज में यह हमारा है का एहसारा बोध कराया नहीं जायेगा तब तक गरीबी समाप्त नहीं हो सकती । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को केवल दो महीना हुआ है । हम सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में इस सम्पूर्ण व्यवस्था को बदल देंगे । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का मैं समर्थन करता हूं और साथ ही स्वागत भी ।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, आपने मुझे खाद्य एवं रसद विभाग पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद । माननीय मंत्री जी के भाषण को मैंने ध्यान से सुना और बड़ी प्रसन्नता हुई कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जो सस्ते गल्ले की दुकानों में धांधलियां हुआ करती थीं, और माफिया लोगों को पहले ही आवंटित हो जाना करती थीं, उस पर पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी और सौभाग्य से मुझे भी उस विभाग को देखने का अवसर प्राप्त हुआ तो इसी परेशानी को दृष्टि में रखते हुए दुकानों के आवंटन में 50 प्रतिशत का आरक्षण हमारे द्वारा घोषित हुआ था जिसमें सेवा निवृत्त सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, विकलांगों, अनुसूचित जातियों पिछड़े वर्गों और शिक्षित बेरोजगारों के लिये व्यवस्था की गयी थी । माननीय मंत्री जी ने भी उस व्यवस्था को यथावत चलाने का आश्वासन इस आदरणीय सदन के अन्दर दिया है जिसकी मुझे खुशी है । श्रीमन्, अभी माननीय नरेश अग्रवाल जी कटौती पर बोल रहे थे और जो खाद्य विभाग के वितरण व्यवस्था पर बोले उससे पीड़ा हुई । मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । देश में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा खाद्यान्न भारत सरकार से मिलना चाहिये । मैं आरोप लगा रहा हूं भारत सरकार का इसमें सौतेला व्यवहार उत्तर प्रदेश के साथ रहा है । जितना खाद्यान्न दिया जाता है उसका वितरण करने में प्रदेश सरकार के सामने संकट उत्पन्न हो जाता है यहां जनसंख्या के अनुपात से खाद्यान्न नहीं आता है ।

भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उस समय यह अनुभव करते हुए जो निर्धन एवं गरीब हैं उनको खाद्यान्न पूरा नहीं मिलता और जो सम्पन्न हैं और जो चावल और गेहूं उनको आवंटित होता है उसे वह नहीं लेते हैं राशन कार्ड पर वह चढ़ जाता है और बाहर काले बाजार में बिकता है । उसकी

व्यवस्था करने के लिये एक योजना बनाई थी लेकिन वह व्यवस्था होने के पहले ही सरकार समाप्त हो गयी । उसमें व्यवस्था थी कि 2 रंगों के राशन कार्ड बनाये जायें । निर्धन वर्ग के लोग चावल और गेहूं लेते हैं । उसकी मात्रा और सम्पन्न वर्ग जो नहीं लेता है उसको गरीबों में जोड़कर बढ़ा दिया जाय और सम्पन्न वर्ग के लिये चीनी की मात्रा उसी अनुपात में कुछ बढ़ा दी जाय । मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा कि जो वितरण प्रणाली व्यवस्था है उससे समाज को फायदा मिले । उसमें यह जो सुझाव है इसका ध्यान रखा जाय । इससे वितरण प्रणाली संतुलित हो पायगी ।

एक और व्यवस्था शुरू की गयी पहले यह बात आती रही थी कि राशन कार्ड धारकों को पूरा सामान नहीं मिल पाता है और जब वह दुकान में सामान लेने जाता था तो दुकानदार कह देता था कि अभी राशन नहीं है इस तरह से 2-3 बार वह पूछ कर लौट जाता था और जब बाद में जाता था तो कह दिया जाता था राशन बंट गया है तो इस तरह से खाद्यान्न बाहर चला जाता है । इसलिये इस गड़बड़ी को समाप्त करने के लिये डोरस्टेप डिलीवरी शुरू की गयी । एक पूरा चार्ट बन गया कि किस दुकान में किस दिन खाद्यान्न पहुंचेगा जिसकी जानकारी सभी को करा दी जाती थी । इससे काला बाजारी पर नियंत्रण किया जा सकता है । यह उस वक्त की व्यवस्था थी जो अब जीर्ण शीर्ण हो चुकी है । डोर स्टेप डिलीवरी शायद ही कहीं चल रही हो । उसे फिर से शुरू करायेंगे तो खाद्यान्न का वितरण गरीबों और निर्धनों में ठीक से हो पायेगा और इससे सरकार की छवि भी सुधरेगी ।

एक निवेदन और है चावल की जिस समय उगाही होती थी तो जो प्रक्योरमेंट अधिकारी करते थे उसमें गरीब किसान जो धान बेचने के लिये लाता था उसमें नमी मापने का भी उपयोग मशीन द्वारा किया जाता था । कि जिसने प्रति कुन्टल कुछ दे दिया तो उसका नमी वाला चावल भी ठीक मानकर ले लिया जाता था किन्तु भण्डारण में वह सड़ता था और सरकार को नुकसान होता था और जिसने कोई पैसा नहीं दिया तो उसके चावल में नमी न रहने पर भी अस्वीकृत हो जाता था ।इस चीज को ध्यान से देखा जाना चाहिये (व्यवधान) श्री नरेश अग्रवाल जी ने जो शराब के ठेके की बात कही है, सरकार के रेवेन्यू का वह एक मुख्य साधन था और सरकार के ठेका लेने वाले मफियाओं ने जो मजबूर करने का प्रयास किया था कि वह सस्ते मूल्य पर ठेका ले तो उस दुरभिसंधि के कारण उसे कोई अन्य लेने को तैयार नहीं होता था तो उनकी मोनोपोली को तोड़ने के लिये यह व्यवस्था की गयी थी जिससे पूरे प्रदेश में इससे मिलने वाले रेवेन्यू की कोई क्षति न हो और मोनोपोली न हो । (व्यवधान) मायावती जी को सरकार में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और यह सरकार छात्रों को पढ़ने देना चाहती है । इसलिये केरोसिन आयल दिया जाना चाहिये पूर्व सरकार तो नकल मारने वालों की सरकार थी उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी । उसने भाजपा सरकार के नकल अध्यादेश को समाप्त कर दिया था । मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

* श्री अमित अग्रवाल–

मान्यवर, आज सरकार द्वारा जो बजट रखा गया है और जो घोषणायें की गयी हैं उसका स्वागत और समर्थन करते हुए मैं कुछ बातों की ओर सरकार का ध्यान सुझाव के रूप में आकर्षित करता हूं जो कुछ फर्जी राशन कार्डों को कैन्सिल करने की बात रखी गयी है, तो होता यह है कि गरीब जनता के राशन कार्डों को फाड़कर फेंक दिया जाता है और कहा जाता है कि हमने राशन कार्ड, फर्जी यूनिट और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फर्जी कार्ड कम कर दिये हैं जबकि वास्तव में फर्जी राशन कार्ड नहीं कम किये गये, गरीबों के राशन कार्ड फाड़कर कम किये गये हैं। हमारे यहां मेरठ में ए० आर० ओ० आफिस की दशा बहुत गम्भीर है, एक बूचड़खाने के रूप में वह दफ्तर है। जो मिट्टी के तेल की मात्रा बढ़ाने की बात कही है, नगर क्षेत्र में 5 लीटर मिल रहा है और 10 लीटर की घोषणा कल्पना मात्र है। चोक विक्रेता लोग अपर जिलाधिकारी के दबाव में विक्रेताओं को पूरा कोटा नहीं देते हैं [illegible] जबरन करा लिये जाते हैं।

पेट्रोल के टैंकरों में आम तौर से जो सालमेंट मिलाया जाता है उससे जनता के वाहन खराब हो रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को गलत काम करने से रोका नहीं गया तो सरकार की घोषणायें कार्यान्वित नहीं हो पायेगी। ऐसे अधिकारी जिनके खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज हो चुकी है, जिनके खिलाफ कर्मचारियों के उत्पीड़न के मुकदमें चल रहे हैं और जिन पर जातीय आधार पर काम करने के आरोप हैं ऐसे अधिकारियों को जनता के सामने से हटाना होगा।

* इन्जीनियर राम लोटन सिंह पटेल–

मानीनय नन्द लाल पटेल जी ने जो बजट रखा है उस पर बोलने के लिये मुझे जो अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मुझे कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि यह जो बजट रखा गया है, इस बात का द्योतक है कि हमारे मंत्री जी के मन में इस प्रदेश के दलित समाज के लिये, कमजोर और गरीब लोगों के लिये मन में हमदर्दी रखते हैं और उसी आधार पर यह बजट रखा गया है। मान्यवर, आज तक इस प्रदेश में बहुत सी सरकारें बनी, बहुत लोगों ने दलितों को वोट लिया और उनके साथ धोखाधड़ी की। हमारे माननीय मंत्री जी ने इस बात की व्यवस्था की है कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके राशन कार्ड अभी तक नहीं बने हैं, इस ओर ध्यान दिया है। संकल्प भी लिया है और यह निर्देशित किया है अपने अधिकारियों को कि कम से कम समय में उन लोगों के राशन कार्ड बनवाये जायं और जो भी सुविधायें उन्हें मिलनी चाहिये राशन कार्ड के माध्यम से वह उपलब्ध कराई जायं।

मानीनय मंत्री जी का यह कदम स्वागत योग्य है। इसी तरह से समाज के उन लोगों का ध्यान भी रखा है जिनकी राशन की दुकानों में हिस्सेदारी नहीं थी।उनके पास राशन की दुकानें नहीं थी। ऐसा करके उन्होंने यह दिखाया है कि हर क्षेत्र में राशन या व्यापार के काम में, वह आगे बढ़ सकते हैं मंत्री जी ने इस प्रदेश के दलित समाज के लोगों की तरफ ध्यान दिया है और उनके प्रति संवेदनशील हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राम सरन वर्मा–

मान्यवर, खाद्य तथा रसद विभाग व सूचना विभाग जैसे महत्वपूर्ण विषयों के बजट पर हो रही चर्चा में मुझे अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आय-व्ययक वर्ष 1995-96 की मैं सराहना करता हूं और समर्थन करता हूं। मान्यवर, भारत के संविधान के 73 वें संशोधन के अन्तर्गत जब से नया पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ है तबसे सम्पूर्ण प्रदेश में तथा विशेष रूप से जनपद पीलीभीत में जो खाद्यान्न वितरण व्यवस्था है वह पूर्व गठित गांव सभाओं के अनुसार सुनिश्चित है। पुनः गांव सभाओं के परिगमन हो जाने के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाद किसी-किसी ग्राम पंचायत में दो-दो, तीन-तीन और किसी ग्राम पंचायत में एक भी आवश्यक वस्तु की दुकान नहीं है। जब से ग्राम पंचायत पुनर्गठन आरम्भ हुआ है तब से मिट्टी के तेल और चीनी का वितरण नहीं हो रहा है स्थानीय अधिकारियों की सांठ-गांठ से यह सारी आवश्यक वस्तुएं ब्लैक हो रही हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुनर्गठित ग्राम पंचायतों के अनुसार खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तु की दुकानें सुनिश्चित की जायं और पुराने परिसीमन के अनुसार जो दुकानें हैं वह निरस्त की जायं। तभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नियंत्रित, व्यवस्थित तथा सुगम हो सकती हैं। जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत बीसलपुर में आदर्श उपभोक्ता भण्डार है जो निजी स्वार्थ में गठित है सीमित सदस्य हैं कभी चुनाव नहीं होता है। जहां आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं सारी चीजों को ब्लैक कर देते हैं और नगर की अनेकों दुकानें भी अपने से सम्बद्ध कर रखी हैं। विगत दिनों शिकायत की गयी थी तो कुछ दुकानें हटा दी गयी थीं परन्तु अब फिर से उन दुकानों को सम्बद्ध कर लिया गया है। जनपद पीलीभीत में एस० डी० एम० श्रीमती ऊषा शुक्ला, आपूर्ति निरीक्षक से हिस्सा महीने में लेती हैं इस कारण बहुत से दुकानें गलत आवंटित की गयी हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम सरन वर्मा–

गलत दुकानें आवंटित कर रखी हैं और पूर्ति निरीक्षक बीसलपुर ने उन नामों से पर्ची कटाकर मिट्टी का तेल और चीनी उठवायी है जिनके नाम दुकान आवंटित नहीं है। काफी मात्रा में फर्जी राशन कार्ड बनाये हुए हैं। जिनका सत्यापन जनप्रतिनिधि युक्त विशेष टीम से कराया जाये। दि० 18-11-93 को सूर्य प्रकाश अवस्थी ने दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित कराया था। परिणामतः उन्हें जिलाधिकारी व थाना बरखेड़ा में अपमानित कर जेल भेजा गया तथा मुकदमा कायम किया जो समाप्त कर दिया गया है क्योंकि पत्रकार निर्दोष था तथा उसके अपमान के सम्बन्ध में अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हो।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

* श्री सत्येन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे खाद्य एवं रसद विभाग तथा सूचना विभाग पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस विधान सभा में पहली बार बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। सूचना एवं खाद्य और रसद विभाग के बजट का मैं समर्थन करता हूं लेकिन महोदय आपके माध्यम से इस माननीय सदन में आगाह करना चाहता हूं और आदमी के विचार को खुले रूप से कहना चाहता हूं खाली प्रवचनों से कार्य चलने वाला नहीं है अगर इस समाज और राष्ट्र का ध्यान रखना है तो सबको अपनी आत्मा को टटोलना होगा, भ्रष्टाचार को दूर किये बगैर न तो आप समाज का भला कर पायेंगे और न राष्ट्र का भला कर पायेंगे।

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(कुछ सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

हमारे माननीय नेता अभी बोल रहे थे माननीय नरेश अग्रवाल जी बोल रहे थे माननीय तिवारी जी बोल रहे थे, माननीय पाल जी बोल रहे थे अनेक माननीय नेतागण प्रवचन करते हैं ख्याति के लिये प्रवचन करते हैं । इस मातृभूमि के लिये राष्ट्र के लिये कुछ करना है तो त्याग करिये । इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये समाज की बुराइयों को दूर करने के लिये कुछ करिये, मैं अपने बन्धुओं से कहना चाहता हूं वह देखें किसी दुकान का बंटवारा निर्विवाद रूप से नहीं होता है । हर जगह भ्रष्टाचार है हर जगह हिस्सा लिया जाता है हर अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है यदि कोई एक बन्धु ऐसा है जो भ्रष्टाचारी नहीं है तो उसे जीने का अधिकार नहीं है । मेरे पास एक परिचय पत्र है.....

श्री अध्यक्ष–

आप खाद्य और रसद पर बोलिये ।

श्री सत्येन्द्र सिंह–

परिचय-पत्र महिला का है और नाम पुरुष का है ।

श्री अध्यक्ष–

आज खाद्य और रसद विभाग का बजट है ।

श्री सत्येन्द्र सिंह–

इसको मैं दूंगा इसको आप देखें यह मेरे जिले मुरादाबाद का है किस तरह से इसका दुरुपयोग किया गया है ।

(श्री मुरलीधर का नाम पुकारा गया)

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री सत्येन्द्र सिंह–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री मुरलीधर–

मान्यवर, खाद्य एवं रसद का बजट हमारे विद्वान मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है मैं इसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । एक लम्बे अरसे से जो वितरण प्रणाली चली आ रही है उसमें सुधार करने के लिये मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

वितरण प्रणाली में राशन कार्डों की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से गरीब लोगों को मिट्टी का तेल, और चीनी उपलब्ध कराई जाती है । बहुत पहले राशनकार्ड की व्यवस्था की गयी थी तब से आज तक जो भी राशनकार्ड वितरित किये गये गरीब आदमियों को वितरित किये गये वह टुकड़े-टुकड़े हो गये हैं । एक राशन कार्ड एक परिवार को बड़ी मुश्किल से बनता है । गांव में रहने वाले एक दबंग व्यक्ति ने अपने नाम अपनी औरत का नाम और अपने बच्चों के नाम कई राशनकार्ड बनवाये हैं । मैं

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपके माध्यम से कहना चाहता हूं वह व्यक्ति उस संबंधित ठेकेदार से चीनी हो मिट्टी का तेल हो जबरन ले आता है उस गांव में रहने वाला गरीब आदमी अगर वह जाता है तो उसको एक किलो भी चीनी नहीं मिल पाती है । मैं मांग करता हूं कि राशनकार्ड की व्यवस्था के बारे में जांच की जाए और पुनः राशन कार्ड नये सिरे से बनवाये जायें । मिट्टी के तेल की बड़ी आवश्यकता गांव में रहती है जहां बिजली नहीं । जहां केवल मिट्टी के तेल के माध्यम से ही रोशनी की जाती है वहां रहने वाले छात्र जो गरीब छात्र हैं वे उसी के सहारे अध्ययन करते हैं मिट्टी का तेल न होने के कारण उसके अध्ययन में बाधा पड़ती है,वह पढ़ नहीं पाता है । मेरी मांग है कि इसको फ्री सेल कर दिया जाए । अभी चावल वितरण के संबंध में चावल घोटाले की बात कही गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

* श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया । यह सरकार पिछड़ों, दलितों व अल्पसंख्यकों की सरकार है । लेकिन इस सरकार ने वितरण प्रणाली में जब गांव में छोटे-छोटे तबके के लोगों को चीनी और मिट्टी का तेल नहीं मिलता है और यहां तक कि गांव में जितनी संख्या में जितने यूनिट हैं उनके राशन कार्ड आज तक नहीं बने हैं तो सरकार यह सुनिश्चित करे कि जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं हैं जिससे चीनी और मिट्टी का तेल उनको नहीं मिलता है ।

यह सरकार घोषणा करे कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, दलित तबके के लोग हैं, जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं उनके राशन कार्ड बनवाये जायें जिससे उनको चीनी और मिट्टी का तेल मिल सके व दैनिक उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध हो सकें । गांव में चीनी और मिट्टी के तेल का अधिकतर ब्लैक होता है । वहां मार्केटिंग इन्सपेक्टर जो होता है वह दूसरे कोटेदारों को चीनी दे देता है इससे बाजार में सारी चीनी ब्लैक हो जाता है । मिट्टी का तेल 14-14 रुपये प्रति लीटर बाजार में बेचा जाता है । मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि चीनी और मिट्टी के तेल के वितरण की व्यवस्था वह सुनिश्चित करें । अगर किसी के विरुद्ध कोई शिकायत आती है तो उस दुकान को तुरन्त निरस्त किया जाए जिससे चीनी और मिट्टी का तेल उपलब्ध हो सके । जो प्रेस के मालिक हैं वह भविष्य निधि पत्रकारों को नहीं देते हैं उसकी जांच होनी चाहिए और जो भविष्य निधि नहीं काट रहे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए जिससे पत्रकारों को जो तहसील स्तर और ब्लाक स्तर पर काम कर रहे हैं उनको फायदा हो सके.। उनको बस की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए ।

मैं कहना चाहता हूं कि राजधानी के मुख्यालय पर जो पत्रकार काम कर रहे हैं, प्रेस के मालिक उनकी भविष्य निधि नहीं काट रहे हैं इससे उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है । इसलिये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रेस श्रमिकों के नियमों का अनुपालन करते हुए उनके खिलाफ जांच की जाए जिससे छोटे-छोटे पत्रकारों को उनका हक मिल सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मन्नू लाल कुरील–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं एक निवेदन करना चाहूंगा । जो गांव में चीनी दी जाती है, शहरों में दी जाती है गांव के लोगों को मिट्टी का तेल दिया जाता है ।

शहरों के लोगों को मिट्टी का तेल दिया जाता है । उसमें असमानता दूर करने के लिये यह निवेदन करूंगा जो शहरो के लोगों को दिया जाए वहा गांव के लोगों को दिया जाए । यह जो कोटेदारों के लाइसेन्स की प्रणाली है, यह रिनूवल प्रणाली है । इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है । होता क्या है कई जगह होता यह है कि बगैर सुविधा लिये यह अधिकारी लोग लाइसेंस रिनूवल नहीं करते हैं मेरे जिले की घटना है । वहां जिलापूर्ति अधिकारी मिट्टी के तेल के जो वितरक हैं उससे पांच हजार रुपया और जो कोटेदार हैं उससे दो हजार रुपया ले लेते हैं तो जब वह लाइसेन्स रिनूवल करने के पैसा देगा तो वह ब्लैक करेगा ही । इसलिये इस प्रणाली को बदला जाए । दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं । यह जो मिट्टी के तेल में और डीजल में मिलावट होती है, इसके बारे में विचार कर इसको भी दूर करने की कोशिश की जाय । होता यह है कि गाव का जो आदमी है, उसको जब कोटा मिलता है तो एक चीनी के बोरे पर एक दुकानदार को केवल 10 रुपये का प्रफिट रखा गया है, उस 10 रुपये में से 5 रुपया ढुलाई का चला जाता है और शेष 5 रुपया में से काफी कुछ पल्लेदारी में निकल जाता है, कुल मिलाकर बड़ी मुश्किल से कोटेदार को 3 रुपया मिल पाता है ।

(इस समय 3 बजकर 58 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती उर्मिला राजपूत पीठासीन हुई)

अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि कृपया इस व्यवस्था को बदलने के लिये आप और माननीय मंत्री जी, जो कोटेदारो की आमदनी की राशि 10 रुपये हैं, का बढ़वाने का कष्ट करें । एक शेर अर्ज करना चाहूंगा–

"दिल की हालत की तरफ किसकी नजर जाता है,
गरीबों की उम्र तमन्ना में गुजर जाती है ।
न आंसू अलग हैं, न आहें अलग हैं,
इन गरीबों के लिये क्यों निगाहें अलग हैं ॥"

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और बजट का समर्थन करते हुए, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

श्री राजाराम त्यागी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए, जो सूचना विभाग का बजट माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, का समर्थन करता हूं । यह बजट अत्यन्त सराहनीय है । मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव रखना चाहता हूं । सूचना विभाग एक ऐसा विभाग है, जिसमें सरकार की नीतियां होती हैं, सरकार की प्रमुख उपलब्धियां और सरकार की भावी क्या योजनायें हैं, यह सभी चीजें जनता के सामने पहुंचती हैं, जनता की बात भी सूचना विभाग के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है, इस प्रकार यह विभाग जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम करता है । सूचना विभाग एक ऐसा विभाग है, जिसमे सत्य और असत्य, सभी बातें जनता के सामने और सरकार की बातें जनता के पास पहुंचती हैं । मैं इस विभाग को इस महत्व से

देखना चाहता हूं। जो बजट आज यहां प्रस्तुत किया गया है, निश्चित रूप से अच्छा बजट है, लेकिन इसके साथ ही मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। सूचना विभाग के द्वारा प्रत्येक जनपद में सूचना केन्द्र खोले गये हैं। यह सूचना केन्द्र, पिछले 40 सालों से, इस समय केन्द्र में जो राजनैतिक दल सत्तारूढ़ है, के द्वारा खोले गये थे, लेकिन ये सूचना केन्द्र जिलों में पूरी तौर से मरणासन्न स्थिति में आ गये हैं। पिछली सरकार ने और उससे पूर्ववर्ती सरकार ने केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छोड़कर अन्य सरकारों ने इनके लिये कोई काम नहीं किया और इनको हतोत्साहित किया।

मैं कहना यह चाहता हूं कि सूचना विभाग की और आपको और आपकी सरकार को पूरी तरह से केन्द्रित होना पड़ेगा मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि जिला स्तर पर जो पत्रकार हैं, उन तक सारी सुविधायें पहुंचती हैं, लेकिन तहसील स्तर पर, ब्लाक स्तर पर पर जो पत्रकार हैं, वह इन सुविधाओं से वंचित रहते हैं, मेरी मांग है कि जिला स्तर के पत्रकारों को मिलने वाली सारी सुविधायें इन पत्रकारों को भी दी जानी चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूं कि सूचना विभाग निश्चित रूप से चौथे स्तम्भ का कार्य करता है। सूचना विभाग का बड़ा महत्व है। इसी के अन्तर्गत हमारे पत्रकार बंधु होते हैं जिनका महत्वपूर्ण दायित्व होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले शासन काल में उनको दुर्भावना की ओर ले जाया गया। पिछले मुख्य मंत्री जी नें ऐसा कुकृत्य किया जिससे पूरे प्रदेश में उनकी भर्त्सना हो रही है। सरकार को चाहिए कि वह पत्रकारों को सम्मान दे।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पत्रकारों को सम्मान दिया गया और अब भी पत्रकारों को सम्मान देने के लिये वह दृढ़ संकल्प है। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले शासन काल में अभी हाल ही मे किस तरह से इस चौथे स्तम्भ को दबाया गया और उस पर कुठाराघात किया गया। पिछले समय में जो कार्य हुआ उसके जरिये चौथे स्तम्भ के रूप में कार्य करने वाले लोग जो संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, उनको प्रताड़ित किया गया। पत्रकारों पर हल्ला बोल कर अखबारों को जलाया गया, हाकरों को मारा पीटा गया और ऐसा कुकृत्य करके पत्रकारों के मनोबल को तोड़ने का काम किया गया। सूचना विभाग एक प्रहरी होता है जो सरकार की नीतियो और कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाता है और जन भावनाओं को सरकार तक पहुंचाता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राजाराम त्यागी–

सूचना विभाग सरकार की नीतियों का प्रचार और प्रसार करने के साथ-साथ समाज में समता और ममता लाने का कार्य भी करता है इसलिये सूचना विभाग को सरकार द्वारा प्रमुखता दी जानी चाहिए। सूचना विभाग द्वारा विभिन्न प्रचार माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविजन पर भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रचार का कार्य होता है। लेकिन यह देखा जाता है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रधान मंत्री को प्रमुखता दी जाती है और सरकार के पक्ष को रखा जाता है। मेरा सुझाव है कि प्रमुख राजनीतिक दल को रेडियो और टेलीविजन पर समय मिलना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रामजीत भारद्वाज–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय आप बोल चुके हैं।

श्री रामजीत भारद्वाज–

मान्यवर, सूचना विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। यह जनता तक सरकार की नीतियों को पहुंचता है।

श्री अधिष्ठाता–

यह लिखा नहीं जायगा।

* श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री श्री नन्द लाल पटेल जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, वह बजट ऐतिहासिक तो है ही लेकिन सदन में अधिष्ठाता के रूप में पहली बार एक महिला हमारे बीच में उपस्थित हैं, इसलिये मैं आपको बधाई देता हूं। मान्यवर, सब लोग कह रहे हैं कि मैं सही बोल रहा हूं। मैं सही क्यों बोल रहा हूं,

"हर क्यों का जवाब नहीं होता है,
हर तोहफा लाजवाब नहीं होता है,
यूं तो भंवरा मंडराता है हर कली पर,
हर कली में शवाब नहीं होता है।"

मान्यवर, खाद्य और रसद विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति इस विभाग से जुड़ा हुआ है। जो बातें यहांपर कही गयी हैं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने एक बात कही कि राशन की दुकानों की वितरण प्रक्रिया में आरक्षण नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जायगा उनकी इस बात का मैं प्रबल समर्थन करते हुये कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सुझाव इस बात का है कि विकलांग जो हैं, जिनके हाथ नहीं हैं, पैर नहीं हैं और जो कुछ कर नहीं सकते, उनको अगर राशन की दुकान आवंटन करने में कोई आरक्षण दिया जाये तो मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी बात होगी, इससे वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेगा। मान्यवर, प्रदेश की महिला मुख्य मंत्री हैं, तो इसमें महिलाओं के लिये भी कुछ कोटा रखा जाये।

मान्यवर, मैं एक और महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं, बांट और माप के संबंध में। हमारे विधान सभा क्षेत्र बिंदकी, फतेहपुर में तमाम राशन विक्रेता हैं उनमें सभी लोग धांधली मचाये हुये हैं, इस ओर

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी मेरा आग्रह है कि माननीय मंत्री जी ध्यान दें और इस भ्रष्टाचार को दूर करें । इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया ।

श्री लालजी यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे खाद्य एवं रसद विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । खाद्य और रसद विभाग में खासतौर से चीनी और तेल की वितरण प्रणाली आती है । इनका आवंटन केन्द्र से होता है, लेकिन प्रदेश की भागेदारी सुनिश्चित की जाये, जिससे जिला पूर्ति कार्यालय में होने वाली धांधली पर काबू पाया जाये । मान्यवर, 1993-94 में जब पिछली सरकार बनी थी, तो उस समय शादी और विवाह के लिये चीनी के परमिट मिलने में बड़ी दिक्कत होती थी ।

जिलापूर्ति कार्यालय द्वारा परमिट जारी करने की व्यवस्था थी, लेकिन वहां पर कुछ दबंग लोग नाजायज तरीके से परमिट ले रहे थे और जो गरीब जनता थी, उसको परमिट नहीं मिल पा रहे थे और मैंने यह देखा कि जिलापूर्ति कार्यालय के कर्मचारी कह रहे थे कि बताशा खिलाकर काम चला लो । हमने अपने लोगों को समझा बुझाकर वापस कर लिया । उस समय जिलापूर्ति अधिकारी नहीं थे, मैंने मुकदमा दर्ज करा दिया था, जिलापूर्ति अधिकारी कुछ पैसा लेकर तेल व चीनी के लाइसेंस जारी कर देते हैं, इस ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । अगर इस तरह की व्यवस्था रहेगी तो दबंग लोग फायदा उठाते रहेंगे और जिला पूर्ति कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है, वह बना रहेगा और लोगों को तेल और चीनी नहीं मिल पाती है । जो भ्रष्टाचार जिलापूर्ति कार्यालयों में होती है, उसको सभी लोग जानते हैं, वहां पर पोस्टिंग कराने के लिये अलग ढंग से बात होती है, इस ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि जो अनियमिततायें हैं उनके कारण गरीब जनता प्रभावित हो रही है और इसको दूर करने के लिये अगर कोई ठीक कदम नहीं उठाया गया तो, जनता बहुत परेशान हो जायेगी इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं ।

* श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सूचना एवं खाद्य तथा रसद विभाग पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं सूचना विभाग पर 2-3 सुझाव रखना चाहता हूं वैसे माननीय पाल जी ने अपना कटौती का प्रस्ताव ऐसे रखा जिससे यह लगा कि जैसे वह बजट भाषण ही कर रहे हैं ।

मान्यवर, मेरा पहला सुझाव यह है कि सूचना विभाग अपने आपको सूचना से संबंधित समाचार संकलन पत्रकार संवाददाता या प्रदेश में काम करने वालों का संरक्षक अपने आपको समझे और जगह-जगह जो उत्पीड़न हो रहा है उसमें सूचना विभाग भी गृह विभाग को अपनी तरफ से लिखें । मान्यवर, होता यह है कि जनपदों में तैनात अधिकारी या जिलाधिकारी से पुलिस अधीक्षक तक जब कोई लूट मचाते हैं और कोई पत्रकार उनके कृत्य को उजागर करता है या उनके मनमाफिक समाचार नहीं छापता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है तो उसका उत्पीड़न होता है । हमारे जनपद मुजफ्फर नगर में एक दैनिक समाचार रायल बुलेटिन छपता है उसके सम्पादक अनिल राय ने जब एस० पी० डी० एम० के मनमाफिक समाचार नहीं छापा तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर रात में उसके घर पर रेड कर दी गयी तो ऐसे में कौन साहस कर सकेगा । मेरा सुझाव है कि ऐसे में जिलाधिकारी की जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए ताकि इनका उत्पीड़न न हो ।

मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव यह था कि पत्रकारों को आवास की सुविधा मिलनी चाहिए । इसके लिए माननीय पाल जी ने भी कहा । हर जिले में आपके सहायक सूचना निदेशक या जिला सूचना अधिकारी बैठते हैं तो जिस प्रकार से माननीय मंत्री के विभाग से संबंधित सूचना को प्रकाशित समाचार पत्रों की कटिंग को उनके पास भेजते हैं उसी प्रकार से जिलों के माननीय सांसदों और माननीय विधायकों से संबंधित या उनके क्षेत्रों से संबंधित सूचना प्रकाशित समाचार पत्रों की कटिंग की छाया प्रति भी जिला सूचना अधिकारी द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

मान्यवर, मेरा तीसरा सुझाव यह है कि हर बार एक बात उठायी जाती है आज भी एक पुस्तिका छपी है उसमें हम लोगों को नाम और टेलीफोन नम्बर कहीं नहीं है । हम लोग जो यहां बैठे हैं प्रदेश की जनता को रिप्रिजेन्ट करते हैं । एक आज हस्तपुस्तिका वितरित होती है उसमें लिखा है कि प्रदेश के प्रमुख अधिकारियों की टेलीफोन की सूची । क्या एम० एल० ए० को अनइम्पार्टेन्ट समझ लिया न विधायक का नम्बर है न उनके दल के नेता सचेतक का नम्बर । मान्यवर, निदेशालय से जो डायरी छपी है इसे वापिस लेकर इस सुनिश्चित किया जाना चाहिए । माननीय मंत्री जी जब उत्तर भाषण के समय बोले तो इस बात की घोषणा करें । मान्यवर, माननीय विधायकों के दलवार नाम उसका स्थानीय नंबर व लखनऊ का टेलीफोन नम्बर भी उसमें होना चाहिए ताकि हम लोगों को सुविधा हो सके । मान्यवर, एम० एल० ए० को डिग्रेड न समझें । मैंने सुना है कि एम० एल० ए० का दर्जा सचिव से ऊपर होता है लेकिन यहां तो संयुक्त सचिव से भी नीचे कर दिया ।

मान्यवर, खाद्य और रसद विभाग के बारे में तीन सुझाव देना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि जितने यूनिट हैं उसके हिसाब से राशन सुनिश्चित किया जाय फर्जी यूनिट और फर्जी कार्ड समाप्त किये जायं । गांव और शहर का अन्तर न किया जाय या तो इसे समाप्त करने की घोषणा करें या तो अपने आपको दलित, पिछड़ा और ग्रामवासियों का हितैषी न कहें । दूसरा सुझाव यह है कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से माफियाओं को समाप्त किया जाय यह लूट का अड्डा न बने । इनका कमीशन अवश्य बढ़ाया जाय परन्तु काला बाजारी करने वाले का कोटा निरस्त किया जाय तीसरा सुझाव यह है कि खाद्य विभाग को कृषि विभाग से तालमेल करके हमारे जो जीनस हैं उसके निर्यात का सरलीकरण किया जाय ताकि वह किसान को सूचित करें कि अबकी बार तुम इसकी ऐसी फसल पैदा करो ताकि इसका निर्यात हो सके ।

निर्यात के सरलीकरण में जो जटिलताएं हैं उनको समाप्त किया जाय । इसी के साथ ही माननीय पाल जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

मान्यवर, आज खाद्य और रसद विभाग के बजट पर चर्चा हो रही है इसलिए मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं । मान्यवर, वर्तमान व्यवस्था है उसमें गांव और शहर के बीच में अन्तर बहुत ज्यादा है । वास्तविकता यह है कि गांव वालों के राशन कार्ड और शहर वालों के राशन कार्ड में चीनी और मिट्टी

के तेल की मात्रा अलग-अलग दी जाती है इससे गांव व शहर के बीच भेद बहुत होता है । इन दोनों में बराबरी होनी चाहिए ।

दूसरे, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के राशन कार्ड नहीं हैं । जब राशन कार्ड बनने की बात आती है तो पहले निरस्तीकरण होने लगता है और उसमें जो अच्छे भले लोगों के घरों के राशन कार्ड हैं वह कट जाते हैं और नये बनने का मौका नहीं आ पाता है । इसलिए इसमें पुराने राशन कार्डों को रहने दिया जाया करें और जो नये बनने हैं उनके लिए अभियान चलाकर राशन कार्ड बनवाये जायं ।

तीसरे, इस विभाग में भ्रष्टाचार बहुत है और लोगों को सामान नहीं मिलता है और एक ही शिकायत आती है कि गांव प्रधान के हस्ताक्षर हो गये सामान बट गया है और वास्तविकता यह है कि गांव वाले चिल्लाते रह जाते हैं और सामान का वितरण नहीं होता है । इसलिए जरूरी है कि इसमें बड़े पैमाने पर चेकिंग की जाय और अगर मंत्रीगण भी बिना सूचना के किसी दिन अचानक पहुंच कर दुकान के आसपास के घरों की चेकिंग करें और सामान मिलने या न मिलने की जानकारी करें तो इससे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार रुक जाता है और इससे गांव वालों को पूरा सामान प्राप्त होगा । मान्यवर, इसका यह असर पड़ेगा कि भ्रष्टाचारी अपने आप सारा सामान देना शुरू कर देंगे और एक दुकान की चेकिंग होगी तो आसपास के दुकानदार डर से सामान ठीक से देंगे ।

चौथा, जब राशन कार्ड बनने की बात आती है उसमें तमाम फर्जी राशन कार्ड बन जाते हैं और वास्तविक नहीं बन पाते हैं । इसको बनाते वक्त ध्यान देना पड़ेगा ताकि फर्जी राशन कार्ड न बन पायें । जांच अधिकारी को भी चाहिए कि घरों में जांच करके तब नये राशन कार्ड बनाये जायं । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं ।

* श्री मोलई–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने इस महत्वपूर्ण बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूं । मान्यवर, गांव में मिट्टी का तेल और चीनी की जो उपलब्धता है वह 1981 की जनगणना के अनुसार है ।

जबकि आज 1981 की जनगणना से ठीक सवा गुने से ज्यादा जनसंख्या प्रत्येक घरों मे हो गई है । इसलिए यह आवश्यक है कि मिट्टी के तेल की उपलब्धता और चीनी की उपलब्धता 1991 की जनसंख्या के अनुसार करके, वितरित की जाय । दूसरे, शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में असमानता है 500 ग्राम चीनी प्रत्येक यूनिट धारक को गांव में दी जाती है जबकि शहरों में एक किलो प्रति यूनिट दी जाती है उसे एक किलो या समान कर दिया जाय । तीसरे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गांव में प्रत्येक आय वर्ग के लोग रहते हैं गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सब्सिडी दी जाय ताकि वह अपना जीवन यापन कर सकें । इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मैं खाद्य तथा रसद विभाग के रखे गये बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं और कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह एक महत्वपूर्ण विभाग है। इसमें उपभोक्ता संरक्षण फोरम जो है उसके माध्यम से देश के कानूनों में एक क्रांतिकारी व्यवस्था प्रकट हुई है जिसके लिए सच में यह विभाग बधाई का पात्र है।

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, उपभोक्ता संरक्षण फोरम में बड़ी संख्या में मुकदमें लम्बित पड़े हैं। पांच-छः महीने एक मुकदमें का नम्बर आने में लग जाते हैं तो मेरा आपसे सुझाव यह है कि उपभोक्ता संरक्षण में पूरे समय के लिए पूर्ण-कालिक जजों की नियुक्ति कर दी जाये। दूसरा मान्यवर, इसमें पांच लाख के वैल्यूऐशन के मुकदमें सुने जाते हैं और इसमें कानूनी पेंचदगियां भी होती है इसलिए मेरा सुझाव यह है कि जिला न्यायधीशों के संरक्षण में किया जाये। तीसरा, मान्यवर, बहुत सारे मामलों में स्टे की आवश्यकता होती है लेकिन उपभोक्ता संरक्षण फोरम को स्टे देने का अधिकार नहीं हैं उनको स्टे का अधिकार दिया जाये ताकि लोगों को सही न्याय मिल सके। चौथा, यह है कि उपभोक्ता संरक्षण फोरम का जो प्रदेश स्तरीय फोरम है उसको तीन भागों में बांट दिया जाये। एक मेरठ में, दूसरा लखनऊ में और तीसरा बनारस में बैठे ताकि लोगों को सत्ता और सुलभ न्याय मिल सके। मान्यवर, जो राशन कार्ड की व्यवस्था है इसमें मेरा अनुरोध है कि यह व्यवस्था गरीबों के लिए की गयी थी लेकिन आज हो यह रहा है कि उनको ही अनाज नहीं मिल पा रहा है।

मान्यवर, गाजियाबाद में बहुत सारी झुग्गी झोपड़िया हैं और वहां पर बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं। पहले उनको राशन कार्ड में पाबन्दी लगायी गयी थी लेकिन सन् 91 में यह पाबन्दी हटा दी गयी थी और उन्हें अस्थायी राशन कार्ड दिया गया जिसके अन्तर्गत उन्हें केवल मिट्टी का तेल ही दिया जाता था। उनहें चावल और गेहूं नहीं दिया जाता था तो मेरा अनुरोध है कि उनके राशन कार्ड को स्थायी किया जाय ताकि उनको भी चावल, गेहूं और चीनी इत्यादि उपलब्ध हो सके। मान्यवर, शहर में अनेकों ऐसे (लगभग 30%) लोग हैं जिनको राशन की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन केवल ड्राइविंग लाइसेंस, गैस कनेक्शन और डोमिसाइल सार्टिफिकेट बनाने के लिए राशन कार्ड की आवश्यकता होती है। जिस तरह से दिल्ली में ग्रीन कार्ड की व्यवस्था है, उसी तरह से उनको भी राशन कार्ड के स्थान पर ग्रीन कार्ड दें जिससे वे सुविधाएं तो ले सकते हैं और उनका जो 30 प्रतिशत राशन बचेगा उसको गरीबों में बांट दिया जाये। ग्रीन कार्ड यहां पर भी लागू कर दिया जाय। एक अनुरोध मान्यवर, मेरा और है जो डोर स्टेप डिलीवरी की बात आयी है तो मान्यवर, इसमें डीलर और विभाग दो लोग जुड़ जाते हैं जिसमें एक तो सामान को पहुंचाने में आठ-दस दिन लग जाते हैं, दूसरा ढुलाई और छीजन आदि के कारण धन भी काफी लगता है। इसमें मेरा कहना है कि बीच की व्यवस्था समाप्त कर दें तो आवश्यक वस्तु निगम के माध्यम से सीधे डीलर को आवश्यक वस्तुएं दी जाये ताकि समय और धन की बचत हो सके।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री अक्षयवर भारती–

माननीया अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूं और बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, इसके साथ ही साथ आज सूचना विभाग का भी बजट प्रस्तुत किया गया है। खाद्य और रसद विभाग के संबंध में मैं अपने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। मान्यवर, गांवों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास खेत नहीं है। अब तो खेतिहर मजदूर भी पैसे में मजदूरी करता है और मजबूर होकर महंगे दाम में अनाज खरीदता है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से शहर की दुकानों पर गेहूं और चावल उपलब्ध हो जाते हैं लोग सस्ती दरों में खरीदते हैं। इसी तरह से गांवों में भी यह प्राविधान कर दिया जाये कि कम से कम खेतिहर मजदूर, छोटे किसान, कारीगर आदि लोगों के लिये सरकारी सस्ते गल्ले का अनाज मुहैया कर दिया जाये। दूसरा सुझाव यह है कि कोटा और परमिट भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, जिलापूर्ति कार्यालय भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। अभी तक जिलों में कोई सलाहकार समिति नहीं बनी है, तो मैं यह चाहता हूं कि शासन की ओर से एक सलाहकार समिति मनोनीत कर सदस्यों को वहां भेजा जाये ताकि वह देखरेख करें, निगरानी करें तो कुछ हद तक रुक सकेगा।

(इस समय 4 बजकर 26 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

माननीय अयक्ष जी सूचना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस समय कई तरह के पत्रकार हैं। पत्रकारिता बहुत पवित्र काम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहां 26 तारीख से मुतवातिर लखनऊ में हूं लेकिन मेरठ के अखबारों में और लखनऊ के अखबारों में भी यह छप रहा है कि वह दोहरी घाट पर चौकीदार के द्वारा पीटे जा रहे हैं।

मैं यहां विधान सभा में बोल रहा हूं और बाहर छप रहा है कि मैं पीटा जा रहा हूं। आज ऐसे सम्पादक भी है जो आंख मूंदकर समाचार छाप रहे हैं, कम से कम उनको इस तरह के खबरों की पुष्टि करनी चाहिए था इससे समाचार जगत की विश्वसनीयता कम होती है हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन समाचार जगत पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिये सरकार ऐसे अखबारों की ओर ध्यान दे। इनहीं शब्दों के साथ दोनों बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री शिवदानी–

मान्यवर, आपने मुझे खाद्य एवं रसद पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है, बहुत ही सराहनीय है, प्रदेश की जनता के हित में है। मान्यवर, इस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह जो वितरण प्रणाली है उसमें शुरू से लेकर अन्त तक अर्थात ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। जितने भी खण्ड में स्टोर रूम बनाये गये हैं, वहां पर जो अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, वह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रति कोटेद्वार से 15 से 25 रुपया प्रति बोरी घूस लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जनता एक तोला चीनी कभी नहीं पाती है । साल में शायद दो-तीन त्योहारों पर एक किलो या पांच सौ ग्राम चीनी मिलती होगी । चीनी न होने से ग्रामीण जनता किसी प्रकार काम चला लेती है लेकिन मिट्टी का तेल की व्यवस्था इतनी खराब है कि 10 रुपये लीटर तक नहीं मिल पाता है । मान्यवर, इसके लिये माननीय मंत्री जी से विशेष अनुरोध करूंगा कि वह इस पर ध्यान देंगे और गरीब जनता के हित में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे । आज नगर पंचायतों में अधिकांश लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हुये हैं, जिनके बने थे उनमें से कुछ के गायब हो गये हैं लेकिन उनको नया राशन कार्ड नहीं दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

शिवदानी जी, अब आप समाप्त करें । मैं श्री मातवर सिंह कण्डारी को बुला रहा हूं ।

श्री शिवदानी–

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं । जो राशन कार्ड सत्यापित करने के लिये जो अधिकारी लगाये गये थे, उन्होंने राशन कार्ड सत्यापित नहीं किया है । मान्यवर, भरवारी में एक हजार लोग ऐसे हैं, जिनको राशन नहीं मिल रहा है और वह सैकड़ों साल से वहां के रहने वाले हैं, जबकि उनको राशन मात्र कार्डों के सत्यापन न होने के कारण नहीं मिल रहा है । माननीय मंत्री जी, इस ओर विशेष रूप से ध्यान देंगे । इन सुझावों के साथ मैं इस बजट पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे खाद्य एवं रसद जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया । सर्वप्रथम मैं मा० मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मैं उत्तरांचल से विधायक हूं और वहां की समस्याओं के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे उत्तरांचल में घटिया किस्म का राशन दे दिया जाता है । गेहूं में रेत, बजरी, पत्थर मिला हुआ होता है । घटिया किस्म का चावल दिया जाता है । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस प्रकार का राशन हमारे उत्तरांचल में न भेजा जाये । सुझाव है सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में कोई रेट सूची नहीं होती है । मेरा सुझाव है कि प्रत्येक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में, (डीलर की दुकान में) हर वस्तु की कीमत अंकित होनी चाहिए ताकि सही दाम ग्रामीणों से वसूल किया जाये । राशन कार्ड कई वर्षों से नहीं बन पा रहे हैं । मेरा सुझाव है कि राशन कार्ड बनाने में सरलीकरण कर दिया जाये । ताकि जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पाये हैं , उन्हें राशन दिया जा सके । दूसरा, यह कि सरकारी सस्ते गल्ले के गोदामों से राशन तौलकर नहीं दिया जाता है । चीनी की एक-एक बोरी में 10-10 किलो चीनी कम होती है, इसलिए इस प्रकार की अव्यवस्था को दूर किया जाय और राशन तौलकर दिया जाय । प्रत्येक सरकारी सस्ते गल्ले के डीलर को निर्धारित रकम राशन के दुलान के लिए दिया जाता है, जो अनुचित है । मेरा सुझाव है कि डीलर को वही भुगतान किया जाय जो वास्तव में उसके दुलान पर खर्च हुआ है । यदि दुलान पर सरकार की ओर से कोई सब्सिडी दी जाय तो और अच्छा है । उत्तरांचल में मिट्टी के तेल का वितरण सही ढंग से कहीं पर नहीं होता है, इसलिए इसे ठीक किया जाय और साथ ही चावल के वितरण को भी सुनिश्चित किया जाय ।

श्री राजबली यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे खाद्य एवम् रसद विभाग के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करता हूं। पिछली मुलायम सिंह यादव की सरकार ने धारा 3/7 को खत्म कर दिया। मिलावट तो वैसे ही हो रही थी, आज भी हो रही है। हल्दी में ईंट का चूर्ण, मसाले में गधे की लीद, धनिया में कुछ और, जीरे में कुछ और और दाल में कुछ और मिलावट तो हो ही रही है।

जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम पिछली सरकार ने शुरू किया। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि धारा 3/7 को फिर से लागू किया जाय। वैसे जो बड़ी-बड़ी फर्में या मिलें हैं, उसी स्तर पर इसको कसना चाहिये फिर नीचे स्तर पर इसे देखना चाहिये। यहां पर मिट्टी के तेल का रोना रोया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कोटेदार देते नहीं है। यह व्यवस्था ही खराब है। दो ड्रम तेल को क्या कोई दुकानदार महीने भर बेचता रहेगा ? गांव-गांव में दुकानें हो गई हैं। इसी प्रकार 2-4 बोरी चीनी को क्या कोई दुकानदार महीने भर बांटता रहेगा। यह तो ब्लैक करने के लिए दिया ही जाता है। इनाम के तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को पिछली सरकार ने ये दे ही रखे थे। इसलिए इसे समाप्त किया जाय। जो दुकानदार दाल, चीनी, मसाले आदि अन्य चीजें दिन भर बेचता है उसे ये दिया जाय, जो बेचे। पेटी ड्रम डीलर के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां सहबरपुर में श्री छोटे लाल यादव पेटी ड्रम डीलर हैं। वह डीजल भी बेचते हैं और मिट्टी तेल भी बेचते हैं। मिट्टी तेल सस्ता होता है और डीजल मंहगा होता है, इसलिए वह मिट्टी तेल का डीजल में मिला देते हैं, जिससे होता यह है कि मिट्टी तेल वालों को तेल नहीं मिल पाता है और डीजल वालों की अपनी जीपें, ट्रैक्टर व गाड़ियां खराब होती हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पेटी ड्रम डीलर की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर-घोर विरोध करता हूं।

* डा० राम बाबू हरित–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सूचना तथा खाद्य तथा रसद विभाग के वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक पर बोलने का मौका दिया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, सूचना विभाग मुद्रित साहित्य इलेट्रानिक मीडिया तथा लोक शैली का प्रयोग करके शासन के कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी जनता को देता है तथा जन भावनाएं जो समाचार पत्र-पत्रिकाओं द्वारा प्रकाशित होती हैं उन्हें शासन को अवगत कराता है अतः इस विभाग की मुख्य भूमिका एक सेतु का काम करती है। यह सेतु मजबूत हो तथा शासन व जनता की आत्मीयता दिनों-दिन बढ़ती जाए इसलिए आपके माध्यम से माननीय सूचना मंत्री को कुछ सकारात्मक सुझाव देना चाहता हूं।

पत्र सूचना शाखा द्वारा अप्रैल, 1994 से मार्च, 1995 तक 7 हजार 399 प्रेस नोट तथा विभिन्न प्रक्रिया के 42 फीचर, लेख, हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी में प्रकाशित कराये गये हो सकता है ऐसे समाचार पत्रों में कराये गये जो बिल्कुल चलते ही नहीं हैं या महीने में मात्र 10-20 कापी छापकर जनता की गाढ़ी कमाई को लूट रहे हो या इतने मंहगे समाचार पत्र-पत्रिकायें हैं जिन्हें आम जनता या आदमी खरीद नहीं

नोटः–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पाता । इसके साथ ही ज्ञानवर्धक जनता के हितकारी कार्यक्रम को नहीं छपवाया जाता है इसमें सुधार कराये, प्रेस विभाग द्वारा 40 पत्रकारों को अब तक निर्धारित पेंशन अथवा अनुदान से सम्मानित किया गया है । जो काफी कम है श्रमजीवी पत्रकारों को और अधिक सुविधायें तथा सहूलियत उपलब्ध करायी जायं ।

प्रकाशन शाखा द्वारा बाबा साहब डाक्टर भीम राव अम्बेडकर के विचार एवं जीवन दर्शन को उनके द्वारा लिखे अंग्रेजी साहित्य को हिन्दी में प्रकाशित करने की हम भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं साथ ही इसे और अधिक प्रसार कर जन-जन तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए ।

माननीय मंत्री जी को पैनी निगाह रखनी होगी कि कहीं सूचना कार्यालय पर उपलब्ध टी० वी० सेटों का दुरुपयोग करके घरों में प्रयोग नहीं किया जाए राशन कार्डों का फर्जी फिकेशन बन्द किया जाए चूंकि 50 रुपये में एक राशन कार्ड बनता है । राशन की दुकानें समय पर खुले, उनमें अनियमितता होने पर सीधे इन्सपेक्टर को जिम्मेदार ठहराया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अब आप समाप्त करें ।

(व्यवधान)

(श्री नरेश अग्रवाल का नाम पुकारने पर कई सदस्यों के खड़े होने पर.व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आगे बजट में आपको बोलने का मौका मिलेगा, करीब तीन घण्टे इस बजट पर चर्चा हो चुकी है । आगे एक बजट और है ।

एक सदस्य–

कुछ सुझाव देना चाहते हैं एक मिनट सुन लें, कृपा होगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य यह लिस्ट आपके ही दल से आयी है उसी के अनुसार मैंने बुलवाया है । आप अपने दल के नेताओं से बात करें । अब मैं श्री नरेश अग्रवाल जी को बुलवा चुका हूं ।

(श्री नरेश अग्रवाल का नाम पुकारे जाने पर)

मेरा अनुरोध है कि संक्षेप में ही कहें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

ठीक है । मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने दलगत भावना से ऊप --कर. सुझाव दिये और मजबूरी में समर्थन किया । मैं उन सदस्यों का भी धन्यवाद अदा करूंगा होंने इन सुझाओं को सुना । मंत्री जी के दल के एक सदस्य ने कहा कि मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार हटाने के लिये कृत संकल्प है और सुश्री मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं होने देगी । कहावत है कि जिनके घर शीशे के हों वह दूसरे के घर पर पत्थर न फेंके । आप मुझसे न कहलायें कि आप क विभाग

में और प्रदेश के सारे विभागों में कहां-कहां और कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है और इस तरह वह बढ़ रहा है मुझे बड़ी खुशी होगी यदि हम भ्रष्टाचार को मिटाकर प्रदेश में सही कार्यक्रम लागू कर दें। हमने खुद कहा था, बालचन्द्र मिश्र जी ने कुछ सुझाव दिये थे क्योंकि वह खाद्य मंत्री रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि कब-कब भारत सरकार को उन्होंने लिखा है कि प्रदेश में चीनी और मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाया जाय ?

मैंने सहयोग की खुद अपील की थी और फिर कहता हूं कि प्रदेश में मंत्री जी बढ़ी हुई आबादी को देखते हुए केन्द्र सरकार पर दबाव डालिये कि वह इनका कोटा बढ़ाये और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि उत्तर प्रदेश में दोनों का कोटा बढ़ेगा। बालेश्वर त्यागी जी ने उपभोक्ता फोरम की बात कही, मैंने शुरू में उसका जवाब नहीं दिया। उपभोक्ता फोरम से जागरूकता उपभोक्ताओं में आयी है और मिलावट और गलत चीजों का उत्पादन रुका है। त्यागी जी द्वारा जो तीन सुझाव दिये गये हैं उन पर पुनः पूरा बल देता हूं और जो जिले-जिले में उपभोक्ता फोरम बने हैं उन पर आप पूर्णकालिक जज की व्यवस्था करें। जिला जज को जो बनाया है तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वह इसके काम के लिये समय निकाल सकें। मैंने एक दावा किया है रेल विभाग के ऊपर वह एक साल होने को आ रहा है, उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि नरेश अग्रवाल रेल में सफर कर रहे थे पकड़े गये केवल अखबारों में छापा है। हम विधान सभा सदस्य रेल में चलने के अधिकारी हैं फिर हमें टिकट और बिना टिकट का क्या प्रश्न है ? खाली अखबार में निकला देने से आप इतनी जल्दी भ्रमित हो जायेंगे और किसी की चरित्र हत्या करने लगेंगे तो यह ठीक नहीं है। मैं उस दिन नहीं था, मैं दिल्ली में था और जब मैं छात्र जीवन में चलता रहा तो कभी पकड़ में नहीं आया।

श्री जगदम्बिका पाल–

नरेश अग्रवाल को जब पकड़ना होगा तब भी नहीं पकड़ पायेंगे।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन् उन्होंने दो सुझाव और दिये कि उसे स्टे का अधिकार देना चाहिए और पांच लाख से ऊपर के जितने दावे हैं जो प्रदेश स्तर पर तय होते हैं, उसके लिये प्रदेश के चारों ओर एक-एक न्यायालय का गठन होना चाहिए। मात्र लखनऊ में होने से उपभोक्ताओं को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। अब मैं फूड कारपोरेशन आफ इंडिया की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं फूड कारपोरेशन आफ इंडिया का और कोयला में भ्रष्टाचार अपार सीमा पर है। मैं गेहूं परजेज के बारे में भी कहना चाहता हूं कि बिना पैसा दिये उनसे जो गल्ला निकाल कर दिया जाता है, बहुत खराब श्रेणी का होता है। सड़ा गला दिया जाता है। सारे हमारे जो दुकानदार हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप इस पर भी कार्यवाही कीजियेगा और नियंत्रण लगाइयेगा। आज मकान आवश्यक हो गया है। ईंटों का दाम बढ़ गया है। इसका कारण यह है कि सरकार की कोयला पालिसी। पहले सरकार कोयला देती थी तो हमारा कन्ट्रोल रहता था। एक फिक्स रेट तय करके कोयला उनको दिया जाता था।

सरकार ने नई पालिसी के तहत पी०सी०एफ० को कोयला का विक्रय करने का ठेका दे दिया है। इन्होंने कुछ ठेकेदार नियुक्त कर लिये हैं जो कोयला रेलवे से न ले जाकर रोड के द्वारा लाकर कोयले को प्रदेश में ऊंचें दामों में बेच रहे हैं। भट्टा मालिकों को अपने भट्टे के लिये कोयला ऊंचें दामों में बेच रहे हैं। भट्टा मालिकों को अपने भट्टे के लिये कोयला ऊंचें दाम पर ही खरीदना पड़ रहा है जिससे वह उसी के अनुसार ईंट का भाव निर्धारित करके बेच रहे हैं। अगर कोयले को कन्ट्रोल रेट पर रखा जाय तो ईंट कन्ट्रोल रेट पर मिल सकेगी। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्त में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि प्रदेश में चावल का जो काण्ड हुआ है उसके सम्बन्ध में लोकायुक्त से जांच करायें ताकि हम सबको अधिकार वहां बयान देने का मिल सके।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, खाद्य रसद और उसके साथ जो सम्बद्ध किया गया सूचना विभाग का प्रस्तुत बजट था जिस पर नरेश अग्रवाल और हमने कटौती का प्रस्ताव रखा था। ज्यादातर सदस्यों ने खाद्य और रसद पर अपने विचार व्यक्त किये। कुछ सदस्यों ने सूचना पर भी सरसरी तौर से अपने विचार रखे हैं। उनकी रुचियों के प्रति मैं साधुवाद देता हूं, अभिनन्दन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। जिन सदस्यों की आकांक्षाएं और जिज्ञासाएं रह गई अपने विचार रखने की समय की कमी के कारण क्योंकि अभी दूसरा बजट प्रस्तुत होना है। मैं समझता हूं कि वह अपने सुझाव माननीय मंत्री जी को लिखकर देंगे जिससे उनका लाभ विभाग को मिल सके। मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह परिवहन पर जोर दे रहे हैं। उधार के मंत्री हैं। अभी बजट पास करायेंगे। बाहर सूचना विभाग के अधिकारियों से बधाई लेंगे और कल भूल जायेंगे कि हमने सूचना विभाग का बजट प्रस्तुत किया था। मैंने पहले भी सुझाव दिये और अब भी कुछ सुझाव दे रहा हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ नोट ले रहे थे।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मंत्री जी नोट ले रहे थे।

पंचायती राज मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

माननीय अग्रवाल जी नोट के बारे में ही सोचते हैं विचार के बारे में नहीं सोचते।

श्री जगदम्बिका पाल–

हम और दीक्षित जी समझ गये थे लेकिन माननीय नरेश अग्रवाल जी ने उसका अर्थ दूसरा समझा। मान्यवर, भ्रमित न हों। मैं कह रहा था कि मंत्री जी कुछ लिख रहे थे। मान्यवर, प्रदेश का जो सूचना विभाग है। जिला सूचना कार्यालय से ही प्रदेश की सारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं का प्रकाशन और प्रसारण होता है। आज जिला सूचना केन्द्रों की स्थिति क्या है ? इस सम्बन्ध में कुछ सदस्यों ने अपनी राय रखी। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि जिला सूचना कार्यालय केवल सैरिमोनियल्स बने हैं। कहीं जनपद में कोई मंत्री जाता है तो उसके बारे में डी०एम० बार-बार निर्देशित करते हैं तब सूचना अधिकारी उपस्थित हो पाते हैं। मंत्रियों के कार्यक्रम में भी अनुपस्थित पाये जाते हैं।

मंत्रियों के कार्यक्रमों को ठीक ढंग से सूचना कार्यालय के लोग निष्ठा के साथ अपने दायित्वों और कर्तव्यों को निर्वहन नहीं करेंगे तो इसको कैसे गतिशील बनाया जाय ? जिला सूचना कार्यालय की

जनमानस के प्रति उपयोगिता कैसे सार्थक होगी ? लेकिन मान्यवर, खेद है उत्तर प्रदेश के 18 जिला सूचना कार्यालयों में जिला सूचना अधिकारी नहीं हैं सूचना अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए । सूचना निदेशक अच्छे हैं नये हैं, लेकिन यह तो सरकार को देखना है कि नये सूचना निदेशक हैं । उत्तर प्रदेश की वार्षिकी छप रही हैं । इसमें 1993-94 का अवलोकन करने का कष्ट करें उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों पर व्यय दिखाया गया है । वेतन मंहगाई भत्ते और अन्तरिम सहायता आदि इसमें है मान्यवर, सूचना विभाग को बधाई दी जाए ? उत्तर प्रदेश सरकार कहती है प्रदेश में संसाधन कम हैं और इस वार्षिकी को संदर्भ ग्रन्थ के रूप में माना जाता है तमाम चीजें इसकी लेते हैं ।

प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसका संदर्भ दिया जाता है । इसमें आप पेज 248 के बगल में चार्ट में देखें 37 सौ अरब रुपया उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पर दिखाया गया है इतनी बड़ी यह वार्षिकी है जबकि परिव्यय 180 अरब का, केन्द्र का है 722 अरब का और इसमें 37 सौ अरब रुपया राज्य कर्मचारियों के लिए दिखाया गया है इसमें तो भगवान मालिक हैं इसमें 72 प्रतिशत ग्रामीण विकास कार्य पर व्यय होगा तो 129.75 अरब रुपया ग्रामीण विकास के लिए खर्चा होगा फिर तो प्रदेश में रामराज्य स्थापित हो जाएगा । जो सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है उसमें इस तरह की गल्तियां होती हैं । इसके सम्पादक राम औतार प्रसाद हैं आहरण और वितरण अधिकारी हैं ए०जी० ने आडिट में प्रतिकूल टिप्पणी की है फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई हैं । सम्पादक से वह हटा दिए गए हैं लेकिन ट्रेजरी के आहरण का मामला है उसको कर रहे हैं । पत्रकारों को लेकर वितंडावाद खड़ा किया जा रहा है । प्रदेश की नीतियों में या हम में कमियां आ जाएं सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार आ जाए इसको दृष्टिगत कराने का काम पत्रकारों का है लेकिन आज पत्रकारों का जो वातावरण बन रहा है उसमें जो पत्रकार हैं गैर पत्रकार हैं । भ्रष्टाचार का संदेह खिंच रहा है पूरे प्रदेश के पत्रकारों पर संदेह की सुई खड़ी है मान्यवर, 100 से अधिक पत्रकारों ने बैठक की उसमें अच्छे-अच्छे प्रस्ताव पारित किए सरकार की दूरदर्शी नीति होनी चाहिये तमाम जिम्मेदार पत्रकार थे । इस तरह की संगोष्ठियां स्वयं कर रहे हैं, आत्मलोचन कर रहे हैं अब सरकार को कम से कम संज्ञान में लेना चाहिए । भविष्य में सरकार को प्रयास करना चाहिए उन चीजों से जुड़े लोगों पर कोई अंगुली न उठाए । एक कमेटी पिछली बार बनी थी । पिछली सरकार में श्री आजम खां की अध्यक्षता में, वह कमेटी खत्म हो गयी क्योंकि वह सरकार ही खत्म हो गयी । उसमें पत्रकारों, समाचार पत्रों के मालिकों व अधिकारियों के प्रतिनिधि भी शामिल थे । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आप संसदीय कार्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दें जिसमें पत्रकारों, समाचार पत्रों के मालिकों के भी प्रतिनिधि शामिल हों तो कम से कम जो कठिनाइयां हैं व दूर हो जाएंगी और पत्रकार उनकी जो तमाम कठिनाइयां हैं उनके सम्बन्ध में पटेल साहब जो कि "देखन में छोटे लगें घाव करें गम्भीर" जो कि परिवहन जैसा महत्वपूर्ण विभाग सम्भाले हुए हैं उनकी कठिनाइयों को दूर करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री नन्दलाल पटेल–

श्री पाल साहब के कटौती प्रस्ताव पर भाई नरेश अग्रवाल जी और तमाम साथियों ने जो सुझाव दिए हैं व इन सुझावों में से बहुत से अच्छे सुझाव मिले हैं उससे हमें बड़ा लाभ पहुंचा है । हम गांव के लोग हैं हम उपभोक्ताओं के कष्टों को समझते हैं । मैं आशा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आपके सुझाव आए हैं चाहे वितरण प्रणाली में उपभोक्ताओं के हित में जो भी सुझाव होंगे

उन पर हम विचार करेंगे । चीनी जो कम मात्रा में बांटी जाती है । इस सम्बन्ध में पूर्व में भारत सरकार को पत्र लिखे जा चुके हैं । 1994 में दो बार तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा पत्र लिखे जा चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने के लिए अनुरोध कर लें ।

श्री नन्दलाल पटेल–

चीनी घोटालों के सम्बन्ध में यहां विधान सभा में प्रश्नकाल के दौरान आधे घण्टे की चर्चा भी हुई थी उसमें मुख्यमंत्री जी ने खुद सदन के अन्दर उत्तर दिया था । वह शायद श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी का प्रश्न था । उस पर विस्तार से चर्चा हुई थी । जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि अगर फूल होगा तो महकेगा जरूर । अभी किसी ने कहा था कि "जब हर डाल पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा ?" हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप लोगों ने 40-50 साल तक शासन चलाया है । "वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा ।" मैं आपसे इसलिए अनुरोध करता हूं कि आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल जी, कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ? मैं प्रश्न रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 7,97,90,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी, आप कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

(संसदीय कार्यमंत्री के खड़े होने पर)

माननीय मंत्री जी एक साथ दोनों विभागों का जवाब दे चुके हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कम से कम उत्तर भाषण तो आ जाने दीजिये ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय पटेल जी ने कहा था कि उत्तर हमको देना है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रश्न रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 6.58.58.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या–43

परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नन्द लाल पटेल)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञासे तथा श्री राज्यपाल क सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 5.44.47.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

मान्यवर, जैसा कि आपको और सदन को भी मालूम है कि परिवहन विभाग साधारण जनता, गरीब जनता से लेकर सामान्य जनता की उपयोगी चीज है और यह सबसे सस्ता सवारी का साधन है, जिससे लोगों का आवागमन होता है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग विगत कई सालों से खराब स्थिति में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में जो भी किसी तरह के आन्दोलन होते हैं, कोई परिवर्तन होते हैं, कहीं तोड फोड़ होती है, उसमें सबसे ज्यादा आक्रमण, तोड़फोड़ परिवहन विभाग की बसों की ही होती है । मान्यवर, जैसा कि आपको और सदन को भी मालूम है, इधर परिवहन विभाग काफी घाटे पर चल रहा है.....

(इस समय 5 बजकर 08 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलू राम पीठासीन हुये ।)

इसके बाद इधर जबसे मुझे यह काम देखने का मौका मिला है तब से परिवहन विभाग में चुस्ती और दुरुस्ती आयी है । श्रीमन्, अप्रैल से लेकर अब तक 12 करोड़ रुपये का फायदा निगम को हुआ है । इन तीन महीनों में जो कर की वसूली हुयी है वह 22 करोड़ रुपये की हुयी है । आज गरीब आदमी यह महसूस कर हा है कि परिवहन विभाग जनता की सेवा कर रहा है । मैं आपके माध्यम से सदन और

प्रदेश की जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि परिवहन निगम जो इतना बिगड़ चुका था उसको सुधारने में परिवहन विभाग के अधिकारियों और वहां के लोगों ने इसको सुधारने की जिम्मेदारी ली और इसमें जो सुधार आया है उससे हमको और पूरे प्रदेश की जनता को काफी खुशी हुई है।

मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस समय प्रदेश में मोटर वाहनों के चलने लायक सड़क मार्गों की लम्बाई 78.492 कि०मी० है। इसमें से राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसों के संचालन का दायित्व उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को सौंपा गया है। प्रदेश में परिवहन निगम द्वारा लगभग 8.000 बसें तथा निजी क्षेत्र द्वारा 27.295 बसें संचालित की जा रही हैं। राज्य सरकार परिवहन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। इस प्रकार प्रदेश सरकार जनता की आवश्यकताओं एवं संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए परिवहन व्यवस्था के विस्तार की ओर शतत प्रयत्नशील है।

सड़क यातायात को नियंत्रित एवं सुदृढ़ करने तथा अधिनियमित मोटर गाड़ी कानूनों के प्रशासन एवं प्रवर्तन हेतु परिवहन आयुक्त संगठन तथा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गयी है। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इस विभाग की संरचना का उल्लेख करना चाहूंगा। परिवहन आयुक्त संगठन प्रशासनिक दृष्टि से 7 परिक्षेत्रीय उप आयुक्तों, 17 संभागीय परिवहन कार्यालयों तथा 59 उप संभागीय कार्यालयों में संगठित है। मार्गों पर संचालित वाहनों की चेकिंग हेतु 70 प्रवर्तन दलों की व्यवस्था की गयी है। विभाग की सेवाओं का विस्तार उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा तथा टिहरी को छोड़कर प्रत्येक जिलों में हो चुका है। इन जिलों में उप संभागीय कार्यालय चालू पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

मान्यवर, परिवहन आयुक्त संगठन के लिए वित्तीय वर्ष 1994-95 में आयोजनागत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तराखण्ड परिक्षेत्र को सम्मिलित करते हुए रुपये 204.39 लाख का प्राविधान किया गया था जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 1995-96 में रुपये 273.00 लाख का प्राविधान कराया जाना प्रस्तावित है।

यद्यपि मैदानी क्षेत्र के लिए निर्धारित परिव्यय रुपये 198.00 लाख में से रुपये 100.00 लाख की धनराशि को आय-व्ययक के स्रोत से बाहर रखा गया है किन्तु सैद्धान्तिक रूप से मैदानी क्षेत्र और उत्तराखण्ड परिक्षेत्र को मिलाकर कुल रुपये 273.00 लाख क धनराशि का प्राविधान वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 1994-95 की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 1995-96 में लगभग 34 प्रतिशत अधिक धनराशि का प्राविधान प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 1995-96 में जिला मुरादाबाद एवं गोरखपुर में संभागीय परिवहन कार्यालय में निर्माणाधीन भवनों को पूरा कराये जाने के लिए रुपये 28.11 लाख की धनराशि की व्यवस्था करायी जा रही है।

जिला योजनान्तर्गत जिला स्तरीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 1994-95 में रुपये 36.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी और वर्तमान वित्तीय वर्ष 1995-96 में गतवर्ष 1994-95 की तुलना में लगभग 22 प्रतिशत अधिक धनराशि अर्थात् रुपये 45.00 लाख की व्यवस्था करायी जायेगी।

आयोजनेत्तर पक्ष की योजनाओं के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 1995-96 में रुपये 1469.00 लाख की धनराशि का प्राविधान कराया जाना है जो गत वित्तीय वर्ष के लिए प्राविधानित धनराशि रुपये 1272.00 लाख की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है।

प्रवर्तन दलों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए दुष्प्रयोज्य वाहनों के वैध परमिट व अभिलेखों के अभाव में संचालित वाहनों द्वारा संभावित विभागीय कर अपवंचना की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा–207 के अधीन कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 1994-95 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अगस्त, 94 से मार्च, 1995 तक कुल 11854 वाहनों को निरुद्ध कर उनसे समस्त विभागीय देयों की धनराशि विभागीय करों व शुल्क के रूप में वसूल की गयी। चालू वित्तीय वर्ष में धारा 207 के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाये जाने तथा इसके दुरुपयोग को रोकने हेतु प्रयास किये जायेंगे। प्रवर्तन अधिकारियों के कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए कार्य मूल्यांकन की नई प्रणाली विकसित की गई है, जिसके अन्तर्गत वाहनों की चालान संख्या पर ध्यान न देकर प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अनाधिकृत संचालन पर नियंत्रण, कर अपवंचना पर रोक, प्रदूषण की चेकिंग आदि गम्भीर अभियोगों की दिशा में किये गये कार्यों के आधार पर सम्बन्धित अधिकारियों का मूल्यांकन किया जाएगा।

मान्यवर, मोटर गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण का नियंत्रित करने की योजना को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु विभागीय फील्ड कार्यालयों/मान्यता प्राप्त गैराजों को निर्धारित शुल्क लेकर वाहनों के धुएं की जांच करके प्रदूषण मुक्त होने का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। ट्रांसपोर्ट तथा नान-ट्रांसपोर्ट वाहनों की फिटनेश/सामान्य चैकिंग के दौरान भी प्रदूषण मुक्त होने का प्रमाण-पत्र देने का कार्य किया जा रहा है। उप संभागीय परिवहन कार्यालय द्वारा भी फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करते समय प्रदूषण मुक्त होने का प्रमाण–पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।

केन्द्र सरकार की रुपये 99.20 लाख की शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता से वित्तीय वर्ष 1994-95 में राज्य के समस्त जनपदों के परिवहन कार्यालयों को प्रदूषण मापक यंत्र आवंटित कर दिये गये हैं। वर्ष 1994-95 के अन्त तक 29 निजी प्रदूषण नियंत्रण जांच केन्द्रों को विभाग द्वारा मान्यता प्रदान की गयी तथा वर्ष 1995-96 में कम से कम 50 नये निजी प्रदूषण जांच केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रतिस्थापन हेतु रुपये 18.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

मान्यवर वितीय वर्ष 1993-94 में राजस्व प्राप्ति रुपये 294.03 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 1994-95 में राजस्व प्राप्ति रुपये 307.49 करोड़ रही जो तुलनात्मक दृष्टि से लगभग 4.5 प्रतिशत अधिक है।

वित्तीय वर्ष 1995-96 में राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रुपये 355.00 करोड़ निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष जून 1995 तक के लिए अन्तरित लक्ष्य रूपये 88.75 करोड़ के विरुद्ध रुपये 88.07 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई है जो उक्त अवधि के लिए अन्तरित लक्ष्य का 99.23 प्रतिशत है।

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 1994-95 में 2,14,689 वाहनों की चेकिंग कर 128290 वाहनों का चालान किया गया तथा अभियोजन की कार्यवाही के अन्तर्गत 28147 वाहनों एवं 233 चालकों को थानों में बन्द

कराया गया । चालानों के मामलों में से 53.207 वादों का शमन विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया जिनसे रुपये 3.47 करोड़ शमन के रूप में प्राप्त हुआ । चालू वित्तीय वर्ष में प्रवर्तन कार्य को और प्रभावी बनाये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आंकड़े दे रहे हैं ।

श्री नन्द लाल पटेल–

मान्यवर, प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपायों एवं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दिये जाने की समीक्षा करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में प्रत्येक जनपद में जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन दिनांक 28-1-95 से कर दिया गया है ।

भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 1995 को सड़क सुरक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रदेश में प्रचार-प्रसार एवं जन सम्पर्क माध्यमों के द्वारा यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जनता को जागरूक करना, चालकों के प्रशिक्षण एवं सनेत्र परीक्षण कराया जाना, स्कूलों/कालेजों में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में डिबेट/सेमीनार आयोजित करना, मार्गों पर ओवरलोडिंग, ओवर-स्पीडिंग, नशे की हालत में वाहन चालन आदि की सघन चेकिंग कराई जा रही है । इसके अतिरिक्त मार्गों से अतिक्रमण को हटाना, मार्गों पर यातायात चिन्हों को लगाना तथा सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रदर्शनी आयोजित करने आदि कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है ।

सड़क सुरक्षा की दृष्टि से केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 129 के अन्तर्गत दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है । लाइसेंसीशुदा आटो रिक्शा चालकों हेतु लागू सामाजिक सुरक्षा सामूहिक बीमा योजना पुनः 15 अगस्त, 1995 से आगामी 3 वर्षों के लिए लागू की जा रही है इस योजना में लाइसेंसीशुदा आटो रिक्शा चालकों के साथ-साथ टैम्पों टैक्सी चालकों को भी शामिल किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की दशा में रुपये 10.000 तथा अस्थायी अपंगता की दशा में रुपये 5.000 एवं इलाज हेतु रुपये 2.000 दिये जाने का प्राविधान किया गया है । मान्यवर, नेटपैक संस्था की संस्तुति के आधार पर 13 नगरों में 1629 परमिटों से आच्छादित 1318 बसें संचालित की जा रही हैं ।

नगर बस सेवा को चालू वित्तीय वर्ष में सुदृढ़ किये जाने तथा शहरों की आवश्यकतानुसार नये रूटों का निर्धारण, नेशनलाइजेशन तथा विस्तार के प्रयास किये जायेंगे । मान्यवर, विभाग के सम्पूर्ण कार्यों को कम्प्यूटरीकृत किये जाने की योजना के अन्तर्गत वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुये चरणबद्ध कार्यक्रमों के अनुसार परिवहन कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा तथा सांख्यकीय आंकड़ों के संकलन हेतु निकनेट प्रणाली का प्रयोग किया जायेगा ।

2–जन सुविधा हेतु एवं फर्जी लाइसेंस संबंधी अनियमितताओं पर नियंत्रण करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में आटोमैटिक पोलेराईड कैमरा लेमिनेशन (आई डी–3) प्रणाली से लाइसेंस निर्गत करना प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

3–बस अड्डा प्राधिकरण के सृजन/क्रियान्वयन व योजना को लागू करने हेतु जापान सरकार से प्राप्त "ओवरसीज इकोनोमिक कंसोरशियम फण्ड" के अन्तर्गत महानगरों में बस स्टैण्ड स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता हेतु लगभग 100 करोड़ रुपये लागत की योजना केन्द्र सरकार को भेजी गयी है।

4–राज्य परिवहन अनुसंधान एवं नियोजन संस्थान, लखनऊ की स्थापना हेतु 20.00 करोड़ रुपये की योजना भी स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को प्रेषित की गयी है।

5–आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को परमिट प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जायेगा ताकि आरक्षित वर्ग की राज्य के परिवहन में साझेदारी सुनिश्चित की जा सके।

मान्यवर, चालू वित्तीय वर्ष में घाघरा नदी का टैनोइकोनामिक अध्ययन पूर्ण कराकर योजना के क्रियान्वयन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधायें सृजित करने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित कर दिये जाने की योजना है ताकि घाघरा नदी को (फैजाबाद-बलिया सेक्शन) राष्ट्रीय जल मार्ग–1 (इलाहाबाद-हल्दिया) के पोषक मार्ग के रूप में विकसित किया जा सके।

जन परिवहन को और अधिक गति से विकसित किये जाने के उद्देश्य से एक "स्वतंत्र" जल परिवहन निदेशालय की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। जल परिवहन के संबंध में प्रशिक्षण हेतु ट्रेनिंग स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में "फेरी" व अन्य सेवाओं के लिए चल रहे जलप्रोतों के पंजीकरणआदि के लिए "इंडियन स्ट्रीमवेसेल्स एक्ट 1917" के अन्तर्गत राज्य नियमावली पूर्ण करके उसका क्रियान्वयन इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ कर दिये जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त गोमती, यमुना तथा गंगा नदी के कानपुर–इलाहाबाद सेक्शन के अध्ययन हेतु योजना का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा रहा है।

मान्यवर, प्रदेश में यात्री परिवहन को सुविधाजनक बनाये जाने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने वर्ष 1994-95 में 483 नयी बसें बस बेड़े में सम्मिलित की तथा 369 बसों को जीर्णोधार कराकर उन्हें भी संचालन हेतु उपलब्ध कराया गया। परिवहन सुविधा में वृद्धि हेतु निजी क्षेत्र की 458 बसों को अनुबन्धन में लेकर निगम के नियंत्रण में संचालित किया गया। इनमें 298 बड़ी व 160 मिनी बसें हैं। इस प्रकार वर्ष 1994-95 में माध्यतः 7920 निगम की व 310 निजी बसें संचालन हेतु उपलब्ध रहीं।

1995-96 में निगम के बस बेड़े को और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। इस वर्ष 800 नयी बसें निगम के बस बेड़े में सम्मिलित की जायेगी। इनमें से 120 साधारण 545 एक्सप्रेस, 108 सेमी डीलक्स व 27 डीलक्स बसें होगी। इनमें से 146 नयी बसें पर्वतीय क्षेत्र में दी जायेंगी। इसके अतिरिक्त 744 पुरानी बसों का जीर्णोद्धार कर उन्हें संचालन उपलब्ध कगया जायेगा। यात्रियों की सुविधा हेतु निजी अनुबंधित बसों की संख्या में वृद्धि करना भी प्रस्तावित है। विशेषकर छोटे-छोटे कस्बों के मार्गों पर परिवहन सुविधा हेतु निजी मिनी बसों को और अधिक संख्या में लगाने हेतु बस मालिकों को प्रेरित किया जायेगा।

अप्रैल–जुलाई 1995 में 307 नयी बसें बेड़े में सम्मिलित की जा चुकी हैं ताकि 1.9 बसों का रिनावेशन कराकर उन्हें संचालन हेतु क्षेत्रों को उपलब्ध करा दिया गया है ।

यात्रियों की सुविधा हेतु निगम के बस स्टेशनों, पेयजल, पंखों व प्रकाश व प्रावधानों की व्यवस्था है । वर्ष 1994-95 में 972 पंखे व 213 सोडियम लैंप लगाये गये । चालू वित्तीय वर्ष में 46 सुलभ शौचालयों का निर्माण, 96 इंडिया मार्क–2 हैण्डपम्प व 11 जेनरेटरों की स्थापना का प्रस्ताव है । निगम के अपने बस स्टेशनों पर यात्रियों के सुविधार्थ शेल्टरों की व्यवस्था है परन्तु मार्ग पर पड़ने वाले फेयर स्टापेजों में यह व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाया है । आगामी वर्षों में यह प्रस्तावित है कि सभी फेयर स्टापेजों में शनैः-शनैः पैसेन्जर शेल्टरों का निर्माण कराया जायेगा । प्रथम चरण में वर्ष 1995-96 में 78 फेयर स्टापेजों में जिला प्रशासन व स्वेच्छिक संस्थाओं के सहयोग से शेल्टरों का निर्माण कराया जायगा । यात्रियों की सुविधा हेतु अतर्रा (बांदा) सैफई (इटावा) करहल (मैनपुरी) तथा ज्ञानपुर (भदोही) में बस स्टेशनो का निर्माण वर्ष 1994-95 में प्रारम्भ किया गया जिसे 1995-96 में पूरा कर दिया जायेगा । प्रदेश में 242 स्थानों पर निगम के स्वयं के सब स्टेशन हैं । इनमें से 23 सब स्टेशनों के सुधार व सौन्दर्यीकरण का कार्य इस वर्ष कराया जायेगा ।

बसों के सुचारू संचालन हेतु कार्यशालाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है । कार्यशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु भी कार्यवाही करना आवश्यक है । वर्ष 1994-95 में डा० अम्बेडकर डिपो (आजमगढ़ क्षेत्र), लालगंज डिपो (इलाहाबाद क्षेत्र) बड़ौत डिपो (मेरठ क्षेत्र), नरौरा व अलीगढ़ द्वितीय डिपो (अलीगढ़ क्षेत्र) की डिपो कार्यशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर कार्यशील किया गया । इन सभी नवसृजित डिपों में क्षमतानुसार बसें दिये जाने का पूरा प्रयास किया जायेगा । वर्ष 1995-96 में फतेहपुर डिपों कार्यशाला का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर उसे भी कार्यशील कर दिया गया है। इसी वर्ष उरई डिपो (झांसी क्षेत्र) व (बिजनौर डिपो) मुरादाबाद क्षेत्र की डिपो की कार्यशालाओं व इटावा की क्षेत्रीय कार्यशाला का निर्माण पूर्ण कराकर उन्हें भी कार्यशील कर दिया जायेगा ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

माननीय अधिष्ठाता जी, इस सम्मानित सदन में आप और हम तो आते जाते रहेंगे, आये-आये न आये । इस सदन की एक परम्परा है माननीय मंत्री जी की विद्वता पर हमें कोई शिकायत या शंका नहीं है लेकिन जब आपके संज्ञान में यह बात आ गयी है कि यह पढ़ रहे हैं तो परम्परा यह रही है कि माननीय मंत्री जी बजट भाषण और उत्तर भाषण के समय आंकड़े देखते हैं और यह पीठ के संज्ञान में ला दिया गया है । मैं भी इस सदन में बहुत दिनों से हूं और पाल जी बैठे हैं इनको दूसरे सदन का भी अनुभव है । आपकी पीठ से मंत्री जी को निर्देश होता रहा है कि माननीय मंत्री जी केवल आंकड़े देखें बजट भाषण न पढ़ें । मेरा आपसे अनुरोध है कि पटेल जी पढ़ते रहें परन्तु आप तो अपने श्रीमुख से कह दें कि आंकड़े देखें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने मंत्री जी से कह दिया है कि आप संक्षिप्त में अपनी बात कह दें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इसको छपवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

कुछ नई व्यवस्था माननीय मंत्री जी दे रहे हैं। मंत्री जी कुछ नोट करें हैं और कुछ विभाग से नोट करवाये हैं वहीं सब आपको बता रहे हैं यह बस कार्यवाही में आ रहा है। यदि आप उसे देखना चाहें तो वह रिकार्ड में रहेगा उसे जब भी चाहें देख लें।

माननीय मंत्री जी संक्षिप्त में अपनी बात कह दें।

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल पटेल–

मान्यवर, यह परिवहन विभाग का मामला है, इससे आम जनता का संबंध है, हमारी चाहत थी और सरकार की भी चाहत थी कि आम जनता तक संदेश पहुंचे जानकारी हो। वर्ष 1994-95 में निगम द्वारा 63.22 करोड़ किमी० संचालित करके 34.86 करोड़ यात्रियों को परिवहन सुविधा सुलभ करायी गयी। इसी अवधि में निगम द्वारा रुपये 456.31 करोड़ की आय अर्जित की जो कि इसके पूर्व के वर्ष से 11.88 करोड़ रुपये अधिक है। राज्य के उत्तराखण्ड आन्दोलन तथा व्यय की मदों में वृद्धि के कारण निगम को हानि उठानी पड़ी। वर्ष 1995-96 में निगम का प्रयास रहेगा कि यह यात्रियों को समुचित परिवहन सुविधा सुलभ करायें तथा लाभ अर्जित करें।

निगम द्वारा समाज के विभिन्न नागरिकों को रियायती दरों पर यात्रा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इस दिशा में विशेष सुविधा ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को अनुमन्य है। इन्हें 30 एकल किराये के आधार पर मासिक रियायती पास की सुविधा दी जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के राज्य स्तरीय सेवा आयोग/बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों तथा साक्षात्कार हेतु आहूत अभ्यर्थियों को निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है।

माननीय विधायक जन आंकाक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके क्षेत्र में यदि बस सेवा पर्याप्त उपलब्ध नहीं है तथा संचालन योग्य राष्ट्रीयकृत मार्ग उपलब्ध है उन क्षेत्रों से मुख्य-मुख्य स्थानों पर बस संचालन कराये जाने पर विचार किया जायेगा।

निगम की दक्षता में सुधार के साथ ही साथ यह भी प्रयास किया जायेगा कि निगम के कर्मचारी अनुशासित रहें, उनका व्यवहार यात्रियों से मृदुल हो तथा वे लगन व निष्ठा से जनता की सेवा करें। निगम की प्रत्येक बस निर्धारित स्टापेजों में ही रोकी जायेगी तथा वहां से यात्रियों को उठायेगी व उतारेगी। बसों को अनधिकृत रूप से ढाबों/होटलों पर रोके जाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जायेगा ताकि यात्रियों की यात्रा में विलम्ब न हो। निगम के कर्मचारियों के कल्याण हेतु भी प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। चालकों व परिचालकों हेतु बनाये गये रेस्टरूमों को सुव्यवस्थित किया जायेगा तथा जहां आवश्यकता समझी जायेगी वहां इनकी स्थापना भी की जायेगी। कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिये समय-समय पर उनकी समस्याओं पर विचार-विमर्श कर निराकरण करने के निर्देश दे दिये गये हैं। कई कारणों से उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध सुनियोजित ढंग से भर्ती नहीं कराई जा सकी है जिसके कारण कर्मचारियों की कमी हुई है जिसे नियमानुसार पूरा करने के निर्देश दे दिये गये हैं। प्रदेश सरकार स्वच्छ प्रशासन एवं सुलभ सेवा यात्रियों को प्रदान करने के लिये कटिबद्ध है। स्टाफ की स्क्रीनिंग कड़ाई से कराई जायेगी तथा निष्क्रिय तत्वों को सेवा से पृथक किया जायेगा और जनता की तत्परता से सेवा प्रदान की जायेगी।

बसों को स्वच्छ, चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दे दिये गये हैं तथा गाड़ियों का संचालन समय पर करने की व्यवस्था की जाय। इसके साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार व जन प्रतिनिधियों की शिकायतों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दे दिये हैं।

न्यायालय में लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु विभाग आवश्यक कदम उठाने हेतु कटिबद्ध हैं।

कतिपय स्थानों पर यह शिकायत मिली है कि स्थानीय स्तर पर कभी-कभी एजेन्ट सक्रिय हो जाते हैं जिससे विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः विभाग जनता को सीधी सेवा उपलब्ध कराये और स्वच्छ एवं पारदर्शी व्यवस्था रहे, इनके भी निर्देश दिये जा चुके हैं।

कतिपय स्थानों से यह सुझाव प्राप्त हुए हैं कि उत्तराखण्ड में चलने वाली बसों की आयु सीमा को बढ़ाया जाय। अभी मैदानी क्षेत्र में आयु 20 वर्ष तथा पर्वतीय क्षेत्रों में चलने वाली बसों की आयु 10 वर्ष निर्धारित की गई है। दोनों क्षेत्रों में बसों की आयु में भिन्नता स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों एवं तकनीकी कारणों से निर्धारित की गयी है फिर भी विभाग आयु भिन्नता के विषय पर पुनः विचार करके सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यथा समय उचित निर्णय लेगा।

परिवहन निगम में घाटे की प्रवृत्ति को रोकने के लिये कड़े निर्देश दिये गये हैं। पूर्व में कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं ईंधन पर व्यय में वृद्धि के कारण काफी घाटा बढ़ गया था। यह भी ज्ञातव्य है कि ईधन व टिकटों की दरों को शासन ही निर्धारत करता है। आशा है कि मितव्ययिता एवं राजस्व की अपवंचना को रोकते हुए घाटे को पूरा किया जायेगा। इस वर्ष के लिये 81 नयी बसें और 745 बसें जो जीर्णशीर्ण अवस्था में थीं उनका उद्धार किया जायेगा। इस तरह से 1600 बसें लोगों की सुविधा के लिये दी जायेंगी। इसके साथ ही साथ मान्यवर, जो दो चार साल काम करने वाले बसें ड्राइवर और कन्डक्टर हैं जो दो चार साल बाद अपंगता का सार्टिफिकेट दे देते हैं और इस तरह से परिवहन विभाग को घाटा पहुंचाते हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी। उनकी जांच होगी और जो सही रूप से अपंग पाया जायेगा उसको ही सुविधा मिलेगी अन्य लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही साथ जो वर्कशाप में बसें बनती हैं और सामान खरीदे जाते हैं इसमें हमने एक निश्चित सीमा का निर्धारण किया है और यदि यह निश्चित सीमा के अन्दर ही खराब हो जाती हैं तो जो वर्कशाप के मैनेजर हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही यह भी किया गया है कि ड्राईवर और कन्डक्टर जो अच्छा कार्य करते हैं उनको प्रोत्साहन दिया जायेगा और जो महीनों-महीनों पड़े रहते हैं उनके दण्डित किया जायेगा।

हमने यह मापदण्ड बनाया है कि एक ड्राईवर और कन्डक्टर को कम से कम दो सौ किलोमीटर तक चलना है होता यह है कि कुछ लोग तो तीन-चार कि०मी० तक चले जाते हैं और कुछ महीनों तक पड़े रहते हैं। इसके लिये प्रोत्साहन के रूप में जो अच्छा कार्य करते हैं और जो खराब कार्य करते हैं उन्हें दण्डित किया जायेगा। इसी के साथ ही साथ जो रीजनल मैनेजर अगर उन्होंने कोई फायदा पहुंचाने वाला कार्य किया है तो उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा और घाटे वाला काम किया है तो उन्हें हतोत्साहित किया जायेगा। मान्यवर, इसी के साथ आपने मुझे परिवहन विभाग जैसे महत्वपूर्ण बजट पर अपने विचार रखने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं और आपको धन्यवाद देते हूं। आप लोगों के जो भी सुझाव आयेंगे उनको मैं ध्यान से सुनूंगा और जो संशोधन होंगे उन पर विचार करूंगा।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग केअन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जो विद्वान भी हैं, योग्य भी हैं और सहृदय भी हैं और इंसान के देवे भी हैं उन्होंने अभी परिवहन विभाग के बजट को रखा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, मान्यवर, मेरे अन्दर एक पीड़ा है माननीय मंत्री जी एक सीधे सादे व्यक्ति हैं, सज्जन हैं और वकील भी हैं, जो पुस्तिका छपी है परिवहन विभाग की इसमें उनका कोई फोटो नहीं है। लगता है कि अभी भी अधिकारियों के मन में जो पूर्व परिवहन मंत्री थे श्री आर० के० चौधरी, उनका भूत नहीं उतरा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी हैसियत के मुताबिक कार्य करें। मान्यवर, जब माननीय परिवहन मंत्री जी बोल रहे थे परिवहन पर तो मैंने उनको बड़े गौर से सुना।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि परिवहन विभाग जन-जीवन से जुड़ा हुआ है और यह रोजमर्रा के जीवन को गतिमान बनाये रखता है। मान्यवर, 1947 की आजादी के बाद लोगों को यह एहसास हुआ होगा कि यह जनता के काम में आयेगा लेकिन मान्यवर, आज स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। आपने परिवहन विभाग की, यू० पी० एस० आर० टी० सी० और जल परिवहन की बात कही। उस समय के परिवहन मंत्री श्री आर० के० चौधरी, जो आज स्वास्थ्य मंत्री हैं, ने जल परिवहन की घोषणा करी थी लेकिन आज तक वह एक व्यक्ति को ढोने का काम नहीं कर पाया है। मान्यवर, मुझे आशंका है कि कहीं जल परिवहन चल पायेगा या नहीं [illegible] परिवहन का अपर आयुक्त भी बनाये गये हैं। परिवहन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है, इसमें कोई शक किसी को नहीं है लेकिन इसमें आर० टी० ओ० से लेकर एस० टी० ओ० तक, हम लोग रोजमर्रा देखते हैं, आर० टी० ओ० आफिस से अगर शुरू करें तो भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं।

माननीय मंत्री जी ने एक शब्द भी उगाये, सुधार के लिए नहीं कहा है। अगर आप भी अपना लाइसेंस बनवाने के लिए जायें, अपनी प्राइवेट कार या पड़ोसी की कार का, तो आपको मध्यस्तता की आवश्यकता होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, आप मध्यस्तता को रोकने के लिए कुछ काम कर पायेंगे, इसमें शंका पैदा होती है और यह शंका और अधिक बलवती हो जाती है जब आपको इस पर शुबहा होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वर्ष 1981 में जो पंजीयन हुए थे आज वर्ष 1995 में बढ़कर पांच गुने हो गये हैं, आपने कर भी बढ़ाया है। यह जो साहित्य वितरित किया गया है, अगर पढ़ें तो स्पष्ट हो जायेगा कि पांच गुना से दस गुना वृद्धि हुई है, उसके बाद भी आपका परिवहन विभाग गर्त में जा रहा है। आज जितनी रूट हैं, पी० डब्लू० डी० की सड़कें हैं, जो मोटरयुक्त हैं, उनकी संख्या कितनी कि०मी० बढ़ी है, इसमें साफ-साफ स्पष्ट है। लेकिन आपने परमिटों की संख्या कम बढ़ायी है। आज एस० टी० ए० और आर० टी० ए० की मीटिंग नहीं हो पाती है क्योंकि उनमें आपके नामित प्रतिनिधि नहीं हैं, आप उसमें प्रतिनिधियों को नामित कीजिये ताकि उसकी बैठकें हो सकें। आपकी जो क्षमता है, उसका दोहन आप पैसेन्जर टैक्स, गुड्स टैक्स से कर रहे हैं, लेकिन वांछित संख्या परमिट जारी न होने के कारण उतनी आमदनी नहीं हो रही है। जो आपके अन्तर्राज्यीय रूट हैं, उनके क्या हाल हैं? कृपा कर देख लें। मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा तक, सब आपके यहां दौरा करते हैं, मध्य प्रदेश की बसें आपके यहां ज्यादा चलती हैं, लेकिन आपकी वहां कम चलती हैं। राजस्थान का यही हाल है, हरियाणा का भी यही हाल है।

दिल्ली से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव तक जो लाभकारी थी, वहां पर काफी मात्रा में बसें चलायी हैं, दो की अनुज्ञा-पत्र जारी हैं, लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि दो के बदले 20 चलती हैं, आपको कोई चेकिंग नहीं है।

मेरा कहना है कि जब तक चेकिंग नहीं होगी, हमारे टैक्स की चोरी होगी। यदि माननीय मंत्री जी परिवहन विभाग का सुधार चाहते हैं तो परमिट, कोटा प्रणाली को सुचारू रूप से किया जाये और जिन राज्यों की बसें आपके राज्य में चलती हैं, जितनी संख्या में और जितनी दूरी तय करती हैं, उन राज्यों में, उतनी दूरी और उतनी संख्या में आपकी बसें चलें और राजस्व की चोरी न हो पाये इसके लिये चेकिंग प्वाइंट बनायें। मान्यवर, मेरा यह भी अनुरोध है कि जो ड्राइविंग लाइसेन्स के नाम पर, टैक्स जमा करने के नाम पर जो दलाल जनता का पैसा खा जाते हैं, उसको दलाल के माध्यम से जमा करना पड़ता है, उसको ठीक किया जाना चाहिए। अभी एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी मिले, मेरे परिचित हैं, बताने लगे कि 100 रुपया लेकर दलाल लाइसेन्स के लिये गया था लेकिन अभी नहीं हो पाया आज यह हालत है।

मुझे अफसोस इस बात का है कि माननीय मंत्री जी गांव के आदमी हैं, वकील हैं, किसान हैं, लेकिन एक शब्द भी भ्रष्टाचार दूर करने के लिये नहीं कहा। मुझे माननीय मंत्री जी से बड़ी उम्मीद थी। 27295 प्राइवेट बसें आपके यहां हैं जबकि रोडवेज की 29 बसें ही चलती हैं। ये प्राइवेट बसें आपको टैक्स भी देती हैं। 1988 में मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट पास हुआ। अब आप ही बताइये कि वह कहां तक लागू हो रहा है? पुलिस वाले प्राइवेट बस मालिकों का उत्पीड़न करते हैं और उनसे पैसा वसूलते हैं। दूसरी तरफ आप उनसे टैक्स लेते हैं। यदि पुलिसवालों को पैसा नहीं देते हैं तो वह डग्गा मार बसें चला देते हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी, आपकी सेवा-शर्तों के मुताबिक प्राइवेट बसों के मालिक जनता की सेवा कर रहे हैं इसलिये पुलिस उत्पीड़न से बचाने के लिये आप कोई उपाय करें। ट्रक ट्रांसपोर्ट का तो और बुरा हाल है। कर भी वह देते हैं परन्तु आज सबसे ज्यादा पुलिस उत्पीड़न का वे शिकार हो रहे हैं। आपने उनकी सुरक्षा के बारे में कोई चिन्ता जाहिर नहीं की और न ही आपने इसे गम्भीरता से लिया।

एस० टी० ए० की मीटिंग्स नहीं हो पा रही हैं और पुलिस प्रशासन आपको सहयोग नहीं करता है। यदि कोई आर० टी०ओ०, पी० टी० ओ० किसी टैक्स चोर को पकड़ना चाहता है तो वह गुण्डई के बल पर चला जाता है और पुलिस आपके विभाग के अधिकारियों को सहयोग नहीं करती है। आपके विभाग और पुलिस वालों के बीच में कोई तालमेल नहीं है। कई जगहों पर आपके विभाग के पास भवन नहीं है और न ही किराये की व्यवस्था है, जिसके कारण उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दलालों को खत्म करने के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से पुनः अनुरोध करता हूं कि आर० टी० ओ० दफ्तर के बाहर जो दलाल बैठे होते हैं इसलिये माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में इसके बारे में कुछ अवश्य कहें।

मान्यवर, परिवहन निगम की चर्चा होती है यह एक ऐसा विभाग है जो जनता से सीधा जुड़ा हुआ है और जिससे प्रदेश के नागरिकों को सुविधायें व फायदे मिलते हैं। 8 हजार के करीब आपके पास बसें हैं और फिर 8 लाख किलोमीटर आपने उनका चलन दिखाया है। 8 लाख व 10 कि०मी० बसों को चलाकर, क्या आप मानते हैं कि ये वाएबिल होंगी, ये इकानिमिकल होंगी। जिन प्रान्तों में बसें प्रोफिट में जा रही हैं, उनकी तरफ माननीय मंत्री जी आप देखें। यह देखें कि उनकी बसों की कितना चलन है? मेरा एक सुझाव है कि आप परिवहन निगम में नई बसें रखें और 8-10 लाख कि०मी० से कम करके 4-5 लाख कि०मी० उनका चलन रखें। इससे फायदा भी होगा और आपकी बसें अच्छी अवस्था में भी रहेंगी तथा उनके रख-रखाव पर भी खर्च कम आयेगा। जब एक प्राइवेट बस मालिक अपनी एक बस चलाता है तो वह दूसरे या तीसरे वर्ष दूसरी गाड़ी खरीद लेता है। इसलिये आप मेरे सुझाव पर

सुझाव पर ध्यान दें। आपने 600 बसों को खरीदने का लक्ष्य रखा है, क्या होगा इनका ? आपकी बसें प्रति किलोमीटर ज्यादा तेल खाती हैं और रख-रखाव पर कीमत भी ज्यादा आती है। जो धन आपको आवंटित किया जाता है, वह कम भी नहीं है। 1994-95 में 76.97 करोड़ रुपये था और 1995-96 में यह 82.32 करोड़ रुपये हो गया है, अधिक ही हुआ है। अब बसों के रख-रखाव पर कितना खर्च होता है, उसका कोई हिसाब-किताब ही नहीं है। आपके बसों के जो ड्राइवर व कंडक्टर हैं, उनका सवारियों के प्रति व्यवहार भी अच्छा नहीं होता है। बस को जहां चाहे वहां ले जायें, सवारी को बैठायें या न बैठायें। उनके ऊपर आपका कोई कन्ट्रोल नहीं है जिससे आज नागरिक को आपकी बसों से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है और न ही सुविधा।

आज परिवहन निगम सफेद हाथी बनता जा रहा है। इसलिये निश्चित रूप से इस ओर ध्यान दिया जाय। प्राइवेट बस जब रास्ते में खड़ी होती है तो उसका ड्राइवर व कंडक्टर उसकी छोटी-मोटी खराबी को स्वयं ठीक कर, गाड़ी चला लेता है और सवारी के सामान को छत पर चढ़ा देता है परन्तु आपका कंडक्टर मात्र दो किलो वजन को भी छत पर नहीं चढ़ाता है और सवारी को डांटता है। बस में यदि कोई छोटी-मोटी खराबी आ जाय तो स्वयं ठीक नहीं करता बल्कि डिपो पर जाता है। गाड़ी को वहीं पर छोड़ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना होगा। मान्यवर, इनके भाषण में कहीं नहीं कहा गया है कि कुशल संचालन कैसे होगा केवल आंकड़ों का माया जाल छपा है जो आपने भी पढ़ा होगा और मैंने भी पढ़ा है। अभी 28 प्रतिशत मार्गों पर यह अपनी बस चला रहे हैं अगर पूरे मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर दें तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा, तो इस ओर देखने की सबसे बड़ी जरूरत है। अज इनको 32.72 करोड़ का नुकसान है जिस पर यह परिवहन निगम चल रहा है और एक करोड़ का शुद्ध लाभ दिखाया गया है। तो मेरा पटेल साहब से अनुरोध है कि जरा इस पर देखें क्यों नुकसान हुआ है इसका क्या कारण है। क्या जो सवारियां बैठती हैं वह पैसा नहीं देती हैं।

परिवहन निगम किसी की राजनीतिक आकांक्षा की पूर्ति के लिये नहीं बनाया गया है। जब कोई आन्दोलन होता है तो परिवहन निगम की बसों को नुकसान होता है, प्राइवेट वालों को भी नुकसान होता है जो सड़क परबस चलेगी उसमें दुर्घटना भी होगी। जब कांग्रेस की रैली हुई तो आपकी बसें ले ली, भा०ज०पा० की रैली हुई तो आपकी बसें ले ली, आपकी रैली हुई तो आपकी बसें ले ली मेरठ में रैली हुई चौधरी जगवीर सिंह बैठे हैं वह जानते हैं आपकी सब बसें ले ली गई तो यह निगम की बसें इस तरह से रैली में प्रयोग होती रहेंगी तो फायदा कहां से होगा ? आपने किराया नहीं दिया उन्होंने भी किराया नहीं दिया जो होशियार थे उन्होंने कागज पर दिखा दिया पैसा दिया हुआ मान लिया। सड़कों पर बसें आपकी खड़ी रहती हैं इस ओर भी देखना होगा इसे भी ठीक करना पड़ेगा।

आपके यहां ला डिपार्टमेन्ट बना हुआ है कितने वाद हैं जो अभी तक तय नहीं हो पाये हैं आपने कितनी बार किराया बढ़ा दिया फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। 1983 में 25 फीसदी किराया बढ़ाया, 1987 में 20 फीसदी किराया बढ़ाया, 1990 में फिर 20 फीसदी किराया और 1993 में 30 फीसदी किराया बढ़ाया। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि परिवहन निगम मितव्ययता करने में प्राइवेट के मुकाबले कहीं नहीं आता, प्राइवेट बस मालिक आपका किराया बढ़ने से वह भी बढ़ा देते हैं। इस तरह से प्रदेश की गरीब जनता की जेब पर भार बढ़ता जा रहा है किराया बढ़ाने से भी निगम को कोई फायदा होने वाला नहीं है चाहे आप 100 फीसदी किराया बढ़ा दें जब तक मैनेजमेन्ट ठीक नहीं होगा प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं होगी नुकसान से कोई उबारने वाला नहीं है।

किराया बढ़ाकर आप गरीब जनता की जेब पर डाका डालने का काम करते हैं आपकी 40 फीसदी बसें ऐसी हैं जो मोटरेबुल नहीं रह गयी हैं जिनको धक्का मारकर चलाना पड़ता है उनके रख रखाव पर आप लाखों रुपये खर्च करने जा रहे हैं आपकी बसों में शीशे नहीं हैं तो पैसेन्जर्स को जो हवा लगती है उससे उसे निमोनिया हो जाता है। बसें टूटी होने के कारण कपड़े फट जाते हैं उसके बाद भी पैसेन्जर उपभोक्ता संरक्षण फोरम में क्यों नहीं जाता है यह आश्चर्य की ही बात है ? उसकी जेब काटकर आप पैसा ले लेते हैं जो बीमार होने पर भी डाक्टर के पास नहीं जाता है तो लगता है कि डाक्टरों से भी सांठ-गांठ है।

आपके कानून विभाग में 304 एडवोकेट हैं जिनको आप पैसा देते हैं और वादों के निस्तारण में काफी बड़ी धनराशि खर्च हो जाती है। अभी भी 14 हजार आपके वाद अनिस्तारित पड़े हुए हैं तो आप ही सोचें कैसे संचालन में कार्य कुशलता बढ़ेगी आकस्मिक निरीक्षण के लिये आपके विभाग में ट्राफिक इन्सपेक्टर होते हैं जो चेकिंग का काम करते हैं तो वह भी एक जगह पर खड़े रहते हैं और उसका भी माहवारी बंधा हुआ है। आप इनकी दिल्ली से जाने वाली किसी एक बस में जो कानपुर या रायबरेली तक जाती हो खड़े होकर देख लें दो-दो टन सामान लेकर वह आती हैं।

परिवहन निगम के ही लोग ज्यादातर टैक्स चोरी में लगे हुए हैं। इनके इन्स्पेक्टर का महीना बंधा होता है, उनके अनदेखी से जोरों से सामान पर टैक्स चोरी होती है। पत्रकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या कोई पूर्व विधायक फंस जाय तो उसके साथ दुर्व्यवहार जरूर होता है और आपकी बस मे अकेली महिला यात्रा करने से डरती है। आपके कंडक्टर और ड्राईवर रात्रि में शराब पीकर लोट जाते हैं। आपने अपने भाषण में पारितोषिक देने की बात कही, लेकिन उन्हें सजा देने की कोई बात नहीं है कि जिनकी कार्यक्षमता में कमी रहेगी उनको दण्डित किया जायेगा। क्या आपने यह किया ? निगम के जो बस स्टैण्ड हैं कहीं जाकर देख लीजिये वहां न शौचालय है न यूरिनल है और न कहीं पीने के पानी की कोई व्यवस्था है। उसके अन्दर के दुकानदारों से कुछ बंधी रकम स्टेशन मास्टर जरूर लेता है और वे कहते हैं कि यह रकम ऊपर तक भी जाती है। यह ऊपर कुछ समझ में नहीं आता है। मैं महात्मा गांधी की बात नहीं करता। इसका कोई समाधान नजर नहीं आता न अपने बजट भाषण में आपने इसका कोई उल्लेख किया है। आपने बहुत अच्छा भाषण दिया लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आपका कहना है कि जो ड्राईवर और कंडक्टर होटलों पर बस रोकने वाले हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। यह बसें रुके या न रुके, लेकिन इन होटलों से आपके कर्मचारी जो फ्री खाकर चले जाते हैं और यात्रियों को 5 रुपये की चाय पीने के लिये बाध्य किया जाता है उसको आप देखें। इसके लिये आपने कितने लोगों को सजा दी है ?

आप ऐसे भ्रष्ट होटल मालिकों को भी रोकने का काम करें। आपके परिवहन निगम में फर्जी टिकट धड़ल्ले से छपते हैं और इन फर्जी टिकटों का चलन न हो तो कोई कारण ही नहीं कि जो आपके पास रूट्स हैं उन पर घाटा हो। इनको यदि आप प्राइवेट हाथों में दे दें और उनसे बंधी रकम लेने लगें तो आपके पास काफी लोग लेने आयेंगे। जिससे आपको लाभ होगा। आपके यहां काफी लीकेज है उसको रोकने के लिये कोई प्रयास का जिक्र इसमें नहीं किया गया है। आप पुरानी बसों को क्यों ले रहे हैं, पुरानी बसों के रखरखाव में काफी ज्यादा खर्च होता है। 4 पुरानी बसों के रखरखाव में जितना खर्च है उसके स्थान पर यदि आप एक नयी बस चलायें तो आपको उसकी अपेक्षा लाभ होगा। जो खरीदारी होती है सामान की और पार्ट्स की उसमें बड़ी कमीशनखोरी होती जिससे आपको सबसे महंगे पार्ट्स मिलते हैं।

आपके यहां रिटारडिंग जो होती है जो रबड़ बेचते हैं वह भी बहुत खराब होती है । क्योंकि यह सप्लाई कर नहीं पाते हैं और पार्ट्स खरीदने के नाम पर जो घूसखोरी है उसको रोकने की स्पष्ट घोषणा आप करें । आपका विभाग आज आर्थिक रूप से बैठता चला जा रहा है । इसे पहले बेचने की आपने घोषणा कर दी थी । मान्यवर, इनके जो बस स्टेशन हैं उनके बाहर दुकानें बनाकर आप प्रीमियम पर बेच सकते थे उसमें आपको किराया आता और ज्यादा आमदनी होती । उसकी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है । इसी के साथ बस स्टेशन पर बैठने वाला असिस्टेन्ट रीजनल मैनेजर और जो स्टेशन मास्टर बैठता है उसके संबंध में मैं चाहूंगा कि वह बतायें कि किस डिपो पर उनको कोई स्टेशन मास्टर मिला है । किसी डिपो पर इनका आदमी नहीं बैठता है । आपको यह जानकारी नहीं होगी कि कितने किलोमीटर में कितना डीजल व्यय होना चाहिए । आंकड़ों के जाल में मत जाइये । बस चलती है, आगे जाकर खड़ी हो जाती है ।

लम्बी दूरी तक दिखाकर माइलेज बढ़ा देते हैं । और सही बात तो यह भी है कि आपकी बसें टाइम टेबुल के अनुसार नहीं चलती हैं ।कभी-कभी एक भी बस नहीं चलती है और कभी-कभी 10-10 बसें एक साथ चलती हैं । लखनऊ से कानपुर तक आप देखेंगे इनके बस स्टैण्ड के पास में ही टैक्सी स्टैण्ड है । बसें समय से न चलने का यह आलम है कि एक आदमी बस का ड्योढ़ा किराया खर्च करता है टैक्सी के लिये । अगर बसें समय से चलें तो क्यों आदमी अधिक पैसा दे ? न टाइम टेबुल सही है, न बसों का रख रखाव ठीक है, न प्रशासनिक व्यवस्था ही ठीक है । प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखकर प्रबन्ध निदेशक, प्रमुख सचिव को भी लिख कर दिया परन्तु कोई फर्क नहीं पड़ता । हमारे पश्चिमी क्षेत्र में बसें नहीं चलती हैं लिखकर दिया । एक बस हापुड़ से मुजफ्फरनगर मेल सवारियों को लेकर जाती थी । एक दिन भी इनके आदेशों का पालन नहीं हुआ । आर० एम०, ए० आर० एम० सुनते नहीं हैं । लोग प्राइवेट बसों में ही जाते हैं । इनके बस स्टैण्ड के सामने से डग्गामार बसें चलती हैं और यह देखते रहते हैं ।

कानपुर से झांसी के लिये शताब्दी बस चलती है । विभाग देखता रहता है कोई कार्यवाही नहीं कर पाता । विभाग उत्तर प्रदेश सरकार से तनख्वाह लेता है, करोड़ों का घाटा दिखाकर अनुदान प्राप्त करता है । प्राइवेट बस मालिकों की तरफ वफादारी दिखाते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह विभाग ढाई साल से आपकी पार्टी के पास है । आप इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करें । दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो आप अपने निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को एहसास करा देंगे कि उनकी लायल्टी आपकी तरफ हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के साथ उनकी लायल्टी होनी चाहिए । जब तक उनकी वफादारी प्राइवेट बस मालिकों, डग्गामार बस मालिकों, होटलों के साथ होगी परिवहन निगम बैठता चला जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि पश्चिम के लोग सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं । इनकी बस में कोई बैठता है तो वह लूट लिया जाता है । डिलेक्स और सेमी डिलेक्स करके बस के किराये में वृद्धि कर दी गयी है । सेमी डिलेक्स के नाम पर 25 प्रतिशत किराया ज्यादा वसूल करते हैं लेकिन सुविधा के नाम पर क्या होता है । और इसके बावजूद भी यह घाटे में चल रहे हैं । आप किराया 100

प्रतिशत ज्यादा वसूल लो, तब भी नुकसान में ही रहोगे । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस जगह पर कितना लाभ और किस जगह पर कितना नुकसान हुआ है, यह बता दें ? आपके पास क्या आपके अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं है कि किस क्षेत्र में कितना रुपया लाभ हुआ और किस क्षेत्र में कितना रुपया नुकसान हुआ और इसके क्या कारण रहे ? यह निगम जनता का है, जनता की सुविधा के लिये बनाया गया है, जनता की भलाई के लिये काम करे, लाभ में आये, नुकसान में न रहे । अधिकारी मालिक नहीं हैं, जनता निगम की मालिक है ।

आप घोषणा करें कि जनता की भलाई के काम करेंगे, तो मुझे खुशी होगी । माननीय मंत्री जी प्रयोग करके देख लें । किराया घटा दें तो निश्चित रूप से लाभ होगा । एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस तरह अन्य विभागों की सलाहकार समिति है उसमें सांसद और सदस्य भी हैं । उसी तरह से परिवहन निगम की एक सलाहकार समिति बने जिसमें सांसद व सदस्य, सदस्य हों, और वह बसों के चालन, परिचालन के बारे में सलाह दें । रोडवेज की बसों के परमिट बांटने का काम भी कमेटी करे । मान्यवर, जो माननीय सदस्य इस सम्मानित सदन के इधर से या उधर से बोलेंगे निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष का ध्यान रखकर बोलेंगे । निगम आपका है उसके लिये सभी सुझाव देंगे, आलोचना जो की जाती है उसके पीछे कोई न कोई हित होता है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

श्री दल बहादुर कोरी–

लिस्ट के हिसाब से समय दें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

सबको समय दिया जायेगा ।

श्री घनश्याम शुक्ल–

जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

शुक्ला जी संक्षेप में रखें ।

* श्री घनश्याम शुक्ल–

आज प्रदेश में जो परिवहन व्यवस्था है उसको सुचारु रूप से चलाने के लिये सरकार को दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, आज डग्गामार बसें तमाम बस स्टेशन के पास लगी रहती हैं । सवारियां उसमें भरी जाती हैं । रोडवेज की बसें खाली जाती हैं उस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाये । जिससे परिवहन जो उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम है इसकी व्यवस्था सुदृढ़ हो सके । मैं अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में बताना चाहता हूं । गोण्डा से लेकर धानेपुर, दतौली मार्ग पर एक भी बस नहीं चलती है । गोण्डा से इटिया थोक बाबागंज थाना पर बसें चलती थीं उसको बन्द कर दिया गया है ।

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि इसको चलाने की व्यवस्था कराई जाए । उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम में व्यवस्था बेकार पड़ी है इसको सुदृढ़ करवायें । धन्यवाद ।

* श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, आपने परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभाग के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको बार-बार धन्यवाद देता हूं । हमारे अनुभवी मंत्री जी ने विभाग के सुधार के लिये जन समस्याओं के निस्तारण के लिये, विभाग में होने वाली कठिनाइयों के निवारण के लिये, कार्यशालाओं की मरम्मत आदि के लिये एवं उनके सुचारु रूप से कार्य करने के लिये, निगम को लाभ पहुंचाने के लिये, अपने बजट में प्राविधान किया है । उनके विचारों से उनके भाषण से उनके वक्तव्य से ऐसा लग रहा था जिस प्रकार से बजट में प्रत्येक बिन्दुओं के पीछे जो व्यवस्थायें हैं इससे प्रतीत होता है कि आने वाले समय में विभाग को लाभ होगा । जो पुराने निगम की घाटे की परम्परा है उसको लाभ में बदलने के लिये यह बजट काम करेगा । यद्यपि बजट में संशोधन के तौर पर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गयी है लेकिन कुछ बिन्दुओं पर प्रकाश डालना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं । मान्यवर, कार्यशाला बसों की कड़ी होती है। यदि कार्यशाला की व्यवस्था सुदृढ़ हो, व्यवस्थित हो तो बसों के संचालन में काफी सुविधा हो जायेगी । बसों में होने वाली छोटी-मोटी गड़बड़ियां जिनके कारण बसें रुक जाती हैं उनको अगर तुरन्त ठीक कर दिया जाए तो बाद में परेशानी नहीं होगी । इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । बसों में साल में एक बार फिटनेस का प्राविधान है लेकिन कुछ गड़बड़ियां ऐसी होती हैं जिनको दो-तीन दिन के अन्दर अगर ठीक कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा । हमारे साथी ने अभी डग्गामार बसों की ओर ध्यान आकर्षित किया । यह सही है कि हमारे बस निगम के घाटे में होने का बहुत बड़ा कारण इन डग्गामार बसों का रोल है । जब तक डग्गामार बसें व डग्गामार जीपें चलती रहेंगी दुनिया की कोई ताकत हमारे निगम को फायदे में नहीं पहुंचा सकती है । इस ओर सख्ती से कार्यवाही करने की जरूरत है ।

किसी भी रेंज की बसों में कोई गड़बड़ियां हों, स्टाफ हों, स्टाफ की गड़बड़ियां हों, मण्डल स्तर के विधायकों के सहयोग से एक समिति बनाई जाए । उस समिति को यह अधिकार दिया जाए कि जिस व्यवस्था के द्वारा निगम घाटे में चल रहा हो उसके बारे में वह समिति अपने सुझाव दे । उन सुझावों के तहत कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो । ताकि निगम लाभ में पहुंचाया जा सके । मेरा यह भी निवेदन है कि जो बसें निरन्तर घाटे में चल रही हैं उन बसों को चलाने का कोई औचित्य नहीं है । मैं समझता हूं कि ऐसी बसों को चलाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए । उन रूट में बसें चलाई जाएं जहां लाभ उठा सकें । मेरा अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिससे प्रत्येक विधायक के आवास से बस गुजरनी चाहिए । ताकि बसों के कारण विधायक आवश्यक पड़ने पर शीघ्र लखनऊ आ सकें । इसी तरह से मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो विधायक वृद्ध हैं, विकलांग हैं, वह कई बिन्दुओं पर असुरक्षित भी होते हैं उनको एक सहवर्ती दिये जाने की आवश्यकता है पूर्व विधायकों को सहवर्ती की व्यवस्था नहीं है ।पूर्व विधायकों की कठिनाई को देखते हुए मेरा निवेदन है कि इस तरह की व्यवस्था की जाए कि पूर्व विधायकों को सहवर्ती मिल सके । अन्त में मेरा निवेदन है कि हमारी जो पुरानी टिकट प्रणाली थी उसमें टिकट पर पैसे लिखे रहते थे इस समय जो टिकट बिक रहे हैं उनमें पता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं चलता है कि कितने पैसे की टिकट है इसलिये इस प्रणाली को बदला जाए। साथ ही साथ मेरा यह भी निवेदन है कि इस विभाग में जो अधूरे पद खाली हैं उनको शीघ्रता से भरा जाए।

मेरा निवेदन है कि उनकी भर्ती के साथ जो पदोन्नति के पद खाली पड़े हैं उनको भी शीघ्र भरा जाए। इसी के साथ अन्त में मेरा निवेदन है कि हमारे यहां एक कार्यशाला का उद्घाटन माननीय मंत्री जी 2 तारीख को करने जा रहे हैं मैं चाहता हूं कि उस दिन वह उद्घाटन करने अवश्य जाएं। अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और मैं बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री दल बहादुर कोरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, परिवहन निगम के बजट पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, मैं बजट का समर्थन करते हुए 4-5 सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार दूसरे राज्य की सरकारों ने टिकट में परिवर्तन किया है, जिस प्रकार टिकट पर मूल्य छपा होता है, कि०मी० छपा होता है और परिवहन निगम का निशान बना होता है, उसी तरह माननीय मंत्री जी इस प्रदेश में भी टिकटों में परिवर्तन करें। यह जो टिकट पेंसिल से लिखकर दे दिया जाता है, इसमें बड़ा घपला होता है।

माननीय मंत्री जी भी कहीं न इसके लिये लिये दोषी हों, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, केवल इतना कह रहा हूं कि जैसे दूसरे राज्यों ने व्यवस्था लागू की है, उसी तरह प्रदेश सरकार भी लागू करे। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने यह व्यवस्था लागू की थी। मेरा दूसरा सुझाव है कि बसों में विधायकों के लिये सीट पर लिखा होता है कि जब भी कोई विधायक या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आयेगा तो सीट छोड़नी होगी। मान्यवर, पता नहीं कैसे परिचालकों को भर्ती कर दिया है, जैसे उन्होंने पढ़ा ही नहीं या उन्हें समझाया ही नहीं जाता, घूस लेकर उनको नौकरी पर रख लिया जाता है। होता यह है कि विधायक खड़ा रहता है और परिचालक से जब कहता है तो वह जवाब देता है अरे ही जनता से भिड़िये, वह तो सीट साहब भर गई, इस पर अंकुश लगना चाहिए।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा आजकल बसों में लगेज लादने की प्रथा चल गयी है, मैं पहला व्यक्ति हूं जो आज भी केवल बसों से ही आता जाता हूं और लोगों के पास जीपें होंगी, लेकिन मेरा केवल बसों से ही आना जाना होता है। आज भी जब मैं बस से आया तो सबसे पीछे वाली सीट पर मुझे बैठना पड़ा और कंडक्टर ने विधायक सीट पर बैठे लोगों को उठाया तक नहीं।

एक बात और कहना चाहूंगा। विभाग में चालकों और परिचालकों के लिये एक वर्दी हुआ करती थी, वह नियम में भी है कि चालक और परिचालक ड्यूटी के समय वर्दी पहनें। इसी प्रकार कहीं पर बस रोकने के लिये कंडक्टर को सीटी का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वह भी नहीं हो रहा है, इस ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, मैं अपने रायबरेली जनपद की ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी, एक बार आप रायबरेली जनपद की बसों में बैठकर सफर कर लें, वहां की सारी बसें खस्ताहाल हैं। अभी दो-तीन दिन पहले मैं

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

रायबरेली जा रहा था, बस के टायर में जो रबड़िंग होती है, वह रास्ते में 4 जगह फट गयी और गांव से कुल्हाड़ी मांगकर उसको काटा गया, इस प्रकार रायबरेली पहुंचने में 3-4 घंटे लग गये ।

मान्यवर, इसके पहले जो परिवहन विभाग के माननीय मंत्री जी थे, मैंने अपने सलोन विधान सभा क्षेत्र में सूची चौराहे पर बस रुकवाने के लिये आवेदन किया था, माननीय मंत्री जी ने आदेश भी किया और हमें एक पत्र भी लिखकर दिया, मैंने वह पत्र विभाग को दिया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । मैंने वही पत्र वर्तमान माननीय मंत्री जी को दिया, यह मेरी सभ्यता थी कि मैंने उसे समाचार पत्र में नहीं दिया मीडिया में नहीं दिया वरना विभाग गंधा जाता और मंत्री भी गंधा जाते । मैंने वर्तमान मंत्री जी से भी निवेदन किया लेकिन बसें आज भी वहां नहीं रुकती हैं । मान्यवर, सलोन विधान सभा क्षेत्र से एक बस नसीराबाद जायस होते हुए रायबरेली जाती है और फिर वही बस रायबरेली से जायस नसीराबाद होते हुए सलोन आती है । यह बस बंद कर दी गयी इस बस को पुनः चालू करवाया जाय । हमारे जनपद में बड़ी अव्यवस्था है कोई अधिकारी कोई बात सुनने के लिये तैयार नहीं है । मेरा निवेदन है कि हमारे यहां सूची कस्बे में हर डिपो की बस को रोकने की व्यवस्था करें । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री राजबली यादव–

मान्यवर, मैं परिवहन निगम पर रखे गये बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह अच्छा बजट है, गरीबों के हित का है । गरीब आदमी ही बस से ज्यादा चलता है । जो पैसे वाले लोग हैं उनकी खुद की अपनी गाड़ी होती है और उनको बस से यात्रा कम करनी पड़ती है । माननीय मंत्री जी ने विभाग पर बड़ा ध्यान दिया है उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं । मैं अपने जिले के बारे में कहना चाहता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी एक समय सायकिल से आप इलाहाबाद से गोरखपुर के लिये चले थे । मैं बस से चलता हूं तो आज भी बस में इतनी खटखटाहट शीशे की होती जिसका बयान करना मुश्किल है ।अगर 10-11 बजे पहुंच जायं तो भी नींद में शीशे की खटखटाहट आती रहती है और कहीं दूसरे दिन खटखटाहट खत्म होती है ।

आप नयी बसों की व्यवस्था करने जा रहे हैं इसके लिये धन्यवाद लेकिन पुरानी बसों का क्या होगा उनकी हालत बहुत ही खराब है ? मेरे यहां आजमगढ़ से लखनऊ को चलिये रास्ते में 1-2 बसें निगम की आपको आराम करती हुई दिखायी पड़ेंगी । आजमगढ़ के वर्कशाप के जो कर्मचारी हैं वहां परजब बसों की नीलामी हुई तो वहीं के 2 कर्मचारियों ने इन बसों को खरीद लिया । वर्कशाप से अच्छा सामान निकालकर अपनी बसों में लगा दिया जाता है और उनकी बसें बनारस से गोरखपुर तक सुचारु रूप से चलती हैं लेकिन परिवहन निगम की जो बसें हैं उनमें खराब पुर्जे लगाने से वह बिगड़ जाती हैं और चलती नहीं हैं । इस पर आपको अंकुश लगाना चाहिए । आप इलाहाबाद से गोरखपुर कार से चलिये । आप चेक करिये, देख कर अंदाजा लगाइये कि क्या हालत है ? आप देखिये कि ट्रकों पर कौन जा रहा है ? एक-दो बार आप निकलेंगे, कुछ लोगों को पकड़ेंगे तो आपकी शोहरत होगी और विभाग का काम भी अच्छा होगा । मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं । हमारे यहां मुबारकपुर एक कस्बा है यहां से पूरी दुनिया में साड़ियां जाती हैं, लेकिन यहां पर परिवहन विभाग की कोई सुविधाजनक आवागमन का साधन नहीं है । मेरा आपसे निवेदन है कि एक बस मुबारकपुर से बनारस चला दें और फिर वही बस शाम को लौट जाय । अगर रास्ता कम पड़ता है तो दोहरी घाट से चलवा दें । अगर बस रात्रि में पहुंचती है तो उसमें पुलिस वालों को रख दें जिससे उसकी सुरक्षा रहे और दिक्कत कम हो जायेगी ।

मान्यवर, आजमगढ़ शहर भी है और देहात भी है वहां की बस बन्द कर दी गयी है मेरा सुझाव है कि मझारी से एक बस चला दें या कोइनहा से बस चला दें। बीच में रास्ता अछूता रह जाता है। इसलिये आजमगढ़ से सोफीपुर-अहरौला-अम्बारी होते हुए शाहगंज और सुल्तानपुर होते हुए सीधे लखनऊ चला दें इससे इस क्षेत्र की गरीब जनता को आवागमन में बड़ी सुविधा होगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का पूर्ण समर्थन करता हूं।

* श्री राज कुमार शिवहरे–

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, मैं परिवहन मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि बांदा में 418 किलोमीटर की दूरी एक छोर से दूसरे छोर तक है और क्षेत्रीय प्रबन्धक झांसी में बैठते हैं। यहां के लोगों को झांसी जाना पड़ता है। बांदा सेन्टर में पड़ता है तो वहां पर क्षेत्रीय कार्यालय खोला जा सकता है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बांदा में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलें। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि चित्रकूट और बबेरू में डिपो खोले जाने की पूरी औपचारिकताएं हो चुकी हैं लेकिन फिर भी आज तक चित्रकूट के डिपो का शिलान्यास कराकर काम प्रारम्भ नहीं किया गया। मेरा निवेदन है कि चित्रकूट और बबेरू के डिपो बनाये जायें मान्यवर, बांदा से मध्य प्रदेश की सीमा लगी हुई है। चित्रकूट अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र है मेरा निवेदन है कि बांदा से मैहर तक डायरेक्ट बस चलाई जाय। मान्यवर, एक बांदा से गोरखपुर बस चलती थी वह मुनाफे में थी लेकिन उसे बन्द कर दिया गया मैंने इस संबंध में प्रश्न भी किया था बन्द करने का कारण यह था कि चालक और परिचालक रिश्वत नहीं दे रहे थे। अब वह चालू की गयी है।

मान्यवर, मैं परिवहन निगम की चेकिंग प्रणाली के बारे में कहना चाहता हूं। जो अधिकारी बसों की चेकिंग के लिये जाते हैं उनको मजिस्टीरियल पावर दे दी जायें तो भ्रष्टाचार काफी हद तक समाप्त हो सकता है और जो अधिकारी सुविधा शुल्क लेकर भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारियों को छोड़ देते हैं उससे छुटकारा मिलेगा। मान्यवर, मैं एक और बात कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं। जो प्राइवेट बसें होती हैं वह भरकर चलती हैं लेकिन जो परिवहन विभाग की बसें होती हैं वह खाली जाती हैं इसका कारण यह है कि जो सुविधाएं प्राइवेट बसों में हैं वह परिवहन निगम की बसों में नहीं हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

(समय 6 बजकर 20 मिनट)

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और समर्थन भी करता हूं। मान्यवर, अभी हमारे एक साथी श्री दल बहादुर ने एक शिकायत किया बजट में बोलते हुए कि उन्हें बस में जगह नहीं मिली और उन्हें पीछे बैठना पड़ा। मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसके लिये कड़ाई से निर्देश जारी करें ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मेरा पहला सुझाव यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़े लिखे लोग जो शहरों में पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं और वहीं घर बनाकर रहने लगते हैं इसलिये मेरा अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बसें चलाई जायं तो शहरों में काम करने वाले गांव में रोज आ जाया करेंगे इससे गांव के लोगों का पलायन शहरों में नहीं होगा। दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि परिवहन निगम की बसों से टैम्पों या टैक्सियों से जो एक्सीडेन्ट होते हैं उनके मृतकों के परिवारजनों और घायलों को पर्याप्त मात्रा में धनराशि दी जानी चाहिए मृतक आश्रितों को तत्काल नौकरियों की व्यवस्था की जाये। मान्यवर, जो आपका जल परिवहन है, हमारी इच्छा है कि जल परिवहन का निदेशालय प्रदेश में स्थापित किया जाये और इलाहाबाद से मथुरा व इलाहाबाद से कानपुर गंगा जमुना नदी में जल परिवहन की व्यवस्था की जाये मैं अपने क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, हमारे यहां जनपद प्रतापगढ़ के वीरापुर विधान सभा क्षेत्र में अति प्राचीन धार्मिक स्थल बाबावेल्खर नाथ धाम, माता बाराही देवी धाम व शहीद स्थल कहलाता है जहां किसानों ने आजादी की लड़ाई में कुर्बानियां दी थी मैं इन तीनों स्थानों से एक-एक बस चलने की मांग करता हूं। मान्यवर, वीरापुर विधान सभा क्षेत्र का दमदम क्षेत्र अति पिछड़ा है वहां से भी एक बस जनपद मुख्यालय के लिये चलाई जाये तथा मेरे विधान सभा क्षेत्र वीरापुर में रानीगंज बाजार की परिवहन निगम द्वारा एक बुकिंग आफिस खोला जाये मान्यवर, दो-तीन सुझाव देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। मान्यवर, ग्रामीण पत्रकारों को बस सुविधा हेतु पास दिये जायें। दूसरा सुझाव है कि ध्वनि वायु आदि के प्रदूषण का नियंत्रण हेतु तकनीकी एक्सपर्ट की राय लेकर प्रदूषण को नियंत्रित किया जाये ताकि इससे होने वाली बीमारियों पर रोक लग सके। तीसरी मांग यह है कि डग्गामार बसों को रोकने के लिये कड़े निर्देश दिये जायें ताकि राजस्व की वसूली अधिक से अधिक हो सके और जनता को भी लाभ मिल सके। अन्त में वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ लाइनों की ओर आकृष्ट कराते हुए वर्तमान कार्य व्यवस्था की तरफ संकेत देना चाहता हूं :--

"गरीबो की आहों को, विधवा की बांहों को,
और तो और मैंने खुदाओं को भी बिकते देखा है।
देखा है लुटती हुई गरीबों की नगी तस्वीरें,
और तो और मैंने जनता के अगुवाओं को भी बिकते देखा है॥"

श्री आनन्द यादव--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं परिवहन विभाग पर रखे गये बजट का सम्मान करता हूं और स्वागत करता हूं और साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जनपद देवरिया की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र के सलेमपुर क्षेत्र से जहां से मैं विधायक चुना गया हूं वहां कुछ एक बस जैसे खुखुन्दू से देवरिया चलती थी वह कुछ दिनों से बन्द कर दी गयी है। देवरिया से मौझौली फुलवरिया होते हुए बिहार बार्डर सोहनपुर तक चलती थी बन्द कर दी गयी है। साथ ही देवरिया, गोरखपुर, देवरिया होते हुए लार होते हुए बिहार तक चलती थी वह चल तो रही है लेकिन उसका लार में स्टापेज होने के बावजूद वह रुक नहीं रही है। मैं कहना चाहता हूं कि लार में उसका स्टापेज होना चाहिए और वह बस रुके। इसके पहले गठबंधन की सरकार में माननीय परिवहन मंत्री श्री आर० के० चौधरी जी थे उनके समक्ष भी मैंने लिखित रूप में अपने पिछड़े क्षेत्र सलेमपुर के विषय में लिखकर दिया था और

उन्होंने आदेश किया कुछ कार्यवाही हुई । हमारे क्षेत्र में खासतौर से खुखुन्दू, देहरी, भरथुवा, सलेमपुर, नवलपुर यह जो लोकल बसें हैं, रुकती नहीं हैं, न ही एक्सप्रेस रुकती हैं । लोकल बसों को रुकना चाहिए ।

मेरी बातों पर अमल किया जाय ताकि बसें वहां रुकें । जो बजट माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

*श्री माया शंकर पाठक–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । माननीय परिवहन मंत्री जी ने बहुत ही सुन्दर बजट प्रस्तुत किया है । बजट में जो प्राविधान उन्होंने दिये हैं वह वाकई कल्याणकारी हैं इसलिये माननीय परिवहन मंत्री जी बधाई के पात्र हैं ।

मान्यवर, परिवहन निगम की बसें कमजोर की बीवी की तरह होती हैं । छात्रों का विवाद हुआ, निगम की बसें फूंक डाली, जिले में तनाव हुआ, बस फूंक डाली । अपनी बीवी से झगड़ा कर सड़क पर आते हैं परिवहन निगम की बस गुजरती है तो एक ढेला मार देते हैं । माननीय मंत्री जी इसका आंकलन करेंगे और देखेंगे कि साल में इस प्रकार करोड़ों रु० की निगम की क्षति होती है और उस क्षति की प्रतिपूर्ति जनता के टैक्स के द्वारा ही होती है ।

मान्यवर, अभी नजदीकी की ही बात है, मैं आजमगढ़ से माननीय अध्यक्ष से मिलकर आ रहा था, बस का कंडक्टर पीछे से सीटी बजा रहा था, ड्राइवर ने पूछा कि कोई खास बात हो गयी जो बार-बार सीटी बजा रहे हैं, वह बोला कि पीछे बैलगाड़ी आ रही तो उसको रास्ता दिया जाय । यह बसों की हालत है । परिवहन निगम घाटे में क्यों चल रहा है । डग्गामार बसें जो बिना परमिट के मसल्स पावर के बल पर चलती हैं, थानों द्वारा पुलिस द्वारा परिवहन निगम के द्वारा मिलजुल कर रिश्वत लेकर, उनका रजिस्टर मेंटेन होता है, उनके द्वारा बसें चलायी जाती हैं, जिससे निगम को घाटा होता है । मैं बधाई दूंगा परिवहन मंत्री जी को इस सम्बन्ध में, जो अच्छी बातें हैं वह कहनी चाहिए । मैं बनारस की बात कहता हूं । परिवहन मंत्री जी के प्रयास से विगत आठ दिनों के अन्दर प्रतिदिन पांच लाख रुपये के ऊपर की आय केवल वाराणसी डिपो से परिवहन विभाग को गयी है और यह सब माननीय परिवहन मंत्री जी की कड़ाई का परिणाम है । आज वहां पर डग्गामार बसें नहीं चल रही हैं वह सब बन्द पड़ी हुई हैं । एक विनम्र निवेदन में यह करना चाहूंगा कि वे बसें जो वैधानिक परमिट के साथ चल रही हैं और जो पचास-पचास सालों से परमिट लेकर चल रहे हैं उन बसों के लिये निश्चित स्थान मुहैया करायें जिससे यातायात अवरुद्ध न हो ।

आज बनारस से दस किमी० की दूरी पर बसें रुक रही हैं और वहां से सिर पर अटैची रखकर जब पथिक चलता है तो वह माननीय मुख्य मंत्री जी को गाली देता है और हमें भी बुरा भला कहता है क्योंकि हम लोग भी सहयोगी दल हैं । मान्यवर, वहां पर एक जगह सुनिश्चित की जाये । माननीय मंत्री जी से मेरी बात भी हुई थी और उन्होंने यह आश्वासन भी दिया था कि मैं उस जगह को खुद चलकर

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देखूंगा वह जगह जी० टी० रोड पर है वहां पर बस स्टैण्ड की व्यवस्था हो जाये तो ठीक रहेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

(श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह बोलने का अवसर न दिये जाने के विरोध में सदन त्याग कर चले गये)

* श्री धाम्रूराम भास्कर–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया ।

परिवहन विभाग के बजट पर समर्थन देते हुए आपके माध्यम से अपने क्षेत्र जहांगीरगंज की समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । मान्यवर, तीन बसें हमारे क्षेत्र में चलायी जाती हैं जो जर्जर हो गयी हैं और रास्ते में ही कभी दिन में और कभी रात में बिगड़ जाती हैं जिससे लोगों को एक समस्या बन जाती है । मान्यवर, चौहराघाट से फैजाबाद को भी एक बस चलती है उसकी भी यही स्थिति है वह बिगड़ जाती है और कभी-कभी तो ड्राईवर आते ही नहीं हैं जिससे यात्रियों के लिये समस्या बन जाती है जिससे जो यात्री फैजाबाद में मुकदमा देखने के लिये जाते हैं वह इससे वंचित रह जाते हैं । मान्यवर, मैं आपसे मांग करता हूं कि चौहराघाट से फैजाबाद के लिए नियमित रूप से बस चलायी जाये और यह भी मांग करता हूं कि तीन नयी बसें दी जायें । इसके अतिरिक्त मान्यवर, जहांगीरगंज से लखनऊ के लिये कोई बस नहीं है । मैं मांग करता हूं कि यहां के लिये एक डाइरेक्ट बस चलायी जाये । इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री गोपाल काली–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे परिवहन विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । परिवहन विभाग का जो माननीय मंत्री जी ने बजट पेश किया है वह प्रशंसनीय है लेकिन माननीय अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बात दुःख के साथ कहना चाहता हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र के कस्बा मवाना में पिछले वर्ष एक रोडवेज डिपो बनना प्रस्तावित था जबकि उस मवाना क्षेत्र से पांडी गढ़वाल और गढ़वाल से दिल्ली के लिये प्रतिदिन दो सौ बसें गुजरती हैं और एक-दो बस को छोड़कर शेष बसें मवाना में नहीं रुकती हैं ।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो उन्होंने परिवहन बजट पेश किया है उसमें मवाना नगर में रोडवेज डिपो अवश्य बनायें । एक और आग्रह आपके माध्यम से करना चाहता हूं (इस समय 6 बजकर 37 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) मवाना नगर से हरिद्वार के लिये सीधे रोडवेज की दो गाड़ियां उपलब्ध थी, इसी तरह से हस्तिनापुर से अम्बाला तक के लिये रोडवेज की कई बसेंचलती थी । लेकिन उन सारी बसों को पिछले दिनों रोक दिया गया है और अब इन स्थानों से जिनका उल्लेख किया गया है, एक भी बस नहीं चलती है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मवाना कस्बे में जो रोडवेज का डिपो बनना प्रस्तावित था, उसको प्राथमिकता के आधार पर बनवाया जाये ।

* श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, आपने परिवहन बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद । मैं माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मेरे कर्वी क्षेत्र में चित्रकूट डिपो की स्थापना प्रस्तावित है, उसके लिये यहां से पैसा भी मंजूर है लेकिन जमीन में कुछ बाधा आ रही है, जिसके कारण वह काफी दिनों से लम्बित है, अतः शीघ्र ही जमीन का अधिग्रहण कराकर उस डिपो की स्थापना की जाये । मान्यवर, चित्रकूट धार्मिक स्थल है, देश का प्रमुख स्थान है,

---

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने "फ्री जोन" घोषित किया था। वहां पर एक चेक पोस्ट था, उसको हम लोगों ने लिखा पढ़ी करके खत्म कराया लेकिन आज भी परिवहन विभाग के लोग गाड़ी लेकर डटे रहते हैं और जो यात्री बस लेकर आते हैं, उनसे पांच सौ या एक हजार रुपया प्रति बस के हिसाब से वसूल करते हैं, उनको रोका जाना चाहिए। चित्रकूट में ही उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के द्वारा संयुक्त रूप से अन्तर्राज्यीय बस डिपो का शिलान्यास माननीय कल्याण सिंह जी और श्री सुन्दर लाल पटवा जी के द्वारा किया गया था, भूमि भी समतल हो गयी थी, लेकिन अन्तर्राज्यीय डिपो का निर्माण नहीं हुआ, उसके लिये पैसा मंजूर कराकर उसको शुरू कराया जाना चाहिए। मान्यवर, जो मैंने अनुरोध किया है आशा है माननीय मंत्री जी उस पर ध्यान देंगे। इसके साथ ही जब माननीय मंत्री जी अपना उत्तर भाषण देंगे तो पूर्व विधायकों को एक सहवर्ती के साथ परिवहन निगम की बसों में चलने की सुविधा प्रदान करने की घोषणा करेंगे ऐसी आशा करता हूं। मेरे क्षेत्र में एक बस बांदा से चलकर बबेरू–इलाहाबाद जाती थी और उसका तुलसी मेल नाम था, जो नहीं चल रही है। मैं अनुरोध करूंगा कि बांदा से बबेरू–इलाहाबाद, कमासिन और राजापुर होते हुए इलाहाबाद तक पुनः बस चलायी जाये। मान्यवर, जिस प्रकार रेलवे में समय सारिणी होती है परन्तु बसों में इस प्रकार की समय सारिणी नहीं होती है, जिससे लोगों को दिक्कत होती है, इसलिये बसों की भी समय सारिणी होनी चाहिए ताकि लोगों को असुविधा न हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जयपाल सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बजट का समर्थन करते हुए कुछ बिन्दुओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। घाटे की जड़ भ्रष्टाचार है इसलिये घाटे पर अंकुश लगाने के लिये अपने-अपने जिलों में विधायकों की विभाग की एक समिति में सुझाव देने हेतु नामित किया जाय। कभी-कभी हम जाते हैं तो देखने में आता है कि विभाग के कर्मचारियों पर कोई अंकुश शासन का नहीं होता है कभी-कभी तो प्रोटोकाल के अनुरूप कार्य नहीं होता है। इसलिये हर जिले में आप एक समिति बना दें जिसमें विधायकगण अपने सुझाव दे सकें। खरखौदा क्षेत्र, जो कि एक विकसित व राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र है, वहां पर बसों की ठीक व्यवस्था नहीं है। आपके जो लोकल अधिकारी होते हैं, यदि कभी उनको हम सुझाव देते हैं तो वह उसके अनुरूप कार्य नहीं करते हैं। जो रूट्स हम बताते हैं, यदि उन पर वह अपनी बसें नहीं चला सकते हैं तो प्राइवेट बसों को चलने की इजाजत उन रूट्स पर दी जानी चाहिए।

हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायकगण जब अपने-अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो हापुड़ में उतरते हैं। पहले जब हम लखनऊ मेल से जाते थे तो हापुड़ स्टेशन पर रोडवेज की बस मिलती थी, जिस पर मुजफ्फरनगर तक की सवारियां तथा विधायक आराम से जाते थे, परन्तु अब वह बस संगम की सवारी लेकर पहले ही चली जाती है, जिससे मुजफ्फरनगर आदि जगहों पर जाने वाले यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है। इसलिये अनुरोध है कि यह बस तब तक रुकी रहे जब तक लखनऊ मेल हापुड़ न पहुंच जाय ताकि मुजफ्फरनगर आदि अन्य जगहों को जाने वाले लोगों को दिक्कत न हो। दूसरा, यह भी है जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो जनता बस चलाने की मांग करती है। बसें न चलने से परेशानी हो रही है इसलिये क्षेत्र के कुछ रूट्स को खोल दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बजट भाषण को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी बहुत सुलझे हुए हैं,वे मेरे द्वारा रखे गये सुझावों पर अमल अवश्य करेंगे।

* श्री राम प्रकाश–

मान्यवर, आपने मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद । कुछ सुझाव देना चाहता हूं । जितनी भी बसें चलती हैं वे अनावश्यक रूप से ढाबों पर रुक कर सवारियों को परेशान करते हैं । इसलिये इसे बंद किया जाय । दूसरा, विधायक सीट पर पहले से ही जनता बैठी रहती है और जब विधायक जाता है तो ड्राइवर व कंडक्टर उसे हटाते नहीं हैं इसलिये मेरा अनुरोध है कि जब तक बस न चलने लगे तब तक किसी आदमी को वहां पर न बैठने दिया जाय । मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र खलीलाबाद (बस्ती) के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर हैण्डलूम का बाजार है जहां पर कलकत्ता तक के लोग आते हैं । गोरखपुर से जो बस चलती है उसमें बहुत भीड़ हो जाती है खलीलाबाद में बैठने की जगह नहीं मिलती है इसलिये मांग है कि सुबह एक बस 5 बजे और शाम को दूसरी बस 11 बजे वहां से चले और लखनऊ कानपुर तक चली जाय । इससे जनता को बहुत लाभ होगा ।

इसके अलावा एक मिनी बस, या सिटी बस मुख्यालय से बावत नगर होते हुए सिमरावां कस्बे तक जाए जिसमें स्कूली बच्चों को सुविधा मिले, तीसरी बस सेमरियावां टीमर रहमत तथा डारीडीहा होते हुए खलीलाबाद और गोरखपुर तक जाए । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री राम सजीवन निर्मल–

मान्यवर, आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं । मैं इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । बस स्टाप पर शौचालय बने हैं लेकिन उनकी व्यवस्था बहुत ही दयनीय है शौचालयों को दूर से देखा तो जा सकता है लेकिन उपयोग नहीं किया जा सकता । इसलिये इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाए ।

इसी तरह से मैं अपने क्षेत्र के संबंध में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत करना चाहता हूं कि नैनी बस स्टाप इलाहाबाद, फतेहपुर के बीच में सबसे बड़ा बस स्टाप है वहां पर शौचालय की व्यवस्था बहुत खराब है इसमें गन्दगी इतनी है कि उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बस स्टाप पर प्राइवेट बस, टैम्पो, जीप आदि गाड़ियां इस तरह से खड़ी कर दी जाती हैं कि बस स्टाप का पता ही नहीं चलता है । मैं मांग करता हूं कि इस दुर्व्यवस्था को हटाया जाए इसी के साथ हमारे विधान सभा क्षेत्र में अजुवा टाउन एरिया जहां पर पहले बस रुकती थी, अब नहीं रुकती माननीय चौधरी साहब वहां गये थे तो वह एक बस वहां पर देकर आये थे जो लेहदरी से इलाहाबाद चलती थी । उसे फिर से चलाया जाए । इसी प्रकार महेवाघाट से भरकारी जो बस चलती है उसे चकमारा, सिरथू, सैनी होते हुए इलाहबाद तक चलाया जाए ।

*श्री लक्ष्मी चन्द्र–

मान्यवर, आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं बजट का समर्थन करते हुए अपने क्षेत्र की कुछ समस्यायें रखना चाहता हूं । मेरा विधान सभा क्षेत्र जेवर बहुत पिछड़ा हुआ है इसमें परिवहन निगम की कोई गाड़ी नहीं चलती है । सारे क्षेत्र में मात्र डेढ़ सड़क है यह क्षेत्र बहुत लम्बा चौड़ा है । जेवर से लेकर खुर्जे तक 32 कि०मी० का अन्तर है और इस 32 कि०मी० के अन्तर को पार करने के लिये कम से कम 2 घंटे प्राइवेट बसों में लगते हैं । बस में इतनी भीड़ रहती है कि सवारियां बस के ऊपर तक बैठी रहती हैं । उनके साथ दुर्व्यवहार होता है इसी तरह की रघुपुरा से

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बुलन्दशहर तक की स्थिति है । इसलिये मेरा निवेदन है कि उपरोक्त दोनों जगह पर बस चलवाई जाय । ताकि बुलन्दशहर से स्याना, खानपुर, दौलतपुर और बुगरासा तक जो बसें चला करती थी वह बसें बहुत अनियमित हो गयी हैं । रोडवेज के अधिकारी प्राइवेट बस वालों से तालमेल करके उन्हें अनियमित रूप से चलवा रहे हैं । यह बसें कभी 3-4 दिन में एक चक्कर लगाती हैं और कभी हफ्तों निकल जाते हैं यह नहीं चलती हैं । इसलिये बुलन्दशहर का ध्यान रखते हुए बसों को नियमित रूप से चलवाया जाय ।

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

मान्यवर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बोलने का अवसर दिया । मैं बजट की प्रशंसा इसलिये करता हूं कि यह मजेदार और असरदार के साथ-साथ खबरदार भी है । मैं मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि सारे महत्वपूर्ण विचार आ गये हैं । सबसे पहले, बसों में चलने के लिये विकलांगों को सुविधा है लेकिन इसका इतना जटिल कानून और प्रक्रिया है कि गांव के मजदूर और किसान विकलांग लोग जब चलते हैं तो वह आरक्षण नहीं प्राप्त कर पाते हैं इसलिये मैं चाहूंगा कि इस प्रक्रिया को सरल करने का प्रयास किया जाय । दूसरी समस्या यह है कि विकलांगों को लाइसेन्स प्रक्रिया में मदद दी जाय ।

विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में चौगारा रोड पर वहां पर बांदा से जो बसें आती हैं वह चौगारा में नहीं रुकती हैं वह वहां भी रुकनी चाहिए । मंत्री जी ने मलुवा में मल और डीलेक्स बस चलाने का जो आदेश दिया है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं ।

श्री राजबली जैसल–

मान्यवर, आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया उसके लिये आभारी हूं । साथ ही माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करते हुए उनका ध्यान अपनी क्षेत्रीय समस्याओं की ओर ले जाना चाहता हूं । आज वहां जो भी बसें चल रही हैं, उनकी हालत बहुत नाजुक हो गयी है । निगम जो इतने घाटे पर चल रहा है उसका कुछ कारण है आज जो बस स्टैण्ड हैं वहां पर प्राइवेट बसें बराबर खड़ी रहती हैं । वहां जब रोडवेज की बसें आती हैं तो वह खड़े होने की जगह नहीं पाती हैं और वह आगे जाकर खड़ी होती हैं । रोडवेज के कर्मचारी किसी न किसी बहाने या रुपये लेकर प्राइवेट बसों में सवारियां भर देते हैं । मंत्री जी को इसमें सुधार करना पड़ेगा । इलाहाबाद और मिर्जापुर के मध्य में जो मेजो रोड बस स्टैण्ड है वहां पर बस स्टैण्ड के लिये जगह नहीं है । उसका निर्माण कार्य नहीं हुआ है । तत्काल बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य कराया जाय। हमारे क्षेत्र में 7-8 बसें चल रही थीं, अब वह भी चलनी बन्द हो गयी हैं । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र भारतगंज करवे से कानपुर तक बस चलाई जाय जिससे आवागमन की सुविधा हो सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं तथा बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री राजाराम त्यागी–

मान्यवर, आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके अन्तर्गत मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । 1.93 करोड़ रुपये का नकद लाभ परिवहन मंत्री जी ने दिया है और कुछ जनता की सुविधाओं के लिये इस बजट में प्राविधान किया है । इस वित्तीय वर्ष में 46 सुलभ शौचालय बस स्टेशन के पास बनाये जाने का प्राविधान है । इसी तरह से इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प भी बस स्टेशन पर लगवाये जाने का प्राविधान है क्योंकि बस स्टेशन

पर पेयजल की गम्भीर समस्या होती है। इसके लिये मंत्री जी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। कुछ सुझाव मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं।

परिवहन निगम इससे पूर्व घाटे में होता था, उसका कारण यह होता था कि प्राइवेट बसें चलती हैं। हमारे रायबरेली जनपद में बस स्टेशन के अन्दर ही यह प्राइवेट बसें खड़ी होती हैं और वहीं से सवारी भरती हैं। आर० ए० एम० और उच्च अधिकारी तक निश्चित रकम बंधी है इसलिये उनके डिपो घाटे में चल रही है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री राजा राम त्यागी–

मान्यवर, हमारे महराजगंज से लखनऊ आने के लिये कोई सुविधा नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि लखनऊ डिपो से महाराजगंज, बछरावां होते हुए रायबरेली के लिये एक बस चला दी जाय। इस बारे में मैंने लिखा भी था और मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था परन्तु विभाग से इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस पर माननीय मंत्री जी का ध्यान पुनः आकर्षित करते हुए बजट का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही–

मान्यवर, आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आभार प्रकट करता हूं। जिन परिस्थितियों में प्रदेश का यह परिवहन विभाग का बजट रखा गया है, इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता। मैं अपने क्षेत्र की मुख्य समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मुरादाबाद, दिल्ली मार्ग पर गढ़मुक्तेश्वर और हापुड़ के बीच 20/25 होटल पड़ते हैं। रोडवेज बसों के ड्राइवर और कन्डक्टर वहां पर बस रोकते हैं। जहां स्टापेज है, वहां नहीं रोकते हैं। इसके लिये आप स्पष्ट निर्देश दें कि जहां पर स्टापेज हैं बसें वहीं रोकी जायं। गढ़–ब्रजघाट पर 80 बीघा जमीन पड़ी है, वहां अगर एक परिवहन स्टापेज स्टेशन बना दिया जाय तो जितना पैसा आपका लगेगा, एक साल में होटलों से वसूल हो जायेगा। दो कमरे बनाकर परमानेंट स्टापेज बना दें।

गढ़मुक्तेश्वर, मेरठ, बहादुरगढ़ में 82-83 में 6 परमिट थे। 82-83 में एक परमिट 12 लाख का बिका था उसके बाद परिवहन निगम की बस आ गयी। आज धीरे-धीरे एक भी बस नहीं चल रही है। पूरे क्षेत्र की जनता को परेशानी हो रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि गाजियाबाद हापुड़, बहादुरगढ़ में निगम का रूट है वहां बस चालू करें या प्राइवेट बस चालकों को परमिट दें। इसी के साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो जीप मेरठ से गढ़ चलती हैं उनके पास परमिट नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही–

न नियम से चलते हैं। पिछले वर्ष आठ आदमी दूर्घटना में मारे गये थे उनको एक पैसा भी मुआवजा नहीं दिया गया क्योंकि जीप वाले के पास परमिट नहीं था। उन्हें मुआवजा दिलाया जाये।

* डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा जो अबाध गति से धारा प्रवाह बजट प्रस्तुत किया गया है उसके लिये वह न केवल बधाई के पात्र हैं बल्कि यह उनकी नयी प्रेरणा का विषय बनेगा । मैं उसी विषय में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में 169 नयी बसे दी गयी हैं मैं उनके लिये माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । पिछली सरकार के पापों को उन्हें धोना पड़ेगा, तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । इसके बावजूद रास्ता निकालकर बजट प्रस्तुत किया गया है वह नये कीर्तिमान स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा । पर्वतीय क्षेत्र में पुरानी बसें हैं हार्न की जरूरत नहीं है वह कहां खड़ी हो जाएं कुछ पता नहीं चलता है । जो पुरानी बसें हैं वह पर्वतीय क्षेत्र में दुर्घटना का विषय बनती हैं । उनको मैदानी क्षेत्र में या कहीं और करवा दिया जाए । मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है तमाम यात्री जाती हैं स्टाफ कम है उसका परिणाम यह होता है कि तमाम दुर्घटनायें हो रही हैं । कोटद्वार में जी० एम० ओ० कम्पनी है जिसके अन्तर्गत हजारों बसें हैं यहां एशिया की सबसे बड़ी बस कम्पनी है । आश्चर्य है कि वहां आर० ई० तक नहीं है । मेरी मांग है कि यहां पर अपर परिवहन आयुक्त का कार्यालय होना चाहिए । उप परिवहन आयुक्त का कार्यालय पौड़ी में है लेकिन उप परिवहन आयुक्त अभी तक पौड़ी में नहीं बैठते हैं तत्काल उन्हें पौड़ी में बिठाने के आदेश दिये जाएं ।

मान्यवर, आर० टी० ओ० भी पौड़ी में नहीं बैठते हैं जबकि उनका मुख्यालय भी पौड़ी में है स्टाफ की इसी कमी का परिणाम है कि अभी हाल में कर्णप्रयाग के निकट एक यात्री बस की दुर्घटना हुई जिसमे 24 लोगों की मृत्यु हो गई वह सबके संज्ञान में है । मान्यवर, मण्डल स्तर पर कोई कमेटी नहीं मंडल स्तर पर कमेटी होनी चाहिए । परिवहन निगम में जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने की आवश्यकता है। मंडल स्तर की कमेटी में उस क्षेत्र के विधायक प्रशासनिक अधिकारी हों ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके और लगातार समीक्षा हो सके । मान्यवर, श्रीनगर में कोई डिपो नहीं है वहां डिपो की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

गैरसैण व थलीसैण बैजरो में डिपो खुलवाया जाए गढ़वाल कुमायूं का मध्यस्थ केन्द्र गैरसैण है तो लखनऊ से गैरसैण तथा दिल्ली से गैरसैण बस चलाई जाए ।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें ।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं तथा आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अमित अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के संबंध में आपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, परिवहन विभाग का ध्यान जो व्यवस्था बेकार पड़ी है उस ओर नहीं है । मेरठ में बस अड्डा है । वह ट्रैफिक में तंग जगह में आ गया है उसका स्थानान्तरण किया जाए या किसी अलग जगह बनवाया जाए । स्थानान्तरण के लिये बागपत और बढ़ौत बस स्टेशन को पैसा मिल चुका है लेकिन उसका स्थानान्तरण नहीं किया गया है । सरकारी रोडवेज के बस अड्डे भीड़ भाड़ में आ गया है । दूसरा सुझाव मेरा नगरीय परिवहन व्यवस्था के लिये है, नगर बहुत बढ़े हो हो चुके हैं । एन० सी० आर० में मेरठ है दिल्ली से दूरी कम करने के लिये द्रुत गति से बस चलाने की व्यवस्था की जाए ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मैं कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, कुछ मेरे भी सुझाव सुन लें । मान्यवर, मैं परिवहन मंत्री को कुछ सुझाव देना चाहता हूं और चाहता हूं कि वह इनको नोट कर लें । जनपद बुलन्दशहर में धनकोर, गुलावटी, सानी पर 24 परमिट हैं जिनमें से एक भी बस नहीं चल रही है । दो-तीन बसें हैं उन पर ऊपर तक सवारी बैठती है जिसके कारण अभी कई लोग मर गये हैं । तो मैं चाहता हूं कि 24 में से कम से कम 10–15 बसें तो चलवा ही दें ।

श्री शिवदानी–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया । इस बजट पुस्तिका में कहा गया है कि प्रत्येक स्टेशन पर अच्छी व्यवस्था है । मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । यह जो प्रत्येक स्टेशन पर अंकित किया गया है । इनमें कौन-कौन से कार्य हुए हैं । इसमें लिखा है कि प्रत्येक स्टेशन पर सुलभ शौचालय की व्यवस्था अच्छी है । मैं कल रात्रि में 10.00 बजे इलाहाबाद से आ रहा था । वहां इतनी गन्दगी व्याप्त है कि लघुशंका नहीं जाया जा सकता है । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में 6-7 सब स्टेशन बताये गये हैं । सैनी, मंझनपुर, लीडर रोड, महेवा आदि किन्तु कहीं पर सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

* श्री भगेलूराम–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट से अपने को सम्बद्ध करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र कादीपुर में तहसील मुख्यालय पर बस स्टेशन है। उस संबंध में पूर्व मंत्री को भी लिखा है कि उसका डिपो बनवाया जाये किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमारे विधान सभा तहसील मुख्यालय कादीपुर से किसी भी तरफ से जाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर दक्खिन लेकिन रेलवे स्टेशन 30–35 कि०मी० तक नहीं है। बस ही एक मात्र साधन है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वह यहां पर घोषणा करें कि कादीपुर तहसील मुख्यालय में बस स्टेशन को डिपो में परिवर्तित कर दिया जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मैं आपकी अनुमति से कुछ सुझाव देना चाहता हूं। परिवहन विभाग जो राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसमें परमिट जारी करने के बारे में मेरा अनुरोध है कि वर्तमान व्यवस्था पर मंत्री जी पुनर्विचार कर लें। उसको सरल करने की व्यवस्था करें। यदि किसी मोटर मालिक के पास मोटर है और अगर वह दरखास्त देता है कि मेरे पास मोटर है वह तीन-चार रूट के नाम भी देता है कि इस पर वह चलाना चाहता है तो आपको उसको अनुज्ञा दे देनी चाहिए। इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, साथ ही आर० टी० ओ० की बैठक में जिसको नामित करना हो, नामित करें। मान्यवर, विभाग में हर मामले में लाइसेन्स की कोर्ट फीस लगती है, कोर्ट फीस न लेकर परमिट की जो फीस है, जिसमें टिकट लगते हैं, टिकट न लगाकर रसीद कटवाकर पैसा जमा करा लें, ताकि सुविधा हो। मान्यवर, जहां तक दलालों का मामला है, इसके संबंध में सुझाव दूंगा कि जिस प्रकार कचेहरी और तहसील में अर्जीनवीस बैठते हैं, उनको लाइसेंस आप देते हैं, और लाइसेंस की फीस जमा होती है, उसी प्रकार आर० टी० ओ० आफिस के सामने आप अर्जीनवीसों को बैठायें, उन्हें लाइसेंस दें, ताकि वह लोगों को सुविधा उपलब्ध करा सकें।

मान्यवर, 1988 का जो मोटर वैहिकल्स एक्ट है, इस एक्ट के माध्यम से आपको राजस्व की प्राप्ति होती है, अतः इसका पालन सुनिश्चित करायें। इस संबंध में मैंने आपको भी लिखा था और परिवहन आयुक्त को भी लिखा था। मान्यवर, प्राइवेट मोटर वाले जो पुलिस को टैक्स देते हैं, उनके संबंध में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करायें कि वह आपको टैक्स दें, पुलिस को न दें। मेरा इस संबंध में कहना है कि प्राइवेट बसों में ही ज्यादा गुण्डई होती है, वह टिकट भी कम काटते हैं, आप माननीय मंत्री जी इसको रोकने का काम करें, टैक्स की चोरी न हो, इसके लिये बीच में चेकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिस प्रकार निगम की बसों की चेकिंग होती है।

मान्यवर, परिवहन निगम आम आदमी के जन-जीवन से जुड़ा हुआ निगम है, यह विद्युत के बाद सबसे महत्वपूर्ण निगम है, मेरा इसके संबंध में एक सुझाव है कि आप नगर परिवहन निगम को ज्यादा पैसा उपलब्ध करायें या कहीं से फाइनेंस करायें, ताकि उनके बेड़े में ज्यादा से ज्यादा बसें हों और 5 लाख किमी० से ज्यादा चली बसों को नीलाम करा दें ताकि आपको राजस्व की प्राप्ति भी हो।

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, परिवहन निगम की बसों के घाटे में जाने का एक मुख्य कारण डग्गामार बसें हैं, आपका आर०टी०ओ० असहाय खड़ा देखता रहता है, स्थानीय प्रशासन उसको सहयोग नहीं करता । एक जगह की बात है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं था और उसने ऊपर से 4 जूते मारे और चलता बना । आप आर०टी०ओ० को इस मामले में संरक्षण दें, अगर कोई अच्छा काम करें, तो उसको अवश्य संरक्षण मिलना चाहिये, इसके अलावा थानेदार की जिम्मेदारी फिक्स की जाय, यदि कोई डग्गामार बसें किसी थानेदार के क्षेत्र में पकड़ी जाती हैं तो उसको सजा मिलनी चाहिये ।

मान्यवर, एक और सुझाव देना चाहूंगा जो निगम द्वारा प्राइवेट मोटर मालिकों की बसें जो अनुबंधित की जाती हैं, जिनको आप प्रति किमी० के हिसाब से पैसा देते हैं, उनको आप पैसा मत दें, इससे आपका टाइमटेबिल चलेगा ड्राइवर और कंडक्टर उनको अपना रखने दें, इससे निश्चित रूप से विभाग की आमदनी बढ़ेगी और आपको बसें ज्यादा मिलेंगी । मान्यवर, इसके अलावा जो अलाभकारी रूट हैं, उन पर आप अपनी बसें न चलायें, ऐसे मार्गों पर प्राइवेट वालों को परमिट दें, निश्चित रूप से वह आपको टैक्स देंगे और इससे विभाग को ज्यादा लाभ होगा ।

मान्यवर, मेरा आपसे एक और अनुरोध है । अभी तक आप मात्र 28.4 फीसदी मार्गों पर ही बसें चलाते हैं, 71 फीसदी मार्ग ऐसे हैं, जिन पर मोटरेबिल होने के बाद भी यातायात की व्यवस्था आपको करनी है, आप जल्द से जल्द इस पर सर्वे करायें और बसें चलवाने का काम करें, इससे भी विभाग की आमदनी बढ़ेगी । मान्यवर, मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूं, हर चीज की सलाहकार समितियां हैं, जहां लोग अपने सुझाव देते हैं । मेरा अनुरोध है कि आप निगम के संबंध में भी जिला स्तर पर समितियां बनायें, जिसमें जन प्रतिनिधि हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, और आप उनके सुझाव लेकर उनसे लाभन्वित हों ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं । मान्यवर, एक आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड था, वहां के छटनीशुदा कर्मचारियों में से केवल एक को ही आप नियमित कर पाये । मेरा सुझाव है कि आप इस निगम को जातिवाद से ऊपर कर दें । मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की बार-बार इस घोषणा के बाद कि वह सर्वजन की मुख्य मंत्री हैं ए०टी०एल० के लोगों को आज तक नहीं लिया गया है । ए०टी०एल० के जो छटनी शुदा कर्मचारी हैं वह सर्व समाज से संबंधित हैं वह भी इसी देश के नागरिक हैं । इस प्रदेश में 16 करोड़ लोग रहते हैं उनका भी समान हक है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ए०टी०एल० के इन छंटनीशुदा कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने की कृपा करें । इसके साथ ही मैं यह अनुरोध करूंगा कि मैंने जो कटौती के प्रस्ताव पर सुझाव दिये हैं मैं चाहूंगा कि आप उनको स्वीकार करके उनके अनुसार कार्यवाही करें ।

श्री नन्द लाल पटेल–

मान्यवर, मैंने बहुत ध्यान से और गम्भीरता से माननीय हरेन्द्र सिंह मलिक जी के विचारों को सुना और उनके कटौती के प्रस्ताव पर उनको सुनने के बाद मुझे ऐसा अहसास हुआ कि जब मैं बजट प्रस्तुत कर रहा था तो आप लोग खड़े होकर कह रहे थे कि पढ़ना ठीक नहीं है पढ़ा हुआ मान लिया जाय । अगर मुझे आपने पढ़ने दिया होता तो आपको कटौती के प्रस्ताव को रखने की आवश्यकता न पड़ती । लेकिन मैं माननीय मलिक जी के बाद जिन माननीय सदस्यों ने मेरे बजट पर अपने विचार रखे हैं,

माननीय किरनपाल जी, भाई रमेश पोखरियाल, भाई अमरजीत सिंह जनसेवक, दल बहादुर जी, भाई राजवली यादव, भाई राजबली जैसल, भाई मन्नूलाल कुरील और तमाम साथियों ने जो सुझाव रखें हैं उनको मैंने ध्यान से सुना है और उस पर मैं यह कहना चाहता हूं और सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह की जिम्मेदारी मुझे मिली है । मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन को और पूरे प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि परिवहन विभाग की जितनी खराब हालत थी उतनी बहुजन समाज की नहीं थी । हमने बहुजन समाज की हालत को सुधारने का जिम्मा लिया और बहुजन समाज के लोगों को सुधारने का काम किया है जिससे बहुजन समाज के लोगों की हालत में सुधार हुआ है मैं हरेन्द्र मलिक जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब हम लोग इतने दिनों में बहुजन समाज के लोगों की हालत को सुधार सकते हैं तो परिवहन निगम को सुधारने में हमें बहुत देर नहीं लगेगी । परिवहन विभाग को मात्र 3 महीने में इस निगम को 12 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है और कर की वसूली में 22 करोड़ रुपये की वसूली हुयी है । इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निगम को ठीक करने के लिये हमारा प्रयास जारी है । मा० त्रिपाठी जी बोल रहे थे, बनारस में डग्गामारी होती थी, पूरे उत्तर प्रदेश में डग्गामारी होती थी और अवैध परमिट बनाकर भी लोग चलते थे इन पर रोक लगायी गयी है । इसी तरह से आर०टी०ए० और एस०टी०ए० का गठन किया जा रहा है ।

सदन जानता है कि हम 22 लाख किलोमीटर पर बसें चलाते हैं और केवल 28 प्रतिशत सड़कों पर यह परिवहन निगम अपनी सेवायें देता है शेष जो मार्ग हैं उन पर निजी बसें चलती हैं । निजी बसों में यात्रियों को सुविधा देने, बसों को परमिट देने और अनुबंध करने के लिये हम पूरी सुविधा दे रहे हैं । हमें इस बात का ख्याल है कि हमारे तमाम नौजवान जो पढ़कर बेरोजगार हैं और बेरोजगार होने के कारण जिनको अपमान का घूंट पीना पड़ता है उन नौजवानों को प्रोत्साहन देने के लिये उनको परमिट दिये जायें और उनकी बसें चलवायी जायं यह व्यवस्था हम करेंगे । जिनके पास 100-100 गाड़ियां चलती हैं उनका आधिपत्य रहता था । वह नहीं चाहते हैं कि कोई नया आदमी परमिट लेकर हिस्सेदारी करे इसीलिये वह स्टे लेते रहे और बसों को चलने में व्यवधान पैदा करते हैं इन बातों पर ध्यान देकर कार्यवाही कर रहे हैं ।

(समय 7 बजकर 20 मिनट)

जिन विधायकों ने सुझाव दिये हैं, सब स्टेशन के लिये, स्टेशन सुधार के लिये और जो अन्य सुझाव दिये हैं, उनको मानने के लिये हम तैयार हैं, बशर्ते वहां पर राष्ट्रीय मार्ग हो । मैं ज्यादा न कहकर यह कहना चाहता हूं कि परिवहन विभाग की बड़ी शिकायतें हैं । आर०टी०ओ० और ए०आर०टी०ओ० की शिकायतें हैं फर्जी लाइसेंस देने की शिकायतें हैं । और इस प्रकार की भी शिकायतें हैं कि गाड़ियों को फर्जी कागजात दे दिये जाते हैं और वह गाड़ियां फर्जी कागजातों के आधार पर चला करती हैं । आर०टी०ओ० के पैरालल जो दफ्तर चलते हैं, उनको हम समाप्त करेंगे और जो कागजात बनायें वह मजबूती के साथ बनायें जायें ।

श्रीमन् अगर कोई विधायक बस में चढ़ता है तो कन्डक्टर और चालक की जिम्मेदारी होगी कि वह उनको सम्मान से उनकी सीट पर बैठाये, ऐसी हिदायत दी जायेगी जिससे भविष्य में किसी माननीय

सदस्य को कोई शिकायत न हो। अगर किसी कन्डक्टर, ड्राइवर या परिवहन विभाग के किसी कर्मचारी को शिथिलता बरतते हुये पाया जायेगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि मलिक जी ने बहुत सुझाव दिये हैं, उन पर गम्भीरता के साथ विचार किया जायेगा। मैंने इस बजट को बहुत कम समय में प्रस्तुत किया है और इस कारण हो सकता है कि कुछ बातें इसमें न आ पायी हों और जिन कठिनाइयों को दूर नहीं किया गया है, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मलिक जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

मलिक जी, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान सं० 43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं० 43 परिवहन विभाग के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,44,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश चिकित्सक (संशोधन) द्वितीय विधेयक, 1995 का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद सं० 9 व 10 माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के अनुरोध पर मैं कल के लिये स्थगित करता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 7-8-95 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुई–पहली सूचना डा० राम बाबू हरित और श्री उदय भान सिंह की आगरा महानगर में जगदीशपुरा की नीलगिरी इन्क्लेव में गृहस्वामी की हत्या तथा 5 लोगों को घायल कर कीमती सामान लूटे जाने के संबंध में है, इसे वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है। दूसरी सूचना श्री जगदम्बिका पाल की प्रदेश के बरई, चौरसिया समाज के लोगों को पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत शामिल किये जाने के संबंध में है इसे भी वक्तव्य हेतु स्वीकार किया

जाता है । तीसरी सूचना श्री मारकण्डेय सिंह की लेखपाल हलको के पुनर्गठन योजना के फलस्वरूप अतिरिक्त (सरप्लस) लेखपालों को संग्रह कार्य में लगाये जाने के संबंध में है, इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है । चौथी सूचना श्री रमेश कान्त लवानियां की प्रदेश में चल रहे 10 जाली विश्वविद्यालय से शिक्षा के क्षेत्र में आये संकट के संबंध में है इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है । पांचवीं सूचना श्री बदन सिंह की आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी थाना अन्तर्गत एक ही माह में हुई आठ हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाना है, छठी सूचना श्री नरेश अग्रवाल की हरदोई सहकारी वनस्पति मिल सण्डीला की बंदी तथा कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों आदि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । शेष समस्त सूचनायें अस्वीकृत की जाती है ।

जनपद बांदा में कर्वी जल संस्थान द्वारा बढ़ाये गये टैक्स विषयक श्री भैरो प्रसाद मिश्र द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य

नगर विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राम किशोर बिन्द)—

बांदा जिले के अन्तर्गत जल संस्थान कार्यालय कर्वी द्वारा कई गुना टैक्स बढ़ा दिया गया है ।

वन, लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अध्यक्ष–

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री राम किशोर बिन्द–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत माननीय सदस्य से निम्न सूचना प्राप्त हुई :–

"बांदा जिले के अर्न्तगत जल संस्थान कार्यालय कर्वी द्वारा कई गुना टैक्स बढ़ा दिया गया है । [1] जैसे कि दुकानों पर 30 से 40 रुपया प्रतिमाह था जिसे बढ़ाकर ढ़ाई सौ रुपये प्रतिमाह कर दिया गया । इस तरह अस्सी रुपये प्रतिमाह वाले प्रतिष्ठानों पर न्यूनतम 1500/- रुपया प्रति माह कर दिया गया । इसी तरह अन्य उपभोक्ताओं के शुल्क में कई गुना वृद्धि कर दी गई है । इस वृद्धि से पूरे जिले में हाहाकार मचा हुआ है । लोग परेशान होकर अपने-अपने कनेक्शन कटवा रहे हैं । गरीब एवं कमजोर तबके के लोग विशेष रूप से परेशान हैं । इस अप्रत्याशित वृद्धि से पूरे जिले में आक्रोश एवं क्षोभ व्याप्त है ।"

माननीय सदस्य द्वारा दी गई उक्त सूचना के संबंध में स्थिति यह है कि क्षेत्रीय जल संस्थान, झांसी का गठन उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम (संख्या–43) वर्ष, 1975 के अन्तर्गत

नोट:–[1] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हुआ है । जिसके कार्य क्षेत्र में झांसी मण्डल के जनपद झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा एवं बांदा के नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं का रखरखाव किया जाता है । माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना के संबंध में उल्लेखनीय है कि जहां तक जलकर में बढ़ोत्तरी किये जाने का प्रश्न है, इसमें गत वर्ष 1979 से कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है । उल्लेखनीय है कि जलकर भू-गृहादि के निर्धारित वार्षिक मूल्य का 12.5 प्रतिशत लिया जाता है । किन्तु ऐसे भवन जिनका वार्षिक गृहकर निर्धारण 360/- रु० या उससे कम है जलकर से मुक्त हैं ।

जहां तक जल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग में लाये जा रहे जल के मूल्य में बढ़ोत्तरी का प्रश्न है, उल्लेखनीय है कि जल संस्थान, झांसी में जल उत्पादन की लागत शहरी क्षेत्रों में लगभग 4.50 रु० ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 10.00 रु० प्रति किलोलीटर आती है जिसके सापेक्ष जल उपभोक्ताओं से जल उत्पादन के मूल्य के आधी दरों पर जल मूल्य लिया जा रहा है । जल उत्पादन पर विद्युत व्यय की दरों में बढ़ोत्तरी तथा प्रयोग में लाई जाने वाली औषधियों के मूल्य में भी बढ़ोत्तरी हो रही है । इसके अतिरिक्त नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण में काफी लागत आती है जिससे घाटे की स्थिति बनी हुई है जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु गत दिसम्बर, 1994 से जलमूल्यों की पुनरीक्षित दरें लागू की गई जिसके अनुसार जलमूल्य का न्यूनतम प्रभार भवनों के वार्षिक मूल्यांकन के अनुसार रु० 50 से 100 के मध्य ही निर्धारित किया गया है जो 15 एम०एम० जल संयोजनों के लिए है । जल संस्थान, कर्वी से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान तक किसी भी जल उपभोक्ता द्वारा कर्वी शाखा में नई दरों में वृद्धि के उपरान्त जल संयोजन विच्छेदित नहीं कराये गये हैं जिससे स्पष्ट है कि स्थिति सामान्य है ।]

श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, जिसका जल मूल्य 30-40 रुपया था उसको बढ़ाकर 250 रुपया कर दिया गया है और जिसका 70-80 रुपया था उसका बढ़ाकर 1500 रुपया कर दिया गया है तो जो यह बढ़ोत्तरी हुई है उसको वापस लेंगे ?

श्री राम किशोर बिन्द–

मान्यवर, 1979 से कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी थी और जल संस्थान की स्थिति बहुत जर्जर हो गयी थी तो इस जर्जर स्थिति को सुधारने के लिए जो जल पीने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है वह अपनी कीमत से बहुत कम मूल्य लेकर अभी तक उपलब्ध कराया जा रहा था । ऐसी स्थिति में जल मूल्य को बढ़ाना आवश्यक हो गया था उसी के कारण यह सब हुआ है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से सहमत हूं यह जो आपका रेट था यह 1979 के आसपास का था और 15 साल तक बढ़ाया नहीं गया था एकदम से 30 रु० का 250 रु० आपने कर दिया । तो यह बहुत ज्यादा है । मेरे इस सुझाव पर विचार कर लें कि 30 रु० से एकदम 250 रु० करना नहीं है । इस पर पुनर्विचार करने की कृपा करें और इसे टुकड़ों में बढ़ायें ।

श्री राम किशोर बिन्द–

मान्यवर, इस पर विचार करके निर्णय ले लेंगे ।

श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, यह दिसम्बर, 1994 से बढ़ोत्तरी की गयी है इसको 7 माह पहले से लेने का कोई औचित्य नहीं है वर्तमान में जो रेट कम करके लिया उसे इसी अगस्त माह से मा० मंत्री जी लेने की कृपा करेंगे ।

श्री राम किशोर बिन्द–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य से हम वार्ता कर लेंगे ।

लखनऊ महानगर के इमरतगंज वार्ड में 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

श्री राम कुमार शुक्ल की सूचना से सम्बन्धित मद संख्या–13 को मैं माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित करता हूं ।

पूर्व विधायक श्री राम अधार राय के पुत्र सतीश कुमार की बस से ठोकर लगने एवं अस्पताल में लावारिश रूप में हुई मृत्यु विषयक श्री ऊदल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पशुधन राज्य मंत्री का वक्तव्य

पशुधन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद)–

मान्यवर, श्री ऊदल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 31-7-95 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में.....

वन लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

श्री ऊदल, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 31-7-1995 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में [श्री राम अधार राय पूर्व विधायक आजमगढ़ के पुत्र श्री सतीश कुमार राय आयु 32 वर्ष की दिनांक 31-5-1995 को गोरखपुर से आजमगढ़ की ओर यात्रा मोटरसाइकिल से जाते समय राजकीय परिवहन निगम, उ०प्र० की बलिया डिपो की बस संख्या–यू०एच०एक्स०–0185 द्वारा टक्कर मारने की दुर्घटना की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए आरोप है कि थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर द्वारा उक्त व्यक्ति को सदर अस्पताल, गोरखपुर में उसका पता मालूम होने के बावजूद लावरिश के रूप में भर्ती किया गया । प्रश्नगत सूचना में स्व० श्री राय के इलाज के सिलसिले में लापरवाही बरतने के भी गम्भीर

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आरोप लगाए गए हैं जिसमें उसका एक्सरे न लेना, उसे मेडिकल कालेज में रेफर न करना, उसके बेड हेड टिकट तथा अन्य साक्ष्य बदलने तथा उसकी मृत्यु की सूचना उसके परिवारजन को न देकर उसे अज्ञात स्थान पर दफनाने आदि के सम्बन्ध में अपराधिक लापरवाही बरतने के गम्भीर आरोप लगाए गए हैं।

शासन के गृह विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में मृतक श्री राय के पिता श्री राम अधार राय भूतपूर्व विधायक के संदर्भगत पत्र प्राप्त हुए थे जिनके आधार पर गृह विभाग द्वारा आई०जी० जोन, गोरखपुर को दिनांक 20-6-1995 तथा महानिदेशक चिकित्सा, उ०प्र० को दि० 14-6-1995 को जांच कराने की अपेक्षा की गयी थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर ने उक्त जांच पर अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण क्षेत्र तथा महानिदेशक, चिकित्सा द्वारा जांच अपर निदेशक (कार्मिक) श्री के० एस० राय द्वारा करायी गयी। दोनों जांच आख्याएं प्राप्त हुई हैं जो परीक्षणाधीन हैं। प्राप्त जांच आख्याओं में निम्नांकित अनियमितताएं/लैप्सेज प्रमाणित पायी गयी हैं :–

(1) थाना बेलीपार के कर्मचारियों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त स्व० श्री सतीश राय को दिनांक 31-5-1995 को अस्पताल भर्ती कराए जाने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज करने में असाधारण विलम्ब करना।

(2) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लाइसेन्स आदि के कागजात से पते की जानकारी के बावजूद उसके परिवारजन को दुर्घटना की सूचना न दिया जाना व उसका अन्तिम संस्कार लावारिस व्यक्ति के रूप में किया जाना।

(3) श्री उमेश चन्द्र सिंह सर्जन जिन्होंने स्व० श्री सतीश राय का इलाज किया था द्वारा वरिष्ठ सर्जन को कन्सल्ट न करने तथा मेडिकल कालेज, गोरखपुर जहां न्यूरो सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है, मरीज को रेफर न करने के दोषी हैं।

अपर निदेशक कार्मिक द्वारा अपने विवेकानुसार रोगी का पता ज्ञात करने तथा उसके उपचार के सम्बन्ध में किसी प्रकार की लापरवाही बरतने के लिए डा० एस० के० पाठक को दोषी नहीं पाया गया है। जांच से स्पष्ट हुआ है कि स्व० राय के बेहोश होने के कारण एक्सरे नहीं कराया जा सका था परन्तु उसके उपचार में किसी प्रकार की कोई अन्य गड़बड़ी जैसे ग्लूकोस न देना आदि तथा बेड हेड टिकट आदि में फेरबदल करने के कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं।

इस संबंध में अब तक दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध निम्नांकित कार्यवाही की गयी है :–

(1) मुकदमा अपराध संख्या–310/95 अन्तर्गत धारा 279/338/304ए थाना बेलीपार दिनांक 6-6-1995 को पंजीकृत किया गया। बस ड्राइवर गनपति राम को गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष, बेलीपार श्री रामबली राय को दिनांक 10-6-1995 को निलम्बित किया गया। एवं अन्य पुलिस कार्मिक सर्वश्री आर० पी० यादव, उपनिरीक्षक, अनिल कुमार राय, उप निरीक्षक, प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव, मुख्य आरक्षी, नर्मदेश्वर सिंह, आरक्षी को भी अपने कर्तव्यों का पालन न करने के लिए दोषी पाया गया जिसके लिए उन्हें परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान किए जाने की कार्यवाही क्रमित है।

(2) महानिदेशक, चिकित्सा द्वारा दिनांक 4-8-1995 को श्री उमेश चन्द्र सिंह, सर्जन को सर्जन के पद से हटाने के निर्देश दिए गए हैं तथा विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के आदेश पारित किये हैं।

उक्त आख्याओं का परीक्षण शासन स्तर पर यथाशीघ्र पुनः करके आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

आगरा महानगर की मलिन बस्तियों में निःशुल्क सुलभ शौचालयों की व्यवस्था कराये जाने विषयक डा० रामबाबू हरित द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य

नगर विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राम किशोर बिन्द)–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत माननीय सदस्य से निम्न सूचना प्राप्त हुई।

वन, लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री राम किशोर बिन्द–

[आगरा महानगर एक ऐतिहासिक नगर है जो ताज महल के कारण सारे विश्व में जाना जाता है यहां पर लगभग 250 मलिन बस्तियां है, जिनमें गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक लोग रहते हैं जो मुश्किल से दो समय का खाना खाते हैं।

जहां कहीं भी शौचालय हैं वहां गन्दगी का साम्राज्य व्याप्त है। शौच बाहर फर्श पर बहता रहता है। सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होती है जहां पर शौचालय नहीं है वहां की गरीब मां, बहिन, बेटी, खुले में कालोनियों की सड़कों पर शौच करनी हैं, जिससे उन्हें अंधेरे की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि कोई रास्तागीर उस समय वहां से निकले तो उन्हें शौच के बीच में ही खड़ा होना पड़ता हैं। इसमें सभी लोगों का जीना दूभर होता जा रहा है। कभी-कभी रास्तागीरों द्वारा छेड़छाड़ करने पर जातीयता का तनाव बन जाता है तथा झगड़ा भी हो जाता है जिससे कानून व्यवस्था भंग होने की व गन्दगी से महामारी फैलने की स्थिति हमेशा बनी रहती है।

आपसे आग्रह है कि सरकार का ध्यान आकर्षित कराये जिससे वहां प्रत्येक मलिन बस्ती में निःशुल्क सुलभ शौचालय बनाये जा सकें, उसकी सफाई व्यवस्था ठीक रह सके।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2–मा० सदस्य द्वारा दी गई उक्त सूचना के संबंध में स्थिति यह है कि आगरा महानगर में लगभग 250 मलिन बस्तियां हैं जिसके विपरीत वर्तमान में मात्र 16 सुलभ शौचालय हैं यमुना एक्शन प्लान के अन्तर्गत 50 शौचालय बनाने की योजना है जिसमें 20 शौचालयों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ भी हो गया है, इसके अतिरिक्त नेडा द्वारा नगर निगम द्वारा निर्मित पुराने क्षतिग्रस्त शौचालयों को पुनः निर्माण करके व्यवस्थित करने का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्तमान में जो शौचालय नगर निगम क्षेत्र में विद्यमान हैं उनकी सफाई की ओर ध्यान दिया जा रहा है। शौचालयों की पर्याप्त सफाई न होने का एक कारण भी है कि अधिकांश शौचालयों में पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, इसके लिये हैण्डपम्प लगवाने तथा जल संस्थान से आपूर्ति सुधारने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। जिन शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है वहां भिस्तियों की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि वे शौचालय की समुचित सफाई करें।

3–मा० सदस्य द्वारा निःशुल्क सुलभ शौचालयों की व्यवस्था की जो मांग की गई है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कदाचित निःशुल्क सुलभ शौचालयों से मा० सदस्य का आशय सामुदायिक शौचालयों से है जो कि मलिन बस्तियों के निवासियों हेतु नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत बनाये जाते हैं। एक सामुदायिक शौचालय के निर्माण पर लगभग 6.00 लाख रु० का व्यय आता है। इस प्रकार 250 मलिन बस्तियों में प्रत्येक में एक सामुदायिक शौचालय के निर्माण में रु० 15.00 करोड़ का व्यय अनुमानित है। अतः वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर ही उक्त की स्वीकृति पर विचार किया जाना संभव होगा।

4–इस प्रकार शासन आगरा महानगर की मलिन बस्तियों में निःशुल्क सुलभ शौचालयों की व्यवस्था कराये जाने हेतु सतत प्रयत्नशील है। |

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद नगर में नेहरू बाल उद्यान पार्क में नेहरू जी की प्रतिमा को क्षति पहुंचाये जाने तथा अवैध कब्जेदारी किये जाने विषयक श्री नरेश अग्रवाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पशुधन राज्य मंत्री का वक्तव्य

पशुधन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद)–

दिनांक 27-7-95 को प्रातः छः बजे महमूदाबाद कस्बे में .....

वन, लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

दिनांक 27-7-95 को प्रातः 6.00 बजे महमूदाबाद कस्बे में | स्थित नेहरू बाल उद्यान पार्क की दीवाल तोड़ने का कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रयास किया गया। इसकी सूचना श्री सतीश शुक्ल पुत्र श्री शिव

नोटः–| | यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दुलारे निवासी कस्बा थाना महमूदाबाद द्वारा दिये जाने पर थाना महमूदाबाद पर मु०अ०सं० 118/95 धारा 143/144/427 भा०द०वि० का अभियोग विरुद्ध अक्षय व छब्बन तथा अन्य 20-25 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । जिसकी विवेचना नि० श्री एम०एल० सोरल द्वारा की जा रही है इस घटना में बाल उद्यान की दीवाल को क्षति पहुंची है । नेहरू जी की प्रतिमा को कोई क्षति नहीं पहुंची है । घटनास्थल पर सशस्त्र आरक्षी नियुक्त हैं ।

यह उद्यान शत्रु सम्पत्ति पर स्थित है । इसके सम्बन्ध में न्यायालय मुंसिफ मजिस्ट्रेट महमूदाबाद के यहां मुकदमा विचाराधीन है । इसमें अगली तिथि दिनांक 9-8-95 नियत है । नेहरू बाल उद्यान के पास बनी 40 फुट लम्बी दीवाल रु० 15,676-18 की लागत पर उप जिलाधिकारी महमूदाबाद ने तत्कालीन जिलाधिकारी की स्वीकृति लेकर बनवाई है । दिनांक 28-7-95 द्वारा सभी तथ्यों पर विचारोपरान्त उक्त दीवाल को श्रीमती विजया खान रानी महमूदाबाद को दीवाल की निर्माण लागत अर्थात रु० 15,676.18 पर यथास्थिति विक्रय का निर्णय लिया गया है तथा श्रीमती विजया खान ने उक्त धनराशि उप अभिरक्षक, शत्रु सम्पत्ति के सचिवालय स्थिति स्टेट बैंक के खाता संख्या सीए/सीए व/97 में दिनांक 26-7-95 जमा भी कर दिया है । इस प्रकार नवनिर्मित दीवाल पर उनका स्वामित्व इस सीमा तक हो गया है कि वे उक्त दीवाल को अपने व्यय पर एक माह के भीतर ध्वस्त करायेगी तथा मलवे को स्थल से हटायेगी तथा स्थल को उसकी पूर्व स्थिति में बनाये रखा जायेगा । शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य में कोई अवरोध उत्पन्न न हो तथा प्रश्नगत स्थल पर किसी का न तो अनधिकृत कब्जा होने पावे और न ही कोई अवैध निर्माण होने पाये । पंजीकृत अभियोग की विवेचना कराई जा रही है । यह बात सत्य नहीं पाई गई कि लोगों में रोष व्याप्त है और स्थिति विस्फोटक है ।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं । कल 11 बजे फिर बैठेंगे । इसके बाद सदन सायंकाल 7 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।

लखनऊ :

दिनांक 7 अगस्त, 1995

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

परिशिष्ट 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 22 पर)

राज्य विश्वविद्यालय सुधार समन्वय समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें

(1) शैक्षणिक स्तर में सुधार एवं उन्नयन के उपाय ।

(2) वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ बनाया जाना ।

(3) विश्वविद्यालय की सकल आय तथा व्यय को दृष्टिगत रखते हुए आय के आन्तरिक वित्तीय संसाधनों में अभिवृद्धि के उपाय सुझाना ।

(4) सत्र विनियमितीकरण के विभिन्न उपायों–यथा प्रवेश कार्य का शीघ्र सुनिश्चित किया जाना, न्यूनतम शैक्षिक दिवसों का निर्धारण शैक्षिक पंचांग का दृढ़ अनुपालन, परीक्षाओं का न्यूनतम अवधि में सम्पादन, परीक्षाफल की शीघ्र घोषणा आदि पर विचार ।

(5) स्वावलम्बन के आधार पर नवीन व्यवसायपरक पाठ्यक्रमों का प्रारम्भ किया जाना ।

(6) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की आवश्यकता तथा आवश्यक विधिक प्राविधानों का विहित किया जाना ।

(7) परीक्षा प्रणाली में सुधार ।

(8) परिसर में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था ।

"सरकार विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को कायम करेगी और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक रूप से सरकार पर पैदा हुई उनकी निर्भरता समाप्त हो ।"

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०–23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के तीसरे सोमवार के लिये निर्धारित श्री सुन्दर लाल दीक्षित द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–23 के उत्तर का संलग्नक।

भू-सम्पत्ति

क्र० सं०	भूमि जिला	तहसील	गांव	क्षेत्रफल	अर्जित या पैत्रिक यदि अर्जित तो अर्जित करने का दिनांक	वार्षिक रख रखाव	अनुमानित लागत	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	लखनऊ	सदर	शेखपुर कसैला	1240 वर्गफीट	अर्जित (1984)	—	रु० 6200	अविकसित क्षेत्र
2	–तदैव–	सदर	द्रोपदी विहार	1995 ..	अर्जित (1995)	—	रु० 7980	अविकसित
3	–तदैव–	सदर	शेखपुर कसैला	2440 ..	अर्जित (1988)	—	रु० 40,000	अविकसित क्षेत्र

चल सम्पत्ति

क्रमांक	विवरण	अर्जित करने का दिनांक	प्रत्येक अंश/ मूल्य	अंशों की संख्या	अंशों का कुल मूल्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	यू.टी.आई.यू.एस.-64	30-7-89	रु० 10.00	1000 यूनिट	रु० 10,000/-	
2	यू.टी.आई.मा.गेन.–92	1992	रु० 10.00	1000 यूनिट	रु० 10,000/-	
3	यू.टी.आई.एम.ई.पी.-92	1992	रु० 10.00	1000 यूनिट	रु० 10,000/--	
4	यू.टी.आई.एम.ई.पी.-93	1993	रु० 10.00	1000 यूनिट	रु० 1,000/--	
5	यू.टी.आई.यू.एस.-64	23-6-93	रु० 10.00	400 यूनिट	रु० 4,000/--	राइट आफर
6	इक्यूटि शेयर (ओ.बी.सी.	14-12-94)	रु० 60.00	100 यूनिट	रु० 6,000/--	

मत्वी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं०–27का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

वर्ष 94-95 में स्वीकृत विशेष मरम्मत के कार्य — अतारांकित प्रश्न 27 का संलग्नक

मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र द्वारा

सं०	मार्गों का नाम	कार्य का नाम	वर्ष 94-95 में आवंटित धनराशि लाखों में
1	कृष्णानगर ताल कटोरा मार्ग	कि०मी० 2 में नहर सेतु पहुंच मार्ग (दोनों तरफ) का निर्माण 40–90, 40–63, 25–50 बैलारट की कुटाई एवं प्रथम सतह लेपन का कार्य।	1.50
2	गुरू गोविन्द सिंह मार्ग (किमी० 1 व 2)	एस० डी० सी० एवं बी० यू० एस० जी० से सुधार कार्य।	2.74
3	काकोरी शहीद स्मारक लिंक मार्ग	–तदैव–	0.37
4	दरगाह शहीद हजरत कासिम बाबा मार्ग	एस० डी० सी० का कार्य	0.56
5	मोहनलाल गंज बनी मार्ग के कि०मी० 3 से 18 में विशेष मरम्मत का कार्य।	तटबन्ध एवं दाग मरम्मत का कार्य	2.75
6	सीतापुर सिटी ब्रान्च मार्ग कि०मी० 4 व 5 का कार्य	बी० यू० एस० जी० से डिप्रेशन पार्टहोल्स भरना एवं एस० डी० सी० द्वारा मरम्मत कार्य।	3.50
7	गुरू गोविन्द सिह मार्ग पर ऐशबाग फ्लाई ओवर	एक कोट कुटाई तथा प्रथम सतह लेपन का कार्य (नाका साइड)	2.75
8	बुलाकी अड्डा मोहान रोड कि०मी० 3 का कार्य	प्रथम तथा द्वितीय सतह लेपन	0.86
9	लाटूश रोड पर विशेष मरम्मत का कार्य।	बी० यू० एस० जी० से डिप्रेशन, पाटहोल्स भरना एवं पैच रिपेयर।	2.77
10	शाहमीना मार्ग।	एस० डी० सी० से पैच रिपेयर	1.00
11	तुलसीदास मार्ग।	बी० यू० एस० जी० एवं एस० डी० सी० का कार्य।	1.99
12	तुलसीदास मार्ग के कि०मी०–1 में विशेष मरम्मत का कार्य।	कि० मी० 1 में डिवाइडर के निर्माण का कार्य।	1.00
13	लखनऊ शहर में हेग मार्ग की विशेष मरम्मत।	ढुलाई की मिट्टी से पटरी भराई एवं बी० यू० एस० सी० रे. [illegible], दाग मरम्मत का कार्य।	0.50

14	लखनऊ–वाराणसी मार्ग पर	बी० यू० एस० जी० द्वारा दबंक मरम्मत का कार्य ।	1.20
15	रिंग मार्ग फैजाबाद मार्ग से कुर्सी मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य ।	तटबन्धों पर मिट्टी का कार्य ।	2.44
16	रिंग फैजाबाद मार्ग से कुर्सी मार्ग के कि०मी० 0.00 से 6.300 तक का कार्य ।	डब्लू० बी० एम० एवं बी० यू० एस० जी० तथा पाटहोल को भरना एवं एस० डी० सी० का कार्य ।	5.44
17	मिल रोड की विशेष मरम्मत ।	प्रथम सतह लेपन द्वारा दाग मरम्मत का कार्य ।	1.56
		योग :	32.43

वर्ष 94-95 में स्वीकृत विशेष मरम्मत के कार्य प्रमुख अभियन्ता द्वारा

अतारांकित प्रश्न–27 का संलग्नक

क्र०सं०	मार्गों का नाम	कार्य का नाम	वर्ष 94-95 में आवंटित धनराशि लाखों में
1	लखनऊ नगर स्थित बटलर पैलेस कालोनी मा० मुख्य मंत्री आवास, मा० मंत्री, लो० नि० वि० एवं मा० न्यायमूर्ति के आवासों के मार्गों का कार्य ।	आंतरित मार्गों का एस० डी० सी० द्वारा मरम्मत का कार्य ।	9.20
2	बटलर पैलेस कालोनी मार्ग ।	आंतरिक मार्गों पर मरम्मत एवं एस० डी० सी० का कार्य ।	3.96
3	रिंग मार्ग (फैजाबाद मार्ग से गोमती बैराज) ।	पंच रिपेयर तथा गिट्टी से पटरी भराई ।	4.50
4	लखनऊ शहर में रिंग मार्ग फैजाबाद मार्ग से कुर्सी मार्ग के मध्य का भाग ।	बी० एम० एस० डी० सी० का कार्य, हार्डशोल्डर, ब्रिकएजिंग तथा गिट्टी का कार्य ।	20.08
5	लो० नि० वि० विश्राम गृह को जाने वाले मार्ग ।	एस० डी० सी०, मरम्मत का कार्य एवं के० सी० ड्रेन का कार्य ।	11.00
		योग :	38.74

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मत्वी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं०–70 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर)

आकस्मिक चेकिंग का विवरण

चेकिंग से पूर्व की तिथि		चेकिंग की तिथि		चेकिंग के बाद की तिथि	
दिनांक	धनराशि	दिनांक	धनराशि	दिनांक	धनराशि
4-8-93	5.750	6-8-93	6,549	7-8-93	7.107
5-8-93	6.385				
25-10-93	12.028	27-10-93	15.743	28-10-93	14.943
26-10-93	15.351				
14-12-93	10.462	16-12-93	11.756	17-12-93	12.416
15-12-93	11.903				
5-1-94	10.183	71-94	11.023	8-1-94	10.988
6-1-94	11.311				

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि शासन को कोई हानि नहीं हुई है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं०-74 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51 पर)

बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान झांसी हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि के भू-स्वामियों की सूची

1-श्री भजना पुत्र श्री खेते
2-श्री पिरुआ पुत्र श्री खेते
3-श्री गोपी पुत्र श्री खेते
4-श्री मातादीन पुत्र खेते
5-श्री महेन्द्र कुमार नाबालिग आयु 7 वर्ष पुत्र श्री राम किशन संरक्षक श्रीमती मुन्नी देवी मां
6-श्री तुलसिया पुत्र नथुआ
7-श्री मचुआं पुत्र श्री नथुआ
8-श्री सुरेश चन्द्र शास्त्री पुत्र श्री शिवदयाल
9-श्री गोविन्द दास पुत्र श्री शीतला प्रसाद
10-श्री प्रभाशंकर पुत्र श्री शीतला प्रसाद
11-श्री राम स्वरूप पुत्र श्री शीतला प्रसाद
[illegible] श्री [illegible]
13-श्री [illegible]
14-श्री गिरन सिंह पुत्र श्री बाबूलाल
15-श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री गया प्रसाद
16-श्री राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामसहाय
17-श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री [illegible]
18-श्रीमती तारा देवी पत्नी श्री द्वारका प्रसाद
19-मदन लाल पुत्र श्री रामसहाय
20-श्री सोहन लाल पुत्र श्री विशम्भर दयाल
21-श्री नन्द किशोर पुत्र श्री पर्वत
22-श्री राम सहाय पुत्र श्री हरप्रसाद
23-श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री रतन लाल
24-श्री देवेश कुमार पुत्र श्री रतन लाल
25-श्री धनुआ उर्फ धनीराम पुत्र श्री पन्नालाल
26-श्री नाथूराम उर्फ सोनी सिंह पुत्र भगवान दास
27-श्री बाबू खां पुत्र श्री सूबेदार खां
28-श्रीमती राजकुमारी सब्बरवाल पत्नी श्री रमेश चन्द्र
29-श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री बलदेव राज सब्बरवाल
30-श्री भरोसे उर्फ राम भरोसे पुत्र पन्नालाल
31-श्री राम किशन पुत्र श्री लाल चन्द्र
32-श्री श्रीलाल पुत्र श्री मेहरबान
33-श्री विजय राम पुत्र मेहरबान
34-श्री अब्दुल रज्जाक पुत्र श्री वोरा
35-श्री नवाब अली पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक

36–श्री किशन चन्द्र पुत्र श्री नाथूमल
37–श्री अब्दुल रज्जाक पुत्र श्री वोरा
38–श्री नवाब अली पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक
39–श्रीमती रेखा पत्नी श्री के० के० जैन
40–श्री शशि कुमार सब्बरवाल पुत्र श्री बल्देव राज सब्बरवाल
41–श्री गोवर्धन लाल पुत्र श्री मक्खन लाल
42–श्री गोपाल कृष्ण पुत्र श्री मक्खन लाल
43–श्रीमती सीतारानी पत्नी श्री मक्खन लाल
44–श्री चप्पे लाल पुत्र श्री वार लाल
45–श्री होलू पुत्र श्री वासे लाल
46–श्री रामसेवक पुत्र श्री हरप्रसाद
47–श्री रामसहाय पुत्र श्री हरप्रसाद
48–श्री अखिलेश कुमार पुत्र श्री शंकर लाल
49–श्री प्रभात गुप्ता पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद
50–श्री सोहन लाल पुत्र श्री छोटे लाल
51–श्रीमती मीरादेवी पत्नी श्री हरिशरण
52–श्री मकुन्दा पुत्र श्री शिवचरण
53–श्री शिवदयाल पुत्र श्री शिवचरण
54–श्री नारायण पुत्र श्री शिवचरण
55–श्री मदन मोहन पुत्र श्री जमना प्रसाद
56–श्री कैलाश नारायण पुत्र श्री जमना प्रसाद
57–श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप
58–श्री रघुनन्दन पुत्र श्री राजाराम
59–श्री रामस्वरूप पुत्र श्री शीतला प्रसाद
60–श्री डरू पुत्र रमजू
61–श्री कल्लू पुत्र श्री मौजी
62–श्री गोटीराम पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद
[illegible]–श्री गणेश पुत्र श्री लटोरे
[illegible] श्री [illegible] पुत्र [illegible] गणेश
65–श्री मातादीन पुत्र [illegible]
66–श्री मुकुन्दी पुत्र श्री मगन
67–श्री रामदयाल पुत्र श्री मगन
68–श्री राधेलाल पुत्र श्री रामसिंह
69–श्री रघुवर पुत्र श्री करन्जू
70–लकुल पुत्र श्री अयोध्या
71–श्री लालाराम पुत्र श्री दलपा
72–श्रीमती जनक दुलारी पत्नी श्री मंशाराम

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं०–98 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर)

ड्रमों की नीलामी का विवरण.

खाली मैक्स फाल्ट ड्रमों की नीलामी सूचना निदेशक के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, [illegible] खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बाराबंकी के पत्र संख्या–3676/20 एम, दिनांक 27 नवम्बर, 1992, 528/20 एम०, दिनांक 5 मार्च, 1993 एवं 719/20 एम०, दिनांक 15 अप्रैल, 1993 द्वारा नीलामी सूचना प्रकाशित कराने की व्यवस्था की गयी। खाली मैक्स फाल्ट ड्रम दिनांक 25 मई, 1993 को नीलाम किये गये।

वर्ष 1993-94 में विभिन्न माहों में निर्गत किये गये भरे मैक्स फाल्ट ड्रम से सम्बन्धित अवर अभियन्ताओं का विवरण :—

माह	अवर अभियन्ता का नाम
4/93	सर्वश्री :–गंगाराम
..	एस० एस० श्रीवास्तव
..	मोहर मन सिंह
..	के० एस० गर्ग
	कमरूल [illegible]
	शरीफ अहमद
	वी० के० जैन एवं मनोज कुमार
	अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड,
	लोक निर्माण विभाग, बाराबंकी
5/93	[illegible]
	सर्वश्री [illegible] गुप्ता
	आर० [illegible]
	[illegible]
	आर० सी० प्रसाद
	एम० एस० श्रीवास्तव
	वी० के० जैन
	ए० के० वर्मा
	रहमत अली
	मनोज कुमार
	आर० के० [illegible]
	आर० आर० शुक्ला
	अधिशासी अभियन्ता आर० ई० एम०
6/93	सर्वश्री :–रहमत अली
	मोहर मन
	आर० के० यादव
	एम० एस० [illegible]

वी० के० जैन
आर० के० शर्मा
ए० के० वर्मा
कमरूल हसन
लईक अहमद
गंगाराम
अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, बाराबंकी ।

7/93 सर्वश्री :–गंगाराम
आर० आर० शुक्ला
रहमत अली
अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड,
लो० नि० विभाग, बाराबंकी ।

8/93 सर्वश्री :–वी० के० जैन
हैदर मेंहदी

9/93 सर्वश्री :–एस० एस० श्रीवास्तव
आई० डी० वर्मा

10/93 सर्वश्री :–आई० डी० वर्मा
हैदर मेंहदी
गंगाराम
आर० आर० चौधरी
वी० के० जैन
ए० एन० गुप्ता
मोहरमन सिंह
आर० के० शर्मा
एस० एस० श्रीवास्तव
आर० आर० शुक्ला

11/93 सर्वश्री :–आर० के० शर्मा
हैदर मेंहदी
आर० पी० श्रीवास्तव
आई० डी० वर्मा
एस० एस० श्रीवास्तव
गंगाराम

12/93 सर्वश्री :–ए० एन० गुप्ता
रहमत अली
आर० आर० शुक्ला
कमरूल हसन
के० एस० गर्ग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	हैदर मेंहदी
	गंगाराम
1/94	सर्वश्री :– आर० आर० शुक्ला
	एस० एस० श्रीवास्तव
	वी० के० जैन
	गंगाराम
2/94	सर्वश्री :–ए० के० कपूर
	गंगाराम
	एस० एस० श्रीवास्तव
3/94	सर्वश्री :– आर० आर० शुक्ला
	रहमत अली
	आर० के० शर्मा
	मोहरमन
	आई० डी० वर्मा
	ए० के० कपूर
	ए० के० वर्मा
	आर० सी० प्रसाद
	गंगाराम

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 240 विधान सभा (687)–1996–572 (डी० डी० पी०) ।